खण्ड-396, अंक-9
मंगलवार, 5 आषाढ़, शक संवत् 1912
(26 जून, 1990 ई0)

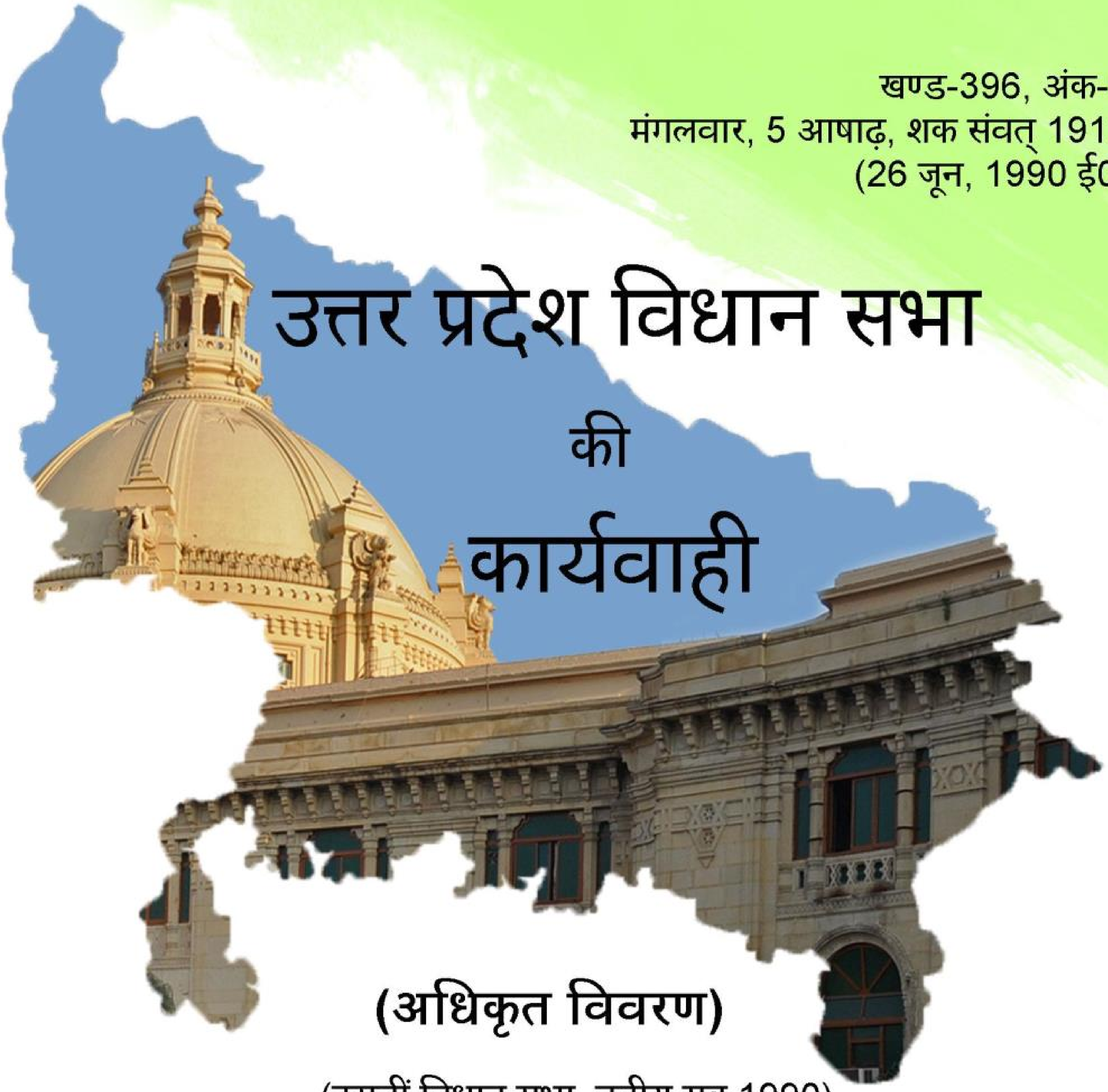

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 396 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	1–2
प्रश्नोत्तर	...	3–99
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	100
जनपद बांदा के तहसील नरैनी में सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना——	...	100
फैजाबाद जनपद के नगरीय क्षेत्रों में पेयजल संकट से उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना——	...	101
गाजीपुर जिलान्तर्गत थाना कासिमाबाद के ग्राम सवना में हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना——	...	101
उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ शाखा आजमगढ़ के अध्यक्ष श्री राम अवध यादव के जीवन को खतरा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना——	...	102
जनपद बांदा में इन्दिरा आवास योजना हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलायें जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना——	...	102
जनपद बाराबंकी में तहसील हैदरगढ़ में शारदा सहायक परियोजना द्वारा जल-भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना——	...	103
वाराणसी नगर में मादक द्रव्यों की अवैध बिक्री से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना——	...	103
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	...	104
आगरा काण्ड पर होने वाली चर्चा को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न——	...	104–109
संसदीय कार्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप महंगाई भत्ते की संशोधित शासनादेश न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न——	...	109–110
नियम 311 के अन्तर्गत सूचना——	...	110
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक 1990 (सदन के पटल पर रखा गया)	...	110
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1990—(सदन के पटल पर रखा गया)	...	111
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक 1990——(पुरःस्थापित)	...	111

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) द्वितीय विधेयक 1990 (पुरःस्थापित) ... 111

विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना— ... 112

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं— ... 112–116

वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगो पर मतदान अनुदान संख्या 43 परिवहन विभाग —(जारी) ... 116–138

परिवहन के बजट पर समयाभाव के कारण चर्चा से वंचित सदस्यों के लिखित प्रस्तवों को कार्यवाही का अंग माने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न— ... 139

वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगो पर मतदान अनुदान संख्या 43 परिवहन विभाग (स्वीकृत)——— ... 139–142

वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगो पर मतदान अनुदान संख्या 26 गृह विभाग (कारागार) अनुदान संख्या 28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या 29 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) अनुदान संख्या 40 नियोजन विभाग (स्वीकृत)— ... 142–167

प्रदेश के माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं विनियमित करने हेतु विधिक कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा को दिनांक 29 जून 1990 को लिए जाने की सूचना——— ... 168

आगरा शहर व देहाती क्षेत्रों में वर्ग संघर्ष के कारण दंगो व पुलिस फायरिंग में कई व्यक्तियों की मृत्यु होने सम्बन्धी सूचना पर चर्चा——— ... 168–182

"इक्यूपमेन्ट आफ साइन्स एजुकेशन इन स्कूल्स" योजनान्तर्गत हाईस्कूल/इण्टर कालेज के पुस्तकालयों हेतु पुस्तकों के क्रय में धांधली किये जाने विषयक तथा अशंकालिक नलकूप चालकों की न्यायोचित मांगों की उपेक्षा से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं— ... 182

उत्तर प्रदेश के कतिपय जनपदों में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था तथा लमहेटा थाना बदौसा जनपद बांदा में दुर्नाम दस्यु संतोषा यादव द्वारा बर्बद आंतक फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य——— ... 183–185

गणपूर्ति के अभाव में सदन का स्थगन——— ... 185–186

नत्थियां——————— ... 187–194

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 26 जून, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में, उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अकबर हुसैन बाबर, श्री फैजाबाद
अरविन्द कुमार, श्री ललितपुर
अशोक कुमार, श्री बिजनौर
अशोक पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
कप्तान सिंह, श्री फर्रूखाबाद
काजी मो0 मोहिउद्दीन, श्री हरिद्वार
रेवती रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
गोवर्धन सिंह, श्री एटा
छेदा लाल चौधरी, श्री खीरी
जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
धर्मपाल, श्री बुलन्दशहर
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री गढ़वाल
नारायण दत्त तिवारी, श्री नैनीताल
प्यारेलाल शंखवार, श्री कानपुर देहात
बहादुर सिंह, श्री आगरा
मंजूर, श्री बरेली
महाबीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
मुस्तमन्द अली खां, श्री मथुरा
रघुनाथ सिंह वर्मा
पटेल, श्री फिरोजाबाद
राजा मो0 अमीर
मोहम्मद खां, श्री सीतापुर
राम बचन धुसिया, श्री बलिया
राम सिंह सैनी, श्री हरिद्वार

अख्तर श्री गाजियाबाद
अनिल कुमार, श्री रामपुर
अरिदमन सिंह, श्री आगरा
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री बहराइच
करन चन्द्र सिंह, श्री नैनीताल
गंगाभक्त सिंह, श्री हरदोई
गोपाल रामदास, श्री अल्मोड़ा
चौधरी शंकर सिंह, श्री जालौन
धर्मपाल, श्री बहराइच
नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री मेरठ
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
बदन सिंह, श्री आगरा
श्री भोलानाथ पाण्डेय, श्री बलिया
मण्डलेश्वर, श्री आगरा
महराज सिंह यादव, श्री इटावा
महेन्द्र सिंह माहरा महूभाइ, पिथौरागढ़
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री मुरादाबाद
रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन श्री बुलन्दशहर
राजेश्वर बंसल, श्री मुजफ्फरनगर
राम शरण, श्री सहारनपुर
रामेश्वरी, श्रीमती बिजनौर
रेशमा आरिफ, श्रीमती कानपुर
विजय लक्ष्मी, श्रीमती बलिया
विपिन बिहारी, श्री हरदोई

रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
विजय सिंह राणा, श्री आगरा
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री एटा
शारदानन्द अंचल, श्री बलिया
शिव बहादुर सक्सेना, श्री रामपुर
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री वाराणसी
सियाराम सागर, डा0 बरेली
हरि शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
शारदा प्रसाद रावत, श्री गोरखपुर
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती बदायूं
सरदार सिंह, श्री मथुरा
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री गाजियाबाद
सुबाष, श्री मऊ
हरीश कुमार गंगवार, श्री पीलीभीत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 26 जून, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सरकारी सेवा में कार्यरत पति-पत्नी को देय मकान भत्ता

xx1.—श्रीमती सिया दुलारी, श्री राम करन आर्य, श्री पूर्णवासी, श्री मुधर नारायण मिश्रा, श्री सन्त बख्श रावत, श्री सन्नू लाल, श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, श्री बाबू लाल सरोज, श्री रामेश्वर दयाल वाल्मीकी, श्री चन्द्रभान सिंह, श्री बहादुर सिंह, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री पंचानन राय, श्री गजराज सिंह, श्री मुस्तमंद अली खां, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के उन शासकीय कर्मचारियों, जो कि पति-पत्नी, दोनों शासकीय कर्मचारी हैं और एक ही मकान में एक ही शहर में सेवारत हैं, को मकान किराया भत्ता देने के क्या नियम हैं? क्या किराया भत्ता एक को ही दिया जाता है जबकि भारत सरकार ने अपने ऐसे कर्मचारियों के लिए आदेश संख्या 11015/2/87 संस्था0 11 (ख), वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर, 1988 द्वारा बगैर किसी प्रतिबन्ध के ऐसे कर्मचारियों को उनकी हकदारी के अनुरूप मकान किराया भत्ता दिये जाने का प्राविधान किया है? क्या मुख्य मंत्री उक्त के बारे में बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा अब तक इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)—

सरकारी सेवा में कार्यरत पति-पत्नी को एक ही शहर और एक ही मकान में रहने पर उन दोनों में से केवल एक को ही **मकान किराया भत्ता** देय है। वह भी उसके वेतन के संदर्भ में देय है जिसके नाम से आवास किराये पर हो या जो अपने निजी आवास/परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व के आवास/हिन्दू अविभाजित परिवार के स्वामित्व के आवास के कर के भुगतान का उत्तरदायी है। यदि पति तथा पत्नी में से एक को सरकारी आवास (किराये पर या निःशुल्क) दिया गया हो तो दूसरे को उसी आवास में साथ रहते हुए मकान किराया भत्ता देय न होगा।

जी हाँ।

भारत सरकार के संदर्भित आदेश दिनांक 8-11-1988 पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि चूँकि राज्य सरकार द्वारा भत्तों के सम्बन्ध में केन्द्र से समानता के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया है, अतः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति सेवारत पति-पत्नी को एक ही शहर और एक ही आवास में रहने पर दोनों को मकान किराया भत्ता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, भारत सरकार ने यह नीति स्वीकार कर ली है कि यदि एक शहर में और एक ही मकान में पति-पत्नी दोनों रहते हैं, तो दोनों को ही मकान किराया भत्ता मिलेगा। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जिस नीति को स्वीकार किया है उसी को इस सरकार को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

इसमें कठिनाई तो केवल धन की है। अपनी आर्थिक कठिनाईयों के कारण हम दोनों को मकान किराया भत्ता नहीं दे सकते।

श्री राम करन आर्य—

क्या माननीय मंत्री जी जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा पति-पत्नी दोनों को ही मकान किराया भत्ता दिया जाता है, उसी प्रकार यहां पर भी देने पर विचार करेंगी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

अगर वे लोग अलग-अलग शहर में रहते हैं तब दोनों को मकान किराया भत्ता मिलेगा अगर वे लोग एक ही शहर में रहते हैं तब नहीं मिलेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीया मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें केन्द्रीय सरकार की जो नीति है उसको उन्होंने स्वीकार किया है। सरकार की बार-बार यह घोषणा भी होती रही है कि यह सरकार केन्द्रीय सरकार के बराबर महंगाई भत्ता आदि देगी और जब-जब महंगाई भत्ता जिस तरह से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देना घोषित होता है उसी तरह से यह सरकार भी देती है। जो पति-पत्नी काम करते हैं वे इनकम टैक्स भी अलग-अलग देते हैं। तो जब सरकार ने मान लिया है कि हम महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के बराबर देंगे तो इस मकान किराया भत्ता के संबंध में भी भारत सरकार की नीति का अनुसरण करने में अर्थात् पति-पत्नी दोनों को ही मकान किराया भत्ता देने में कठिनाई क्यों है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

कठिनाई तो वित्तीय साधनों की है। अपनी आर्थिक कठिनाईयों के कारण मकान किराया भत्ता दोनों को देना सम्भव नहीं है, जहां तक डी०ए० तथा अन्य भत्तों का प्रश्न है उनमें भी कुछ असमानता है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

जिन सदस्यों ने प्रश्न किया है, उनको पहले प्राथमिकता दी जायेगी। कृपया बैठें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां पति-पत्नी की

सेवा शर्तें अलग-अलग हैं वहां उनकी नियमावली भी सेवा शर्तों की अलग-अलग है। दोनों अलग-अलग सेवा शर्तों से गाइड होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अलग-अलग सेवा शर्तों और नियमावली से दोनों अलग-अलग सम्बद्ध हों तो उसी के अनुसार उनको मकान का भत्ता भी देय होना चाहिए। पति अलग सेवा शर्तों से और पत्नी अलग सेवा शर्तों से सम्बद्ध होने पर उन्हें मकान का किराया भत्ता न देने का क्या कारण है? चूंकि आप एक महिला हैं, उन सेवा शर्तों को आप ज्यादा जानती होंगी।

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

जैसा मैंने निवेदन किया और आपने जो सेवा शर्तों की बात कही वह सही है। किन्तु यदि वे अलग-अलग रह रहे हों तो उनको अलग-अलग भत्ता दिया जाता है। लेकिन यदि एक ही मकान में रह रहे हों तो दोनों को नहीं दिया जाता है। यह भावनाओं से अलग लगता है दोनों को भत्ता तब मिलेगा जब वे अलग-अलग रहें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इसमें उनका भी हित है। एक मानवीय आधार की बात है। मान लीजिये पति-पत्नी एक ही शहर में रह रहे हैं और दोनों के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं लेकिन मर्यादा को कायम रखने के लिये वे अलग रह रहे हैं। अगर अलग मकान में रहते हुये यदि उन्हें किराया नहीं मिलेगा तो मानवीय आधार पर और न्याय की दृष्टि से वह गलत होगा। इसलिये जैसा कि केन्द्रीय सरकार ने किया है उत्तर प्रदेश सरकार को भी उसे लागू करने में क्या कठिनाई है? माननीय मंत्री महोदया भी एक महिला हैं और उनके पति केन्द्र सरकार में गवर्नमेंट सर्विस में हैं। उनको अलग मकान में रहना लाजिमी है इसलिये वे अलग मकान में रहते हैं। किन्तु यदि वे एक साथ रहें तो क्या उन्हें डी० ए० मिलेगा या नहीं?

श्रीमती सुखदा मिश्रा--

माननीय सदस्य की पहली बात का समाधान तो यह है कि यदि आपस में कोई मतभेद हो तो वहां माननीय उपाध्याय जी को भेज देंगे, वे समाधान करा लेंगे। उसके बाद समस्या आयेगी तो विचार कर लेंगे कि अलग-अलग भत्ता दिया जाय।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि यदि पति-पत्नी अलग रह रहे हैं तो उनको मकान भत्ता दिया जा सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि सरकार की मंशा यह होगी कि हर पति-पत्नी को एक दूसरे से अलग रखा जाय। प्रश्न यह है कि इस प्रदेश में ऐसे पति-पत्नियों की संख्या 5 प्रतिशत से भी कम है। तो क्या इतनी कम संख्या के लोगों को मकान भत्ता दिये जाने में कितना व्यय भार बढ़ेगा। बहुत कम व्यय भार होगा। पति-पत्नी एक साथ रह सकें, इसके हित में क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि दोनों को यह भत्ता दिया जायेगा?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

माननीय सदस्य ने अच्छी बात कही है किन्तु हमारे इतने संसाधन नहीं हैं कि सरकार इस वित्तीय व्यय भार को वहन कर सकें।

श्री प्रभु दयाल प्रधान—

मैं जानना चाहता हूं कि यदि पति-पत्नी एक ही मकान में रहेंगे और दोनों को मकान भत्ता दिया जायेगा तो क्या वे बढ़ा हुआ किराया मकान मालिक को देंगे?

श्री पंचानन राय—

मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब पति-पत्नी में से एक राज्य सरकार की सेवा में है और दूसरा केन्द्र सरकार की सेवा में है उनको आवास भत्ता मिलेगा इसी तरह एक राज्य सरकार की सेवा में है और दूसरा व्यक्तिगत प्रबंध की सेवा में तो उसे भी यह भत्ता मिलेगा। तो फिर राज्य कर्मचारियों के बारे में दोहरा मापदण्ड अपनाने का क्या औचित्य है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, दोनों भिन्न-भिन्न सरकार की सेवाओं में हैं एक का भार भारत सरकार देती है तो उसमें हम एतराज नहीं कर सकते हैं जहां तक हमारे कर्मचारियों का प्रश्न है उसमें उनको यह भत्ता नहीं मिलेगा।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, पति-पत्नी एक ही आवास में रहते हैं और एक ही कार्यालय में काम करते हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी कृपया ध्यान से प्रश्न सुनें।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

तो जैसा मैंने कहा एक ही कार्यालय में काम करते हैं और एक ही साधन से कार्यालय जाते हैं तो क्या उनको डी०ए० भी एक को ही मिलेगा।

(कोई उत्तर नहीं आया।)

राज्य सेवा परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करने पर विचार

××2-श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा श्री हृदय नारायण—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय सेवाओं की प्रतियोगिताओं में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में समाप्त किये जाने पर शासन विचार कर रहा है? यदि हां, तो वह योजना क्या है और कब तक लागू हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी शासकीय कामकाज में भाषा नीति को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी की अनिवार्यता तत्काल समाप्त कराने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

प्रान्तीय सेवाओं के अन्तर्गत सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा में अनिवार्य

विषयों में से सामान्य अंग्रेजी के अनिवार्य विषय को समाप्त कर दिया गया है। जहां तक अन्य प्रान्तीय प्रतियोगिताओं का प्रश्न है इस संबंध में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की संस्तुति प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या प्रश्न संख्या दो का भी आप ही उत्तर देंगी जो माननीय मुख्य मंत्री जी से संबंधित है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हाँ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा से अंग्रेजी को समाप्त करने की घोषणा मा0 मुख्य मंत्री जी ने कर दी है उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो अन्य परीक्षायें हैं उनसे भी अंग्रेजी समाप्त करने के लिए लोक सेवा आयोग से संस्तुति की गयी है और वह संस्तुति कब भेजी गयी? क्या अगली परीक्षायें होने से पहले इस संबंध में निर्णय लिया जायेगा और अंग्रेजी को समाप्त कर दिया जायेगा?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, लोक सेवा आयोग को दो तीन दफा भेजा जा चुका है और उस पर विचार हो रहा है जैसे ही उसकी संस्तुति आती है उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री हृदय नारायण—

मान्यवर, मा0 अनुग्रह नारायण जी के प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि लोक सेवा आयोग को सरकार की तरफ से इस आशय की संस्तुति कब की गयी? लोक सेवा आयोग की जो अन्य परीक्षायें हैं उनमें अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए क्या लोक सेवा आयोग से वार्ता भी करेंगी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

उनको 26 मार्च को पत्र लिखा गया है और उसके बाद स्मृति पत्र भी लिखे गये हैं। यदि वार्ता करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वार्ता करेंगे लेकिन ऐसी आशा है कि शीघ्र ही उनका उत्तर आ जायेगा जो उनको पहले भी लिखा गया है उसके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)—

मान्यवर, इस सरकार की भाषा नीति स्पष्ट है कि प्रान्तीय सेवाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की जायेगी। यदि यह नीति स्पष्ट है तो संस्तुति की क्या जरूरत है? सरकार क्यों नहीं उनको निर्देशित करती है कि अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की जाय ताकि अगली परीक्षा अपनी मातृभाषा हिन्दी में दे सकें इसके संबंध में सरकार की क्या नीति है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, लोक सेवा आयोग को सरकार लिखती है चूँकि परीक्षा वही लेते है और तरीका यही है कि उनकी संस्तुति पर हम लोग कार्यवाही करते हैं, इसलिए संस्तुति आ जाएगी तो कार्यवाही करेंगे।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, प्रश्न का दूसरा भाग देखें जिसमें लिखा है कि शासकीय कामकाज में भाषा नीति को ध्यान में रखते हुये अंग्रेजी की अनिवार्यता तत्काल समाप्त कराने का कष्ट करेंगे? उत्तर दिया है प्रश्न नहीं उठता और अनुपूरक में कहा जाता है कि शासन की मंशा स्पष्ट है भाषा के संबंध में। तो यह विरोधाभास क्यों है? तो मैं जानना चाहता हूँ कि स्पष्ट करें कि शासन की नीति क्या है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, शासन की नीति स्पष्ट है राज्य सेवा परीक्षा में अनिवार्य विषायों में से सामान्य अंग्रेजी को समाप्त कर दिया गया है, तो फैसला हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता कह रहे हैं, तो इसमें अभी निर्णय हुआ नहीं है, इसलिये यह उत्तर दिया गया है, इसकी प्रक्रिया पूरी होते ही बात साफ हो जायेगी।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, क्या शासन की नीति स्पष्ट है कि अंग्रेजी परीक्षा का माध्यम नहीं होगा? तो मैं जानना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग को जो आपने पत्र लिखा है क्या उसमें स्पष्ट किया है कि इन परीक्षाओं में अंग्रेजी समाप्त कर दी गयी है और उसका अनुपालन करके अवगत करायें। चूंकि नीति संबंधी मामला है इसलिये आयोग से संस्तुति लेना अनिवार्य नहीं है, इसलिये आयोग को क्या लिखा है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, लिखा है कि 5 जो परीक्षायें हैं जैसे उ0प्र0 न्यायिक सेवा परीक्षा, वन सेवा परीक्षा, प्रवर और अवर वर्ग सहायक परीक्षाओं आदि में आदेश नहीं हुआ है चूंकि विचार करने में देर कर दिया है और उत्तर की प्रतीक्षा है और उत्तर आते ही जो हमारी नीति है उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मंत्री जी ने कई बार घोषणा किया है कि यह परीक्षायें हिन्दी में होंगी, इसलिये क्या निश्चित है कि शासन अपनी नीति के अनुसार अब कोई परीक्षा अंग्रेजी में नहीं करायेगा?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, जैसा कहा है कि संस्तुति आते ही जो सरकार की नीति है उसके तहत पूर्ण रूप से कार्यवाही की जायेगी।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने पर विचार

×1—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग की प्रादेशिक सेवा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा 30 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

यह प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह —

मान्यवर, हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष रूप से सक्रिय है और ग्रामीण क्षेत्र के लिये योजनायें भी हैं, तो इसी के तहत मैं जानना चाहता हूं चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, उनका अध्ययन काफी दिनों बाद शुरू होता है, और विश्वविद्यालय व प्रान्तीय सेवा में सम्मिलित होने के लिए काफी देर से पहुंच पाते हैं, उस चीज को देखते हुए अन्य राज्यों-बिहार, मध्यप्रदेश व राजस्थान की भांति क्या यहां पर भी 35 वर्ष की आयु करेंगे? इस सम्बन्ध में आपका उत्तर है-यह प्रकरण शासन के विचाराधीन हैं और फिर दूसरे भाग को देखें-यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक? इसमें, यदि हां, तो कब तक के उत्तर में भी मालूम पड़ता है कि भूल से छप गया है कि प्रश्न नहीं उठता और वैसा ही मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है, तो मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसको भी स्पष्ट कर दें?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

यह सच है कि यह प्रश्न विचाराधीन है और पूर्ण विचार-विमर्श करके ही कोई फैसला होगा।

श्री हृदय नारायण—

यह बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न हमारे गावों के छात्रों से जुड़ा हुआ है, जो देर से इस योग्य होते हैं, इस प्रश्न पर विचार करने के लिए नयी सरकार ने कोई समिति गठित की है, कौन सा तन्त्र इस पर विचार कर रहा है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

समिति इस पर अभी कोई गठित नहीं की है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मंत्री जी को शायद इस बात की जानकारी हो कि हरियाणा में भी नई जनता सरकार ने 35 वर्ष की आयु कर दी है और राजस्थान में भी। पिछले तीन साल से यहां नौकरियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है और जूडिशियल सर्विसेज का मामला तो उससे भी पुराना 4 साल का हो गया है, इन तमाम तथ्यों को नजर में रखते हुए क्या मंत्री जी सदन को इस बात का आश्वासन देंगे कि इसी सत्र में इसकी अन्तिम रूप से घोषणा कर दी जाएगी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोई आश्वासन दिया जा सकता है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मैं यह जानना चाहता हूं, जो 30 से 35 वर्ष आयु करने की बात है, वह तो सामान्य अभ्यर्थियों के बारे में है, क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 35 वर्ष से ज्यादा आयु के बारे में वह विचार कर रहे हैं?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी नहीं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

इसी पिछली 19 तारीख को नई नियुक्तियां पर लगे प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में मेरा एक सवाल था, उस पर श्री ओझा जी ने मंत्री जी से पूछा था कि नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध जब हटाया जाएगा तो इस बीच जो अपनी आयु-सीमा पार कर चुके हैं, उनके लिए उस सीमा को भी क्या हटाया जाएगा, तो मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि मैं उनके सम्बन्ध में विचार कर रहा हूं और उन्होंने यह भी कहा था कि इन नौकरियों पर ही नहीं बल्कि अन्य बड़ी-बड़ी नौकरियों पर उम्र बढ़ाने पर विचार कर रहा हूं। इस सन्दर्भ में मंत्री जी सदन को अवगत करा दें यह जो विचार हो रहा है, यह जो परीक्षा होने जा रही है, इसके पहले यह निर्णय ले लेंगी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मैं एक चीज का आश्वासन माननीय सदस्य को देना चाहती हूं कि विचार अवश्य हो रहा है और उस विचार के बाद जरूर कोई फैसला होगा।

×2—श्री हृदय नारायण—

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

सेवानिवृत अधिकारियों की पुनः नियुक्ति या सेवाकाल में वृद्धि न दिये जाने की नीति की अवहेलना

×3—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान सरकार के निश्चय और मुख्य मंत्री द्वारा दिसम्बर, 1989 में की गयी स्पष्ट घोषणा के बावजूद बहुत से विभागों में विशेषकर राज्य विद्युत परिषद में सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनः नियुक्ति या उनके सेवाकाल में वृद्धि न दिए जाने की नीति की खुली अवहेलना की जा रही है? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और अपनी इस घोषित नीति को कड़ाई से लागू करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

प्राप्त सूचनानुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति या उनके सेवाकाल में वृद्धि न किये जाने की शासन की नीति का राज्य विद्युत परिषद सहित सभी विभागों द्वारा सामान्यतः कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि सामान्यतः कड़ाई से पालन किया जा रहा है, पूरी कड़ाई से पालन किया जायेगा। ऐसा कहने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि विद्युत परिषद में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी इस घोषणा के बाद या तो सेवाकाल बढ़ाया गया है या उनकी पुनर्नियुक्ति की गई है या फिर दूसरे विभाग से आकर यहां पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं? मंत्री जी के विभाग में और गन्ना विभाग में कितने ऐसे लोग हैं?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

विद्युत विभाग से मिली सूचना के अनुसार ऐसा नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य के पास है तो वह सूचना दे दें, उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मंत्री जी क्या स्पष्ट करेंगी कि जो डेड लाइन उन्होंने तय की थी, अमुक तारीख के बाद न तो सेवाकाल बढ़ाया जायेगा और न पुनर्नियुक्ति करेंगे और न प्रतिनियुक्ति पर लोग रखेंगे। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि मा0 मंत्री जी के विभाग में पूर्वान्चल विकास निगम में राशिद साहब को प्रतिनियुक्ति पर रखा गया। सेवरही जनपद देवरिया में गन्ना शोध संस्थान है वहां के डायरेक्टर हैं उन्हें रिटायर होने के बाद पांच साल का एक्सटेंशन या पुनर्नियुक्ति दी गयी। मैं जानना चाहूंगा वह कौन सी परिस्थितियां हैं जो कि मंत्री जी घोषणा कुछ और करती हैं और कार्यवाही कुछ और होती है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, सूचना के अनुसार सिविल ऐवियेशन विभाग में कुछ नियुक्तियां हुई हैं क्योंकि उनके स्थान पर लोग नहीं मिले हैं जिनसे हम काम ले सकें। हमारे विभाग का जहां तक प्रश्न है, दो लोग ऐसे हैं जो अभी कार्यरत हैं, उनकी भी किसी तरह की समस्या थी। इसी तरह नगर विकास का एक ऐसा कर्मचारी है जो वहां पर कार्यरत है। नगर विकास में देहरादून में 4 भूतपूर्व सैनिक हैं, जो कार्यरत हैं, वह सुरक्षा गार्ड के स्थान पर काम कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर लोग हटा दिये गये हैं।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि कुछ लोग जो मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले आये थे, ऐसे लोग कितने हैं जो उन आदेशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, शासन की यह स्पष्ट नीति है कि कोई भी सेवानिवृत्त अधिकारी काम नहीं कर सकेगा। हम लोग सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। मान्यवर, ऐसे मामलों में जब हम लोग संस्तुति लेकर जाते हैं तो स्पष्ट शासनादेश का हवाला दे दिया जाता है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह अपने रिश्तेदारों, अपने पट्टेदारों को नियमों को मैनीपुलेट करके उनकी सेवा का विस्तारीकरण और पुनर्नियुक्ति दे देते हैं। क्या मा0 मंत्री जी आश्वासन देंगी कि आज वे जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, चाहे एक्सटेंशन पर हैं या प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनको तत्काल हटाया जायेगा?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, शासन की नीति के तहत उनको हटा दिया जायेगा। यह देखते हुए कि क्या समस्या थी और क्यों रखा गया था।

श्री रामगोविंद चौधरी—

मान्यवर, सेवाकाल में वृद्धि के लिए यह कारण दिया जाता है कि हमारी

आय के और साधन नहीं हैं, अभी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी यह घोषणा करेंगी की शासन की नीति और मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप उन लोगों को सेवा से हटा दिया जायेगा?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा सिविल एवियेशन महकमें के बारे में माननीय सदस्य आश्वासन मांग रहे हैं तो सिविल एवियेशन महकमें के बारे में एक दम कैसे आश्वासन दे सकते हैं कि उनको हटा देंगे। अभी तक उनके स्थान पर ऐसा कोई नहीं मिला है कि जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको हटा सकें। लेकिन जहां पर शासन की नीति के तहत काम नहीं हो रहा है वहां पर जरूर कार्यवाही करेंगे। माननीय सदस्य ने मुकदमों की बात कही तो इस मुकदमें का फैसला सरकार के हक में हुआ था और स्टे आर्डर के तहत कोई काम नहीं कर रहा है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ। मंत्री जी ने कहा कि अभी उनके पास सभी विभागों की सूचना नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अभी वह आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हैं। यह घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी की थी जो सदन के नेता हैं इस स्थिति में मैं आपसे दो निवेदन करना चाहता हूँ। या तो इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए या इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दीजिए।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, यदि आपका संरक्षण नहीं मिलेगा तो हमें कौन संरक्षण देगा? आप देख रहे हैं कि उत्तर स्पष्ट नहीं आ रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि या तो आप इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये या इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न का उत्तर आ गया है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, उत्तर नहीं आया है।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, अभी उत्तर नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये, उत्तर आ गया है।

(मंगलवार, दि0 26 जून, 1990 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

काशी विश्वनाथ मन्दिर निधि में जमा धनराशि का विवरण एवं इस निधि से एक महिला महाविद्यालय की स्थापना की मांग

×1—श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अधिग्रहण के बाद न्यास कोष में विभिन्न स्रोतों से कितनी धनराशि, सोना, चांदी आदि जमा की गयी है? इसका सार्वजनिक हित में उपयोग क्या है? क्या सरकार इस प्रकार एकत्रित धनराशि से कोई महिला महाविद्यालय की स्थापना या संस्कृत भाषा के उत्थान हेतु किसी योजना पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

दिनांक 20-6-1990 को मंदिर निधि में रू0 62,22,598.61 पैसे (बासठ लाख बाइस हजार पांच सौ अठ्ठानबे रूपये एकसठ पैसे) तथा 790 ग्राम सोना, 42.8 किलोग्राम चाँदी व 970 चाँदी के सिक्के जमा हैं।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, अधिनियम, 1983, के प्राविधानों के अनुसार मंदिर निधि का उपयोग तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वालों की सुविधा अथवा अन्य लाभार्थ योजनाओं पर किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा-23 के अधीन उक्त निधि के प्रशासन का अधिकार न्यास परिषद को प्राप्त है। अतः शासन द्वारा प्रश्नगत योजना पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

मान्यवर, 1983 में व्यापक हितों के दुरूपयोग के विरोध में जनता की मांग पर इसका अधिग्रहण किया गया था। जैसा कि इसकी मंशा थी कि मंदिर निधि का उपयोग तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वालों की सुविधा अथवा अन्य लाभार्थ योजनाओं पर किया जा सकता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक कौन-कौन सी योजनायें बनायी गयी हैं और कौन-कौन से कार्य तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिये किये गये हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि अधिनियम की धारा 23 के अधीन उक्त निधि के प्रशासन का अधिकार न्यास परिषद् को प्राप्त है। तो क्या इस निधि से कोई महाविद्यालय खोलने या संस्कृत भाषा के प्रसार व प्रचार पर कार्य किया जायेगा जैसा कि दक्षिण भारत के मंदिरों के लिये गठित ट्रस्टों द्वारा इस प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस संबंध में कोई सुझाव देने की कृपा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो सुझाव दे रहे हैं, कोई प्रश्न आपने पूछा ही नहीं।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में स्वर्ण आभूषणों आदि की कई लाख की चोरी हुई थी, जिसको लेकर जनता आंदोलनरत थी, जिसका संयोजक मैं था, उसमें माननीय शतरूद्र प्रकाश जी व समाजवादी नेता राजनारायण जी भी उस आंदोलन में शरीक थे और उस आंदोलन की मांग थी कि विश्वनाथ मंदिर का समाजीकरण किया जाय, लेकिन सरकार ने उसका अधिग्रहण किया। मान्यवर, अधिग्रहण की नियमावली क्या है और नियमावली के अधीन जो सुविधायें और सेवायें आपने बताई कि इतना स्वर्ण इतनी चाँदी और इतना कोष में है। तो उस कोष के पैसे से नियमावली के मुताबिक सेवा सुविधायें और तीर्थ यात्रियों की सुविधायें कायम की गयीं और यदि

नहीं हुई है, तो उसको कायम करवाने का स्पष्ट आदेश देंगी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, आपकी आज्ञा हो, तो मैं इसे पढ़कर सुना देती हूं। मान्यवर, मंदिर में विग्रह की पूजा, सेवा कर्मकाण्ड, समारोह और अन्य धार्मिक अनुष्ठान का उचित सम्पादन। मंदिर के समस्त दायित्वों का सम्यक निर्वहन। काम चलाऊ बचत पूंजी और आरक्षित निधि का अनुरक्षण। तीर्थयात्रियों, पूजा करने वालों या मंदिर में हितबद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा के लिये किया जाने वाला प्रबन्ध। मंदिर और उससे सम्बद्ध भवनों का निर्माण, मरम्मत और सुधार और ऐसे अन्य विषय, जो विहित किये जायं। धारा 25(3) तथा (4) में बजट राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत करने अथवा उसमें उपान्तर करने की व्यवस्था है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा मंदिर निधि उपयोग के लिए स्वयं कोई योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता। न्यास परिषद् द्वारा महिला महाविद्यालय की स्थापना सम्भव नहीं बताई गयी है। उनका कहना है कि मंदिर की निधि से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम के अधीन ही व्यय किया जा सकता है। अधिनियम में महिला महाविद्यालय का कोई प्राविधान नहीं है। संस्कृत भाषा के उत्थान की योजना के संबंध में कहा गया है कि न्यास परिषद् द्वारा एक श्रुति केन्द्र (वेद मंदिर) के निर्माण की योजना तैयार की गयी है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में इसी वर्ष कार्तिक के कर्मकाण्ड विद्यालय स्थापित हो जायेगा। इस केन्द्र में वेद पठन-पाठन से संस्कृत भाषा का प्रचार होगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि इस प्रकार एकत्रित धनराशि से कोई महिला महाविद्यालय की स्थापना या संस्कृत भाषा के उत्थान हेतु क्या माननीया मंत्री जी कोई सुझाव देने की कृपा करेंगी?

श्री उपाध्यक्ष—

यह उत्तर आ गया है।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो सुझाव आया है, उसे मैं परिषद को भेज दूंगी।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

मान्यवर, इसी प्रश्न से संबंधित एक और भी प्रश्न है। मान्यवर, काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रबन्ध ठीक न होने के कारण उसे सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है। मान्यवर, इसी प्रकार से मथुरा आदि स्थानों पर भी प्रबन्ध ठीक नहीं है, क्या सरकार उसे भी अधिग्रहण करने पर विचार करेगी?

श्री उपाध्यक्ष—

यह इससे संबंधित नहीं है।

नव सृजित जनपद सोनभद्र की सीमा एवं मुख्यालय निर्धारण हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट

×2—श्री विजय सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नव सृजित जनपद

सोनभद्र की सीमा व मुख्यालय निर्धारण हेतु गत दिनों कोई कमेटी गठित की गयी है? यदि हां, तो सोनभद्र जनपद के मुख्यालय और सीमा के सम्बन्ध में कमेटी की रिपोर्ट क्या है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हाँ, नवसृजित जनपद सोनभद्र के स्थायी मुख्यालय के लिए उपयुक्त स्थान चयन एवं सीमांकन पर विचार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था।

समिति द्वारा नवसृजित जनपद सोनभद्र का मुख्यालय पीपरी में और विकल्प के रूप में ग्राम बिलहत्थी में नया नगर बसाकर स्थापित करने की संस्तुति की गयी है। जनपद मिर्जापुर व सोनभद्र के सीमांकन के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

1-कैमूर पर्वत माला विभाजन रेखा मानी जाय और इसके दक्षिणी भाग को ही सोनभद्र जनपद में रखा जाय।

2-सोनभद्र जनपद में तहसील राबर्ट्सगंज का विकासखण्ड "घोरावल", विकासखण्ड राबर्ट्सगंज की न्याय पंचायत सलखन को छोड़कर शेष पूरा विकासखण्ड, विकासखण्ड चतरा तथा विकासखण्ड "नगवा" (न्याय पंचायत "गड़ाव" को छोड़कर) को जनपद मिर्जापुर में शामिल किया जाय।

3-न्याय पंचायत "सलखन" विकासखण्ड चोपन (1) तथा विकासखण्ड म्योरपुर (1) (अनपारा) को मिलाकर "पीपरी" में नई तहसील खोली जाय।

4-नगवा विकासखण्ड की गडांव न्याय पंचायत, चोपन (2) (कोन), म्योरपुर (2) (म्योरपुर), दुद्धी तथा वभनी विकासखण्डों को मिलाकर तहसील दुद्धी का पुनर्गठन किया जाय।

5-पीपरी व दुद्धी तहसीलें सोनभद्र में रखी जायें।

श्री विजय सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने पीपरी को स्थाई मुख्यालय बनाने का निर्णय ले लिया है यदि हाँ तो कब तक इसका नोटिफिकेशन हो जायेगा?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, समिति की रिपोर्ट आ गयी है और उस पर काफी कुछ विचार हो चुका है और फैसला होते ही हम कार्यवाई कर देंगे।

श्री अमर मणि—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में जो नये जनपद अगले साल बने थे और उसमें कुछ जनपदों के सीमांकन और मुख्यालय अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाये हैं जैसे महाराजगंज

श्री उपाध्यक्ष—

आप संबंधित प्रश्न पूछिये।

श्री अमर मणि—

मान्यवर, यह नवसृजित जनपदों से संबंधित है। मान्यवर, माननीय मंत्री

जी बैठी हैं उसका उत्तर दे दें। महाराजगंज जनपद का अभी भी सीमांकन नहीं हो पाया है और न ही उसका मुख्यालय सुनिश्चित हो पाया है कि कहां पर खोला जाय। हम लोगों ने सदन में भी और माननीय राजस्व मंत्री जी से भी इस बात की चर्चा की है।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री अमर मणि—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि महराजगंज के लिए कोई ऐसी समिति गठित की गयी है, यदि गठित की गयी है तो उसकी आय क्या है और कब तक उसका सीमांकन और मुख्यालय सुनिश्चित कर दिया जायेगा?

(उत्तर नहीं आया)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, पूरे प्रदेश में पिछली सरकार ने इतनी जल्दी-जल्दी जिलों का सृजन किया जिससे उसके सीमांकन में बहुत ही अव्यवस्था हो गयी थी। क्या मंत्री जी कोई ऐसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेंगी कि सम्पूर्ण जनपद जिनका नया गठन हुआ है, उनके सीमांकन के बारे में सुझाव रिपोर्ट दे और उसके आधार पर फिर से उसका सीमांकन किया जा सके।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, जहाँ तक महराजगंज और अन्य जिलों का संबंध है उसके लिए राजस्व विभाग से पत्र व्यवहार चल रहा है। अगर समिति गठित करने की आवश्यकता पड़ेगी तो देखा जायेगा। इसलिए उनकी कोई बात आ जाय तो देखेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में महराजगंज का मुख्यालय महराजगंज में रहेगा, मात्र सीमांकन का प्रश्न है तो जो समिति बनी हुई है उस समिति में क्षेत्रीय विधायक जो हैं उनको शरीक करने का निर्देश देंगी ताकि वह सुझाव दे सकें?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अनुमति नहीं देता यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैंने संबंधित प्रश्न पूछा है कि जो समिति बनी हुई है क्या उन समितियों में माननीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करेंगी जिससे वह सुझाव दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न केवल सोनभद्र से संबंधित है (व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा बोलने का प्रयास करते रहने पर)

माननीय ओझा जी आप काफी पुराने और विद्वान सदस्य हैं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, यह प्रश्न से बिल्कुल संबंधित नहीं है, कृपया आगे बढ़ने

दीजिए।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, यह सही है कि यह प्रश्न थोड़े से जिलों से संबंधित है। मैं आपका संरक्षण चाहूँगा, जिलों के सीमांकन के समय जन प्रतिनिधियों की राय न लिये जाने से यह तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं। मऊ में सीमांकन हुआ तो पूरे जिले में कहा गया कि इसको बलिया को वापस कर दिया जाय। तो यदि इस प्रकार की बात सामने आती है तो सरकार जनप्रतिनिधियों की राय लेने पर विचार करने की कृपा करेगी?

(उत्तर नहीं आया)

श्री श्याम नारायण तिवारी—

मान्यवर, क्या मा0 मंत्री जी बताएंगी कि जो जनपद सोनभद्र के मुख्यालय की सीमा से संबंधित कमेटी बनी है, जिसको रिपोर्ट देना है, तो क्या कृपा करके तमाम ऐसे जिले, जिनके बारे में ओझा जी और अमरमणि जी ने पूछना चाहा था, इनके सीमांकन के बारे में जनप्रतिनिधियों को कमेटी में सम्मिलित कर लेंगे?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, यह कमेटी सिर्फ सोनभद्र के मुख्यालय के संबंध में बनी थी। उसकी रिपोर्ट आ गयी है और उस पर विचार हो रहा है। फैसला शीघ्र हो जायगा। यह समिति और शहरों के लिए नहीं बनाई गयी है, केवल सोनभद्र के लिये बनी है।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या और जिलों के लिये कमेटी का गठन करेंगी, जैसा कि अमरमणि जी ने कहा, उसमें विधायकों को सम्मिलित करेंगी या नहीं?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, विशेष रूप से महराजगंज के बारे में राजस्व विभाग विचार कर रहा है। अगर कमेटी बनेगी तो मा0 विधायकों को जरूर पूछा जायगा, लेकिन अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने महराजगंज का नाम ले लिया, इसलिये मुझे पूछने का अधिकार हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो राजस्व कमेटी अपना काम कर रही है, अब उस जिले में और भी कई काम होंगे, जिनकी जानकारी जन प्रतिनिधियों को बेहतर होगी। मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी कमेटी या जो भी अधिकारी, जो भी निर्णय करे, उसकी जानकारी जन प्रतिनिधियों को दी जाय। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मा0 मंत्री जी राजस्व विभाग को निर्देश देंगी कि वह जो भी निर्णय ले, उसमें जन प्रतिनिधियों को शरीक करेगी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, राजस्व परिषद कार्यवाही कर रही है, मैं मा0 सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि वे अपने सुझाव वहां पर भेज दें।

×3—महेन्द्र सिंह भाटी—

(6वें बुध में ता0प्र0सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

x4—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

दस या उससे अधिक वर्षों से लखनऊ में कार्यरत पी0सी0एस0 अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

x5—श्री बसन्त लाल गुप्ता—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कितने पी0 सी0 एस0 अधिकारी ऐसे हैं जिनको लखनऊ में दस या उससे अधिक वर्ष विभिन्न पदों पर कार्य करते हो गया है और उनका स्थानान्तरण लखनऊ से बाहर नहीं किया गया है? ऐसे अधिकारियों को लखनऊ में ही रखने का क्या औचित्य है? इनका स्थानान्तरण कब तक लखनऊ से बाहर कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

ऐसे 7 पी0सी0एस0 अधिकारी हैं। शासन की "वार्षिक स्थानान्तरण नीति" में लखनऊ जनपद में, भिन्न-भिन्न पदों पर, तैनात रखे जाने की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। अतः उक्त अधिकारियों को जनहित में लखनऊ में तैनात रखा गया है।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार।

श्री बसन्त लाल गुप्ता—

मान्यवर, मेरी ऐसी जानकारी है कि लखनऊ में ऐसे बहुत से पी0सी0एस0 अधिकारी हैं जो लगातार 10 वर्षों से यहां पर तैनात हैं, लेकिन शासन की ओर से बताया गया कि केवल 7 हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन से सात अधिकारी हैं और किन पदों पर तैनात हैं, मा0 मंत्री जी को जिनके बारे में सूचना है।

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, ये सात अधिकारी हैं श्री कौशल किशोर नारायण सिंह, श्री कृपाल सिंह ढपोला, श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डे, श्री कामता नाथ प्रसाद, श्री दिवाकर त्रिपाठी, श्री देवेन्द्र नाथ दुबे और श्री प्रमोद नारायण बाथम।

श्री बसन्त लाल गुप्ता—

यह किन-किन पदों पर तैनात हैं, इसका उत्तर नहीं आया?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

श्री कौशल किशोर नारायण सिंह, निदेशक इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट लखनऊ, श्री कृपाल सिंह ढपोला, अपर कारागार महानिरीक्षक लखनऊ, श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डेय, संयुक्त निदेशक उ0प्र0 प्रशासकीय अकादमी लखनऊ, श्री कामता नाथ प्रसाद, अपर चीनी आयुक्त उ0प्र0 लखनऊ, श्री दिवाकर त्रिपाठी सामान्य प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लखनऊ, श्री देवेन्द्र नाथ दुबे संयुक्त आवास आयुक्त उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् लखनऊ, श्री प्रमोद नारायण बाथम उपायुक्त मनोरंजन कर उ0प्र0 लखनऊ।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

जो अधिकारी 10-12 साल से यहां जमे हुए हैं उनको वर्तमान परिस्थितियों में यहां से न हटाये जाने के क्या कारण हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

जरा प्रश्न स्पष्ट कर दें।

श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

जो 10 वर्षों से लगातार यहां पर कार्यरत हैं उनका स्थानांतरण अन्यत्र न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है इसलिये यहां पर 10 साल या उससे अधिक जो कर्मचारी अधिकारी रहते हैं उसमें यह नियम लागू नहीं होता है। जहां तक 10 साल से अधिक का प्रश्न है, राजधानी में अधिकारी भिन्न-भिन्न पदों पर रहते हैं।

प्रदेश के जेलों का नाम क्रान्तिकारियों एवं अमर शहीदों के नाम पर रखने की मांग पर विचार

×6—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या कारागार मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश की सभी जेलों के नाम क्रांतिकारियों एवं अमर शहीदों के नाम पर रखने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक प्रदेश की सभी जेलों के नाम क्रान्तिकारियों एवं अमर शहीदों के नाम पर हो जायेंगे?

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरूद्र प्रकाश)—

जी हाँ।

प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, उत्तर के संदर्भ में, यह कहा गया कि प्रस्ताव विचाराधीन है, अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया गया, मैं जानना चाहूँगा कि कब तक सभी जेलों के नाम के पहले क्रान्तिकारियों एवं अमर शहीदों के नाम जुड़ जायेंगे?

श्री शतरूद्र प्रकाश—

मान्यवर, जैसा कि उत्तर में कहा गया यह प्रस्ताव विचाराधीन है। यह सुझाव भी आया था, जेल जो नये बनेंगे या मुख्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या अमर सेनानी जिन जेलों में रहे हैं, उनके नाम के साथ उनकी स्मृतियां जुड़ जायेंगी, काफी पैमाने पर इसका परीक्षण कराया जा रहा है। कौन-कौन मुख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किन-किन जेलों में रहे हैं, इसकी सूची मंगायी जा रही है। इन तमाम परीक्षण के बाद, विचार करने के बाद, इस पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, उत्तर में कहा गया कि क्रांतिकारियों एवं अमर शहीदों के नाम पर सभी जेलों के नाम रखे जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। मान्यवर, माननीय

रविदास मेहरोत्रा जी भी क्रांतिकारी हैं, तमाम बार जेल गये हैं, उनका नाम भी किसी जेल से जोड़ा जायेगा?

श्री शतरूद्र प्रकाश—

मान्यवर, यह हँसी मजाक का विषय नहीं है। आजादी की लड़ाई में जिन्होंने योगदान दिया है उनके नाम की बात है। बहुत से ऐसे सम्मानित सदस्य हैं जो आजादी की लड़ाई में शायद पैदा ही नहीं हुए थे।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, जिला कारागार गोंडा में राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी जी रहे फाँसी लगायी गयी थी, वहां समाधि भी बनी हुई है। क्या जिला कारागार गोंडा का नाम राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी जी के नाम पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि सभी का परीक्षण हो रहा है। आप बैठें। अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि पूरे प्रदेश की जो जेले हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों का उनमें नाम रखने पर विचार हो रहा है, परीक्षण हो रहा है। आप एक विशेष प्रश्न की बात बता रहे हैं, उसमें वह भी इनक्लयूड हो गया।

श्री अचल सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया कि प्रदेश की सभी जेलों का नाम क्रान्तिकारियों एवं अमर शहीदों के नाम से रखा जायेगा, लेकिन सन् 1857 में फतेहपुर में जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया, परन्तु वह जेल में नहीं रहे, इसी लड़ाई में 52 लोगों को एक साथ फाँसी पर लटका दिया गया, क्या उनके नाम से भी जेल का नाम रखा जायेगा?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न नहीं है, इसका जवाब पहले हो चुका है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहती हूँ कि नीति मंत्रि परिषद बनाती है, लेकिन नीति के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा क्रान्तिकारियों के नाम पर जेलों का नाम रखने की बात को नीतिगत रूप से सरकार स्वीकार कर चुकी है अथवा नहीं?

श्री शतरूद्र प्रकाश—

मान्यवर, यह स्पष्ट बताया जा चुका है, कि विचाराधीन है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मैं यह पूछ रही हूँ कि अमर शहीदों तथा क्रान्तिकारियों के नाम से जेलों का नाम रखने की नीति सरकार ने तय कर दी है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका पहले ही उत्तर आ चुका है कि अमर शहीदों के नाम पर जेलों का नाम रखने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, कब तक इस पर निर्णय पूरा हो जायेगा?

श्री शत्रुद्र प्रकाश—

विचार करने के बाद।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ और सरकार को इसके लिये बधाई देता हूँ कि यह प्रस्ताव उनके विचाराधीन है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस दशक का अन्तिम वर्ष 1990 चल रहा है, जिसके 6 महीने अभी बाकी हैं। क्या माननीय मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि जब अगला दशक आरम्भ होगा, उस समय तक सरकार इस संबंध में अन्तिम निर्णय ले लेगी?

श्री शतरूद्र प्रकाश—

जी हाँ।

श्री भारत सिंह रावत—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रान्तिकारियों के नाम पर जेलों का नाम रखेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार के समय जो लोग डकैती, चोरी और तस्करी जैसे अपराधों में जेल गये थे, क्या उनके नाम पर भी जेलों का नाम रखा जायगा?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि 1977 में जो लोग जेलों में बन्द हुए थे क्या उन्हें आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानेंगे।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चोरी और डकैती शब्द का इस्तेमाल किया है उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, मैं उसे देखूँगा।

ओलावृष्टि से प्रभावित विधान सभा क्षेत्र आंवला, जनपद बरेली के किसानों से सरकारी वसूली रोक देने की मांग

×7—श्री श्याम बिहारी सिंह—(अनुपस्थित)

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-3-90 को विधान सभा क्षेत्र आंवला, जनपद बरेली में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को राहत प्रदान की गयी? यदि हां, तो क्या-क्या राहत दी गयी? क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों की सभी सरकारी वसूली स्थगित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री राम शरण दास)—

जी नहीं। ओलावृष्टि से फसलों को 50% से कम हानि होने के कारण कोई राहत नहीं दी गई। च

चूँकि फसल क्षति 50% से कम थी, अतः सरकारी वसूली स्थगित करने का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील अकबरपुर, फैजाबाद में ओलावृष्टि से रबी की फसल की हुई क्षति एवं पीड़ितों को राहत देने की मांग

×8—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में और विशेषकर अकबरपुर तहसील में फरवरी, 90 में भीषण ओलावृष्टि से रबी की फसलें 90 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त हो गयी हैं और बहुत से लोग बेघर हो गये हैं? यदि हां तो ओला पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जनपद फैजाबाद की दो तहसीलों क्रमशः जलालपुर व टाण्डा में 20 व 22 फरवरी को व दो तहसीलों क्रमशः अकबरपुर व बीकापुर में मार्च 28, 1990 को ओलावृष्टि हुई। इन सभी ओलावृष्टि की घटनाओं में जनपद में 561 ग्राम व 45,943 हैक्टेयर रबी की फसलों का क्षेत्रफल प्रभावित हुआ। 385 ग्रामों में फसलों को 50% तक प्रभाव हुआ। 121 ग्रामों में 50 से 74 प्रतिशत तक, 49 ग्रामों में 75 से 90 प्रतिशत तक, 6 ग्रामों में 90 प्रतिशत से अधिक रबी फसलों की क्षति हुई। कुल 3753 मकान आंशिक रूप से प्रभावित हुए। कोई मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। कोई भी परिवार बेघर नहीं हुआ। ओला प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे ग्रामों में जहाँ फसल को 50% से अधिक क्षति हुई है वहाँ पर भू राजस्व की वसूली दिनांक 28.6.90 तक स्थगित कर दी गयी है। ओला प्रभावित क्षेत्रों में कृषकों को तकावी वितरण हेतु आपदा तकावी मद में जनपद को 5 लाख रूपया आवंटित किया जा चुका है। 2215 व्यक्तियों को जिनके मकान आंशिक रूप से प्रभावित हुये, रू0 4,42,200/= गृह अनुदान वितरित किया गया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दो-तीन बातें कही हैं। पहला, उन्होंने यह कहा कोई भी परिवार बेघर नहीं हुआ है। मान्यवर, यह तो वे भी स्वयं जानते हैं कि गाँव में ज्यादातर मकान खपरैल के होते हैं। मैं स्वयं मौके पर गया था। मैंने देखा कि ओलावृष्टि के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं और अब जो बरसात हुई है, जो छतें रह गई थीं वह भी अब बैठ गई हैं। क्या माननीय मंत्री जी को इस स्थिति की जानकारी है कि अब इस बरसात के बाद कितने लोग खुले आसमान के नीचे रहने के लिये विवश हो गये और क्या सरकार उनकी कोई मदद करेगी। दूसरा हमारे यहाँ अकबरपुर तहसील में दो गाँव कटरिया बूढ़ा गाँव व सुभाकपुर में 90 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है और अभी तक वहाँ पर कोई भी राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है। क्या माननीय मंत्री जी इन दो गाँवों में राहत सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, जहाँ तक गाँवों का प्रश्न है, उसे मैं दिखवा लूँगी। लेकिन जहाँ तक अकबरपुर तहसील का प्रश्न है वहाँ पर हमने 2 लाख 10 हजार रूपये की धनराशि वितरित करवाई है जिससे लगभग 50 हजार परिवार लाभान्वित हुए हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जिस तरह से जनपद फैजाबाद में ओला पड़ा है उसी तरह से जनपद सिद्धार्थनगर में भी ओलावृष्टि से 260 गाँव तबाह हो गये जिससे 70 प्रतिशत, 74 प्रतिशत व 60 प्रतिशत नुकसान हुआ है। किन्तु अभी तक वहाँ पर कोई राहत नहीं दी गई है। क्या माननीय मंत्री जी इन गाँवों को भी राहत सामग्री उपलब्ध कराने पर विचार करेंगी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। यदि इस तरह से नुकसान हुआ होगा तो अवश्य ही उनको भी राहत सामग्री दी जायेगी।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, ओलावृष्टि के बाद किसान की फसल तो नष्ट हो गई और जो उसका तकावी का ऋण है, उस पर ब्याज पड़ता है। आपने तकाबी को स्थगित कर दिया है, स्थगित करने से तो तकाबी का जो ब्याज होता है, वह बढ़ेगा और उसे देने की क्षमता भी उसकी नहीं रहेगी। तो क्या माननीय मंत्री जी तकाबी को स्थगित करने के बजाए इसे माफ करने की घोषणा करेंगी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरा कहना तो यह था कि स्थगित करने से तो तकाबी का ब्याज बढ़ जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी जी को बुला लिया है, कृपा करके आप बैठ जांय।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 28.6.90 तक स्थगित किया है। बराबर ओला पड़ने से फसल शत-प्रतिशत नष्ट हुई है और किसान के पास 28.6.90 तक कोई नया जरिया आय का आने वाला नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि 28.6.90 तक जो आपने स्थगित किया है यह किस आधार पर किया है। दूसरा, माननीय श्री वर्मा जी ने जो प्रश्न किया है तो मैं भी यह कहना चाहता हूँ कि या तो आप इसे माफ कर दीजिए या फिर आप इसे अगली फसल तक के लिए स्थगित करने की कृपा करेंगी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

मान्यवर, फरवरी में ओला पड़ा था। नियमानुसार तीन महीने तक स्थगित किया जा सकता है। इसलिए तीन महीने का समय 24 तारीख तक होता है। अगर आवश्यकता पड़ी और किसानों को परेशानी होगी तो इसके स्थान को

श्री भारत सिंह रावत—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि पर्वतीय क्षेत्र में भी पिछले वर्ष ओलावृष्टि बहुत हुई थी और इस वर्ष भी ओलावृष्टि बहुत हुई है, जिसके कारण फलों के बागों को बहुत नुकसान हुआ है और तमाम खेती को भी नुकसान हुआ है। क्या आपने पर्वतीय क्षेत्र का इस संबंध में कोई सर्वे कराया है, यदि हाँ,, तो वहाँ के लोगों को राहत देने की शासन ने कोई कार्यवाही की है?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी अगर सूचना उपलब्ध हो तो। वैसे प्रश्न तो इससे संबंधित नहीं है।

श्री महेन्द्र सिंह—

मान्यवर, क्या पर्वतीय क्षेत्र के जनपद उत्तर प्रदेश में नहीं हैं? माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि ओलावृष्टि से हुई हानि के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कोई सर्वे कराया है?

श्री उपाध्यक्ष—

जहाँ तक प्रदेश में पर्वतीय जनपदों के होने या न होने का प्रश्न है, यह मैंने कहां कहा कि प्रदेश में ये जनपद नही हैं। दूसरा, यह कि प्रश्न फैजाबाद के संदर्भ में पूछा गया है।

श्री अमर मणि—

मान्यवर, अभी आपने सिद्धार्थनगर के बारे में माननीय मंत्री जी से पुछवाया था।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न फैजाबाद के बारे में हुआ है यदि पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में प्रश्न अलग से होता तो आपका प्रश्न हो जाता।

उ0प्र0 सचिवालय में टंकक को अवर वर्ग सहायक में विलीनीकरण के फलस्वरूप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रोन्नति में रूकावट

×9—श्री ओम प्रकाश गुप्ता—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 सचिवालय में "टंकक" पद का "अवर वर्ग सहायक" में विलीनीकरण हो जाने के फलस्वरूप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में रूकावट आ गयी है? यदि हां, तो क्या शासन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जो उक्त अवर वर्ग सहायक के पद की शैक्षिक योग्यता पूरी करते हैं, सीधी पदोन्नति दिये जाने पर विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

जी हाँ, टंकक के पदों को अवर वर्ग सहायक संवर्ग में संविलीन कर देने से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की प्रोन्नति में कुछ रूकावट आ गई है। अवर वर्ग सहायक के पद लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हैं। शासन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अवर वर्ग सहायक के पदों पर पदोन्नति देने के लिये संगत सेवा नियमों में व्यवस्था करने हेतु प्रयत्नशील है।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अवर वर्ग सहायक के पद पर पदोन्नति देने के लिये संगत सेवा नियमों में क्या व्यवस्था किये जाने पर विचार किया जा रहा है? यह व्यवस्था कब तक लागू कर दी जायगी? जब तक उक्त प्रकरण पर निर्णय नहीं हो जाता कोई नई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

लोक सेवा आयोग को यह प्रकरण भेजा गया था। इसके बाद तीन स्मरण पत्र भेजे गये 8-9-89, 6-10-89 और 5-1-90 को, इसकी प्रक्रिया काफी पूरी हो चुकी है। इसमें अवर वर्ग सहायक में टंकक संविलीन कर दिये गये थे। जो माननीय सदस्य ने पूछा है, इसको करने में बहुत कम समय लगेगा, इनको इसमें पदोन्नति बहुत ही शीघ्र दे दी जायेगी।

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की मिलों में कार्यरत गन्ना ग्राम सेवकों के पद नाम परिवर्तन की मांग

×10—श्री राजधारी—

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार द्वारा गन्ना ग्राम सेवकों के पद नाम परिवर्तित कर गन्ना पर्यवेक्षक करते हुए संशोधित वेतनमान आदि प्रदान कर दिया गया है? यदि हां, तो शक्कर विशेष निधि योजना के अंतर्गत उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाइयों के गन्ना ग्राम सेवकों को संशोधित पद नाम एवं उच्चीकृत वेतनमान आदि प्रदान न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार उपरोक्त समान संवर्ग की वेतन विसंगति को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 4-6-1988 से राजकीय व वेतन भोगी गन्ना ग्राम सेवक संवर्ग के समस्त पद समाप्त करके उनके स्थान पर उतने ही पद गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग के सृजित करने के आदेश दिये गये हैं।

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की मिलों में गन्ना ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के पद नाम में संशोधन करने का या उनके वेतनमान में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य चीनी निगम के कर्मचारियों की सेवा शर्तें उनके निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उक्त कर्मचारी अस्थायी रूप से सीमित समय के लिये शक्कर विशेष निधि योजना से अनुदान प्राप्त कर रखे जाते हैं और पूर्णतया अस्थायी एवं सीमित समय के लिये कार्यरत रहते हैं। इसलिये उनके पद नाम में या वेतनमान के संशोधन का कोई निर्णय निगम द्वारा नहीं लिया गया है।

श्री राजधारी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि गन्ना ग्राम सेवक संवर्ग गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग में विलीन करने के बाद उन्होंने संशोधित वेतनमान जो प्रदान किया है, दिया गया है या नहीं? यदि हां, तो पुराने पर्यवेक्षक जो कार्य कर रहे थे, उनके वेतनमान में कोई वृद्धि करने पर सरकार विचार कर रही है या नहीं? दूसरा प्रश्न है कि...

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये।

(माननीया मन्त्री द्वारा प्रश्न न समझ पाने का संकेत करने पर।)

आप अपना प्रश्न दोहरा दें।

श्री राजधारी—

जो गन्ना ग्राम सेवक संवर्ग को गन्ना पर्यवेक्षक में तब्दील कर दिया गया है, उनको संशोधित वेतनमान प्रदान किया गया है या नहीं?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

3121 गन्ना ग्राम सेवक थे, इनको गन्ना पर्यवेक्षक में पदोन्नत कर दिया गया था, इनमें परिवर्तित कर दिया गया था। पहले इनके वेतनमान 400-615 था, इसको बढ़ाकर बढ़ोत्तरी की गयी है। जैसी भावनायें हैं माननीय सदस्य की जो बाकी बचे हैं वे निगम में काम करते हैं विभाग में काम नहीं करते हैं। उनके वेतनमान में संशोधन निगम ही कर सकता है, विभाग नहीं कर सकता है।

श्री राजधारी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार की नीति है कि समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जायगा, जो गन्ना ग्राम सेवक पहले से कार्य कर रहे हैं उनको संशोधित वेतनमान न देने का क्या कारण है?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं अनुरोध करूंगा पहले माननीया मन्त्री जी अपने उत्तर को संशोधित करें। उत्तर में आया है कि – "राज्य चीनी निगम के कर्मचारियों की सेवा शर्तें उनके निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित की जाती हैं।" तो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को कोई अधिकार नहीं है, सेवा शर्तों को निर्धारित करने का। इसलिये निवेदन करूंगा कि पहले उत्तर में संशोधन करें।

श्रीमन् उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के जो सेवा कर्मचारी हैं वह वेज बोर्ड से गवर्न होते हैं, इसलिये उसको मा0 मंत्री जी संशोधित करें। दूसरे मेरा प्रश्न यह है कि उ0प्र0 राज्य चीनी निगम के कर्मचारी जो कि वेज बोर्ड से गवर्न होते हैं, गन्ना ग्राम सेवक के नाम से कोई पद वहां पर नहीं है। उनको वेज बोर्ड के ही तहत वेतन व पद देने का क्या मा0 मंत्री जी कष्ट करेंगी?

श्रीमती सुखदा मिश्रा—

यह तीन ही जगह पर लागू हैं। यहां 133 शक्कर विशेष निधि से वेतन दिया जाता है और कार्य होता है और यह निगम का प्रश्न है अतः इसमें सरकार को बढ़ाने का अधिकार नहीं है।

×11–श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद गोरखपुर, की खजनी तहसील के कतिपय ग्रामों के परिवारों को दैनिक आपदा से प्रभावित होने के कारण अहेतुक सहायता दिये जाने की माँग

×12—श्री मारकण्डेय चन्द्र—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील खजनी के 124 गांवो में 20-2-90 को ओला प्रभावित परिवारों को राजस्व अनुभाग -10 के राजाज्ञा सं0 4360/1-10-86 दिनांक लखनऊ 23 अगस्त, 1986 के अन्तर्गत निर्धारित प्राकृतिक आपदाओं के कारण सहायता के मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों के आधार पर अहेतुक सहायता प्रदान की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त सहायता कब तक दे दी जायेगी?

श्री राम शरण दास—

(गोरखपुर जनपद के तहसील खजनी के 124 ग्रामों में 20.2.90 को हुई ओलावृष्टि से प्रभावित परिवारों को राजाज्ञा सं0-4360/1-10-86, दिनांक 23 अगस्त, 1986 के अन्तर्गत निर्धारित प्राकृतिक आपदाओं के कारण सहायता, मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों के आधार पर अनुमन्य न होने के कारण अहेतुक सहायता नहीं दी गई।

क्योंकि ओलावृष्टि से किसानों के सम्मुख तत्काल भुखमरी की समस्या नहीं थी।

उपरोक्त स्थिति में सहायता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।)

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रश्न के मूल उत्तर को पढ़ा हुआ मान लिया जाय, समय कम है। मा0 मारकण्डेय चन्द्र जी आप अब प्रश्न करें।

श्री मारकण्डेय चन्द्र—

मान्यवर, प्रश्नों का उत्तर दिये जाने के संबंध में जो नियम 32 है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि प्रश्नोत्तर प्रश्नकर्त्ता को एक दिन पूर्व लिखा हुआ उपलब्ध कराया जाना चाहिये। हमको अपने प्रश्न का लिखित उत्तर अब तक नहीं मिला है जो कि कल मिल जाना चाहिये था। मैं कौन सा प्रश्न करूं? जबकि यह इतना महत्त्वपूर्ण प्रश्न है मेरे क्षेत्र के ओलावृष्टि के बारे में है और हमको अब तक इसका लिखित उत्तर नहीं मिला है। मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें और मुझे इसका लिखित उत्तर दिलाने का कष्ट करें।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद में हिन्दी प्रयोग की मांग

×13—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-348 के खण्ड दो (2) के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत किये जाने की दिशा में कार्यवाही करेगी?

नोट— ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

उच्च न्यायालय के समक्ष शासन की ओर से दायर की जाने वाली रिट याचिकाओं, शपथ पत्रों और अन्य कार्यवाही में हिन्दी के प्रयोग करने के लिए शासनादेश संख्या-1830/सात-उ0 न्या0-1990, दिनांक 29-5-90 के द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का ऐसा उत्तर देकर मा0 मंत्री जी ने विधान सभा का समय नष्ट किया है। प्रश्न स्पष्ट है कि "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-348 के खण्ड 2 के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त करके उच्च न्यायालय में अंग्रेजी की जगह हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत किये जाने की दशा में कार्यवाही करेगी? क्योंकि इसके खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उक्त न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। यह भी स्पष्ट आगे दिया गया है कि जहां किसी राज्य विधान मण्डल ने, उस विधान मण्डल में पुर:स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों आदि में अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राज्यपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उस अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाय। तो मैंने जो प्रश्न पूछा कि क्या सरकार राज्यपाल से सलाह लेकर नियम पास करेगी कि उच्च न्यायालय में हिन्दी का प्रयोग करें? इसके लिये आप लिखेंगे और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करेंगे कि इस भाषा के अन्तर्गत वहां पर काम हो।

श्री उपाध्यक्ष—

अब प्रश्नों का समय समाप्त।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृपया इसका उत्तर तो दिलवा दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

अनुच्छेद 348 के तहत ही राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करके आदेश 29 मई को जारी किये गये हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

राष्ट्रपति की अनुमति किस तारीख को प्राप्त हुई?

बुन्देलखण्ड को अतिरिक्त बजट की मांग विचाराधीन

×14—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पहाड़ी जनपदों की

नोट:- नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

भांति बुन्देलखण्ड की विषम समस्याओं को देखते हुए केन्द्र सरकार से बुन्देलखण्ड को अलग बजट अथवा अतिरिक्त अनुदान देने के लिए उ0 प्र0 सरकार संस्तुति भेजेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शतरूद्र प्रकाश—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह मामला शासन के समक्ष अभी विचाराधीन है।

अभियोजन अधिकारी को शासकीय अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव

×15—श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-24 व 25 के संशोधन होने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि **अभियोजन अधिकारी** ही शासकीय अधिवक्ता के रूप में कार्य करेंगे? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 व 25 के संशोधित होने के बाद शासन द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि अभियोजन अधिकारी ही शासकीय अधिवक्ता के रूप में कार्य करेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जेल मैनुअल में संशोधन की माग

×16—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या जेल मंत्री को जानकारी है कि जेल मैनुअल में संशोधन शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त संशोधन की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शतरूद्र प्रकाश—

जी हाँ, जेल मैनुअल में संशोधन करने की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

×17-श्री अमर नाथ यादव—

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

गोण्डा जनपद के कतिपय ओलावृष्टि ग्रामों को देय अहेतुक सहायता

×18—श्री दशरथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गत 25 फरवरी, 1990 को भीषण ओलावृष्टि से **उतरौला** और मनकापुर तहसील, जिला गोण्डा के लगभग 100 ग्राम सभाओं में गेहूं तथा अन्य फसलों को भारी क्षति पहुंची और लगभग 70 पशु मर गये? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे ग्रामों के कृषकों को

फसल क्षतिपूर्ति तथा पशुओं के मर जाने की क्षतिपूर्ति दिलायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

तहसील उतरौला तथा मनकापुर जिला गोण्डा में दिनांक 25.2.90 को ओलावृष्टि की घटना नहीं हुई है और न किसी पशु की ही मृत्यु हुई है। अतः कृषकों की फसलों की क्षतिपूर्ति तथा पशुओं के मर जाने की क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

महिलाओं को राजकीय सेवा में आरक्षण देने की मांग

×19—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन महिलाओं को राजकीय सेवा में आरक्षण देने पर विचार कर रहा है? यदि हां, तो यह कितने प्रतिशत होगा तथा कब से क्रियान्वित होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवायोजन में महिलाओं तथा पुरूषों को समान अवसर सुलभ होने के कारण।

नैनीताल के निषिद्ध क्षेत्र में भवन निर्माण तथा पेड़ों की कटान

×20—श्री किशन सिंह तड़ागी—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि माल रोड एवं शेर का डाडा (नैनीताल) भवन निर्माण के लिए निषिद्ध क्षेत्र हैं? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस निषिद्ध क्षेत्र में पेड़ों का अंधाधुंध कटान कर मकान निर्माण का कार्य हो रहा है जिससे नैनीताल शहर के अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस निर्माण को तत्काल रोकने के आदेश देगी तथा निर्माण की अनुमति के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

भवन निर्माण की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

श्री गया राम जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां मऊ के विरूद्ध कतिपय शिकायतों की जाँच

1—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिसम्बर, 1989 में श्री **गया राम** जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश जनपद मऊ के विरूद्ध प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र श्री चन्द्र प्रकाश अपर निबन्धक (प्रशासन) सहकारी समितियां उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं हुई, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

मामले में उपनिबंधक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 गोरखपुर से जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री एम0 सी0 पाण्डे, पूर्व संभागीय परिवहन अधिकारी झांसी के विरूद्ध कतिपय शिकायतों की जाँच रिपोर्ट

2—श्री रवीन्द्र शुक्ल—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी के पूर्व संभागीय परिवहन अधिकारी श्री एम0 सी0 पाण्डे द्वारा अपने कार्यकाल में विभागीय कर्मियों के साथ उत्पीड़न तथा विभाग के दो कर्मचारी रमेश चन्द्र सिंह लिपिक तथा पूरन पूरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा आर0टी0ओ0, एम0 सी0 पाण्डे के सम्बन्ध में मंडल आयुक्त झांसी को वर्ष 1989 में दिये गये शपथ पत्रों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

मण्डलायुक्त झांसी द्वारा प्रश्नगत शिकायती पत्र मय शपथ पत्र एवं अन्य साक्ष्य अपने पत्र दिनांक 22 मई, 1989 द्वारा परिवहन आयुक्त को इस आशय से भेजे गये कि मामले में विभागीय अधिकारी से जांच करा ली जाय। तद्नुसार अपर परिवहन आयुक्त से मामले में जांच कराई गई। जांच के दौरान शिकायतकर्ता आरोपों की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं दे सके और श्री पांडे के सामने पूछताछ हेतु जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुये। इस प्रकार जांच से शिकायत निराधार पाई गई।

3—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

(दि0 25-6-90 को अता0 प्र0 सं0 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

फैजाबाद में गन्ना मिल खोलने की मांग

4—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित तथा खाद्य मंत्री एवं गन्ना विकास मंत्री को पृष्ठांकित दिनांक 7-2-90 का पत्र जिसमें अन्य बातों के अलावा **जनपद-फैजाबाद** में सहकारिता के क्षेत्र में एक चीनी मिल खोलने तथा वहां के किसानों के गन्ने की खरीद की समुचित व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है, मिल गया है? यदि हां, तो उक्त पत्र तथा इस बारे में अब तक कृत कार्यवाही का विवरण क्या है?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ।

पेराई सत्र 1989-90 में स्थानीय समस्याओं को लेकर मेहरूआ बाजार क्रय केन्द्र 22.1.90 को ही बन्द कर दिया गया। सेमरी ग्राम में नया केन्द्र खोला गया तथा उससे मेहरूआ केन्द्र में पेराई हेतु उपलब्ध सम्पूर्ण गन्ने को खरीदने के बाद ही चीनी मिल बन्द हुई।

अकबरपुर स्थल में निजी क्षेत्र की एक 2500 टी0सी0डी0 क्षमता की चीनी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है जो उनके विचाराधीन है।

फैजाबाद जनपद के कतिपय मार्गों पर परिवहन निगम की बसें चलाने की मांग

5—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का जिलाधिकारी फैजाबाद को सम्बोधित दिनांक 30-1-90 का पत्र जिसमें अन्य बातों के अलावा जनपद में टैक्सियों पर स्वीकृत संख्या के अनुसार सवारी बैठाने एवं समुचित किराया लेने तथा कुछ मार्गों पर जनहित में रोडवेज बसों की नियमित सेवा सुलभ कराने हेतु अनुरोध किया गया है, मिल गया है? यदि हां, तो पत्र में उठायी गयी उक्त मांगों और उन पर अब तक कृत कार्यवाही का विवरण क्या है और उक्त सभी मांगें कब तक पूरी कर दी जायेंगी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ, जिलाधिकारी फैजाबाद ने सम्बन्धित अधिकारियों यथा संभागीय खाद्य नियंत्रक, जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियाँ, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक यू0पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 फैजाबाद से आख्या मांगते हुए यथोचित यथाशीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी फैजाबाद ने सूचित किया है कि निर्धारित संख्या से अधिक सवारी बैठाने तथा अधिक किराया लेने की रोक-थाम के लिए गाड़ियों को चेक करके चालान किया जाता है।

नाबार्ड द्वारा दुर्बल बैंकों की पुनर्स्थापना की योजना

6—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नाबार्ड के द्वारा दुर्बल

बैकों जिसमें बांदा जिला सहकारी बैंक भी है, में 12 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा **पुनर्स्थापना** की योजना चालू है और इस योजना में विभागीय आदेशों के आधार पर 50 प्रतिशत नाबार्ड एवं 50 प्रतिशत शासकीय मानदेय पर अतिरिक्त सचिवों की नियुक्ति ऋण समितियों में की गयी है? क्या उक्त मानदेय जिला सहकारी बैंक को भेजा जाता रहा है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बांदा जनपद की ऋण समितियों में नियुक्त इन अतिरिक्त सचिवों को जून, 89 के बाद से वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? उन्हें कब तक मानदेय माहवारी दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

जनपद बांदा में कुल 86 ऋण समितियां हैं जिनमें से 84 समितियों में अतिरिक्त सचिव कार्यरत हैं। इनमें से केवल पांच समितियों से सम्बन्धित अतिरिक्त सचिवों को प्रशासनिक कारणों से वेतन नहीं दिया जा सका। दिनांक 15-3-90 को जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां बांदा द्वारा समितियों को निदेशित कर दिया गया है कि वे अतिरिक्त सचिवों के वेतन का भुगतान समय से कर दिया करें।

सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए पदोन्नति में पुनः आरक्षण की मांग

7—श्री राम स्वरूप वर्मा तथा श्री मूल चन्द—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछड़े वर्गों के सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की प्रोन्नति में पूर्व में समाप्त किया गया आरक्षण पुनः लागू करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बदौसा सोसायटी कोआपरेटिव जनपद बांदा के विरुद्ध अनियमितताओं की जाँच

8—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 7-3-90 के साथ श्री शिरोमन सिंह, ग्राम-बदौसा, तहसील-अतर्रा, **जनपद-बांदा का बदौसा सोसायटी कोआपरेटिव** की अनियमितताओं के संबंध में एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो अनियमितताओं की जांच किस उच्च अधिकारी ने की तथा जांच के क्या परिणाम रहे?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

अनियमितताओं की जांच जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, बांदा द्वारा की गयी। शिकायतकर्ता को उसके द्वारा समिति से लिए गए ऋण व उसकी अदायगी का हिसाब समझाया गया जिससे वह संतुष्ट हो गए।

ग्राम सढ़ा तहसील नरैनी (बांदा) की भूमि में अवैध कब्जा हटवाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

9—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 7-3-90 का पत्र श्री रामलाल पुत्र श्री जसुनाथ नि0 करतल, तहसील-नरैनी, जनपद-बांदा के पत्र के साथ इनकी ग्राम **सढ़ा** तहसील-नरैनी (बांदा) की भूमि में अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री रामशरण दास—

जी हाँ।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर श्री रामलाल पुत्र जसुनाथ का ही कब्जा है अतएव अवैध कब्जा हटवाने का प्रश्न नहीं उठता।

बागपत सहकारी शुगर मिल, मेरठ की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव

10—श्री साहब सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि मेरठ जनपद की **बागपत** सहकारी शुगर मिल, की क्षमता बढ़ाने तथा वहां डिस्टिलरी, गन्ना व कैमिकल प्लांट लगाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर कब से कार्यवाही आरम्भ होगी?

श्री राम शरण दास—

मेरठ जनपद की बागपत सहकारी चीनी मिल की क्षमता 1800 से 2500 टन प्रतिदिन तक विस्तारित करने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है और मिल की क्षमता 2500 से 5000 टन प्रतिदिन करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

डिस्टीलरी तथा केमिकल प्लांट लगाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। उक्त मिल में गन्ना फैक्ट्री लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बागपत जनपद मेरठ में रोडवेज बस स्टैण्ड बनाने की मांग

11—श्री साहब सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि **बागपत**, जनपद मेरठ में रोडवेज बस स्टैण्ड न होने से बसें सड़क पर खड़ी होती है? यदि हां, तो यात्रियों की सुविधा हेतु बस स्टैण्ड कब तक बना दिया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

निगम प्रबन्ध की नीति के अनुसार केवल डिपो स्टेशनों पर ही बस स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं। बागपत में डिपो स्थापित किए जाने की कोई योजना न होने से बस स्टैण्ड का निर्माण यहां पर सम्भव नहीं है।

तदर्थ नियुक्ति बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 की लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करने का प्रस्ताव

12--श्री चरण सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में बिक्रीकर विभाग में **बिक्रीकर अधिकारी** श्रेणी-2 के पद पर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से परीक्षा कराये बिना तदर्थ नियुक्तियां कर ली गई हैं? यदि हां, तो उक्त तदर्थ नियुक्तियों में नियुक्ति की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? क्या सरकार भविष्य में बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 के पद को लोक सेवा आयोग की **परिधि** से हटाकर **नियुक्तियां करने पर विचार** कर रही है?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ।

उक्त तदर्थ नियुक्तियों में तदर्थ नियुक्तियों हेतु समय-समय पर जारी शासनादेश एवं उ0प्र0 बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 सेवा नियमावली में पदोन्नति के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई थी।

जी नहीं।

चेक पोस्टों पर बिक्रीकर अधिकारियों की नियुक्ति

13--श्री चरण सिंह--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में बिक्रीकर अधिकारी-2 के पद लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर इस आधार पर रखे गये थे कि चेक पोस्टों पर अधिकारियों के शीघ्र नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता थी? यदि हां, तो विभागीय अभ्यर्थियों से चयनित तथा वर्ष 1987 में नियुक्त **बिक्रीकर अधिकारियों** में से कितने अधिकारी इस समय चेक पोस्टों पर नियुक्त हैं तथा कितने जिला कार्यालयों में? क्या सरकार उक्त अधिकारियों को चेक पोस्टों पर नियुक्त न करके जिला कार्यालयों में नियुक्त करने के उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

यह नियुक्तियां केवल चेक पोस्टों पर तैनाती के लिए नहीं की गयी थी, अपितु विभाग के कार्यहित में चेक पोस्टों के अलावा अन्य पदों के लिए भी की गई थीं।

वर्ष 1987 में आयोजित सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर विभागीय अभ्यर्थियों से चयनित 96 अधिकारियों में से इस समय 77 अधिकारी चेक पोस्टों पर तैनात हैं तथा शेष अधिकारी बिक्रीकर रेलवे चेक पोस्ट/सचल दल इकाई/विशेषअनुसंधान शाखा इकाइयों/कर निर्धारण आदि कार्यालयों में तैनात हैं।

चूंकि नियुक्तियां मात्र चेकपोस्टों के लिए नहीं की गयी थीं, अतः किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मानपुर राह तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी की कतिपय खसरा नम्बरों पर अवैध कब्जा

14—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम–मानपुर राह, तहसील नवाबगंज जिला–बाराबंकी में स्थित पुराना खसरा संख्या–92 को ग्राम के निवासियों के सार्वजनिक प्रयोग के लिए छोड़ा गया था परन्तु उस पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो उक्त भूमि पर कौन–कौन से व्यक्ति अनधिकृत रूप से काबिज हैं और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ, ग्राम मानपुरराह, तहसील नवाबगंज, जनपद–बाराबंकी स्थित पुरानी खसरा संख्या 92 जिससे नयी खसरा संख्या 65, 66 व 67 बनी है, में से भूखण्ड संख्या 65 व 67 पर सर्वश्री हरिहरप्रसाद पुत्र रामरतन बाबू लाल पुत्र गंगा प्रसाद, राजकुमार पुत्र शिवनाथ तथा रामेश्वर पुत्र भगौती का अनाधिकृत कब्जा पाया गया है। अनाधिकृत काबिज व्यक्तियों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 ख के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

उझयानी नगर जनपद बदायूं में स्थाई बस स्टैण्ड निर्माण की योजना

15—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद के उझयानी नगर में स्थायी बस स्टैण्ड के निर्माण की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह बस स्टैण्ड कब तक बन जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

बदायूं–उझयानी सिटी बस सेवा प्रारम्भ करने की मांग

16—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं उझयानी सिटी बस सेवा निकट भविष्य में प्रारम्भ की जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह मार्ग 14 किमी0 लम्बा है। इस मार्ग पर परिवहन निगम की बसों द्वारा 60 अप 60 डाउन सेवायें संचालित हैं, जो उझयानी के यात्रियों को चढ़ाती–उतारती हैं। इसके साथ ही निगम के नियंत्रण में प्रशासनिक संचालन नियंत्रण शुल्क के आधार पर 38 मिनी बसें भी इसी मार्ग पर संचालित हैं।

बदायूं-बबराता, बदायूं-बिसली व बदायूँ-सहसवान मार्गों पर परमिट के आधार पर चलने वाली निजी बसें भी बदायूँ से उझानी जाने हेतु उपलब्ध हैं। इस स्थिति में सिटी बस सेवा का संचालन निगम हित में नहीं है।

सगड़ी तहसील, आजमगढ़ के कतिपय ग्रामों की चकबन्दी की मांग

17—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के ग्राम असमरा मसरकी (नैनीजोर) उर्दीहा तथा इस्माइलपुर को चकबन्दी प्रक्रिया में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इन गांवों को कब तक चकबन्दी प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा?

श्री राम शरण दास—

प्रश्नगत ग्राम असमरा(नैनीजोर) न होकर अजगरा मसरकी (खास) है जिसमें चकबन्दी प्रक्रिया लागू किये जाने के सम्बन्ध में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-4 (2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति राजकीय गजट में दिनांक 9-4-88 को प्रकाशित हो चुकी है। ग्राम उर्दीहा व इस्माइलपुर को चकबन्दी प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नयी तहसीलों की संख्या तथा बड़ौत (मेरठ) को तहसील बनाने की मांग

18—श्री साहब सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 2 वर्षों में शासन को कितनी नई तहसील बनाने के प्रस्ताव मिले तथा कितनी तहसीलें बनाई गईं? क्या उक्त प्रस्तावों में मेरठ में बड़ौत में तहसील बनाये जाने का भी प्रस्ताव था? यदि हां, तो बड़ौत को कब तक तहसील बना दिया जायेगा?

श्री राम शरण दास—

गत दो वर्षों में नयी तहसील बनाने के 40 प्रस्ताव प्राप्त हुए और इस अवधि में 31 तहसीलें तथा 2 उप तहसीलों का सृजन किया गया है।

जी हाँ, जनपद मेरठ में बड़ौत में नयी तहसील बनाने का प्रस्ताव अध्यक्ष, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के विचाराधीन है। उक्त समिति की संस्तुति प्राप्त होने तथा जनगणना के फलस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गयी जून, 1991 तक के लिए रोक की समाप्ति के पश्चात शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

19—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

राजेन्द्र नगर गाजियाबाद में विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवन का आवंटन तथा जलापूर्ति एवं जल निकासी की व्यवस्था

20—श्री राम लखन यादव—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा **राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद** में कोई कालोनी बनाई गई है? उक्त कालोनी में कितने आवासीय भवन बनाये गये हैं तथा क्या सभी भवनों में अध्याशी रह रहे है? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त कालोनी में अध्याशियों हेतु जल सम्पूर्ति जल निकास एवं स्वच्छता की कोई उचित व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था एवं जल निकास की समुचित व्यवस्था शीघ्र कराने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

लगभग 500 भवन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित हैं तथा शेष भवन आवंटित भूखण्डों पर व्यक्तिगत तौर पर बनाये गये हैं। अभी 200 भवन निर्माणाधीन हैं जिनके अलावा शेष सभी भवनों में लोग आबाद हैं।

कालोनी में जलापूर्ति तथा जल निकासी की व्यवस्था उपलब्ध है। सफाई की व्यवस्था सिटी बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

विश्व बैंक परियोजना की सहायता से पेयजल सम्पूर्ति तथा सीवरेज की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। दिसम्बर, 1991 तक इस व्यवस्था में अपेक्षित सुधार होने की आशा है।

गाजियाबाद क राजेन्द्र नगर कालोनी को परिवहन सेवा से जोड़ने की मांग

21—श्री राम लखन यादव—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद नगर में स्थित राजेन्द्र नगर कालोनी की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन सेवाओं से जोड़ा गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनहित में इस कालोनी को परिवहन सेवा से सम्बद्ध करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम कटवा कला परगना देवा जनपद बाराबंकी में अधिकतम जोत सीमा आरोपण के अंतर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि का आवंटन एवं जांच की मांग

22—श्री राम लखन यादव—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कटवा कला, परगना देवा, जिला बाराबंकी की भूमि संख्या-533 रकबा 1 बीघा नौ विस्वा, 545 रकबा 9 विस्वा आठ-विस्वांसी 546 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, 547 रकबा सोलह विस्वा तथा 548 रकबा सत्रह विस्वा, कुल रकबा 4 बीघा 19 विस्वा आठ विस्वांसी अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि हैं? यदि हां, तो उक्त भूखण्ड श्री ओम प्रकाश आरोड़ा

पुत्र श्री राम चन्द्र निवासी बाराबंकी जो कलेक्ट्रेट बाराबंकी के कर्मचारी हैं के नाम कैसे दर्ज हुई? आवंटन रद्द किये जाने और श्री ओम प्रकाश अरोड़ा के विरूद्ध पद दुरूपयोग किए जाने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री राम शरण दास—

जनपद बाराबंकी के प्रश्नगत ग्राम की भूमि संख्या 533, 545, 546, 547 तथा 548 की 4 बीघा 19 विस्वा 8 बिस्वांसी भूमि अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित की गई।

प्रश्नगत भूमि का आवंटन वर्ष 1969 में नियमानुसार श्री ओम प्रकाश अरोड़ा के पिता श्री रामचन्द्र को किया गया था। श्री रामचन्द्र की मृत्यु के उपरान्त विरासत के आधार पर उनके पुत्र श्री ओम प्रकाश अरोड़ा के नाम दर्ज हुई थी।

चूंकि भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया था अतः इसे रद्द किये जाने एवं श्री ओम प्रकाश अरोड़ा के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद में प्रशिक्षित के साथ अप्रशिक्षित सचिवों द्वारा लिया जा रहा कार्य एवं उनका स्थानान्तरण

23—श्री रामधनी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में सहकारिता विभाग में प्रशिक्षित सचिवों के स्थान पर अप्रशिक्षित सचिवों से कार्य लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रशिक्षित सचिवों से कार्य क्यों नहीं लिया जा रहा है और उन्हें बार-बार अन्य जनपदों में स्थानान्तरित क्यों किया जा रहा है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रशिक्षित सचिवों से कार्य लिया जा रहा है जो अप्रशिक्षित सचिव हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसी सचिव का स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

कानपुर जनपद के भू0पू0 विधायकों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाना

24—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-कानपुर में कौन-कौन भू0पू0 विधायक हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उन्हें किस आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना गया है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उनकी राजनैतिक पेंशन कब-कब स्वीकृत हुई थी और उन्होने नवम्बर, 1989 तक पेंशन की कितनी धनराशि प्राप्त की है?

श्री शत्रुद्ध प्रकाश—

जनपद कानपुर नगर में कोई भी भू0पू0 विधायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है। जनपद कानपुर देहात में दो भू0पू0 विधायक श्री नित्यानन्द पाण्डे तथा श्री हनुमान प्रसाद कुरील स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं।

श्री नित्यानन्द पाण्डे को स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप 1941 व 1945 में डी0आई0आर0 के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक की सजा भोगने तथा श्री हनुमान प्रसाद कुरील को सत्याग्रह के सम्बन्ध में 1947 में दो माह की सजा के आधार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना गया है।

श्री नित्यानन्द पाण्डे को दिनांक 28-6-76 को तथा श्री हनुमान प्रसाद कुरील को 24-6-1987 को राजनैतिक पेंशन स्वीकृत की गई थी। श्री नित्यानन्द पाण्डे को नवम्बर, 1989 तक रू0 29,058.90 का भुगतान किया गया तथा श्री हनुमान प्रसाद कुरील को अगस्त, 1988 तक रू0 5,786.90 का भुगतान किया गया। दिनांक 1 सितम्बर, 1988 से श्री कुरील ने पेंशन प्राप्त नहीं की है।

राजकीय पालीटैक्निक गोरखपुर में रिक्त प्रधानाचार्य की नियुक्ति की मांग

25—श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटैक्निक गोरखपुर के प्रधानाचार्य का पद कब से रिक्त है? क्या मंत्री जी कार्यवाहक प्रधानाचार्य के स्थान पर उक्त संस्था में किसी सुयोग्य प्रधानाचार्य को शीघ्र नियुक्त करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रधानाचार्य का पद दिनांक 1.9.87 से रिक्त है।

कार्यवाहक प्रधानाचार्य के स्थान पर नियमित प्रधानाचार्य की नियुक्ति कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गोरखपुर में सहकारी समिति में सचिवों की अवैध नियुक्ति की जाँच

26—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि निबंधक सहकारी समितियां उ0 प्र0 लखनऊ के परिपत्र संख्या-सी0-131/केडर प्रा0 कृषि ऋण सहकारी समिति अधि0-1 दिनांक 5-2-88 में आंकिकों की कार्यवाहक सचिव के पद पर नियुक्ति पर रोक लगाये जाने के बावजूद जनपद गोरखपुर में जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां गोरखपुर द्वारा अनेकों आंकिकों की कार्यवाहक सचिवों के पद पर नियुक्ति किये जाने का क्या औचित्य है? क्या सरकार इसकी जांच करवाकर उचित कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद गोरखपुर में सचिवों का चयन वर्ष 1988 में किया गया। चयन के दौरान अनुपयुक्त एवं अनर्ह अभ्यर्थियों को चयन किये जाने के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच कराई गई और पूरी चयन प्रक्रिया विवादास्पद एवं दूषित पाई गई जिसके फलस्वरूप चयन की सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं नियुक्तियां निरस्त कर दी गई और कार्यहित में निर्देश दिए गए कि पूर्व में जो सचिव अथवा कार्यवाहक सचिव कार्यरत थे उन्हें कार्यरत

रखा जाय। चयन के निरस्त करने के विरूद्ध अभ्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई हैं जो न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील तिलहर, शाहजहाँपुर के सामूहिक अवकाश प्राप्त लेखपालों के पेंशन की स्वीकृति

27—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि 30-7-89 को जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के **लेखपालों** द्वारा **सामूहिक रिटायरमेन्ट** लिया गया है? यदि हां, तो उनके पेंशन हेतु कागजात तहसील द्वारा न भेजे जाने का क्या कारण हैं?

श्री राम शरण दास—

जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार लेखपालों द्वारा सामूहिक रिटायरमेंट नहीं लिया गया। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद बस डिपो द्वारा संचालित अनियमित मिझोडा-लखनऊ बस सेवा को नियमित करने की मांग

28—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में स्थित रोडवेज के **फैजाबाद डिपो** द्वारा संचालित मिझोड़ा-लखनऊ बस सेवा **अनियमित** रहती है और महीने में कई दिन मिझोड़ा तक नहीं जाती है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त मार्ग पर नियमित बस सेवा सुनिश्चित करेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

मिझौड़ा-लखनऊ सेवा अनियमित हो जाने का मुख्य कारण मिझोड़ा तक सीधे कम यात्रियों के मिलने तथा जिला प्रशासन द्वारा राम जन्म भूमि विवाद/किसान आन्दोलन में फैजाबाद डिपो की अधिकांश बसों को पुलिस डयूटी में लगाया जाना था।

मिझौड़ा-लखनऊ सेवा जून 90 से नियमित रूप से चल रही है।

आवास विकास परिषद लखनऊ मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वामित्व में परिषद की एक से अधिक भवनों की जाँच कराने की माँग

29—श्री भोला पाण्डेय तथा श्री अतीक अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद **उत्तर प्रदेश** के मुख्यालय **में ऐसे** कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनके स्वामित्व में या जिनके परिवार के स्वामित्व में परिषद के एक या अधिक आवास हैं? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के मुख्यालय में कार्यरत 42 अधिकारियों तथा 317 कर्मचारियों में से 19 अधिकारियों तथा 201 कर्मचारियों के स्वामित्व में व उनके परिवार के स्वामित्व में परिषद् की विभिन्न योजनाओं में एक-एक आवास तथा दो अधिकारियों को परिषद् के दो-दो आवास आवंटित किए गए हैं, जो अलग-अलग नगरों में स्थित हैं।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा उक्त भवन विनियमानुसार आवंटित किए गए हैं, अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

- किसान सहकारी शूगर मिल लि0 रसड़ा बलिया द्वारा क्रय की गयी गन्ना की कैरेज चार्जों में अन्तर की जाँच की मांग

30—श्री राजधारी—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी शुगर मिल लि0, रसड़ा, बलिया ने वर्ष 1989-90 में जो गन्ना गोरखपुर जनपद से क्रय किया था उसके कैरेज चार्ज तथा बलिया जनपद के अंतर्गत गन्ना क्रय केन्द्रों से क्रय किये गये गन्ने के कैरेज चार्ज के रेट में अंतर था? यदि हां, तो क्या उस अतिरिक्त चार्ज को सरकार बलिया के गन्ने के विकास में लगाने पर विचार करेगी?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ।

कैरियेज चार्ज एक व्यय की मद है अतएव उसके किसी प्रकार के उपयोग हेतु उपलब्ध होने का प्रश्न नहीं उठता है।

31-श्री शिवकरन सिंह—

(4थे बुध में अता0प्र0सं0 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

कुमारी सुमन लता श्रीवास्तव पुत्री स्व0 श्री जुगल किशोर श्रीवास्तव को मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत नियुक्ति की मांग

32—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 जुगुल किशोर श्रीवास्तव, ए0 पी0 ओ0 जो लखीमपुर खीरी (आईरा) में कार्यरत थे, की मृत्यु दिनांक 30 दिसम्बर, 88 में हुई थी और परिवार के आश्रितों में उनकी लड़की कु0 सुमन श्रीवास्तव थीं? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत नियुक्ति के लिए उनका आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उनकी नियुक्ति न किये जाने के लिए कौन उत्तरदायी हैं?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ।

जी हाँ।

कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है चूंकि लगभग एक वर्ष पूर्व सुश्री सुमन लता श्रीवास्तव पुत्री स्व0 जुगुल किशोर श्रीवास्तव का विवाह हो

हो जाने के उपरान्त वह नियुक्ति हेतु पात्र नहीं रही।

ग्राम ओरौं तहसील विधूना जनपद इटावा में धारा 52 का प्रकाशन

33---श्री धनीराम वर्मा---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जनपद की तहसील विधूना के ग्राम ओरौं की चकबन्दी करायी गयी है? यदि हां, तो क्या उसके सम्बन्ध में धारा-52 का प्रकाशन हो चुका है और खतौनी का निर्माण किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार खतौनी निर्माण करायेगी?

श्री राम शरण दास---

जी हां। प्रश्नगत ग्राम की चकबन्दी क्रियायें पूर्ण हो चुकी हैं और जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-52 (1) के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति दिनांक 9-6-83 को निर्गत हो चुकी है परन्तु राजकीय गजट में प्रकाशन न होने के कारण खतौनी का निर्माण नहीं किया गया है। विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात ही खतौनी का निर्माण कराया जाना सम्भव होगा।

जनपद बाराबंकी के कतिपय ग्रामों की पूरी मालगुजारी माफ करने की मांग

34---श्री प्रदीप कुमार यादव---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पांचवे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-39 के उत्तर के सन्दर्भ में मंत्री जी सम्बन्धित व्यक्तियों की मालगुजारी को सदैव के लिये माफ करने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत 19 ग्रामों के काश्तकारों की मालगुजारी सदैव के लिये माफ नहीं की जा सकती, क्योंकि घाघरा नदी के बालू और पानी के भराव वाले क्षेत्रों की स्थिति में प्रत्येक वर्ष परिवर्तन होता रहता है।

श्रीमती सुरजा देवी पत्नी श्री मारकन्डेय सिंह द्वारा नायक बाजार भैरोनाथ वाराणसी में एक अवैध भवन का निर्माण

35---श्री राजकिशोर सिंह---

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती सूरजा देवी पत्नी श्री मारकण्डेय सिंह ने उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 (3) के अनुसार उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण वाराणसी से बिना अनुज्ञा प्राप्त किये भवन संख्या के0-44/10, नायक बाजार भैरोनाथ को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर अण्डर ग्राउंड एवं तीन मंजिला मकान का निर्माण करा लिया है? यदि हां, तो क्या भवन सं0--के0-44/10 नायक बाजार भैरोनाथ के

नव-निर्माण के विरूद्ध उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26 एवं 27 के अंतर्गत कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो विकास प्राधिकरण **श्रीमती सूरजा देवी के भवन** सं0-के-44/10 नायक बाजार भैरोनाथ वाराणसी के अनधिकृत भवन निर्माण को उक्त अधिनियम की धारा-27 के अनुसार ध्वस्त करने की कार्यवाही करेगा और दोषी अधिकारी व कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम चन्द्र, अवैतनिक अनुदेशक मशीन शाप की लखनऊ पालीटेक्निक, कानपुर रोड लखनऊ में नियमित नियुक्ति की मांग

36—श्री रमाकान्त यादव—

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम चन्द्र ने लखनऊ पालीटेक्निक, कानपुर रोड, लखनऊ में अनुदेशक मशीन शाप के पद पर दिनांक 12-9-88 से 31-7-89 तक वेतनमान 1400-2400 में प्रशिक्षण कार्य किया है और 1-8-89 से अब तक **अवैतनिक** रूप में प्रशिक्षण कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो अनुदेशक मशीन शाप के रिक्त पद पर अनुसूचित जाति के होते हुए इनकी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है जबकि आरक्षित वर्ग के लिए स्पष्ट शासनादेश है? श्री रामचन्द्र की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ, तदर्थ रूप से कार्यरत है।

श्री रामचन्द्र ने दिनांक 1.8.89 से 31.1.90 तक स्वेच्छा से अवैतनिक रूप में कार्य किया है। तत्पश्चात अशंकालीन व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिसके लिये उन्हें पारिश्रमिक देय है। अनुदेशक मशीन शाप का पद सीधी भर्ती का है तथा अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित है जिस पर नियमित नियुक्ति किये जाने हेतु संस्था की प्रबन्ध समिति को निर्देशित किया जा चुका है।

जनपद आजमगढ़ की तहसील सदर के कतिपय ग्रामों के ग्राम समाज के भूमि पर अवैध कब्जा विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

37—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ की तहसील सदर के अन्तर्गत गांव सभा बांसरहा, खुर्रमपुर के हरिजनों का कोई पत्र दिनांक 16-1-90 को सीलिंग एवं गांव सभा की भूमि के पट्टो में अनियमितताएं एवं प्रधान, गावं सभा द्वारा जमीन हड़पने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ। प्रार्थना पत्र की जांच करायी गयी। जाँच से 26 व्यक्तियों को

किये गये सीलिंग भूमि के पट्टों में से 11 पट्टे अनियमित पाये गये, जिसके निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी तथा सम्बन्धित कर्मचारी को दण्डित किया गया। ग्राम बसिरहा खुर्रमपुर के ग्राम सभा भूमि पर अनाधिकार कब्जा करने वालों के विरूद्ध धारा-122बी उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। प्रधान द्वारा ग्राम सभा भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने का मामला प्रकाश में नहीं आया।

स्व0 श्री शिव कुमार सिंह चालक बांदा डिपो के अवशेष देयों का भुगतान

38—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बांदा में श्री शिव कुमार सिंह चालक बांदा डिपो की बेवा सहोद्रा ने अपने स्वर्गीय पति को ग्रेच्युटी आदि के पावनों के सम्बन्ध में पत्र दिया है जिनके सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक संख्या -जे0 आर0/लेखा/ग्रेच्युटी/स्व0 शिवकुमार/89/6523, दिनांक 22-7-89 एवं पत्रांक संख्या-3143/एफ0 डी0/89/96/एफ0 डी0/89, सितम्बर, 18, सन् 1989 परिवहन निगम लखनऊ मुख्यालय तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम झांसी को प्राप्त हुए है? यदि हां, तो मृतक स्व0 शिवकुमार सिंह के वारिसान को पावनों के भुगतान में विलम्ब का क्या कारण है? कब तक उक्त पावने दे दिए जाएंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या स्व0 सिंह चालक आश्रितों को सेवायोजित किया जाएगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

श्री शिव कुमार सिंह, चालक की मृत्यु के उपरान्त पावनों की प्राप्ति के लिए उनके वारिसों श्रीमती सहोद्रा एवं श्रीमती छोटू में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण मामला अतिरिक्त जिला जज, बाँदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अतिरिक्त जिला जज, बाँदा द्वारा सम्पत्ति के बँटवारे के लिए दिनांक 8-7-88 को सशर्त उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र दिया गया।

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अनुसार देय ग्रेच्युटी की आधी धनराशि श्रीमती सहोद्रा को दिये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। शेष आधी धनराशि श्रीमती छोटू बन्ध पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकती हैं। बीमा की धनराशि का भुगतान श्रीमती सहोद्रा को शीघ्र ही कर दिया जायेगा। श्रीमती छोटू द्वारा दावा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

श्रीमती सहोद्रा को ईपीएफ के भुगतान हेतु ई पी एफ कमिश्नर, कानपुर को आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसका भुगतान दावेदार को सीधे प्राप्त होगा। श्रीमती छोटू का दावा प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री भोला सिंह पुत्र स्व0 श्री शिवकुमार सिंह को चालक पद पर मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। अन्य कोई मृतक आश्रित पात्र नहीं है।

ग्राम रोशनगंज, तहसील सगड़ी–आजमगढ़ के कतिपय लोगों के घाघरा कटान से क्षतिग्रस्त भवन की आर्थिक सहायता की मांग

39—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रोशनगंज तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ के जिन व्यक्तियों के मकान **घाघरा नदी की मुख्य धारा में** कटाव के कारण विलीन हो गये हैं उन्हे आर्थिक सहायता तथा बसने के लिए जमीन देने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10 जनवरी, 90 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री राम शरण दास—

माननीय विधायक जी का माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 10 जनवरी, 90 को प्राप्त हुआ।

सर्वश्री रामनयन मिश्र, राम करन मिश्र, शिवधनी यादव, शोभानाथ, विरजा यादव, तुफानी यादव, रमई यादव, राम सूरत हरिजन, फलचन्द, लौटू, नजरू, जोहर में से प्रत्येक को 1–1 हजार रूपये गृह अनुदान दे दिया गया है। घाघरा नदी के कटान से पीड़ित ग्राम रोशनगंज तहसील, सगड़ी जनपद आजमगढ़ के 78 व्यक्तियों को एक–एक हजार रूपये गृह अनुदान दे दिया गया है। पत्र में उल्लिखित गाटा सं0 1339/3, ग्राम आराजी देवारा करखिया की बंजर भूमि की जाँच, चयन एवं उपलब्धता के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री गुलाम हुसैन, लेखपाल तहसील मनकापुर के जेल में बन्द रहने पर उनके निलंबन की मांग

40—श्री दशरथ सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गुलाम हुसैन पुत्र गुलाम हैदर, सा0 नेवादा कान्हा सादुल्लानगर, जिला गोण्डा जो परगना बूढ़ा पायर तहसील मनकापुर जिला–गोण्डा में लेखपाल है, दिनांक 1–2–89 से दिनांक 9–2–89 तक अपराध संख्या–85/88 धारा–363/366/368 आई0 पी0 सी0 के अंतर्गत जेल में रहा? यदि हां, तो उसे निलम्बित न करने एवं वेतन दिये जाने का क्या कारण है?

श्री राम शरण दास—

श्री गुलाम हुसैन पुत्र श्री गुलाम हैदर साकिन निवादा कान्हा, सादुल्लानगर, जनपद गोण्डा दिनांक 31–1–89 से 23–2–89 तक अर्जित अवकाश पर थे। दिनांक 1–2–89 से 9–2–89 तक उनके जेल में रहने की सूचना पुलिस विभाग द्वारा सबंधित परगनाधिकारी को नहीं भेजी गयी जिसके कारण उन्हें निलम्बित नहीं किया जा सका। अब जानकारी प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं।

कानपुर जनपद के कतिपय मार्गों पर चल रही अवैध प्राइवेट बसों को बन्द करने की मांग

41—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हे पुखरायां से औरैइया और

पुखरांया से कानुपर के बीच दोनों मार्गों पर प्राइवेट बसें चलाने की प्रश्नकर्ता द्वारा की गयी शिकायतें दिनांक 12-2-1990 व 5-4-1990 को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सरकार ने सरकारी बसों को नुकसान पहुंचाने वाले अवैध वाहनों को उक्त मार्गों पर न चलने देने के लिए क्या कार्यवाही की है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। माननीय सदस्य का पुखरायां से औरैइया और पुखरायां से कानुपर के बीच दोनों मार्गों पर प्राइवेट बसे चलने संबंधी पत्र दिनांक 29 मार्च, 1990 (न कि पत्र दिनांक 12-2-90) तथा पत्र दिनांक 5-4-90 प्राप्त हुए हैं।

उक्त संदर्भित मार्गों पर आल यू.पी. कान्ट्रैक्ट कैरेज परमिट पर आच्छादित प्राइवेट मिनी बसें संचालित हैं। यह बसें यात्रीकर एक मुश्त धनराशि के अंतर्गत भुगतान करती हैं तथा अन्य शासकीय करों को भी समय पर देती है। परमिट शर्तों के अनुसार उक्त मार्ग प्रतिबन्धित नही है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक 9.4.1985 के रिट पिटीशन संख्या-9553/1981 श्री गुरू बचन सिंह चावला और अन्य बनाम संभागीय परिवहन अधिकारी कानपुर व अन्य में यह निर्णय दिया है कि मिनी बसों में व्यक्तिगत (फुटकर) सवारी भी किराये पर ले जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त मार्गों पर वैध परमिटों से आच्छादित मिनी बसों के चलाने को अवैध संचालन नहीं कहा जा सकता। जब इन बसों द्वारा ओवरलोडिंग की जाती है तब उनके चालान भी किये जाते है तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही भी की जाती है।

42-श्री अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया—

(2 रे बुध में अता0प्र0सं0 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

ग्राम मलेरीकोट जनपद मऊ के कतिपय व्यक्तियों के नाम अवैधानिक ढंग से किये गये भूमि के पट्टों की जांच

43—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-मऊ की तहसील घोसी के **ग्राम मलेरीकोट** के निवासीगण सर्वश्री हर नारायण चौहान, राम चन्दर चौहान, बुद्धि राम चौहान, सियाराम चौहान, उमा शंकर चौहान एवं राम नारायण चौहान ने जिनके पास पूर्व से ही काफी भूमि मौजूद है तहसील के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवैधानिक ढंग से आबादी की भूमि का पट्टा करा लिया है? यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया? क्या मंत्री जी उक्त मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियो/कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए उक्त भूमि का पट्टा पात्र व्यक्तियों के हक में करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

सर्वश्री हरनराघन के पास कृषि भूमि 0-536 कड़ी तथा आवासीय भूमि 0-030 कड़ी है। इनके परिवार में 5 व्यक्ति हैं जिसमें 3 पुत्र बालिग हैं। रामचन्द्र के पिता सनेही के नाम 1-050 एकड़ कृषि भूमि तथा 0-015 कड़ी आवासीय भूमि है। इनके परिवार में 7 व्यक्ति हैं जिसमें से 2 पुत्र बालिग हैं।

बुद्धिराम के नाम 0-576 कड़ी कृषि भूमि तथा 0-010 कड़ी आवासीय भूमि हैं, इनके परिवार में 4 व्यक्ति हैं जिसमें से 2 पुत्र बालिग हैं। सियाराम के नाम कृषि योग्य कोई भूमि नहीं है। सियाराम के पिता के नाम 3-708 कड़ी कृषि योग्य भूमि तथा 0-020 कड़ी आवासीय भूमि हैं। इनके परिवार में 5 व्यक्ति हैं जिसमें से 3 पुत्र बालिग हैं। श्री उमाशंकर के नाम 0-333 कड़ी कृषि योग्य भूमि तथा 0-010 कड़ी आवासीय भूमि है। इनके परिवार में 3 व्यक्ति है जिसमें से एक पुत्र बालिग हो चुका है। श्री राम नारायन के पास 0-681 कड़ी कृषि योग्य भूमि, तथा 0-030 कड़ी आवासीय भूमि हैं। इनके परिवार में 4 व्यक्ति है, जिसमें से एक पुत्र बालिग है। उक्त सभी को आबादी की भूमि का पट्टा भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 20-3-87 के आधार पर किया गया है। उक्त व्यक्ति आबादी की भूमि के पट्टे की पात्रता रखते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आबादी की भूमि के पट्टे नियमानुसार हैं।

डा0 एम0 एस0 वर्मा विशेषज्ञ (जिला योजना) लखनऊ के विरुद्ध लगाए गये आरोपों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

44—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-75 के उत्तर के संदर्भ में क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रश्न में संदर्भित अधिकारी के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या मंत्री जी दोषी अधिकारी को तुरन्त हटाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शत्रुद्ध प्रकाश—

कार्यवाही शासन के विचाराधीन हैं।

श्री दुलम, ग्राम खण्डवल तहसील हसनगंज जनपद उन्नाव को आवंटित भूमि का कब्जा

45—श्री राम पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री दुलम पुत्र श्री रामदीन निवासी ग्राम खंडवल तहसील हसनगंज जनपद-उन्नाव की गाटा संख्या-89/3 रकबा 0-5-0 बिस्वा भूमि आवंटन पत्रावली सं0-33023 व बी सं0-3230 गाटा सं0-89/1 के स्थान पर 89/3 तथा 89/3 के स्थान पर 89/1 संशोधन की स्वीकृति परगनाधिकारी हसनगंज द्वारा दिनांक 7-1-84 को अनुमोदित किया गया था? यदि हां, तो क्या तद्नुसार भूमि आवंटियो का कब्जा उपलब्ध करा दिये गये हैं? यदि नहीं, तो कब तक उक्त विवाद का निस्तारण कर दिया जायेगा तथा संबधित व्यक्तियों से नियमानुसार कब्जा दिला दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

जी हां, आवंटित भूमि में भूचित्र के अनुसार भिन्नता पाये जाने के कारण

संशोधन किया गया। आवंटित भूमि में मौके पर मकान बने होने के कारण पट्टेदारों को कब्जा नहीं दिया जा सका है। उन्हें शीघ्र ही अन्यत्र भूमि दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

चकबन्दी लेखपाल ग्राम दमगढ़ा ब्लाक बेहदर सण्डीला, हरदोई के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जाँच

46—श्री अशोक कुमार सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि **ग्राम दमगढ़ा** ब्लाक बेहदर, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई के हरिजन निवासियों का सामूहित हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-2-90 सदस्य, विधान सभा श्री रामपाल वर्मा के उपरिपत्र के साथ राजस्व मंत्री व जिला अधिकारी **हरदोई को** चकबन्दी लेखपाल द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न व अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ।

शिकायती पत्र में कथित शिकायतों की जांच करायी गयी। जांच में शिकायतें निराधार पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में धूम्रपान निषेध लागू करने की मांग

47—श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि महाराष्ट्र सरकार ने **प्रदेश में सभी सरकारी प्रतिष्ठानो** में धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगा दिया है? यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसा ही करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

महाराष्ट्र सरकार से कथित आदेशों के सम्बन्ध में स्थिति ज्ञात की जा रही है। तदुपरान्त मामले पर सम्यक रूप से विचार किया जाना समीचीन होगा।

लक्ष्मी चीनी मिल, हरदोई के विरुद्ध शिकायती पत्र

48—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम अधिनियम की अवमानना के संबध में **लक्ष्मी चीनी मिल हरदोई के विरुद्ध प्रश्नकर्ता** का कोई शिकायती पत्र 25-1-90 को मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें वर्णित शिकायत क्या है? क्या मंत्री जी ने उस पर कार्यवाही की? यदि हां, तो क्या?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ।

श्री राम प्रकाश सक्सेना को रू0 46,333.07 व उस पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान न किया जाना।

अधिनियम के अनुच्छेद 7 (6) ए के अनुसार मिल मालिकों को देय मुआवजे की धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर (1) गन्ना मूल्य (2) श्रमिक बकाया (3) क्रय कर एवं (4) शासकीय बकाया तथा उस पर देय ब्याज की कटौती की जानी है। इन कटौतियों की कुल धनराशि प्रतिकर की धनराशि से बहुत अधिक है। अतः उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम 1971 के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राम प्रकाश सक्सेना को किसी प्रकार की धनराशि का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है।

श्रवण कुमार की पुण्यस्थली श्रवण क्षेत्र जनपद फैजाबाद को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने की योजना

49—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार जनपद-फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में अन्नांवा-औरंगनगर (पहितीपुर) मार्ग पर स्थित श्रवण कुमार की पुण्यस्थली श्रवण क्षेत्र को (जहां पर धार्मिक कथाओं के अनुसार महाराजा दशरथ द्वारा चलाये गये वाण से श्रवण कुमार घायल होकर स्वर्गवासी हुए थे) पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या होगी और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

स्थल का पर्यटन दृष्टिकोण से परीक्षण कराया जा रहा है।

जू0 हाईस्कूल अनेई जनपद-वाराणसी की भूमि के विषय में शिकायती पत्र पत्र पर कृत कार्यवाही

50—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जू0 हाई0 स्कूल अनेई जिला-वाराणसी की कई एकड़ जमीन जो सन् 34 फ0 56 फ0 व 59 फ0 में अनेई स्कूल तथा जिला बोर्ड वाराणसी के नाम थी, उसको चकबन्दी अधिकारियों ने मतरूक दिखाकर दूसरों के नाम चक काट दिया है? क्या इस संबंध में ग्राम प्रधान सोनपुरवा के प्रधान परगना पन्द्रह त0 व जिला वाराणसी के प्रार्थना पत्र मय इंतखाव के साथ मा0 राजस्व मंत्री को प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ 10-1-90 को प्राप्त हुआ है और राजस्व मंत्री ने कमिश्नर चकबंदी को जांच करने तथा अन्य कार्यवाही को रोकने का आदेश भी दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम बरई मानपुर जनपद-बांदा के मंदिर श्री राधा कृष्ण (तकिया) के ट्रस्ट कमेटी के गठन के सम्बंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

51—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 8-3-90 का संलग्न पत्र श्री बरातीलाल आदि ग्राम बरई मानपुर थाना-गिरवां जनपद बांदा के पत्र के साथ मन्दिर श्री राधा कृष्ण (तकिया) बरई मानपुर को ट्रस्ट कमेटी के गठन के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पूरे प्रकरण की जांच करके कब तक ट्रस्ट कमेटी गठित की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

यद्यपि शासन को किसी मंदिर की व्यवस्था में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश, हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) अधिनियम, 1962 के प्राविधानों के अन्तर्गत ट्रस्ट कमेटी गठित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है तथापि उक्त अधिनियम में सम्पत्ति के संरक्षण/व्यवस्था में सुधार हेतु उपलब्ध उपबन्धों के अधीन आयुक्त झाँसी मण्डल झाँसी को जाँच कर आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

ग्राम बुलाकीपुर तहसील नरैनी जनपद-बांदा के कतिपय हरिजनों की जमीन पर अवैध कब्जा

52—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 8-3-90 का संलग्न पत्र श्री चुनकावन पुत्र श्री जुराखन हरिजन ग्राम बुलाकीपुर ग्राम सभा सढ़ा, तहसील नरैनी जनपद बांदा के भूमि से अराजक तत्वों द्वारा किये गये अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो कब तक अवैध कब्जा हटा दिया जायेगा और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ।

जाँच से यह पाया गया कि श्री चुनकावन पुत्र श्री जुराखन ग्राम बुलाकीपुर ग्राम सभा सढ़ा, तहसील नरैनी, जनपद बांदा के पास पट्टा अथवा भूमिधरी की कोई भूमि नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील अतर्रा जनपद बांदा के तहसीलदार के विरूद्ध शिकायतों की जाँच

53—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 8-3-90 का पत्र बांदा जनपद के अतर्रा तहसील के तहसीलदार के विरूद्ध प्राप्त हुआ? यदि हां, तो राजस्व बोर्ड के किस उच्च अधिकारी ने शिकायती पत्र की जांच की और दोषी तहसीलदार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ।

कथित आरोपों के संबंध में राजस्व परिषद द्वारा पूर्व में ही तहसीलदार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये गये थे, परन्तु जिलाधिकारी, बांदा तथा मण्डलायुक्त झाँसी की आख्या के आधार पर राजस्व परिषद द्वारा इस प्रकरण को सतर्कता अधिष्ठान को संदर्भित करने की संस्तुति की गयी है। इस संबंध में शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। राजस्व परिषद द्वारा तहसीलदार को झाँसी मण्डल से अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है।

बागपत विधान सभा क्षेत्र के लोन मलकपुर में एक शुगर मिल स्थापित करने की माँग

54—श्री साहब सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री गन्ना कृषकों की मांग व गन्ने की अधिकता व भूमि की उपलब्धता को देखते हुए बागपत विधान सभा क्षेत्र के लोन मलकपुर में एक शुगर मिल की स्थापना करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

मलकपुर में चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त गुणावगुण के आधार पर इस संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

वित्तीय वर्ष 1989–90 में अनुदान संख्या 54 के लिए आवंटित धनराशि का उपभोग

55—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1989–90 के लिए विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत अनुदान संख्या–54 के लिए आवंटित धनराशि क्रमशः 31 अरब 22 करोड़ 57 लाख 51 हजार तथा 15 अरब 39 करोड 70 लाख 69 हजार रूपये का उपभोग 31 मार्च, 1990 तक कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? इसका दोषी कौन है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वित्तीय वर्ष 1989–90 के मूल आय–व्ययक में अनुदान संख्या–54 के अधीन विधान मण्डल ने राजस्व पक्ष के अंतर्गत 31,22,57,51,000 रूपये तथा पूँजी पक्ष के अतंर्गत 15,39,70,72,000 रूपये अर्थात् कुल 46,62,28,23,000 रूपये के व्यय की स्वीकृति दी थी।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 1989–90 के लेखे अभी अंतिम रूप से बन्द नहीं किये हैं। इसलिये व्यय का सम्पूर्ण विवरण अभी उपलब्ध नहीं हो सका है। उपरोक्त विवरण के अभाव में सम्प्रति यह बताना संभव नहीं है कि 31 मार्च, 1990 तक अनुदान के अंतर्गत व्यवस्थित राशि का किस सीमा तक उपयोग कर लिया गया है।

56—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

(2रे बुध में अता0प्र0सं0 167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद गोरखपुर, श्री शिवशंकर सिंह कैशियर गन्ना विकास समिति सरदार नगर की सेवा निवृत्ति

57---श्री पूर्णवासी---

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवशंकर सिंह कैशियर गन्ना विकास समिति सरदार नगर, जिला गोरखपुर को दिनांक 31-5-89 को सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए था किन्तु श्री शिव शंकर सिंह को निश्चित तिथि पर सेवा निवृत्त नहीं किया गया और उन्हें लगभग 8 माह तक सेवा में बने रहने दिया गया? यदि हां, तो क्या इसके लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ कायावाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास---

जी हाँ।

दोषी कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ओम प्रकाश अरोरा आशुलिपिक कलेक्ट्रेट बाराबंकी द्वारा पदावनति की मांग एवं ज्येष्ठता का निर्धारण

58---श्री राम लखन यादव---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कलेक्ट्रेट बाराबंकी में श्री ओम प्रकाश अरोड़ा सन् 1984 तक जिलाधिकारी के **आशुलिपिक** के पद पर स्थायी रूप से कार्यरत थे और उन्होंने आशुलिपिक के पद से पदावनति मांगी थी? क्या उन्हें आशुलिपिक के पद से पदावनति कर लिपिकीय संवर्ग में उनको ज्येष्ठता प्रदान की गयी थी? क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन नियमों के अंतर्गत स्थायी आशुलिपिक की लिपिकीय संवर्ग में पदावनति की गयी? यदि पदावनति की गयी तो लिपिकीय संवर्ग में ज्येष्ठता प्रदान करने का क्या आधार था?

श्री राम शरण दास---

जी हाँ।

नियुक्ति अधिकारी तत्कालीन जिलाधिकारी, बाराबंकी ने मण्डलायुक्त फैजाबाद से मार्ग दर्शन प्राप्त करके अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री ओम प्रकाश अरोड़ा को उनके प्रार्थना पर लिपिकीय संवर्ग में पदावनति की। श्री अरोड़ा की नियुक्ति कलेक्ट्रेट बाराबंकी में मूलरूप से लिपिकीय पद पर वर्ष 1956 में की गई थी और वे 22 वर्ष तक लिपिक के पद पर स्थाई रूप से कार्य करते रहे थे तथा वर्ष 1979 में उन्हें आशुलिपिक के पद पर प्रोन्नत किया गया था। उनके पूर्व में लिपिक के पद पर की गई सेवा के आधार पर ही लिपिकीय पदों पर उनकी ज्येष्ठता निर्धारित की गई।

बिल्थरा रोड, बलिया को नयी तहसील बनाने की मांग

59---श्री शारदा नन्द अंचल---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के **बिल्थरा** रोड को मुख्यालय बनाकर **सीयर** व नगरा विकास खण्ड को मिलाकर नयी

तहसील गठित करने के संबंध में पत्र सं0-सी0 एम0 (वि0 की0)/एम-1-व/274-398/90 के संदर्भ में आज तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री राम शरण दास—

प्रश्न में संदर्भित पत्र अनुभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

अन्य प्रश्न नहीं उठता।

60—श्री काशी सिंह ऐरी—

(4थे सोम में अता0प्र0सं0 187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्री जे0 वी0 गुप्ता निदेशक प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0, कानपुर के विरूद्ध एक कथित शिकायती पत्र

श्री नजमउद्दीन—

61—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर श्री जे0 वी0 गुप्ता के विरूद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-1-90 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार प्रश्नगत मामले की जांच सी0 बी0 आई0 से करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

मुख्य रूप से शिकायती प्रार्थना-पत्र में श्री जे0 बी0 गुप्ता द्वारा श्री डी0 सी0 गुप्ता, अनुदेशक की जाँच की पत्रावली दबाने का आरोप था। श्री डी0 सी0 गुप्ता के मामले को जाँच के आधार पर उन्हें दण्डित करने का आदेश जारी किया जा चुका है। शिकायती पत्र में वर्णित अन्य मामलों में परीक्षण किया जा रहा है।

परीक्षण के बाद सी0बी0आई0 से जाँच कराने के प्रश्न पर निर्णय लिया जायेगा।

सोनभद्र जनपद के दक्षिणांचल के कतिपय कास्तकारों को भौमिक अधिकार दिया जाना

62—श्री विजय सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सोनभद्र के दक्षिणांचल के 12 अनुसूचित जातियों के कास्तकारों के कब्जे वाली भूमि पर भौमिक अधिकार देने हेतु कोई शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है? यदि हां, तो उक्त शासनादेश के तहत जनपद सोनभद्र के दुद्धी तहसील के किन-किन गांवो के कितने कास्तकारों को भूमि के भौमिक अधिकार दिये गये? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-3-86 मंत्री जी को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

जनपद मिर्जापुर के अनुसूचित जातियों/जनजातियों को भौमिक अधिकार देने विषयक शासनादेश संख्या 15/8 (2)-बन्दो0-81-158 दिनांक 4-9-81 को निर्गत हुआ था। शासनादेश संख्या 15/6 (2)-बन्दो0/81-158 दिनांक 23-6-87 द्वारा तद्विषयक समस्त पूर्व निर्गत शासनादेशों को निरस्त किया जा चुका है। उ0प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में उ0प्र0 अधिनियम संख्या 14 सन् 1987 द्वारा नई धारा-131 क को जोड़कर यह प्राविधान किया गया है कि धारा 132 और 133 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति जिसकी जोत कब्जे में जनपद मिर्जापुर में कैमूर रेंज के दक्षिण भाग में 30 जून, 1978 के पूर्व से, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-20 के अधीन अधिसूचित भूमि से भिन्न कोई ऐसी भूमि हो जो धारा-117 के अधीन किसी गांव सभा में निहित हो या राज्य सरकार की हो, असंक्रमणीय अधिकारवाला भूमिधर हुआ समझा जायेगा। इस प्राविधान के अन्तर्गत दुद्धी तहसील के 148 ग्रामों (सूची संलग्न) में 13,956 व्यक्तियों को भौमिक अधिकार दिये गये है।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-3-86 प्राप्त हुआ था जिस पर उपरोक्त प्राविधान किये जाने के फलस्वरूप कोई अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 187 पर)

63—श्री विजय सिंह—

(दि0 4-4-89 को अता0प्र0सं0 187 द्वारा उत्तरित)

सहकारी चीनी मिल खराब सामान आपूर्ति के कारण प्रेम इंजीनियरिंग वर्क्स गाजियाबाद को "ब्लैक लिस्ट" घोषित किया जाना

64—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रेम इंजीनियरिंग वर्क्स, गाजियाबाद को सहकारी चीनी मिल में खराब सामान आपूर्ति में "ब्लैक लिस्ट" कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि प्रेम इंजीनियरिंग वर्क्स को विभाग द्वारा फिर से सामान आपूर्ति का कार्य दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ। प्रेम हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, मेरठ को वर्ष 1984 में सठियाँव चीनी मिल में आपूर्ति किये गये एक केन अनलोड़र के टूट कर गिरने के कारण सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया था।

उक्त फर्म के ब्लैकलिस्टिंग के कारण भविष्य में उनसे केन अनलोडर न खरीदे जाने का निर्णय लेकर शेष के विषय में उनके टेंडर का गुणावगुण के आधार पर विचार करने का निर्णय मई, 1988 में लिया गया। तद्नुसार उन्हें कतिपय संयत्रों के आपूर्ति का कार्य दिया गया है।

पर्ची व्यवस्था विषयक गन्ना आयुक्त को एक सम्बोधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी की माँग

65—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक

14-12-89 जो **पर्ची व्यवस्था** विषायक है, गन्ना आयुक्त को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या पत्रोलिखित मामले में कार्यवाही हुई? यदि हां, तो कब व क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ।

पत्र की प्राप्ति पर उसमें दिये गये सुझावों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त सुझाव व्यवहारिक नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, ऐरा (खीरी) के विरूद्ध शिकायती पत्र

66—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला गन्ना अधिकारी, लखीमपुर खीरी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक ऐरा(खीरी) के विरूद्ध जांच व अन्य अनुशासनिक कार्यवाही विषायक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-1-90 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या पत्रोलिखित मामले में कार्यवाही हुई? यदि हां, तो कब व क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नाटा ग्राम प्रधान ग्राम हुसैनपुर सकरवारी, तहसील अकबरपुर फैजाबाद के भूमि आवंटन एवं अवैध कब्जे विषयक आवेदन पत्र पर कृत कार्यवाही

67—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री नाटा, ग्राम प्रधान ग्राम हुसैनपुर सकरवारी तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद के आवेदन-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-4-87 जिसमें ग्राम सभा हुसैनपुर सकरवारी की लाखों रूपयों की भूमि गाटा संख्या 506 रकबा डेढ़ बीघा गाटा संख्या 431, रकबा 2 बीघा तथा गाटा संख्या 419 व 341 पर कुछ लोगों द्वारा नाजायज तौर से कब्जा करने का उल्लेख था, प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो क्या सरकार पूरे प्रकरण की किसी जिला स्तर के अधिकारी द्वारा जांच कराकर दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री नागेन्द्र पाल सिंह सेवानिवृत्त लेखपाल मोहनलालगंज, लखनऊ के बकाये धन के भुगतान की मांग

68—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मोहनलालगंज

जनपद लखनऊ में तैनात तत्कालीन लेखपाल (सेवानिवृत्त) श्री नगेन्द्र पाल सिंह के दिनांक 1-6-84 से 9-7-86 तक के बकाया भुगतान किये जाने एवं पेंशन निर्धारण किये जाने के संबंध में क्षेत्रीय विधायक श्री सन्त बख्श रावत का पत्र दिनांक 5-3-90 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

श्री सन्त बख्श रावत, विधायक का पत्र दिनांक 5-3-90 प्राप्त हुआ जो श्री नागेन्द्र पाल सिंह को दिनांक 1-6-84 से 9-7-86 तक के बकाया भुगतान और पेंशन निर्धारण से संबंधित न होकर उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देने के संबंध में है। श्री नागेन्द्र पाल सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गयी रिट याचिका में पारित अन्तरिम आदेशानुसार उन्हें दिनांक 10-7-86 से जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है। दिनांक 1-6-84 से 9-7-86 तक की अवधि के संबंध में रिट याचिका के अंतिम रूप से निर्णयोपरान्त यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के समस्त विवाह अधिकारियों की सेवा समाप्ति विषयक आदेश

69—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 854/सात-3-493/78, दिनांक 24-2-90 के द्वारा प्रदेश के समस्त विवाह अधिकारियों की नियुक्तियां समाप्त कर दी गयी है? यदि हां, तो उक्त शासनादेश के विरूद्ध क्या जिला विवाह अधिकारी, हरदोई अभी तक अपने पद पर कार्यरत है? यदि हां, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ, शासन के आदेश संख्या-854/सात-अ0न्या0-493/78, दिनांक 24/2/90 द्वारा प्रदेश में कार्यरत समस्त अपदेन विवाह अधिकारियों की नियुक्ति एवं कार्यकाल दिनांक 11 मार्च, 1990 के पूर्वान्ह से समाप्त कर दी गयी है?

जनपद हरदोई में जिला विवाह अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री राम गोपाल मिश्र की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-5172/सात-अ0-न्या0-583/77, दिनांक 25 नवम्बर, 1988 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी गयी थी जिसके विरोध में उक्त विवाह अधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में एक रिट याचिका संख्या-9977/88 दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जो अभी तक प्रभावी है और जिसके फलस्वरूप उक्त विवाह अधिकारी अपने पद पर कार्यरत है। उक्त स्थगन आदेश को समाप्त करने तथा रिट याचिका का विरोध करने के बारे में समुचित निर्देश जिलाधिकारी, हरदोई को प्रसारित कर दिये गये हैं।

दिनांक 1-1-86 के बाद नया वेतनक्रम स्वीकार करने वाले कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि की मांग पर विचार

70—श्री जय प्रताप सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वेतन आयोग के अंतर्गत सभी

कर्मचारियों को जिन्होंने 1-1-86 को नया वेतनक्रम लेना स्वीकार किया है उन्हें वेतन निर्धारण में एक अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार समानता के सिद्धान्त को मानते हुये 1-1-86 के बाद नया वेतनक्रम स्वीकार करने वाले कर्मचारियों को भी एक वेतन वृद्धि का लाभ देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

दिनांक 1-1-86 के बाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकार करने वाले कर्मचारियों को भी एक वेतन वृद्धि का लाभ दिये जाने का मामला विचाराधीन है।

71-श्री मुहम्मद सईद उमर—

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

श्री रघुनाथ सिंह यादव जिला फैजाबाद का चकरोड खोलवाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

72—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित श्री रघुनाथ यादव जिला फैजाबाद का कोई शिकायती पत्र चकरोडों को खुलवाने के सम्बन्ध में दिनांक 18-12-89 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम शरण दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

औरइया बाया अकबरपुर से कानुपर मार्ग पर बस चलाने विषयक श्री रामनाथ के प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

73—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित्त श्री रामनाथ कटियार ग्राम हथूमा जिला कानपुर देहात का कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 21-12-89 को औरेइया बाया अकबरपुर से कानपुर मार्ग पर रोडवेज की छः बसें चलाने के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग 100 किमी0 लम्बा है। इस मार्ग में कानपुर से अकबरपुर तक 45 किमी0 राष्ट्रीयकृत, अकबरपुर से सिकन्दरा 40 किमी0 अराष्ट्रीयकृत तथा सिकन्दरा से औरैया 15 किमी0 राष्ट्रीयकृत मार्ग है। उक्त मार्ग पर 8 निजी बसों द्वारा 24 ट्रिप्स प्रतिदिन का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कानपुर से अकबरपुर तक निगम की 5 वाहनें संचालित हो रही हैं, जो नोनारी डेरापुर तक संचालित हैं। अतः वर्तमान में और बस सेवायें बढ़ाये

जाने का कोई औचित्य नहीं है।

ग्राम हाजीपुर तहसील सगड़ी, आजमगढ की चकबन्दी अनियमितता सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र

74—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हाजीपुर तहसील सगड़ी की चकबन्दी में अनियमितताओं से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9 जनवरी, 1990 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ।

शिकायती पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई गयी। जांच से ग्राम हाजीपुर के चक सृजन कार्य में कतिपय त्रुटियां एवं अनियमिततायें प्रकाश में आयी हैं, जिसके लिये सम्बन्धित सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश जिला अधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, आजमगढ़ को दे दिये गये हैं।

ग्राम की चक आपत्तियों का निस्तारण अभी नहीं हुआ है। चक आपत्तियों के निस्तारण के समय त्रुटियों के निराकरण किये जाने के आदेश भी दे दिये गये हैं।

उ0 प्र0 लेखपाल संघ शाखा तिलहर शाहजहाँपुर का मांग पत्र

75—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की शाखा, तिलहर (शाहजहाँपुर) ने 2 जनवरी, 1990 को परगनाधिकारी तिलहर को एक मांग-पत्र दिया था? क्या परगनाधिकारी द्वारा उक्त मांग पत्र पर कार्यवाही न होने के कारण लेखपाल संघ द्वारा दिनांक 27-2-90 से अवज्ञा आन्दोलन चलाने व होली पर वेतन न लेने की घोषणा की थी? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

श्री राम शरण दास—

उ0प्र0 लेखपाल संघ की शाखा तिलहर (शाहजहाँपुर) ने परगनाधिकारी तिलहर को 2-1-90 को कोई मांग-पत्र नहीं दिया था, वरन् 29-1-90 को अपनी सेवा संबंधी मामलों के निस्तारण हेतु एक मांग पत्र दिया था जिस पर परगनाधिकारी द्वारा यथोचित कार्यवाही की गयी है। लेखपाल संघ द्वारा 27-2-90 से अवज्ञा आन्दोलन चलाने व होली पर वेतन न लेने की घोषणा नहीं की गई थी और सभी लेखपालों ने होली के पहले वेतन प्राप्त कर लिया था।

श्री जगन्नाथ सिंह ग्राम प्रधान पुरा उर्फ सुमेरपुर तहसील बीकापुर जनपद फैजाबाद द्वारा अवैध पट्टा एवं ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

76—श्रीमती सावित्री देवी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बाबूलाल तथा श्री शिवचरन

अनुसूचित जाति आदि निवासी ग्रा0 पूरा उर्फ सुमेरपुर परगना पश्चिम राठ, तह0 बीकापुर जनपद फैजाबाद का ग्राम प्रधान श्री जगन्नाथ सिंह द्वारा अपने पुत्रों एवं अपात्र व्यक्तियों को किये गये अवैध पट्टे एवं प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, स0 वि0 स0 की संस्तुति के साथ दिनांक 20-3-90 को रजिस्टर्ड पत्र जिलाधिकारी फैजाबाद को तथा श्री गोपीनाथ वर्मा स0 वि0 स0 का पत्र सं0 970/जद/27-3-90 राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश एवं श्री मूलचन्द्र स0 वि0 स0 का पत्र सं0 1073/जद/30-3-90 राजस्व सचिव उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उक्त संबंध में की गयी जांच आख्या क्या है और उक्त जांच आख्या के आधार पर अवैध कब्जे को हटाने हेतु ग्राम प्रधान श्री जगन्नाथ सिंह के विरूद्ध कौन-कौन सी दण्डनात्मक कार्यवाही की गयी?

श्री राम शरण दास—

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, सदस्य विधान सभा की संस्तुति के साथ दिनांक 20-3-90 के पत्र को छोड़कर शेष पत्र प्राप्त हुए हैं।

प्रश्नगत मामले की जाँच करायी गयी। जाँच आख्या के अनुसार ग्राम प्रधान के पुत्रों एवं अपात्र व्यक्तियों को अवैध पट्टा होने एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों को परिवहन निगम के बस किराये में छूट देने की मांग

77—श्री महेन्द्र सिंह—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि **पर्वतीय क्षेत्र** के छात्रों को किराये में छूट दिये जाने की मांग सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उक्त मांग कब तक पूरी की जायेगी? यदि नहीं, तो पर्वतीय क्षेत्र के छात्रों को सरकार निगम की बसों में किराये की दरों में छूट देने पर विचार करेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

वर्तमान में परिवहन निगम द्वारा संचालित ग्रामीण मार्गों पर छात्रों को जो रियायती पास मैदानी क्षेत्रों में दिये जाते हैं वही पर्वतीय क्षेत्र के लिये भी अनुमन्य है। परिवहन निगम द्वारा संचालित साधारण बसों में ग्रामीण अचंल के छात्रों को (पर्वतीय तथा मैदानी बसों में) 30 सिंगल फेयर के आधार पर मासिक रियायती पास की सुविधा माह अगस्त, 1986 से प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त नगरीय बस सेवाओं में 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों को 63 पैसे प्रति कि0मी0 प्रति माह तथा 12 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों को 1.25 रू0 प्रति कि0मी0 प्रति माह की दर से रियायती पास की सुविधा दी जाती है।

शीतगृह कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ में किसानों के सड़े आलू का मुआवजा

78—श्री बाबू लाल सरोज—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के अंतर्गत बाबूगंज कुण्डा स्थित शीतगृह में विगत वर्ष किसानों का रखा हुआ लाखों

बोरा आलू विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से सड़कर नष्ट हो गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को मुआवजा देने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

कुण्डा स्थित जिला सहकारी संघ लि0, प्रतापगढ़ के शीतगृत में भण्डारित 35334 बोरा आलू वर्ष 1988 में खराब हुआ। प्रभावित कृषकों को नियमानुसार नोटिस देनने के बावजूद भी 303 किसानों द्वारा आलू की निकासी न करने तथा शीतगृह कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आलू खराब हुआ। विभागीय अधिकारियों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। बीमा कम्पनी से किसानों के खराब हुए आलू का क्लेम किया गया किन्तु बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम अस्वीकृत कर दिया गया। फलतः किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा सका। अचानक मशीनरी की खराबी के कारण संस्था द्वारा आलू खराब होने की सम्भावना को दृष्टि में रखते हुए शीतगृह से आलू निकालने हेतु संबंधित किसानों को समय पर रजिस्टर्ड नोटिस दी गई तथा समाचार पत्रों के माध्यम से भी उक्त सूचना प्रसारित की गई। फिर भी 303 किसानों द्वारा आलू की निकासी नहीं की गई और आलू क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसी दशा में मुआवजा देने का नियमानुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

चूकिं संस्था द्वारा किसानों को आलू निकालने हेतु आलू खराब होने के पूर्व समय पर नोटिस दी गई। ऐसी दशा में किसानों को मुआवजा देने का नियमानुसार कोई औचित्य नहीं है।

ग्राम सभा सुखडेहरा तहसील मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के भूमि का आवंटन

79—श्री अफजाल अंसारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तहसील के ग्राम सभा सुखडेहरा के मौजा तैतरिया में ग्राम समाज की जो कृषि योग्य भूमि है, उसे भूमिहीन व्यक्तियों में आवंटित न करने का क्या कारण है? मौजा तैतरिया में भूमिहीनों की संख्या कितनी है? कब तक उक्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर कब्जा दखल दे दिया जायेगा?

श्री राम शरण दास—

प्रश्नगत ग्राम में 0.911 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जिसमें से 0.008 हेक्टेयर भूमि पर देवस्थान और पम्पिंग सेट है। शेष 0.903 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का आवंटन नियमानुसार 9 पात्र व्यक्तियों को कर दिया गया है। ग्राम में भूमिहीनों की संख्या 12 बतायी गई है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा दूदिहा तहसील मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर में चकरोडों पर अवैध कब्जा

80—श्री अफजाल अंसारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की

तहसील मुहम्मदाबाद की ग्राम सभा दूढिहा के मौजा चमरारी में ग्राम समाज की कृषि योग्य भूमि व आबादी की भूमि व चकरोड़ बड़े-बड़े भू-स्वामियों द्वारा कब्जा करके जोत ली गई है? क्या मंत्री जी मौजा चमरारी से मौजा फतुलहा के बीच की चकरोड की पैमाइश कराकर चकरोड साफ करायेंगे? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम शरण दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पालीटेक्निक जगदीशपुर जौनपुर हेतु अधिगृहीत भूमि के मुआवजा विषयक पूरे प्रकरण की जांच की मांग तथा सम्बन्धित किसानों को नौकरी दिया जाना

81—श्री ऊदल—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि पालीटेक्निक जगदीशपुर जौनपुर में 17 गरीब किसानों व महिलाओं तथा हरिजनों की जमीन ली गई है, जिसका मुआवजा बाजार रेट से सभी को नहीं दिया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? क्या सरकार जिला जज जौनपुर के फैसले (मनोरमा देवी वगैरह) जिसकी स्वीकृति हाईकोर्ट ने भी दी है उसके हिसाब से 17 लोगों को मुआवजा देगी और इस प्रकरण की पूरी जांच करायेगी? क्या यह सही है कि जिला जज ने तथा हाई कोर्ट ने मनोरमा देवी वगैरह के मामले में जिलाधीश जौनपुर को मुआवजा भुगतान का आदेश दे दिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह भी सही है कि इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने सभी फैसलों की फोटोस्टेट कापी तथा प्रार्थना-पत्र 16-3-90 को मा0 मुख्य मंत्री को दिया है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

82—श्री ऊदल—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक भुवाला पट्टी जगदीशपुर जौनपुर में जिन गरीब किसानों की जमीन ली गयी है उन्हें शासनादेश और राजस्व मंत्री जी के आदेश के बावजूद प्राचार्य ने चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी में एक भी नौकरी नही दी है और चार स्थायी तथा तीन अस्थायी पदों पर बाहर के लोगों को नौकरी दे रखा है? यदि हां, तो क्यो? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने सभी शासनादेशों की नकल राजस्व परिषद के आदेश की कापी, संयुक्त निदेशक के आदेश की प्रति, जिलाधीश के आदेश को अपने पत्र के साथ मा0 मुख्य मंत्री को 16-3-90 को दिया है? यदि हां, तो इस मामले की जांच किस अधिकारी से कराई गई और नौकरी देने के संबंध में क्या निर्णय लिया गया?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ, राजकीय पालीटेक्निक, जगदीशपुर, जौनपुर में जिन किसानों की जमीन ली गई है, से यथासमय आवेदन-पत्र प्राप्त न होने के कारण चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी में नौकरी देने का प्रश्न नहीं उठा। संस्था में सृजित चतुर्थ श्रेणी

के पाँच एवं तृतीय श्रेणी के छः (कुल ग्यारह) सभी पद अस्थाई हैं जिन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लोगों को नौकरी दी गई है। माननीय सदस्य का माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित एक पत्र दिनांक 17-3-90 प्राप्त हुआ है।

भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति के समय भूमि विस्थापितों से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर नियमानुसार प्राथमिकता से कार्यवाही करने हेतु निदेशक, प्राविधिक शिक्षा एवं प्रधानाचार्य को निर्देशित कर दिया गया है।

सौफीपुर साधन सहकारी समिति, फिरोजाबाद को आवंटित घटिया किस्म का बीज

83—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद में क्षेत्र फिरोजाबाद की साधन सहकारी समितियों के बीज गोदामों को वर्ष 1989-90 की रबी की फसल को क्या पन्तनगर से एच0 डी0 2329 नम्बर का गेहूँ बीज उपलब्ध कराया गया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि **सौफीपुर साधन** सहकारी समिति को जो उक्त गेहूँ बीज में आवंटित हुआ वह घटिया किस्म का था? यदि हां, तो शासन ने इस घटिया बीज के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

जी नहीं, सोफीपुर साधन सहकारी समिति लि0 को उपलब्ध कराया गया उक्त बीज घटिया किस्म का नहीं था।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लखनऊ से गनेशपुर (बाराबंकी) रोड पर बस चलाने की मांग

84—श्री शिवकरन सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गनेशपुर विधान सभा क्षेत्र रामनगर बाराबंकी में (1987) से चल रही रोड़वेज बस क्या फिर **लखनऊ से गनेशपुर** हेतु चलाई जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

गनेशपुर मोड़ से गनेशपुर कस्बे की दूरी मात्र 1 किमी0 है तथा गनेशपुर मोड़ से परिवहन निगम की पर्याप्त सेवायें उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व संचालित सेवा पुनः चलाने का औचित्य नहीं है।

वित्तीय वर्ष 1989-90 में अनुदान सं0 49 राजस्व विभाग जिला प्रशासन के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय धनराशि का उपयोग

85—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1989-90

के लिए 31 मार्च, 1989 को विनियोग विधेयक द्वारा अधिकृत अनुदान संख्या 49-राजस्व विभाग जिला प्रशासन के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय धनराशि 15 करोड़ रूपये का 31 मार्च, 1990 तक उपयोग कर लिया गया है? यदि नहीं, तो उसके लिए कौन से अधिकारी दोषी है?

श्री राम शरण दास—

प्रश्नगत धनराशि नवसृजित जनपदों के मुख्यालय पर आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण एवं भूमि अर्जन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों के पी0एल0ए0 में शासन के आदेशानुसार जमा करा दी गयी है, जिसका आहरण सम्बन्धित जिलाधिकारियों से भूमि अर्जन एवं निर्माण के निश्चित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात ही शासन की पूर्व स्वीकृति से किया जायेगा। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

स्व0 श्री राम चन्द्र द्विवेदी चपरासी जज कार्यालय बरेली की पत्नी को सेवा में लेने की मांग

86—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री रामचन्द्र द्विवेदी चपरासी जज कार्यालय बरेली जिसका देहान्त जुलाई, 88 में हुआ था की पत्नी की नियुक्ति अभी तक अनुकम्पा के आधार पर नहीं हुई है? क्या मंत्री जी स्व0 श्री रामचन्द्र मिश्रा की पत्नी प्रेमा देवी को अनुकम्पा के आधार पर उसके पति के स्थान पर नियुक्ति दिलाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

स्व0 श्री रामचन्द्र द्विवेदी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिला जज, कार्यालय बरेली की पत्नी श्रीमती प्रेमा देवी को दिनांक 4 मई, 1990 को जिला जज, बरेली कार्यालय में सेवायोजित किया जा चुका है।

श्री लखन लाल त्रिपाठी, सदस्य किसान सेवा सहकारी समिति लि0 विरधा ललितपुर के कैशबुक में हेराफेरी

87—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लखन लाल त्रिपाठी सदस्य किसान सेवा सहकारी समिति विरधा जनपद ललितपुर के ऊपर कई वर्षों से रू0 1,000 बकाया है? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि दिनांक 30-6-87 को उक्त बकाया धनराशि को समिति के खाते में हेरफेर करके जमा होना दिखाया गया है? क्या समिति की कैश-बुक में यह राशि जमा है? यदि हां, तो जमा की राशि की रसीद संख्या क्या है? यदि नहीं, तो क्या इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री लखन लाल त्रिपाठी, सदस्य, किसान सेवा सहकारी समिति लि0, विरधा, जनपद ललितपुर के ऊपर 1986 तक मु0 1000/- बकाया था। 30-6-87 को उक्त धनराशि को श्री त्रिपाठी के खाते में जमा दर्शाया गया है। जी नहीं, किन्तु रसीद काटी गई है जिसकी संख्या-935/91 है।

कैश बुक में उक्त राशि जमा न होने के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है। जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

जनपद ललितपुर में शहजाद बाँध के डूब क्षेत्र के ग्रामों को मुआवजा राशि का विवरण

88—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के शहजाद बांध के डूब क्षेत्र के ग्रामों की मुआवजा राशि विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी को प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो किसानों को वितरण तथा शेष राशि का विवरण क्या है? वितरित धनराशि में क्या ग्राम जमालपुर की सम्पूर्ण भूमि का मुआवजा प्रपत्र-।। में अंकित धनराशि के अनुसार शामिल है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शेष राशि किसानों के बार-बार मांगने पर नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

जनपद-ललितपुर में शहजाद बाँध के डूब क्षेत्र के ग्रामों को मुआवजा की धनराशि अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड प्रथम झाँसी द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को प्राप्त हो चुकी है। इस योजना के लिए कुल 12 ग्रामों के लिये रू0 2, 52,43, 761-04 पैसे के प्रतिकर का वितरण किया जा चुका है तथा शेष रू0 54,45,733-70 पैसे वितरण हेतु अवशेष है। ग्राम जमालपुर की सम्पूर्ण भूमि का मुआवजा उपलब्ध प्रपत्र-।। में अंकित धनराशि में शामिल है, परन्तु प्रपत्र-।। में तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी श्री राजबीर सिंह यादव के हस्ताक्षर नहीं है। जो मुआवजा किसानों को बाँटा गया वह उपलब्ध प्रपत्र-।। में अभिनिर्णय से अधिक पाये जाने के कारण व जमालपुर के ही 308 एकड़ के प्रकरण से संबंधित रू0 36-04 लाख के अभिनिर्णय की मूल प्रति और उसके साथ संलग्न प्रपत्र-।। न होने के कारण प्रभारी जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 2-2-90 द्वारा शेष प्रतिकर की धनराशि का वितरण रोक दिया गया है। पूरे प्रकरण की जाँच एवं अभिनिर्णय के नियमानुसार पुष्टि के बाद शेष प्रतिकर का वितरण करना संभव होगा।

ग्राम सभा भलुवाई विकास खण्ड बिलरियागंज आजमगढ़ में फर्जी पट्टे की जाँच की माँग

89—श्री दया राम भास्कर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ तहसील व परगना सगड़ी के अंतर्गत **ग्राम सभा** भलुवाई विकास खण्ड बिलरियागंज के निवासियों ने विगत दिनांक 29-8-89 व 1-3-90 को जिलाधिकारी आजमगढ़ को फर्जी पट्टे के विरूद्ध प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की? क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर इस संबंध में परगनाधिकारी सगड़ी ने पूर्व प्रधान श्री तेज प्रताप सिंह के विरूद्ध एफ0 आई0 आर0 दर्ज करने का आदेश दिया था? यदि हां, तो पट्टा निरस्त करने तथा रिपोर्ट दर्ज न करने का क्या कारण था?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ

प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्रीय नायब तहसीलदार द्वारा करायी गयी। प्रारम्भिक सरसरी जांच के पश्चात परगनाधिकारी सगड़ी ने पूर्व प्रधान श्री तेज

प्रताप सिंह के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करने का आदेश दिया था परन्तु बाद में विस्तृत जांच से यह पाया गया कि प्रधान के विरूद्ध फौजदारी का जुर्म साबित होना सम्भव नहीं है। फलस्वरूप एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुआ। अनियमित पट्टों के निरस्तीकरण का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

ग्राम भलौनी लोध तहसील ताल बेहट ललितपुर में अवैध भूमि आंवटन विषयक शिकायती पत्र

90—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 7-3-1990 का पत्र श्री मंगल सिंह कृषक ग्राम भलौनी लोध (बार) तहसील ताल बेहट जिला ललितपुर के पत्र के साथ इनके ग्राम में भूमि आंवटन में हो रही **अनियमितताओं** के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ।

मामले की जाँच परगनाधिकारी, ताल बेहट द्वारा करायी गयी। प्राप्त सूचनानुसार, 13 पट्टे अनियमित पाये गये जिनके निरस्तीकरण हेतु धारा-198 (4) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में दोषी पाये गये लेखपाल को निलम्बित कर उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम बिन्दपारा जनपद बांदा में पुनः चकबन्दी कराने की मांग

91—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के **ग्राम बिन्दपारा** के कन्धीलाल उक्त गांव में चल रही चकबन्दी कार्यवाही की अनियमितताओं को दूर करने की दृष्टि से पुनः चकबन्दी कराने की मांग को लेकर दिनांक 5-2-90 से आमरण अनशन सचिवालय लखनऊ के समक्ष कर रहे है? यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं? उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कन्धीलाल निवासी ग्राम तिन्दवारा ने दिनांक 5 फरवरी, 90 से दिनांक 16 फरवरी, 90 तक दारूलशफा के पूर्वी द्वार पर आमरण अनशन किया था।

ग्राम तिन्दवारा में चकबन्दी कार्य में हुई अनियमितताओं और व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने और न्याय के हित में पुनः चकबन्दी कराने की मांग की गयी थी।

मामले में अपर आयुक्त (प्रशासन) झांसी से जांच कराई गई। उनकी जांच आख्या के अनुसार उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया में कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई गई। अतः पुनः चकबन्दी कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

परगनाधिकारी तमकुहीराज द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बनध में हड़ताल तथा मुख्य मांगे

92—श्री राम वचन धूसिया—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 26-4-90 को तहसील मुख्यालय तमकुहीराज, जनपद देवरिया के समस्त **अधिवक्तागण परगनाधिकारी,** तमकुहीराज के द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरोध में हड़ताल पर थे? उनकी मांगे क्या-क्या थी और उन पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

दिनांक 26-4-90 को तहसील तमकुहीराज के कुछ अधिवक्तागण हड़ताल पर थे। उक्त हड़ताल परगना मजिस्ट्रेट तमकुहीराज के कार्यों के विरूद्ध नहीं थी वरन् श्री रमाशंकर राय अहलमद फौजदारी के अभद्र व्यवहार के विरूद्ध थी।

अपने मांग पत्र में अधिवक्ताओं ने श्री रमाशंकर राय के स्थानान्तरण की मांग की थी। परगना मजिस्ट्रेट तमकुहीराज के आदेश दिनांक 26 अप्रैल, 1990 द्वारा श्री रमाशंकर राय अहलमद फौजदारी का स्थानान्तरण मुहर्रिर माल के पद पर कर दिया गया।

औरेइया कानपुर मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने की मांग

93—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसरित दिनांक 29-3-90 व 5-4-90 के पत्र इस आशय के प्राप्त हुए है कि **औरेइया से कानुपर** वाया विहारघाट मार्ग पर राजकीय सड़क परिवहन निगम की बसें बढ़ाई जायें और सिकन्दरा में वहां से गुजरने वाली सारी बसें रोकी जायें? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर प्राइवेट बसे अब भी चल रही हैं जबकि उक्त मार्ग राष्ट्रीय मार्ग है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने की कार्यवाही करेगी ताकि सिर्फ राजकीय सड़क परिवहन निगम की बसें ही उस पर चल सकें? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

इस प्रश्न के विषय से सम्बन्धित मा0 विधायक जी का दिनांक 29-3-90 व 5/4/90 का कोई पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त तिथियों में मा0 विधायक जी के जो पत्र प्राप्त हुए हैं, वह औरेया से कानपुर वाया पुखरायां राष्ट्रीयकृत मार्ग पर अवैध रूप से चल रही निजी बसों को बन्द करने तथा अधिक संख्या में परिवहन निगम की बसों को चलाये जाने के संबंध में है, जिस पर मा0 विधायक जी द्वारा 2सरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-41 पूछा गया है।

औरेया से कानपुर वाया विहारघाट पर इटावा क्षेत्र द्वारा 3 अस्थायी परमिट पर 8 ट्रिप्स तथा कानपुर क्षेत्र द्वारा 2 स्थायी परमिट पर 2 अप-2डाउन सेवायें संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में और सेवायें बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। सिकन्दरा में फेयर स्टापेज है यहाँ से गुजरने वाली समस्त वाहनें रूकती हैं।

यह सत्य है कि उक्त मार्ग पर अब भी प्राइवेट बसें चल रही हैं, क्योंकि सम्पूर्ण मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है। कानपुर–अकबरपुर 45 किमी0 राष्ट्रीयकृत, अकबरपुर से सिकन्दरा 40 किमी0, अराष्ट्रीयकृत तथा सिकन्दरा से औरैया 15 किमी0 राष्ट्रीयकृत है।

वर्तमान में प्रश्नगत मार्ग के अराष्ट्रीयकृत भाग को राष्ट्रीयकृत करने की कोई योजना नहीं है।

ग्राम बनरसीहा तहसील नौतनवा जनपद महराजगंज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग

94—श्री अमर मणि—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम–बनरसीहा, तहसील नौतनवां जनपद महराजगंज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25 जनवरी, 1990 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शासन द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

उक्त पत्र के संदर्भ में जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि उक्त स्थान पर 88.01 एकड़ भूमि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा अधिग्रहीत की गयी है जिस पर खुदाई व इमारत बनाना वर्जित घोषित है। इस स्थल का महत्व तभी उजागर होगा जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग खुदाई कर इतिहास की दृष्टि से यह प्रमाणित कर दे कि यह स्थल प्राचीन काल में भगवान बुद्ध का ननिहाल था। उक्त स्थल की खुदाई हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अनुरोध कर दिया गया है।

साधन सहकारी समिति लि0 आखापुर मन्झरिया विकास खण्ड बिलरियागंज (आजमगढ़) के कर्मचारियों का वेतन

95—श्री पंचानन राय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि **साधन सहकारी समिति लि0** आखापुर मन्झरिया विकास खण्ड बिलरियागंज, आजमगढ़ के अध्यक्ष द्वारा समिति के खातों का संचालन एवं कर्मचारियों के **वेतन के भुगतान** की स्वीकृति नवम्बर, 88 से नहीं कराई जा रही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

साधन सहकारी समिति लि0 आखापुर मुंझरिया, विकास खण्ड बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र नाथ राय, संचालक मण्डल की तीन बैठकों दिनांक 4–8–88, 8–9–88 एवं 13–10–88 में लगातार अनुपस्थित रहे। इनकी अनुपस्थित के कारण समिति के क्रिया–कलाप प्रभावित हुए। अतः समिति के संचालक मण्डल ने अपने प्रस्ताव संख्या–3 दिनांक 21–11–88 द्वारा समिति के उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर की मान्यता अध्यक्ष के कार्यों

के सम्पादन हेतु प्रदान की। तब से अध्यक्ष के स्थान पर उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही समिति के खातों का संचालन एवं कमचारियों के वेतन भुगतान आदि की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम सभा रहसू जनूबा पट्टी, तहसील तमकुही राज जनपद देवरिया के आवासीय भूमि के आवंटन की उच्चस्तरीय जाँच की मांग

96—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-सभा रहसू जनूबा पट्टी तहसील-तमकुही राज जनपद देवरिया द्वारा दि0 28-8-89 को प्रस्तावित तथा दि0 11-3-89 को स्वीकृत कृषि आवासीय भूमि के आवंटन सूची क्र0 सं0 162-63 एक ही परिवार व क्र0 सं0 52 एवं 77 पर मृतक के नाम से भूमि आंवटित की गयी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त आवंटन की उच्च स्तरीय जांच कराकर आवंटन निरस्त कर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

कथित प्रस्ताव दिनांक 28-8-88 गाँव सभा रहसू जनूबी पट्टी का नहीं अपितु भूमि प्रबंधक समिति रहसू जनूबी पट्टी का है। जिसके क्रमांक 162 पर चोकट पुत्र मुन्नर व क्रमांक 163 पर प्रकाश चन्द्र पुत्र महातम को क्रमशः 0.02 व 0.02 डिसमिल आवासीय पट्टा दिया गया है। श्री चोकट श्री प्रकाश चन्द्र के पितामह हैं। श्री प्रकाश चन्द्र बालिग हैं। आवासीय स्थल के पट्टे के लिए एक ही परिवार का होना नियम में बन्धन नहीं है। क्र0सं0-52 पर श्री दरश पुत्र राम सुभग धोबी के परिवार के नाम 0.06 डिसमिल भूमि आवंटित की गई है। श्री दरश के 4 बालिग पुत्र हैं। क्र0सं0-77 पर उल्लिखित नेऊर पुत्र बंगाली चमार को 0.02 डिसमिल आवासीय पट्टा प्रस्तावित किया गया था। उसके मृतक होने के तथ्य प्रकाश में आने पर उसका पट्टा तैयार नहीं किया तथा उसे देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भूल के लिए दोषी प्रधान श्री बल्देव सिंह एवं तत्कालीन लेखपाल श्री मंगरू प्रसाद को भविष्य में सतर्क रहने की चेतावनी दे दी गई है।

राजस्व अनुभाग-9 के अवर वर्ग सहायकों एवं प्रवर वर्ग सहायकों के स्थानान्तरण

97—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजस्व अनुभाग-9 में कितने अवर वर्ग सहायक/प्रवर वर्ग सहायक अनवरत 3 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं? क्या यह सत्य है कि कुछ सहायक प्रथम नियुक्ति के समय से ही अनवरत उक्त अनुभाग में कार्यरत है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उनका स्थानान्तरण अन्यत्र कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

राजस्व अनुभाग-9 में एक अवर वर्ग सहायक तथा तीन प्रवर वर्ग सहायक 3 वर्ष से अधिक की अवधि से कार्यरत हैं। उक्त अनुभाग में कोई भी सहायक ऐसा नहीं है जो प्रथम नियुक्ति के समय से प्रश्नगत अनुभाग में ही कार्यरत हो। उक्त में से 2 प्रवर वर्ग सहायक स्थानान्तरणाधीन हैं एवं शेष ।

का भी स्थानान्तरण किया जा रहा है। प्रश्नगत अवर वर्ग सहायक अन्यत्र विभाग में स्थानान्तरण नीति की परिधि में नहीं आता है।

उ0 प्र0 सचिवालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पदों की संख्या तथा आरक्षण का कोटा

98—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सचिवालय में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कितने पद सृजित हैं तथा क्या उन पदों पर अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार कोटा पूर्ण करने हेतु शीघ्र उक्त पदों को आरक्षित वर्ग से भरने का कष्ट करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उ0प्र0 सचिवालय में तृतीय श्रेणी के 4069 एवं चतुर्थ श्रेणी के 1445 पद सृजित हैं। चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति का कोटा पूरा है। तृतीय श्रेणी में प्रवर वर्ग सहायक, संदर्भ लिपिक, लेखाकार-सह-कोषाध्यक्ष, वैयक्तिक सहायक एवं अनुवादक (हिन्दी, उर्दू) संवर्ग में कोटा पूर्ण नहीं है। भर्ती के समय कोटा पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अर्ह एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत कोटा पूर्ण नहीं है। उक्त संवर्गों में अनुसूचित जाति के अपूर्ण कोटे को पूरा करने के लिये प्रवर वर्ग सहायक के 79, संदर्भ लिपिक के 46, लेखाकार-सह-कोषाध्यक्ष के 7, वैयक्तिक सहायक के 50 पदों को विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत भरे जाने का प्रयास किया जा रहा है।

कलेक्ट्रेट जालौन में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण का कोटा

99—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद जालौन के कलेक्ट्रेट में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग कितनी है तथा क्या उक्त कर्मचारियों में अनुसूचित जाति/पिछड़ी जातियों का कोटा पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार शीघ्र उक्त कोटे को पूर्ण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री राम शरण दास—

जनपद जालौन के कलेक्ट्रेट में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 731 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 351 है। उक्त कर्मचारियों में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति का कोटा पूर्ण है। इसलिए शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की मांग

100—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में कितने अभियन्ता 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है एवं उनमें से कितनों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है? क्या सरकार उक्त अभियन्ताओं को जिले से बाहर स्थानान्तरित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

इस समय लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण (केन्द्रीयित) सेवा के 5 अभियंता 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं जिनमें से एक अवर अभियंता का केन्द्रीयत सेवा में आमेलन विवादित है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के 14 अभियंता 5 वर्ष से अधिक समय से लखनऊ विकास प्राधिकरण में तैनात हैं। प्राधिकरण में उक्त में से किसी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही नहीं चल रही है।

प्राधिकरण सेवा के 5 अभियंताओं में से एक सहायक अभियंता मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के अंतर्गत कार्यरत हैं तथा, जैसा ऊपर उल्लेख है, एक अवर अभियंता के आमेलन का प्रश्न विवादित है जिसके कारण उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है। दो अवर अभियंताओं को स्थानान्तरित किया गया था, किन्तु विशेष परिस्थितियों में एक का स्थानान्तरण 31-12-90 तक के लिये और दूसरे का 6 माह के लिये स्थगित कर दिया गया है। बचे हुये एक अवर अभियंता को किसी अन्य प्राधिकरण में स्थानान्तरित किये जाने पर यथासमय विचार कर लिया जायेगा।

101—श्री रवि कान्त गर्ग—

(5वें सोम को अता0प्र0सं0 172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जिलाधिकारी कार्यालय लखनऊ में लिपिक के पद पर नियुक्ति पर रिट होने पर भी समाचार पत्रों में विज्ञापन देने का आधार

102—श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में लिपिक के 16 पदों के लिए 26 अप्रैल, 1990 को दैनिक समाचार-पत्र स्वतंत्र भारत में विज्ञापन दिया गया जब कि इन पदों पर चयन न करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ।

माननीय उच्च न्यायालय ने संदर्भित रिट याचिका में नियुक्ति पर रोक का आदेश दिया था, चयन करने पर रोक नहीं थी और विज्ञापन में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उक्त चयन से नियुक्तियां विचाराधीन रिट याचिका में पारित आदेश के अधीन ही की जायेगी। इसके पश्चात भी चयन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

सचिव राजस्व शाखा, उ0प्र0 सचिवालय में तीन वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

103—श्री पूर्णवासी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, राजस्व शाखा के विभिन्न अनुभागों में कितने कर्मचारी 3 वर्षों से अधिक समय से अनवरत एक ही अनुभाग में कार्यरत हैं? क्या यह भी सही है कि कुछ अवर वर्ग सहायकों/प्रवर सहायकों की नियुक्ति राजस्व विभाग के जिस अनुभाग में हुई वे उसी अनुभाग में

आज तक कार्यरत है? यदि हां, तो क्या उनका स्थानान्तरण अन्यत्र किसी विभाग में करने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

राजस्व सचिव शाखा के विभिन्न अनुभागों में 19 प्रवर वर्ग सहायक, 18 अवर वर्ग सहायक, 10 संदर्भ लिपिक, 01 सहायक लेखाकार 01 कोषाध्यक्ष एवं 01 लेखाकार अनवरत एक ही अनुभाग में 3 वर्षों से अधिक की अवधि से कार्यरत हैं। अवर वर्ग सहायकों तथा प्रवर वर्ग सहायकों में 15 ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति राजस्व विभाग के जिस अनुभाग में हुई वे उसी अनुभाग में कार्यरत हैं। इन 15 में से 03 अवर वर्ग सहायक तथा 02 प्रवर वर्ग सहायक अन्यत्र विभाग में स्थानान्तरण नीति की परिधि में आते हैं, जिनमें से 01 प्रवर वर्ग सहायक स्थानान्तरणाधीन है। अन्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण अभी जनहित में नहीं किये जा रहे हैं।

परगनाधिकारी बीकापुर जनपद फैजाबाद को तहसील मुख्यालय पर रहने की मांग

104—डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के आदेश के अन्तर्गत परगना अधिकारी को तहसील मुख्यालय पर रहना आवश्यक है? यदि हां, तो क्या परगना अधिकारी बीकापुर जनपद फैजाबाद अपनी नियुक्ति की तिथि से जिला मुख्यालय पर रहते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त अधिकारी महीने में 15 दिन ही तहसील जाते हैं जिससे क्षेत्रीय जनता को कष्ट उठाना पड़ता है? क्या मंत्री जी इसके लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही एवं तहसील मुख्यालय पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

परगनाधिकारी, बीकापुर जनपद फैजाबाद अपनी नियुक्ति की तिथि से तहसील मुख्यालय पर रहते हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पुरैनी तहसील राठ जनपद हमीरपुर में पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जे विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

105—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दि0 7 मार्च, 1990 का पत्र श्री रामलाल हरिजन आदि ग्राम-पुरैनी तहसील राठ जनपद हमीरपुर के पत्र के साथ भूमि के पट्टों में अवैध कब्जा के संबंध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ।

शिकायत की जाँच कराई गई जिसमें पट्टेदार अपनी भूमि पर काबिज

पाये गये। कब्जे का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ, अतएव किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

सचिवालय में इंचार्ज/सुपरवाइजर टेलीप्रिन्टर सेल एवं टेलीफोन निरीक्षक की सचिवालय के अवर एवं प्रवर वर्ग सहायकों के समान संवर्गों में अधिष्ठान संबन्धी समान कार्य की मांग

106—श्री इम्तियाज मोहम्मद खाँ—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में इंचार्ज/सुपरवाइजर, टेलीप्रिन्टर सेल एवं टेलीफोन निरीक्षक के पद, प्रवर वर्ग सहायक/अवर वर्ग सहायक संवर्ग के हैं? यदि हां, तो क्या इनका अधिष्ठान संबंधी कार्य अन्य प्रवर वर्ग सहायक/अवर वर्ग सहायकों के साथ किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रवर वर्ग सहायक/अवर वर्ग सहायक तथा इंचार्ज/सुपरवाइजर टी0पी0सेल एवं टेलीफोन निरीक्षक के संवर्ग अलग-अलग हैं।

माचिस फर्म स्वामी दास आर्जन दास बरेली रोड हल्द्वानी, नैनीताल का सरकार को प्रेषित ज्ञापन पर कार्यवाही

107—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के दिनांक 28-2-90 के पत्र के साथ माचिस बनाने वाली फर्म स्वामी दास आर्जन दास, बरेली रोड, हल्द्वानी, जिला नैनीताल का दिनांक 19-2-90 का कोई ज्ञापन सरकार को मिला है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है? क्या सरकार उक्त फर्म को बिक्री-कर से मुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

प्रश्नगत मामले में फर्म ने मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल की है। चूंकि याचिका उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्त स्थिति में फर्म को बिक्रीकर से मुक्त करने के संबंध में विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री खचेरमल निवासी किशानपुर तहसील कौल अलीगढ़ की आवासी भूमि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण से मुक्त करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

108—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के दिनांक 10-1-90 के पत्र के साथ विकलांग श्री खचेरमल निवासी-किशानपुर,

तहसील कौल, जिला-अलीगढ़ की आवासी भूमि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अलीगढ़ द्वारा अर्जन से मुक्त कराने के संबंध में दिनांक 9-1-90 का उनका कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

जिलाधिकारी ललितपुर द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय को सील करने का कारण

109—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय को जिलाधिकारी द्वारा सील कर दिया गया था? यदि हां, तो यह कार्यवाही किन कारणों से की गयी? क्या यह सच है कि इस कार्यालय की काफी पत्रावलियां गायब कर दी गई है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ललितपुर के कार्यालय की अलमारी संख्या 1 से 5 व बक्सा नं0 6 को सील किया गया था। यह कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने के कारण की गई थी विशेष आडिट दिनांक 12-8-1989 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न अभिलेख गायब हैं:-

1-ग्राम कलौंथरा (पूरक) से संबंधित मूल्यांकन प्रपत्र-6

2-अधिकारी फार्म सी0सी0 व राजीनामा ग्राम कलौंथरा।

3-ग्राम तेरई के मूल्यांकन प्रपत्र-6, कूप, इमारती, वृक्ष एवं जांच शुदा फार्म-11 तथा बहुत से फार्म सी0सी0

4-ग्राम हर्षपुर के प्रस्तावित अभिनिर्णय घोषित अभिनिर्णय जिलाधिकारी की स्वीकृति तथा बहुत से फार्म सी0सी0 व राजीनामा

5-ग्राम बरीकलां (पूरक) के वितरित धनराशि से संबंधित फार्म सी0सी0

6-ग्राम जमालपुर 161-50 एकड़ का अनुपूरक अभिनिर्णय

7-ग्राम टेटा रकबा 107-67 एकड़ की हिन्दी व अंग्रेजी पत्रावली तथा प्रतिकर से संबंधित कार्यवाही के कागज।

8-ग्राम बस्तागुवां रकबा 143-61 एकड़ की हिन्दी व अंग्रेजी की पत्रावली तथा प्रतिकर से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही के कागज।

9-ग्राम सेरवांस कलां रकबा 150-87 एकड़ से संबंधित प्रपत्र-6 इत्यादि।

इसके अलावा श्री बसन्त लाल वर्मा, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने निम्न अभिलेखों का गायब होना बताया है:—

1-सेरवांस कलां 150 एकड़ एवार्ड उपलब्ध नहीं है।

2–सेरवांस कलां रकबा 403 एकड़ एवार्ड नहीं है।
3–तेरई 355 एकड़ एवार्ड नहीं है।
4–बरीकलां 295 एकड़ एवार्ड नहीं है।
5–बरौदा डांग 77 एकड़ एवार्ड नहीं है।
6–जमालपुर 308 एकड़ एवार्ड नहीं है।
7–कलौंधरा 571 एकड़ एवार्ड नहीं है।
8–कलौंधरा 1–68 एकड़ एवार्ड नहीं है।

तीन कर्मचारियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई व उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी द्वारा शासन को संस्तुति भेजी गई है। शासन द्वारा मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग से कराने के आदेश दिये गये हैं। जांचोपरान्त दोषी पाये गये कर्मचारियों/ अधिकारियों के विरूद्ध यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, कार्यालय ललितपुर में ग्राम जमालपुर के अधिग्रहण सम्बन्धी पत्रावली पर हस्ताक्षर

110—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, ललितपुर के कार्यालय में ग्राम जमालपुर के अधिग्रहण संबंधी पत्रावली संख्या 628 में उपलब्ध प्रपत्र 11 पर अहलमद अमीन और किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है? यदि हां, तो बिना हस्ताक्षरों के प्रपत्र 11 पर अंकित धनराशि के वितरण का क्या औचित्य है? क्या यह सही है कि हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र पत्रावली से अलग कर दिये गये है? यदि हां, तो शासन इसके लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय ललितपुर में ग्राम जमालपुर के अधिग्रहण संबंधी पत्रावली संख्या–628 में उपलब्ध प्रपत्र–11 पर केवल तत्कालीन अमीन के हस्ताक्षर है। तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी श्री राजबीर सिंह यादव के हस्ताक्षर नहीं है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के प्रपत्र–11 पर हस्ताक्षरों के अभाव में प्रतिकर की राशि का सबंधित काश्तकारों में वितरण करने का औचित्य नहीं है। यह ज्ञात नहीं है कि हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र बनाये ही नहीं गये या अलग कर दिये गये। मामले की जॉच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराने के आदेश शासन द्वारा दिये गये हैं। जॉचोपरान्त दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्ट्रेट आजमगढ़ में लिपिकों के चयन हेतु ली गयी परीक्षा का आधार

111—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में लिपिकों के चयन हेतु 3 जनवरी, 89 को कोई परीक्षा हुई थी तथा उसके आधार पर 14 अभ्यर्थियों को 9 जनवरी, 89 से नियुक्त किया गया था? यदि

हां, तो उनमें से कितने इस समय (8-2-90 को) कार्यरत है और कितने पद रिक्त हैं और क्यों?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ।

आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के पत्र दिनांक 24.12.88 के अनुसार 31.3.89 तक की अवधि के लिये 25 सीजनल सहायक वासिल वाकी नवीस के पद स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से मात्र 14 पदों पर नियुक्ति के लिये दिनांक 3.1.89 को परीक्षा एवं साक्षात्कार हुआ था। सफल 14 अभ्यर्थियों की नियुक्ति 9.1.89 से 31.3.89 तक की अवधि के लिये तदर्थ/सीजनल रूप से की गयी थी तथा पदों की अवधि समाप्त होने के पश्चात तदर्थ सामयिक रूप से नियुक्त किये गये 14 सीजनल सहायक वासिल वाकी नवीस की सेवायें दिनांक 31.3.89 को स्वतः समाप्त हो गयी। अतः इस समय (18-2-90 को) कोई कार्यरत नहीं है।

2. इसके बाद आयुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर के पत्र दिनांक 3.2.90 द्वारा 15 सामयिक सहायक वासिल वाकी नवीस के पदों की स्वीकृति दिनांक 28.2.90 तक के लिये मिली थी, परन्तु वर्तमान स्थायी स्टाफ से ही कार्य लिया गया। अतः उक्त सामयिक स्वीकृत पदों पर अल्पअवधि के लिये नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी।

श्री सुरेश चन्द्र द्विवेदी, जिला सहायक निबन्धक देवरिया के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की जाँच

112—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0 देवरिया, श्री सुरेश चन्द्र द्विवेदी के विरुद्ध शिकायतें तथा उनका स्थानान्तरण किये जाने संबंधी पत्र दिनांक 29-3-90 पत्रांक सी0 एम0 (वि0 को0) सन-1-कु0/260-394/90, सचिव, सहकारिता विभाग को भेजा गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ।

मामले में उप निबंधक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से आवश्यक जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

113—श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

श्री गौरीशंकर मिश्र तत्कालीन अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर होमगार्ड मियांव द्वारा अवैध ढंग से धन आहरण तथा पुनः सेवा में लेने का कारण

114—श्री राम लखन वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में

फैजाबाद जनपद के कम्पनी कमांडर होमगार्ड्स भियांव द्वारा कतिपय होमगार्ड्स के नाम पर फर्जी ढंग से धन आहरण के आरोप में तत्कालीन कम्पनी कमांडर होमगार्ड्स भियांव को पदच्युत कर दिया गया था? क्या यह सही है कि उसी कम्पनी कमांडर को पुनः सेवा में रख लिया गया है? यदि हां, तो उसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शतरूद्र प्रकाश—

श्री गौरीशंकर मिश्र, तत्कालीन अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर, होमगार्ड, भियांव की अवैतनिक सेवायें फर्जी ढंग से धन आहरण करने के आरोप में नहीं वरन उसी कम्पनी के रनर की माँ के शिकायती पत्र में लगाए गए आरोप के आधार पर जिला कमाण्डेंट, होमगार्ड, फैजाबाद द्वारा समाप्त की गई थी। इस आदेश के विरूद्ध श्री मिश्र ने मुख्यालय को प्रत्यावेदन दिया था। प्रत्यावेदन की निस्तारण समिति ने उक्त आदेश का पर्याप्त औचित्य नहीं पाया। अतः उनको कार्य पर पुनः बहाल कर दिया गया। इस सम्बन्ध में किसी को दोषी नहीं पाया गया है।

आदर्श कारागार लखनऊ द्वारा जारी जेल प्रवास पत्र पर हस्ताक्षर तथा पता

115—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्डन जेल लखनऊ में मुक्ति रजिस्टर नं0 7 के क्रमांक 14027 पर अंकित बन्दी को दिनांक 6-3-87 में उनके जेल प्रवास का कोई प्रमाण पत्र दिया गया है? यदि हां, तो यह प्रमाण पत्र किसके हस्ताक्षर से दिया गया है और उसमें उस बन्दी का पूरा नाम (सरनेम सहित) व उसके पिता का नाम तथा पता क्या लिखा गया है? इसी प्रसंग में क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वह बन्दी किस नाम वल्दियत से तथा पता से किस तिथि को जेल में दाखिल हुआ था और किस तिथि में जेल से मुक्त किया गया था?

श्री शतरूद्र प्रकाश—

आदर्श कारागार, लखनऊ के मुक्ति रजिस्टर नं0-7 के आधार पर श्री हनुमान प्रसाद क्रमांक 14027 को दिनांक 6-3-87 को उनके जेल प्रवास का प्रमाण पत्र श्री जे0 एन0 शर्मा कारापाल के हस्ताक्षर से दिया गया है। उसमें बंदी का पूरा नाम हनुमान प्रसाद अंकित है और पिता का नाम व पता नहीं लिखा गया है। इसी कारागार के बंदी प्रवेश रजिस्टर नं0 1 के क्रमांक 14027 पर अंकित प्रविष्टि के अनुसार बंदी हनुमान प्रसाद कुरील, पुत्र श्री प्रभु दयाल, निवासी भीम नगर, थाना नवाबगंज, जिला कानपुर दि0 9-3-47 को जेल में दाखिल हुआ था और दिनांक 10-4-47 को कारागार से मुक्त किया गया था।

ग्राम भवानीपुर तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर देहात के लेखपाल के विरूद्ध शिकायती पत्र

116—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव भवानीपुर, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर देहात के लेखपाल द्वारा की गई जालसाजी के अपराध में निलम्बित करने व जेल भेजने संबंधी आवेदन-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र

दिनांकित 8 फरवरी, 90 का उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ, मा0 विधायक का पत्र दिनांक 8-2-90 का न होकर 7-2-90 का है। जिलाधिकारी कानपुर देहात द्वारा पूरे प्रकरण की जाँच करायी जा रही है।

ग्राम सभा माल का पुरवा तहसील रसूलाबाद कानपुर में अवैध पट्टे किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

117—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें गांव सभा माल का पुरवा, तहसील रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात के भू0 पू0 लेखपाल व प्रधान के द्वारा अनियमित पट्टे किये जाने विषयक तहसीलदार की जांच रिपोर्ट की प्रति के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 7 फरवरी, 90 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ। प्रश्नगत ग्राम सभा की भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 22-1-89 के अनुसार आवंटन की कार्यवाही में कथित अनियमितता की शिकायत की जाँच तहसीलदार रसूलाबाद द्वारा किये जाने पर 19 पट्टे अनियमित पाये गये, जिनके निरस्तीकरण के लिए धारा-198 (4) उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। प्रधान व लेखपाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। साथ ही तत्कालीन नायब तहसीलदार व भूलेख निरीक्षक को भी आरोप-पत्र दिये गये हैं।

उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0 लखनऊ में नियुक्ति पर रोक लगाने के बावजूद भी नियुक्ति का आदेश

118—श्री इम्तियाज मोहम्मद खाँ—

क्या गन्ना मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 सरकार द्वारा नियुक्तियों पर रोक के बावजूद उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0 लखनऊ में जनवरी, 90 से मई, 90 तक दैनिक वेतन पर तदर्थ आधार पर चतुर्थ श्रेणी/लिपिक तथा कार चालकों की नियुक्तियां की गयी है? यदि हां, तो इसका क्या आधार है? दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री राम शरण दास—

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा जनवरी 90 से मई 90 तक दैनिक वेतन पर दो लिपिकों, एक कारचालक तथा एक चपरासी की तैनाती की गयी है इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में पूर्व से कार्यरत एक कार चालक तथा तीन चपरासियों का विनियमितीकरण किया गया है। यह सभी नियुक्तियां सृजित एवं रिक्त पदों के विरूद्ध शासन के पूर्व अनुमोदन से की गयी है। अतः किसी अधिकारी के दोषी होने या उसके विरूद्ध कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मालकापुरवा तहसील रसूलाबाद जनपद कानपुर में अवैध पट्टे विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही का विवरण

119—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या राजस्व मंत्री को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7 फरवरी, 90 जो अवैधानिक एवं अनियमित कार्य करने वाले लेखपाल व प्रधान को निलम्बित करने के विषय में श्री धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम मालक पुरवा, तहसील रसूलाबाद, जनपद कानपुर (देहात) के आवेदन पत्र व तहसीलदार की जांच रिपोर्ट की फोटोस्टेट प्रति के साथ प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो संबंधित लेखपाल व ग्राम प्रधान के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ, तहसीलदार रसूलाबाद द्वारा की गयी जांच से ग्राम सभा मालकपुरवा तहसील रसूलाबाद जनपद कानपुर (देहात) के 19 पट्टे अनियमित पाये गये जिनके निरस्तीकरण हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 198 (4) के अन्तर्गत वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

इस अनियमितता के लिये संबंधित लेखपाल की तीन वर्ष के लिये वेतन वृद्धियाँ रोक दी गयीं हैं और उसके आचरण की निन्दा की गयी है। ग्राम प्रधान के विरूद्ध भी कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बस्ती के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को कतिपय वर्षों में दी गयी अहेतुक सहायता का विवरण

120—श्री कृष्ण किंकर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि बस्ती जनपद पूर्वान्चल का सबसे बड़ा बाढ़ प्रभावित जिला है जो प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है? यदि हां, तो पिछले दो साल से भीषण बाढ़ से प्रभावित गांव वासियों को क्या-क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है? क्या सरकार उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी? क्या सरकार ऐसी दैवी विभीषिकाओं से प्रभावित लोगों को दी जाने वाली अहेतुक सहायता की धनराशि जो बहुत पुरानी दर पर है को महंगाई को देखते हुए बढ़ाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री राम शरण दास—

जनपद बस्ती में स्थित तहसील हरैया बस्ती व खलीलाबाद का दक्षिणी भाग प्रमुख नदी घाघरा की बाढ़ से व तहसील खलीलाबाद का उत्तरी कुछ क्षेत्र राप्ती नदी से प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त छोटी नदियों कुआनों व मनवर के किनारे का निचला भाग कभी-कभी बाढ़ से प्रभावित होता है। पिछले दो वर्षों-वर्ष 1988 व 1989 में जनपद बस्ती में बाढ़ से हुई क्षति तथा पीड़ित गाँववासियों को उपलब्ध कराई गई सहायता का विवरण संलग्न है।

शासन अहेतुक सहायता की वर्तमान दरों को पुनरीक्षित करने पर विचार कर रहा है।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 193 पर)

महराजगंज जनपद में सीलिंग के भूमि का आवंटन

121—श्री अमर मणि तथा श्री श्याम नारायन तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद **महराजगंज** में सीलिंग में कितनी भूमि है? इसमें से कितनी भूमि का वाद न्यायालय में विचाराधीन है? क्या सीलिंग में प्राप्त भूमि पात्र व्यक्तियों को आवंटित की गयी है? यदि हां, तो कितनी भूमि कितने व्यक्तियों को आवंटित की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सहकारी चीनी मिल घोसी आजमगढ़ के खराब वाहनों की नीलामी की मांग

122—श्री सुबाष—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद में गन्ना सहकारी चीनी मिल, घोसी में अब तक नीलामी करने हेतु कितने खराब वाहन हैं? क्या उसकी नीलामी की शीघ्र व्यवस्था की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

सहकारी चीनी मिल घोसी जनपद मऊ में नीलामी करने हेतु तीन खराब वाहन है।

जी हाँ।

नीलामी की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर शीघ्र नीलामी की व्यवस्था की जायेगी।

ग्राम सरवन परगना मौरावां तहसील पुरवा उन्नाव में कतिपय बागों पर अनियमित ढंग से लगाये गये लगानों में संशोधन की मांग

123—श्री शिवकरन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सरवन, परगना मौरावां, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव में स्थित बाग संख्या 846, 758, 904, 910, 776, 731, 891 तथा 1525 पर अनियमित ढंग से लगाये गये लगान को संशोधित किये जाने के संबंध में दिये गये प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में जिलाधिकारी, उन्नाव ने अपने पत्र संख्या-456/सात-शिकायत जगत मोहन-सरवन/एस टी0 दिनांक 22 फरवरी, 1980 में शासन को सूचित किया था कि मालगुजारी को संशोधित करने के लिए तहसीलदार, पुरवा को आदेश दे दिए गये हैं? यदि हां, तो 9 वर्ष की लम्बी अवधि के समाप्त होने पर भी लगान के संशोधित किये जाने की कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गयी है और इस निष्क्रियता के लिये कौन-कौन अधिकारी तथा कर्मचारी दोषी है?

श्री राम शरण दास—

प्रश्न में उल्लिखित जिलाधिकारी का पत्र दिनाँक 22-2-1980 जनपद

तथा शासन स्तर पर प्रासंगिक अभिलेखों के विनष्ट कर दिये जाने के कारण उपलब्ध नहीं हैं। जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार भौमिक अभिलेखों के परीक्षण के परिणामस्वरूप प्रश्न में उल्लिखित नम्बरों की भूमि पर लगाई गई मालगुजारी में किसी प्रकार के संशोधन का औचित्य नहीं पाया गया। अतः किसी कर्मचारी/अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री एस0 एल0 ए0 एल0 गिल के दिये गये कथित फर्जी चेक का भुगतान

124—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस0 एल0 ए0 एल0 गिल ने एक फिक्स्ड डिपाजिट स्टेट बैंक कोआपरेटिव क्रेडिट थ्रेप्ट सोसाइटी लि0 लालबाग, लखनऊ में कराया था जिसका समय पूरा होने पर दिनांक 27.1.83 को आठ हजार दो सौ एकसठ रूपया एवं चौवन पैसा का चेक संख्या–ए–6–281897 न्यू बैंक आफ इंडियो के नाम दिया गया? यदि हां, तो यह चैक न्यू बैंक आफ इंडिया ने सोसाइटी के खाते में रूपया न होने के कारण वापस कर दिया? यदि हां, तो क्या फर्जी चेक जारी करने के लिए कानून के अंतर्गत कार्यवाही की गई तथा श्री गिल को उनका भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

श्री एस0 एल0 ए0 एल0 गिल द्वारा कोई फिक्स डिपाजिट जमा नहीं किया गया अपितु श्री ए0 एस0 गिल नामक व्यक्ति द्वारा जमा किया गया।

जी हां।

जी नहीं। रूपया न होने के कारण चेक वापस नहीं किया गया अपितु जमाकर्ता द्वारा फिक्स डिपाजिट का नवीनीकरण कराने पर जारी किये गये चेक को निरस्त कर दिया गया।

गाजियाबाद जनपद के सिविल कम्पाउन्ड में वकीलों हेतु चेम्बर बनाने की मांग

125—श्री सुखबीर सिंह गहलौत—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में नई कलेक्ट्रेट के नये सिविल कम्पाउण्ड में **वकीलों** के लिए चेम्बर बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कब तक बन जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

जनपद गाजियाबाद के नये कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड में वकीलों के लिए चैम्बर बनाने हेतु पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बार एसोसिएशन गाजियाबाद का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो शासन के विचाराधीन है। इस विषय में जनपद से वांछित सूचना प्राप्त होने तथा आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण होने के उपरान्त यथोचित आदेश निर्गत किये जायेंगे।

जनपद बरेली को शासन द्वारा पिछड़ा जिला घोषित करने की मांग

126—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जिले में अभी

तक औद्योगिक क्षेत्र में अपेक्षित तरक्की न हो पाने के कारण बरेली को पिछड़ा जिला घोषित करने का निर्णय सरकार ने लिया है? यदि हां, तो बरेली को पिछड़ा जिला कब तक घोषित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शतरूद्र प्रकाश—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रणाली के अनुसार राज्य के आंकड़ों को 100 मानकर जिले के लिये सूचकांक बनाए जाते हैं। यदि किसी जिले के लिये सूचकांक का औसत 100 से काफी कम रहता है तो केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा उस जिले को पिछड़ा हुआ घोषित करने पर विचार किया जाता है। चूंकि अद्यतन उपलब्ध वर्ष 1986-87 के आंकड़ो के आधार पर बरेली जनपद के सूचकांक एवं उनके औसत की संगणना करने पर औसत सूचकांक 90-98 होता है जो 100 से काफी निकट है, इसलिये बरेली को पिछड़ा जिला घोषित करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

127—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

(दि0 19-6-90 को अता0प्र0सं0 128 द्वारा उत्तरित)

जनपद फतेहपुर के ग्राम मेवाली, विकास खण्ड खजुहा में चकबन्दी से ग्राम समाज में निकली जमीन का हरिजनों एवं पिछड़े वर्गों में आवंटन

128—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मेवाली, विकास खण्ड खुजहा, फतेहपुर में कितनी भूमि चकबन्दी से ग्राम समाज में निकली है क्या उक्त भूमि अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों में वितरित कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि ग्राम समाज की भूमि उच्च वर्गों के लोगों को दी गयी हैं? उक्त ग्राम समाज की भूमि पर कौन-कौन लोग नाजायज कब्जा किए है? क्या उक्त भूमि का आंवटन किया जायेगा? यदि हां, तो किनको तथा कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत ग्राम सभा में चकबंदी के पश्चात् निहित भूमि 73-6313 हेक्टेयर है, जिसमें से 4.9140 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है जिसके नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।

गांव सभा की भूमि उच्च वर्ग के लोगों को आवंटित नहीं की गई है।

गांव सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी का अनधिकृत कब्जा नहीं

बलिया-बक्सर व बलिया मऊ के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट बसों को न चलाया जाना

129—श्री राज किशोर सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया बक्सर व बलिया मऊ राष्ट्रीयकृत मार्गों पर पूर्व सरकार ने प्राइवेट बस संचालन हेतु परमिट

दिया है? यदि नहीं, तो उक्त राष्ट्रीय मार्गों पर प्राइवेट बस चलने का क्या कारण है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

बलिया–बक्सर जिसका अधिकांश भाग राष्ट्रीयकृत है तथा बलिया–मऊ जिसका कुछ भाग राष्ट्रीयकृत है पर कुछ प्राइवेट बस मालिकों को एस0टी0ए0 द्वारा परमिट स्वीकृत किया गया था जिसके विरूद्ध राज्य परिवहन अपीलेट ट्रिबुनल में रिवीजन, परिवहन निगम द्वारा दाखिल किया जा चुका है।

बलिया बक्सर राष्ट्रीय मार्ग पर बसों के परमिट के संदर्भ में उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार के बीच हुए समझौते की जानकारी

130—श्री राजकिशोर सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बलिया बक्सर राष्ट्रीय मार्ग जो अन्तर प्रान्तीय मार्ग है पर प्राइवेट बसों को परमिट देने के पूर्व उ0 प्र0 सरकार और बिहार सरकार में कोई आपसी निर्णय हुआ था? यदि हां, तो यह निर्णय क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं। इस मार्ग पर कोई समझौता नहीं है।

लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण चयनित नायब तहसीलदारों के पदों की जानकारी तथा रिक्त पदों में शेष पर नियुक्ति किये जाने की मांग

131—श्री राज किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा वर्ष 1983 में नायब तहसीलदार के 301 पद थे जिसकी परीक्षा वर्ष 1985 में हुयी और साक्षात्कार अगस्त, 1988 में हुआ तथा 301 पद के स्थान पर 306 पदों का चयन हुआ था? यदि हां, तो नियुक्ति के लिये कार्यालय राजस्व परिषद् लखनऊ अनुभाग–3 में कितने पदों के लिये नाम भेजे गये और अभी तक कितने पद रिक्त रह गये हैं? क्या शासन रिक्त पदों के भरने के लिये तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ।

283 पदों की नियुक्ति के लिये नाम भेजे गये तथा 18 पद रिक्त हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना आयुक्त कार्यालय के विरूद्ध तत्कालीन सांसद श्री निर्मल खत्री एवं सदस्य विधान सभा श्री हर्षवर्धन के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

132—श्री राज किशोर सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य जांच (दल)

अधिकारी (द्वितीय) गन्ना आयुक्त कार्यालय लखनऊ के विरूद्ध तत्कालीन संसद सदस्य (लोक सभा) श्री निर्मल खत्री का शिकायती पत्र दिनांक 6-8-89 व तत्कालीन सदस्य विधान सभा श्री हर्षवर्धन का शिकायती-पत्र दिनांक 6-7-89 शासन को प्राप्त हुए है? यदि हां, तो शासन के संज्ञान में आयी शिकायतों पर दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

जी हां।

उल्लिखित बिन्दुओं पर जांच कराई जा रही है। जांच के परिणाम अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

चकबन्दी कार्यालय मैनपुरी में चपरासी नजीर की सेवाकाल में मृत्यु होने के उपरान्त उसकी विधवा के देयों के भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

133—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि नजीर, चपरासी सहायक चकबन्दी अधिकारी कार्यालय मैनपुरी का देहान्त सेवाकाल में ही हो गया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि स्व0 नजीर की विधवा को उनके देयों का भुगतान अनेक प्रार्थना-पत्र देने के बाद भी अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? स्व0 नजीर के देयों का भुगतान उनकी विधवा को कब तक कर दिया जायेगा?

श्री राम शरण दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ0प्र0 लोक सेवा अधिकरण-3 जवाहर भवन लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी में कार्यरत स्व0 श्री अजय सिंह की मृत्यु सेवाकाल में होने से उसकी आश्रिता एकमात्र बहन कु0 निर्मला को नौकरी न दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

134—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि स्व0 श्री अजय सिंह जो उ0 प्र0 लोक सेवा अधिकरण-3 जवाहर भवन, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत थे, की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी आश्रिता एक मात्र बहन कु0 निर्मला ने नौकरी हेतु अपना प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-12-89 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा उन्हें भेजा है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? क्या मुख्य मंत्री जी विशेष परिस्थितियों में नियमों में शिथिलता बरतते हुए मानवीय आधार पर कु0 निर्मला की नियुक्ति का आदेश प्रदान करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

कुमारी निर्मला का कथित प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-12-89 प्राप्त हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

सुसंगत नियमावली के नियम 2 (सी) में मृतक सेवक के परिवार की परिभाषा में प्रार्थिनी के न आने के कारण नियमतः शिथिलता प्रदान करना सम्भव नहीं है।

उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अन्तर्गत उक्त प्रार्थना, नियमतः अनुमन्य न होने के कारण पूर्व में अस्वीकार की जा चुकी थी तथा प्रार्थिनी को तद्नुसार सूचित कर दिया गया था।

जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सुसंगत नियमावली के नियम 2 (सी) में मृतक सेवक के परिवार की परिभाषा में प्रार्थिनी के न आने के कारण नियमतः शिथिलता प्रदान करना संभव नहीं है।

135-श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

(दि0 19-6-90 को अता0प्र0सं0 6 द्वारा उत्तरित)

डिप्लोमा इन कोआपरेटिव मैनेजमेन्ट धारकों की नियुक्ति प्रथम/द्वितीय श्रेणी के अधिकारी/प्रबन्धकीय पदों पर न करने का औचित्य

136—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन की अधिसूचना सं0-4843/12-सी-2-130-1987/लखनऊ/दि0 22-2-89 द्वारा पूर्व में सेवारत **डिप्लोमा इन-कोआपरेटिव मैनेजमेन्ट** धारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रथम/द्वितीय श्रेणी के अधिकारी/प्रबन्धकीय पदों पर सहकारी संस्थाओं में न किए जाने का क्या कारण है जबकि पूर्व में सेवारत डी0 काम0 अभ्यर्थियों को प्रबन्ध प्रशिक्षार्थी पद पर चयन हेतु बुलाया गया था? क्या यह नीति बनाई गई थी कि केवल असेवारत डी0 काम0 धारक अभ्यर्थिओं को ही प्रबन्ध प्रशिक्षार्थी पद पर नियुक्त किया जायेगा? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति न किए जाने का क्या कारण है और इनकी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

शासन की प्रश्नगत अधिसूचना सहकारी समितियों पर ही लागू होती है। वर्ष 1988-89 के सत्र में सहकारी समिति का सेवारत केवल एक अभ्यर्थी श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव ने सहकारी प्रबन्ध में डिप्लोमा प्राप्त किया था। जिसकी तैनाती उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि0, लखनऊ में प्रथम श्रेणी के अधिकारी का कार्य करने हेतु कर दी गई। शासन की अधिसूचना के अनुसार एक वर्ष के सफल व्यवहारिक प्रशिक्षण के उपरान्त ही श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव की प्रथम/द्वितीय श्रेणी के अधिकारी/प्रबन्धकीय पद पर नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विष्णुपुरी कालोनी कुर्सी रोड अलीगंज से, कार्यालय समय में, अतिरिक्त बस चलाने की मांग

137—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि विष्णुपुरी कालोनी, कुर्सी रोड अलीगंज लखनऊ के आस पास आवास विकास परिषद् तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कालोनियों के कर्मचारियों/निवासियों को शासकीय सचिवालय आने जाने के लिए विष्णुपुरी कालोनी से मात्र एक ही नगर बस की व्यवस्था की गयी है, जो अपर्याप्त है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कर्मचारियों की सुविधा हेतु सड़क परिवहन निगम की पर्याप्त सिटी बसें तथा टेम्पो चलाये जाने की व्यवस्था हेतु आदेश कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

विष्णुपुरी कालोनी से कार्यालय समय पर केवल एक बस की व्यवस्था है, परन्तु विकास नगर कालोनी से मार्ग नं0—1 (विकास नगर—अमीनाबाद) वाया लालबाग—हजरतगंज—निशातगंज—महानगर हेतु एक बस द्वारा 17 ट्रिप्स , मार्ग संख्या—44 (स्पोर्टस कालेज—चारबाग) वाया हजरतगंज—निशातगंज—महानगर—विकासनगर—खुर्रमनगर—जानकीपुरम् हेतु 3 बसों द्वारा 52 ट्रिप्स तथा अलीगंज कालोनी से चारबाग वाया विष्णुपुरी कालोनी—संगम चौराहा—रैदास मंदिर—क्लार्क अवध—सचिवालय हेतु एक बस द्वारा 19 ट्रिप्स निर्धारित हैं। इससे स्पष्ट है कि उक्त कालोनियों/निवासियों को परिवहन सुविधायें उपलब्ध हो रही है, जो पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त प्राप्त सूचना के अनुसार नगर के 25 किमी0 की परिधि में स्वीकृत परमिट के आधार पर अधिक संख्या में टैम्पो संचालित किये जा रहे हैं।

जनपद पीलीभीत में नियमित बस सेवा उपलब्ध कराये जाने की मांग

138—श्री रियाज अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पीलीभीत में नागरिकों को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों की नियमित सेवा उपलब्ध कराने हेतु नयी बसें उपलब्ध करायी जायेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

पीलीभीत डिपो में नागरिकों को नियमित बस सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्तमान में 48 बसों का बेड़ा सम्बद्ध है, जिसमें गत वर्ष की तुलना में तीन बसें अधिक है। पीलीभीत डिपो को गत एक वर्ष में 6 नई बसें दी जा चुकी हैं। पीलीभीत डिपो की कार्यशाला एवं स्थल की क्षमता 45 बसों से अधिक न होने के कारण बेड़े में और बढ़ोत्तरी संचालन में सुव्यवस्था की दृष्टि से सम्भव नहीं है।

भूमि अध्याप्ति विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध विधायक श्री भोपाल सिंह के पत्र का दिया जाना

139—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायक श्री भोपाल सिंह का

शिकायती पत्र दिनांक 10 जनवरी, 1990 जो भूमि अध्याप्ति विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच से संबंधित है उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र के विस्तृत तथ्य क्या हैं तथा उसके संबंध में कौन-कौन से व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उसके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

श्री भोपाल सिंह, विधायक का तथाकथित शिकायती पत्र दिनांक 10-1-1990 का प्राप्त होना नहीं पाया जाता। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जिला मुरादाबाद के ग्राम वामीगरान के काश्तकारों की अर्जित भूमि का पूर्ण मुआवजा दिये जाने की शासन से मांग

140—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा ग्राम वामीगरान मुरादाबाद के काश्तकारों की अर्जित भूमि का एक सप्ताह में पूर्ण मुआवजा देने के आदेश पत्र संख्या 1739/1-1389 रा0 13 दिनांक 30 जून, 1989 द्वारा दिए गए हैं? यदि हां, तो अब तक पूर्ण मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

जी नहीं। निर्गम रजिस्टर के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश का जारी होना नहीं पाया जाता। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के राम सनेही ग्राम परसहर तहसील नरैनी में अवैध भूमि के पट्टों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

141—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 7-3-1990 का पत्र श्री राम सनेही ग्राम परसहर तहसील नरैनी जनपद बांदा के पत्र के साथ अवैध भूमि के पट्टों के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या इन अवैध भूमि के पट्टों की जांच राजस्व बोर्ड के किसी उच्च अधिकारी से करायी जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अपात्र लोगों के भूमि के पट्टे निरस्त करके पात्र लोगों को दिये जायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ।

ग्राम परसहर की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिनांक 27-4-87 को 124 व्यक्तियों के लिये कृषि भूमि के पट्टों का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 21 व्यक्तियों को अपात्र पाया गया। शेष 103 व्यक्तियों के पट्टे परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 10-1-89 को स्वीकृत किये गये। पुनः भूमि प्रबन्धक समिति परसहर द्वारा 77 व्यक्तियों को कृषि भूमि के पट्टे देने का प्रस्ताव 14-9-89 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव अवैधानिक पाये जाने के कारण परगनाधिकारी के

आदेश दिनांक 20-3-90 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पात्रता के आधार पर कृषि योग्य भूमि के पट्टों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भूमि प्रबन्धक समिति को निर्देशित कर दिया गया है। ऐसी दशा में किसी उच्च अधिकारी द्वारा जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम सभा खेड़ारठ में स्थित साधन सहकारी समिति व सहकारी संघ द्वारा ग्रामीण अंचलों को उपलब्ध करायी गई आवश्यक खाद्य सामग्री

142—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र जैतीपुर की ग्राम सभा खेड़ा रठ में स्थित साधन सहकारी समिति व सहकारी संघ ने 1-6-89 से आज तक आवश्यक वस्तुयें चीनी मिट्टी का तेल कपड़ा आदि ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं कराया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

विकास क्षेत्र जैतीपुर की साधन सहकारी समिति खेड़ारठ द्वारा 11612.30 पैसे की चीनी कपड़ा आदि का वितरण जून 89 व जुलाई 89 में किया गया तथापि अप्रैल 90 से समिति नियंत्रित के बजाय अन्य उप0 वस्तुओं का वितरण कर रही है। जहाँ तक ग्राम सभा खेडारठ में स्थित सहकारी संघ खेड़ा बछेड़ा द्वारा आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने का प्रश्न है यह संघ इस कार्य को न पहिले करता था और न अब कर रहा है।

उत्तर प्रदेश शासन के खाद्य एवं रसद विभाग-6 के शासनादेश संख्या 5935/29-खा0-6=9(34)/89 दिनांक 21-7-89 में जनपद शाहजहांपुर में आवश्यक वस्तुएँ (चीनी, मिट्टी का तेल) के वितरण हेतु दुकानों का आवंटन ग्राम सभा की संस्तुति पर कराने का प्राविधान है। इसके अन्तर्गत विकास क्षेत्र जैतीपुर की ग्राम सभा खेड़ारठ में स्थित साधन सहकारी समिति खेड़ारठ से चीनी, मिट्टी का तेल के वितरण का कार्य हटा दिया गया। परिणामतः समिति द्वारा राशन की वस्तुओं के वितरण का कार्य बन्द हो गया और अब समिति केवल अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण का कार्य कर रही है।

ग्राम हसनपुर, तहसील सगड़ी, आजमगढ़ में गन्ने के खेत में लगी आग की क्षतिपूर्ति की मांग

143—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हसनपुर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ में 10 दिसम्बर, 89 को गन्ने के खेत में आग लगने से किन-किन किसानों की कितनी-कितनी क्षति हुई? क्या इससे सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 जनवरी, 90 परगनाधिकारी सगड़ी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो प्रभावित किसानों को क्या राहत दी गयी है?

श्री राम शरण दास—

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम हसनपुर में दिनांक 10 दिसम्बर, 1989 को श्री फूलचन्द पुत्र श्री शिवजोर तथा श्री विजय भान पुत्र

श्री देवकी कृषकों के गन्ने की फसल में लगी आग से उन्हें अलग-अलग क्रमशः रू0 1000/= तथा रू0 700/= की अनुमानित क्षति हुई।

उक्त विषयक माननीय विधायक का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें वर्णित आग की घटना की जाँच करायी गयी। जाँचोपरान्त प्रभावित व्यक्ति नियमानुसार सहायता हेतु पात्र नहीं पाये गये। फलस्वरूप कोई राहत नहीं दी गई।

सहकारी चीनी मिल घोसी में डिस्टीलरी का कारखाना लगाने की कार्यवाही

144—श्री सुबास—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद में गन्ना सहकारी चीनी मिल घोसी में डिस्टीलरी का कारखाना स्वीकृत है? यदि हां, तो उसके निर्माण कार्य की व्यवस्था कब तक की जायेगी?

श्री राम शरण दास—

जी हाँ। इस आसवनी का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

पर्यटन स्थल कुशीनगर (देवरिया) के विकास की योजना

145—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया स्थित अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन-केन्द्र कुशीनगर के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कुशीनगर में वर्ष 1982-83 में इन्डो-होक्के होटल का शिलान्यास हुआ था? यदि हां, तो निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद देवरिया में स्थित पर्यटन केन्द्र कुशीनगर के विकास के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा कुशीनगर में पर्यटक आवास गृह तथा बौद्ध संग्रहालय के निर्माण की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती मीना देवी ग्राम बहेडआ रामपुर, जौनपुर के जमीन के फर्जी बैनामा कराने विषयक शिकायती पत्र पर कार्यवाही

146—श्री बसन्त लाल गुप्ता—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक 5-12-86 को श्रीमती मीना देवी उर्फ मीना कुमारी ग्राम-बहेडआ थाना रामपुर जिला जौनपुर का जिनका वर्तमान पता जयभारत ट्रेडर्स-62 सुभाष मार्ग लखनऊ है कोई पत्र जो उनकी जमीन का फर्जी बैनामा बबऊं प्रसाद यादव द्वारा करा लिए जाने के बारे में है, मिला है? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य पाये गए तथा फर्जी बैनामा करने व कराने वालों के विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

प्रश्नगत पत्र दिनांक 5-12-86 का प्राप्त होना नहीं पाया जाता । इस विषय में जनपद स्तर पर प्राप्त शिकायत की जांच कराई गई जिससे विदित

हुआ कि तथाकथित फर्जी बैनामें को निरस्त कराने के संबंध में पक्षों के बीच विवाद दीवानी न्यायालय में तथा दाखिल खारिज का वाद राजस्व परिषद् में विचाराधीन है, अतस्व अन्य कोई कार्यवाही संभव नहीं है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत लोगों को भवन/प्लाट उपलब्ध कराने की अवधि की जानकारी की मांग

147—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवनों/प्लाटों के आवंटन हेतु पंजीकृत लोगों को अपनी स्थिति जानने का क्या तरीका है? कब तक के पंजीकृत लोगों को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भवन/प्लाट उपलब्ध कराये जा चुके हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव—

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों के आवंटन के समय पंजीकृत व्यक्तियों को निर्धारित समय पर आवंटन की सूचना प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों द्वारा दी जाती है। भवनों/भूखण्डों का आवंटन लाटरी पद्धति द्वारा किया जाता है तथा समस्त आवंटियों को पंजीकृत डाक द्वारा भी सूचित किया जाता है। अन्य आवेदकों को उनके द्वारा सम्पर्क किये जाने पर प्राधिकरण कार्यालय द्वारा वांछित जानकारी दी जाती है।

भवनों/भूखण्डों के संबंध में पंजीकरण का कार्य वर्ष 1971 में प्रारम्भ हुआ, जब प्राधिकरण की स्थापना नहीं हुई थी। उस समय लखनऊ नगर महापालिका का विकास विभाग यह कार्य करता था। सर्वप्रथम लाटरी वर्ष 1973 में निकाली गई जो अलीगंज योजना के संबंध में थी। इसके बाद प्राधिकरण द्वारा विभिन्न वर्षों में विभिन्न योजनायें खोली गई, पंजीकरण हुये एवं आवंटन किया गया। लगभग सभी योजनाओं के कुछ न कुछ पंजीकृत व्यक्ति अभी भी आवंटन हेतु शेष हैं जिन्होंने या तो अपनी धनराशि वापस ले ली है या वे अधिकांशतः अन्य योजनाओं में सम्मिलित हो चुके हैं। वर्ष 1988 में खोली गयी शारदा नगर तथा जानकीपुरम् योजनाओं के पंजीकृत आवेदकों के मध्य भी लाटरी डाली जा चुकी है और उनमें सफल आवेदकों को भवनों/भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील भू0पू0 विधायक कानपुर द्वारा अपने कारावास के समय की सर्टिफिकेट का प्रस्तुतीकरण

148—श्री मोती लाल देहलवी—

विधान सभा द्वितीय सत्र 1988 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 69 व प्रथम सत्र 1988 के पांचवे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 164 के उत्तरों के संदर्भ में क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या भू0 पू0 विधायक श्री हनुमान प्रसाद कुरील ने अपने कारावासीय दण्ड का प्रमाण पत्र पाने के लिए आदर्श कारागार लखनऊ व संबंधित न्यायालय में अपना कोई आवेदन पत्र नहीं दिया था? यदि हां, तो जिला अधिकारी कानपुर देहात के हाथ में उक्त प्रमाण पत्र कैसे पहुंच गया? इसी संदर्भ में मंत्री जी क्या कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त दोनों प्रश्नों के उत्तरों में विरोधाभास को देखते हुये क्या सरकार ने

श्री कुरील की पेंशन बन्द करके उनके विरूद्ध आई0 पी0 सी0 धारा 420 का मुकदमा कायम कराया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शतरूद्र प्रकाश—

जी हाँ।

उक्त प्रमाण पत्र श्री हनुमान प्रसाद कुरील के द्वारा जिला अधिकारी कानपुर देहात के यहाँ प्रस्तुत किया गया था।

जी नहीं, विरोधाभास का प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद जनपद में कतिपय वर्षों में बिक्रीकर विभाग में लिपिकों की नियुक्ति

149—श्री जयराज गौतम—

विधान सभा के प्रथम सत्र 89 के 5 वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्री कर इलाहाबाद परिक्षेत्र में वर्ष 1988 में लिपिक पद पर कितनी नियुक्तियां की गयी? उक्त नियुक्तियों का क्या स्वरूप था तथा चयन की क्या प्रक्रिया अपनायी गयी? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चयन हेतु क्या चयन समिति गठित की गयी? यदि हां, तो चयन समिति के कौन-कौन सदस्य हैं? क्या यह सही है कि उक्त नियुक्तियां तदर्थ स्वरूप की हैं? यदि हां, तो तदर्थ नियुक्ति पर शासन द्वारा लगी रोक के बावजूद ऐसी नियुक्तियां करने के दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वर्ष 1988 में इलाहाबाद परिक्षेत्र में कुल 8 लिपिक के पदों पर नियुक्तियाँ की गयी।

उक्त नियुक्तियों का स्वरूप नियमित चयन था तथा 8 नियुक्तियों में से 7 नियुक्तियां लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (प्रथम संशोधन) नियमावली 1986 से संबंधित शासनादेश सं0 20/7/1986-कार्मिक-2 दिनांक 8.9.86 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गयी। एक नियुक्ति मृतक सरकारी कर्मचारी आश्रित भर्ती नियमावली 1974 के अंतर्गत की गयी है।

जी हां।

इलाहाबाद एवं झांसी क्षेत्र को मिलाकर इलाहाबाद परिक्षेत्र के अंतर्गत लिपिकीय पदों पर नियुक्तियां की गयी। इनमें से एक पद पर मृतक आश्रित भर्ती नियमावली 1974 के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान की गयी। शेष 7 लिपिकीय पदों पर नियुक्तियों की चयन समिति का विवरण निम्नवत् है:-

इलाहाबाद क्षेत्र में माह अगस्त, 1988 में की गयी 2 नियुक्तियों हेतु गठित चयन समिति:-

(1) सहायक आयुक्त (शासकीय) बिक्रीकर, इलाहाबाद-नियुक्ति प्राधिकारी।

(2) अपर परगनाधिकारी, चायल, इलाहाबाद-सदस्य।

(3) बिक्रीकर अधिकारी, इलाहाबाद-सदस्य।

माह दिसम्बर, 1988 में इलाहाबाद क्षेत्र में की गयी तीन नियुक्तियों की चयन समिति:-

(1) स0आ0शा0 (बि0क0), इलाहाबाद-नियुक्ति प्राधिकारी।

(2) अपर परगनाधिकारी चायल, इलाहाबाद-सदस्य।

(3) बिक्रीकर अधिकारी प्रतापगढ़-सदस्य।

(4) बिक्रीकर अधिकारी-सदस्य।

झांसी क्षेत्र के लिए की गयी दो लिपिकीय पदों पर नियुक्तियों की चयन समिति:-

(1) स0आ0 (शा0) बिक्रीकर झांसी नियुक्ति प्राधिकारी।

(2) स0आ0 (चे0पो0/स0द0 (बिक्रीकर) झांसी-सदस्य।

(3) ब्रिकीकर अधिकारी श्रेणी-2 जांच चौकी मसौरा (ललितपुर) सदस्य।

(4) सेवायोजना अधिकारी झांसी-सदस्य।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दून बैल्ली आफिसर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि0 देहरादून द्वारा श्री शिवदत्त पसबोला को आवंटित प्लाट

150—श्री जयराज गौतम—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 89 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 सं0-170 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव दत्त पसबोला की भांति अन्य सदस्यों में भी सदस्यता वापस लेने का अनुरोध किया गया था? यदि नहीं, तो श्री पसबोला से ही उक्त अनुरोध किये जाने का क्या औचित्य है? क्या यह सही है कि श्री पसबोला को आज तक प्लाट आंवटित नहीं किया गया है जबकि उनके बाद सदस्यता लेने वाले सदस्यों को प्लाट आंटित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो श्री पसबोला को कब तक प्लाट आवंटित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सहकारी आवास समितियों द्वारा अपने सदस्यों को स्वयं भूखण्ड आवंटित किये जाते है तथा अपने सदस्यों से संबंधित विषयों पर पत्राचार किया जाता है तथापि यह प्रकरण आवास आयुक्त/निबन्धक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को संदर्भित कर दिया गया है।

151-डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी—

(4थे सोम में अता0प्र0सं0 188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

हरैया तथा अजमतगढ़ ब्लाक आजमगढ़ में बाढ़ के कारण हुई क्षति का विवरण

152—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ को हरैया

तथा अजमतगढ़ ब्लाक में घाघरा नदी की बाढ़ के कारण वर्ष 1989 में कितनी क्षति हुई है तथा प्रभावित लोगों को क्या राहत दी गयी है?

श्री राम शरण दास—

वर्ष 1989 में जनपद आजमगढ़ के हरैया ब्लाक के 44 ग्राम तथा अजमतगढ़ ब्लाक के 3 ग्राम घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित हुये। ब्लाक हरैया के ग्रामों में बाढ़ से खरीफ फसलों की 50% से अधिक की क्षति हुई तथा कटान से 66 मकान पूर्ण रूप से कट कर घाघरा नदी में विलीन हो गये। बाढ़ से 2 मनुष्यों के जीवन की भी क्षति हुई। ब्लाक अजमतगढ़ के प्रभावित ग्रामों में खरीफ फसलों की 50% से कम की क्षति हुई। राहत कार्य के रूप में 66 परिवारों को जिनके मकान कटाव से घाघरा नदी में पूर्णरूप से विलीन हो गये थे, को 66000.00 रू0 गृह अनुदान तथा 2 मृतक व्यक्तियों के परिवारवालों को अनुग्रह अनुदान के रूप में रू0 10,000/- वितरित किया गया है। फसलों की क्षति के लिए प्रभावित कृषकों की खरीफ की मुख्य देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी थी।

श्री राम रेखा दुबे, ग्राम नरथुआ, पो0 औराई, ज्ञानपुर वाराणसी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन की मांग

153—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री राम रेखा दुबे ग्राम-नरथुआ, पो0 औराई, तहसील ज्ञानपुर जनपद वाराणसी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेन्शन स्वीकार करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के दिनांक 8-2-90 के पत्र के साथ उपर्युक्त श्री राम रेखा के आवेदन-पत्र तथा अन्य कागजात सरकार को मिले है? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है? श्री रामरेखा को कब तक उक्त पेंशन स्वीकार कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शतरूद्र प्रकाश—

जी हाँ।

श्री राम रेखा दुबे से अनुरोध किया गया है कि वे स्वतंत्रता संग्राम से सम्बन्धित अपनी यातनाओं की पुष्टि में सरकारी अभिलेखों पर आधारित प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजें, जिनके प्राप्त होने पर उनके मामले में विचार किया जा सकेगा।

केन्द्रीय कारागार द्वारा बंदियो के सजा में दी गयी छूट का विवरण

154—श्री राम किशोर सिंह—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय कारागारों में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे बंदियो को रिहाई में वर्ष 1972 से अब तक कोई छूट दी गई है? यदि हां, तो प्रत्येक केन्द्रीय कारागार में आजीवन कारावास के कितने बंदियों को रिहाई में लाभ प्राप्त हुआ है? क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय कारागारों के बंदियों द्वारा मर्सी अपील की गयी है? यदि हां, तो विचाराधीन मर्सी अपील के बंदियों को कब तक रिहा कर दिया जायेगा?

श्री शतरूद्र प्रकाश—

उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय कारागारों में आजीवन कारावास की सजा भुगत

रहे बन्दियों को समय-समय पर छूट दी गयी है जिसके फलस्वरूप वर्ष 1972 में 3556 बन्दियों की, वर्ष 1989 में 191 बन्दियों की तथा वर्ष 1990 में 170 बन्दियों की निहित शर्तों के अन्तर्गत रिहाई की गयी है। प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरूद्ध बन्दियों से बराबर दया याचिकाएँ प्राप्त होती रहती हैं जिनका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर शासन द्वारा किया जाता है।

उ0प्र0 सरकार द्वारा नई चीनी मिल्स लगाये जाने के प्रस्ताव की जानकारी

155--श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

क्या गन्ना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार के सम्मुख कितनी नई चीनी मिलों का लगाया जाना विचाराधीन है? उनमें से कितनी चीनी मिले कुमाऊँ मण्डल में तथा कितनी बरेली मण्डल में लगनी प्रस्तावित है? वर्तमान सत्र में कितनी चीनी मिलें खराब होने के कारण नहीं चली और इनके न चलने का क्या कारण है? शासन द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री राम शरण दास--

इस समय प्रदेश में 34 स्थानों पर नई मिलें लगाने का प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

कुमाऊँ मण्डल में किसी नई चीनी मिल लगाने पर विचार नहीं हो रहा है। बरेली मण्डल में 3 स्थलों पर मिल लगाये जाने के विषाय में परीक्षण किया जा रहा है।

प्रदेश में ऐसी कोई चीनी मिल नहीं है जो वर्तमान सत्र में खराब होने के कारण नहीं चली। चीनी निगम की इकाई सिसवाबाजार को वर्तमान सत्र में क्षमता विस्तार के कार्य करने के लिये बन्द रखना पड़ा।

ग्राम सभा सिखाडी जनपद टिहरी गढ़वाल में आये भूस्खलन के कारण ग्राम का अन्यत्र पुनर्वासिन किये जाने की जानकारी

156--श्री मंत्री प्रसाद नैथानी--

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि 17 जुलाई, 1986 को ग्राम सभा सिखाडी विकास खण्ड जखोली टिहरी गढ़वाल में जो भूस्खलन हुआ था, उसमें 13 व्यक्तियों की मृत्यु तथा गांव के अधिकांश पशु तथा अपार जनधन की हानि हुई थी? क्या उक्त गांव के अन्यत्र पुनर्वासित होने की अधिकांश कागजी कार्यवाही होने के बावजूद आज तक गांव का अन्यत्र पुनर्वास नहीं हो पाया है और न ही गांव वासियों को उचित मुआवजा व अन्य सुविधायें प्रदान की गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम शरण दास--

जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम सिरवाड़ी विकास खण्ड जखोली में दिनांक 16/17 जुलाई 1986 की रात्रि को अतिवृष्टि एवं मेघ विस्फोट के फलस्वरूप गाँव के ऊपर स्थित पहाड़ी के चट्टान खिसकने व भारी मात्रा में भूस्खलन होने के कारण गाँव के 128 परिवार प्रभावित हुये। 13 व्यक्तियों की जानें गई व 37 पशु मलवे में दबकर मर गये। ग्रामवासियों की लगभग साढ़े 14 एकड़ कृषि भूमि एवं फसलों को भी क्षति पहुँची।

प्रभावित परिवारों को राहत की विभिन्न मदों में निम्न धनराशियाँ वितरित की गयी हैं–

1. 106 परिवारों को गृह अनुदान	रू0	1,06,000/=
2. **अनुग्रह अनुदान:–**		
(क) मनुष्य हानि पर	रू0	35,000/=
(ख) पशु हानि पर	रू0	8,000/=
3. अहेतुक सहायता	रू0	44,500/=
4. नि:शुल्क वस्त्र	रू0	7,416/=
5. नि:शुल्क खाद्यान्न	रू0	1,135/=
6. कम्बलों की संख्या– 38		
7. प्रधान मंत्री सहायता कोष से स्वीकृत धनराशि:–		
(क) 7 मृतक के परिवारों को	रू0	250/=
प्रति परिवार की दर से	रू0	17,500/=
(ख) 126 प्रभावित परिवारों को	रू0	250/=
प्रति परिवार की दर से	रू0	31,500/=

इस आपदा से 128 प्रभावित परिवारों में से 19 परिवारों को निर्बल आय वर्ग आवास योजना के अधीन पुनर्वासित किया जा चुका है। दो परिवारों में कोई सदस्य नहीं बचा, एक परिवार स्थायी रूप से अन्यत्र बस गया है। शेष 106 परिवारों के पुनर्वासन हेतु 64 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी, क्योंकि इनके पास 64 हेक्टेयर भूमि ही भूमिधरी की थी। यह 64 हेक्टेयर भूमि टिहरी गढ़वाल में उपलब्ध न होने के कारण 33–20 हेक्टेयर वन भूमि वन प्रभाग बिजनौर में व 30 हेक्टेयर वन भूमि शिवालिक वन प्रभाग, पथरी रेंज हरिद्वार में उपलब्ध कराने की अनुमति वन विभाग द्वारा दी गई। गाँववासियों से विचार विमर्श किया गया। गाँव के प्रतिनिधियों ने जनपद बिजनौर में बसने में अपनी असहमति प्रकट की व एक ही स्थान पर बसने की इच्छा व्यक्त की। अत: जनपद स्तर पर निश्चय किया गया कि 56 परिवारों को, जिन्हें सर्वाधिक खतरा है, को शिवालिक वन प्रभाग, पथरी ब्लाक हरिद्वार में चयनित 30 हेक्टेयर वन भूमि में पुनर्वासित किया जाय। तदनुसार वन भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव व संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत तैयार कर नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, उत्तर प्रदेश को भेजे गये हैं।

दि इन्डियन रेयान कार्पोरेशन लि0 मुर्धवा सोनभद्र द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

157—श्री विजय सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ग्राम मुर्धवा में दि इन्डियन रेयान कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राम समाज की कितनी भूमि अर्जित की गयी है तथा उस भूमि का कितना मुआवजा कब भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

158—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

(दि0 6-3-90 को अता0प्र0सं0 2 द्वारा उत्तरित)

जनपद बाँदा के राजापुर मानिकपुर रोड पर परिवहन निगम की बसें चलाने की मांग

159—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बाँदा जनपद में राजापुर से मानिकपुर तक सीधी पुख्ता डामर रोड पर क्षेत्र के निवासियों को यातायात सुविधा देने की दृष्टि से परिवहन निगम की बसें चलाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो यह सेवा कब तक शुरू हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रस्तावित मार्ग 40 किमी0 लम्बा है। इसमें मानिकपुर से सरैया तक 10 किमी0 राष्ट्रीयकृत तथा शेष नवनिर्मित अराष्ट्रीयकृत मार्ग है। मार्ग का सर्वे कराया जा चुका है। क्षेत्र के निवासियों को यातायात सुविधा देने हेतु परमिट प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

परमिट प्राप्त होने पर संचालन आरम्भ करना संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

160—श्री ऊदल—

(5वें शुक्र में अता0प्र0सं0 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

विकास प्राधिकरण झांसी को अब तक आवंटित और व्यय की गयी धनराशि का विवरण

161—श्री रवीन्द्र शुक्ल—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी विकास प्राधिकरण को विकास योजनाओं के लिए प्राधिकरण की स्थापना से अब तक कितना धन आंवटित किया गया? आंवटित धन से प्राधिकरण द्वारा क्या-क्या विकास कार्य कराये गये?

श्री मुलायम सिंह यादव—

झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी को विकास योजनाओं के लिए अब तक रू0 59, 81, 400.00 की धनराशि। आवंटित की गई है। इसमें से रू0 45.00 लाख आधारिक पूंजी ऋण के रूप में योजनाओं की भूमि अधिग्रहण हेतु आवंटित की गई थी। झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी द्वारा इस आंवटित धनराशि से लगभग 45 एकड़ भूमि बिछोरआवासीय योजना के लिए अधिग्रहीत कर प्राधिकरण के पक्ष में कब्जा प्राप्त किया गया तथा योजना की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर के लिए विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी झांसी को उक्त रू0 45.00 लाख की धनराशि भुगतान की गई।

प्राधिकरण को आंवटित हुई उपरोक्त धनराशि के तहत रू0 10,00 लाख की धनराशि झांसी दुर्ग सौन्दर्यीकरण योजना के लिए आवंटित हुई। झांसी दुर्ग सौन्दर्यीकरण योजना के अन्तर्गत एस0पी0आई0 इण्टर कालेज के सामने से झांसी किले के मुख्य द्वार तक जाने वाले मार्ग तथा दूसरी ओर न्यू रोड बस स्टैण्ड तक जाने वाले मार्ग को दो-दो मीटर चौड़ा एवं सुदृण कराये जाने के कार्य पर रू0 9.00 लाख व्यय किया तथा दुर्ग सौन्दर्यीकरण क्षेत्र का फैंसिंग कार्य कराये जाने में रू0 36,688,00 व्यय किए जाने के पश्चात रू0 63,311/ की धनराशि इस मद में अवशेष है। शासन से इस योजना की दूसरी किश्त की अवमुक्त धनांक प्राप्त होने पर इस अवशेष धनराशि सहित अन्य प्रस्तावित कार्यों के लिए उपयोग किया जायेगा क्योंकि अवशेष धनराशि अन्य प्रस्तावित कार्यों के लिए पर्याप्त नहीं है।

प्राधिकरण को आवंटित हुई उपरोक्त कुल रू0 59,81,400/- धनांक के अन्तर्गत रू0 4,81,400/= की धनराशि ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय योजना के 52 भवनों के निर्माण के लिए आवंटित की गई है। प्राधिकरण द्वारा तालपुरा आवासीय योजना के अन्तर्गत समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवास हेतु 52 भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है।

सी ब्लाक इन्दिरा नगर लखनऊ के भवन कर की वसूली

162—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इंदिरा नगर, लखनऊ के (सी) ब्लाक में भूतनाथ मार्केट के निकट अनेक भवन स्वामियों ने अपने-अपने भवनों में दुकानों का निर्माण करा लिया है और वह व्यवसायिक दर पर भवन-कर अदा कर रहे है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ऐसे भवन स्वामियों की दुकानों को नियमित करने के आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हाँ, भवनकर नगर महापालिका द्वारा वसूल किया जाता है और उन्होंने व्यवसायिक भवनों हेतु कोई अलग से भवन कर की दर निर्धारित नहीं की है और न ही नियमों में इसका कोई उल्लेख है।

ऐसे भवन स्वामियों की दुकानों को नियमित करने के प्रकरण पर आवास एवं विकास परिषद स्तर पर एक समिति गठित है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्रों में प्रशासनिक इकाइयों को छोटा बनाने की योजना

163—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के भौगोलिक आकार एव विषम परिस्थितियों को देखते हुए वहां ग्राम सभाओं, विकास खण्डों, तहसीलों एवं जिलों को छोटा बनाने तथा इनके पुनर्गठन पर शासन विचार कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम शरण दास—

जिला प्रशासन में दक्षता लाने उसे अधिक प्रभावी बनाने तथा जनता की सुविधा के दृष्टिकोण से प्रदेश के बड़े मंडलों के विभाजन एवं बड़े क्षेत्रफल वाले अधिक जनसंख्या एवं औद्योगिक विकास वाले जिलों के विभाजन तथा प्रदेश में नई तहसीलों के सृजन पर विचार कर संस्तुति देने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की

संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त तथा दिनांक 30 जून, 1991 तक वर्तमान जनगणना के कार्य के समाप्ति के पश्चात ही शासन द्वारा यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा। 30 जून, 1991 तक जनगणना के कारण प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन एवं प्रशासनिक इकाईयों का पुर्नगठन भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है।

164—डा0 दिनेश जौहरी—

(4थे मंगल में अता0प्र0सं0-183 के अन्तर्गत स्थानान्तारित)

जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा नजूल की जमीन की नीलामी में अनियमितता किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

165—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा नजूल भूमि नीलामी में की गयी अनियमितताओं की जांच सम्बन्धी मुख्य मंत्री कार्यालय से प्रेषित पत्रांक सी एम (वि0 को0 एम-1-व/35-31/89, दिनांक 1-1-90 जो सचिव, नगर विकास को भेजा गया है, पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्रांक सी एम (वि0 को0) एम-1-व/35-31/89 दिनांक 1-1-90 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

जनपद बाराबंकी, इन्कम्वर्ड इस्टेट एक्ट 1934 के अन्तर्गत विचाराधीन वादों की संख्या

166—श्री शिवकरन सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बाराबंकी जनपद में कितने वाद इन्कम्वर्ड इस्टेट एक्ट 1934 के विचाराधीन हैं? इन वादो का निस्तारण कब तक हो जायेगा?

श्री राम शरण दास—

इन्कम्वर्ड इस्टेट एक्ट 1934 के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में पांच वाद विचाराधीन है। उक्त वादो को शीघ्र निस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है।

मोहन मीकिन एवं कपिल मोहन फैक्ट्री के कर्मचारियों हेतु आवास की सुविधा

167—श्री शारदा प्रताप शुक्ल—

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि मोहन मीकिन एवं कपिल मोहन फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए एक आवास संघ की स्थापना की गयी थी तथा इस आवास संघ का उद्देश्य फैक्ट्री में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को सस्ते दर पर प्लाट उपलब्ध कराना था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नियमों का पालन न कर विभाग के बाहर के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्लाट उपलब्ध कराये गये ? यदि हां, तो क्या इस सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के आवास आयुक्त पदेन निबन्धक सहकारी आवास समितिया भी हैं, और उनके द्वारा प्रश्न में उल्लिखित आवास संघ का निबन्धन नहीं किया गया है अपितु मोहन नगर कर्मचारी

सहकारी आवास समिति लि0 गाजियाबाद का निबन्धन संख्या-635 पर दिनांक 8-4-82 को किया गया था। उक्त सहकारी आवास समिति की निबन्धित उप-विधियों के अनुसार कोई भी पात्र व्यक्ति समिति का सदस्य बन सकता है और उसका मोहन मीकिंग एवं कपिल मोहन फैक्ट्री का कर्मचारी होना आवश्यक नहीं है। फैक्ट्री के कर्मचारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को समिति का सदस्य बनाना उपविधियों के प्राविधानों के विरूद्ध नहीं है। वर्णित परिस्थितियों में जांच का प्रश्न नहीं उठता है।

168-श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

(4थे बुध में अता0प्र0सं0 159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

आगरा पश्चिम क्षेत्र में गन्दे पानी की निकासी योजना

169—श्री किशन गोपाल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31-12-89 को मंत्री जी के आगरा पश्चिम अनुसूचित क्षेत्र के दौरे के बाद आगरा पश्चिम क्षेत्र से गन्दे पानी की निकासी हेतु कोई योजना तैयार की गयी है? यदि हां, तो उस पर कब से कार्य शुरू होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

दिनांक 31-12-89 के पश्चात आगरा पश्चिम क्षेत्र से गन्दे पानी की निकासी की नहीं, वरन् पश्चिमी क्षेत्र के संबंध में एक योजना मलिन बस्ती कार्यांश के अन्तर्गत प्राप्त हुई है जिसका परिक्षण किया जा रहा है। परिक्षणोपरान्त ही इस योजना के संबंध में यथा विधि यथोचित कार्यवाही संभव होगी।

फर्रूखाबाद के होम गार्ड्स कर्मचारियों को बाढ़ ड्यूटी का भुगतान

170—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रूखाबाद के होम गार्ड्स के कर्मचारियों को वर्ष 1986 एवं 1988 को बाढ़ ड्यूटी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है और उन्हें कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? क्या देरी के लिए दोषी अधिकारी के विरूद्ध सरकार कार्यवाही करेगी?

श्री शतरूद्र प्रकाश—

शासनादेश, दिनांक 27-7-81 के अनुसार बाढ़ ड्यूटी पर लगाए गए होमगार्डों को ड्यूटी भत्ते का भुगतान राजस्व विभाग द्वारा "विशेष सहायता" मद में किया जाना था, किन्तु जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद को सम्बोधित राजस्व विभाग के पत्र, दिनांक 19-7-89 के अनुसार भुगतान के लिए अपेक्षित धनराशि आवन्टित न करने के कारण भुगतान न किया जा सका। (उपर्युक्त शासनादेशों में विरोधाभास होने के कारण विलम्ब हुआ है) अब राजस्व विभाग के शासनादेश, दिनांक 23-6-90 द्वारा जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद को 1,11,907 रूपए आवंटित कर भुगतान के आदेश दे दिए गए हैं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना—

मान्यवर, कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आगरा के प्रकरण के सम्बन्ध में कहा था कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी आ जायेंगे, तो वह पूर्ण प्रकाश डालेंगे। आज माननीय मुख्य मंत्री जी आ गये हैं, तो मैं चाहता हूं कि पहले माननीय मुख्य मंत्री जी आगरा के प्रकरण पर प्रकाश डाल दें। मैंने कल यह बात कही थी, लेकिन कार्यवाही में कहीं पर अंकित नहीं है।

(संसदीय कार्य मंत्री जी के खड़े होने पर)

(इस समय 12 बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

श्री कल्यान सिंह—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के बोलने के पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। कल इसी सदन में आगरा में घटित दुर्घटना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।...

श्री अध्यक्ष—

मेरा कहना था कि पहले नियम 301 की सूचनायें पढ़ दें, फिर इसको लें।

श्री कल्यान सिंह—

बात प्रारम्भ हो गयी, इसलिये मैं खड़ा हो गया हूँ।

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 26 जून, 1990 को सदन में संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत 31 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये...7 सूचनायें स्वीकार की गयी हैं। पहली सूचना श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की जनपद बांदा की नरैनी तहसील में सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में है, दूसरी श्री राम लखन वर्मा की फैजाबाद जनपद के नगरीय क्षेत्रों के पेयजल संकट के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री खुर्शीद अहमद की जनपद गाजीपुर के थाना कासिमाबाद के ग्राम सवना में हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री पंचानन राय की उत्तर प्रदेश श्रम जीवी पत्रकार संघ की आजमगढ़ शाखा के अध्यक्ष को मुबारकपुर पुलिस द्वारा खतरे के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री नकली सिंह की जनपद बांदा में इंदिरा आवास योजना हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है, 6ठी सूचना श्री सुन्दर लाल की बाराबंकी जनपद की हैदरगढ़ तहसील में शारदा सहायक परियोजना द्वारा जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है और 7 वीं सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की बाराबंकी नगर में मादक द्रव्यों की अवैध बिक्री से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। शेष सभी सूचनायें अस्वीकार की गयी हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना गया)

जनपद बांदा के तहसील नरैनी में सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

(जनपद बांदा के ब्लाक नरैनी में सिंचाई सुविधा की व्यवस्था न होने के

नोट:— ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारण पूरे ब्लाक के निवासियों में असंतोष एवं रोष की लहर व्याप्त है ब्लाक के अन्तर्गत रंज एवं वागे नदी मध्य के गांव कालिन्जर क्षेत्र के गांव सढ़ा क्षेत्र के तथा जबरापुर, नेदुवा बर्घेलाबारी, फतेहगंज बदौसा लूक, धौरही मऊ (ब) टिटिहरा सुढिनपुर, रसिन, रौलीकल्याणपुर आदि तथा महुवा ब्लाक के गांव खानुपुर रायपुर कोलावल, गौर शिवपुर काजीपुर आदि गावों के लोग प्रतिवर्ष मुखमरी के कगार में पहुंच जाते हैं क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार भूगर्भ सर्वेक्षण की टीम द्वारा सर्वे कराकर तथा पत्थर तोडने वाली मशीन द्वारा राजकीय नलकूप लगवाने तथा टेस्ट बोर करवाने आदि की लगातार मांग करने पर कोई कार्यवाही न होने से क्षेत्र में व्यापक असंतोष फैल रहा है किसानों द्वारा उपरोक्त मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं आन्दोलन शुरू है।

अतः मांग करता हूँ कि इस अविलम्बनीय लोक महत्त्व की उपरोक्त समस्याओं में शासन स्तर से धन आवंटन करके भूगर्भ जल सर्वेक्षण की टीम भेजकर टेस्टबोर तथा विश्वबैंक के कलस्टर नलकूप एवं राजकीय नलकूप लगवाये जाय।)

फैजाबाद जनपद के नगरीय क्षेत्रों में पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम लखन वर्मा—

(मान्यवर, आपकी अनुमति से निम्नलिखित लोक महत्त्व का तथ्य सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूँ।

फैजाबाद जनपद के नगरीय क्षेत्रों में पेयजल संकट से हाय तौबा मचा है फैजाबाद नगर में पहली मंजिल पर पानी नहीं पहुंच रहा था, अब भूतल भाग में भी नल की टोटियों से पानी नहीं गिर रहा है। टुल्लू पम्प लगाने पर ही पानी आता है। नागरिक अवैध रूप से पानी के लिए सीधे कनेक्शन जोड़ लेने को मजबूर हो रहे हैं। भीषण गर्मी में प्यास बुझाने के लिए राहगीरों रिक्शा चालकों को रेलवे स्टेशन पर ही पानी मिल पा रहा है बाजार में 25 पैसा प्रति गिलास पानी बिक रहा है। हैण्ड पम्प टूटे पड़े हैं। जल प्याऊ की कोई व्यवस्था नहीं है लोगों को नहाने का पानी मिलना तो दूर पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है।

ऐसी स्थिति फैजाबाद जनपद के फैजाबाद जलालपुर, अकबरपुर, जलालपुर बीकापुर, किछौछा नगर की स्थिति है।

मैं अविलम्ब नगर पालिका फैजाबाद, अकबरपुर, जलालपुर, बीकापुर, टाउन एरिया किछौछा में पेयजल संकट दूर करने हेतु व्यवस्था किये जाने की मांग करता हूँ।)

गाजीपुर जिलान्तर्गत थाना कासिमाबाद के ग्राम सवना में हरिजन उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री खुर्शिद अहमद—

(मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक अविलम्बनीय लोक महत्त्व को सदन

नोटः— ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

दिनांक 29-5-90 को ग्राम सवना थाना कासिमाबाद, जिला गाजीपुर में सवर्णों ने दो अछूतों को जान से लगभग 3-4 बजे दिन के बीच में मार डाला और एक की झोपड़ी में आग लगाकर फूंक दी। इस घटना के पहले उक्त गांव के ठाकुर ने थाने में एक रिपोर्ट लिखायी थी कि उक्त गांव के तीन अछूतों ने उसके ट्यूबवेल से बल्ब की चोरी की और अब उसने उनसे कहा तो उसने उनके ऊपर कट्टे से फायर किया।

उक्त ठाकुर की रिपोर्ट पर तुरन्त कार्यवाही न करने के कारण ठाकुरों की पेशाबन्दी कामयाब रही और उन्होंने दो हरिजनों को मार डाला।

घटना से स्पष्ट है कि थाना प्रभारी कासिमाबाद ने ठाकुरों की रिपोर्ट पर ढिलाई बरतने के कारण उक्त घटना घटी।

अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूँ कि थाना प्रभारी कासिमाबाद को निलम्बन करके पूरी घटना की जांच करायी जाय।)

उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ शाखा आजमगढ़ के अध्यक्ष श्री राम अवध यादव के जीवन को खतरा होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंचानन राय—

(मान्यवर, इस सूचना के माध्यम से मैं "माननीय सदन" तथा सरकार का ध्यान एक गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की आजमगढ़ शाखा के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय पार्षद श्री राम अवध यादव के जीवन को मुबारकपुर (आजमगढ़) पुलिस से गम्भीर खतरा है। श्री यादव मुबारकपुर से स्वतंत्र भारत एवं आज के संवाददाता हैं। क्षेत्र में गिरती हुई कानून व्यवस्था के आधार पर समाचार भेजने के कारण स्थानीय पुलिस इससे रंज है और इनकी हत्या करना चाहती हैं।

इस सूचना के माध्यम से मैं सरकार से श्री यादव के जीवन सुरक्षा की व्यवस्था करने तथा दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग करता हूँ।)

जनपद बांदा में इन्दिरा आवास योजना हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नकली सिंह—

(मान्यवर, आपके माध्यम से सदन और शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूँ कि बांदा नगर में इन्दिरानगर आवासीय योजना भाग-2 के निर्माण के लिये ग्राम लड़ाकापुरवा के तमाम किसानों की भूमि सरकार ने वर्ष 1986 में अधिग्रहीत कर ली थी लेकिन उन सभी किसानों को भूमि का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया।

नोटः— ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस स्थिति से न केवल किसान भूमिहीन होकर बेरोजगार हो गये और आर्थिक संकट से त्रस्त हैं बल्कि उपरोक्त भूमि पर 4 वर्ष से खेती न हो पाने के कारण राष्ट्रीय उत्पादन की भारी क्षति हो रही है।

जनहित में आपसे मांग करता हूँ कि इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध तत्काल बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और किसानों को उनका मुआवजा भी अविलम्ब दिया जाना चाहिए।)

जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ में शारदा सहायक परियोजना द्वारा जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दरलाल (बाराबंकी)—

(मान्यवर, बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील के अन्तर्गत शारदा सहायक परियोजना खण्ड–28 हैदरगढ़ तथा शारदा सहायक परियोजना खण्ड –40 विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के कारण दर्जनों ग्रामों तथा किसानों के हजारों एकड़ भूमि फसल नष्ट होने की आशंका पैदा हो गयी है। सिंचाई विभाग खण्ड–28 तथा खण्ड–40 द्वारा इन्हौना पेचारूवा, सौनिकपुर, चिलूता, बहूता हैदरगढ़ रैक्सहा, पलिया फिरोजाबाद, शिवगढ़ शिवनाम खैराकनकू गनहरी आदि ड्रेनों की खुदाई एवं सफाई समय रहते हुए न की गई दर्जनों गांवों में जल भराव से विषाम परिस्थिति पैदा हो गई है।)

इस अविलम्ब लोक महत्त्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षिक करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।

वाराणसी नगर में मादक द्रव्यों की अवैध बिक्री से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

(मान्यवर, भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी इन दिनों मादक द्रव्यों का मुख्य बाजार बनता जा रहा है। गंगा तट के किनारे का सम्पूर्ण क्षेत्र हिरोइन चरस तथा स्मैक आदि मादक द्रव्यों के खरीद बिक्री का मुख्य केन्द्र है। हजारों बेरोजगार नवयुवक इसके सेवन के आदी हो गये हैं जो नशे का खर्च उठाने में असमर्थ होकर अब इस व्यापार में लिप्त होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन इसका प्रसार होने के साथ ही स्कूल कालेज और महाविद्यालय के युवा वर्ग में इसका जहर महामारी की तरह फैल रहा है।

नशे की लत से परेशान होकर आत्महत्या की कई घटनायें हो चुकी हैं जिनमें स्नातक भी थे। व्यापारिक प्रतिद्वन्द्विता के चलते कई हत्यायें भी हो चुकी हैं इस धन्धे को हतोत्साहित करने तथा नशे की लत से मुक्ति दिलाने सम्बन्धी कोई भी अभियान प्रशासनिक स्तर पर नहीं चलाया जा रहा है जिससे वाराणसी के नागरिकों में घोर चिन्ता व्याप्त होती जा रही है।

अतः लोक महत्त्व के इस अविलम्बनीय और सुनिश्चित विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूँ कि हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाले इन मादक द्रव्यों की बिक्री पर रोक हेतु प्रभावी कदम उठावें।)

नोटः— ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 300 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री कल्यान सिंह, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, डा0 दिनेश जौहरी, श्री किशन गोपाल और श्री हरबन्स कपूर की आगरा काण्ड के बारे में चर्चा के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री राम चन्द्र बक्श सिंह की प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्र के कर्मचारियों की भांति 1 जनवरी 1990 से मंहगाई भत्ते की एक किश्त दिये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह की गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत राम गढ़ पम्प कैनाल को लो वोल्टेज एवं अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण न चल सकने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री इम्तियाज मोहम्मद खां की जनपद बुलन्द शहर में 23 जुलाई 1989 को तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने स्याना नव तहसील के भवन की व्यवस्था के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री नकली सिंह की इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के उच्च पदासीन मंत्री के घर के बाहर अवैध रूप से निर्मित दुकान के गिराये जाने के सम्बन्ध में है, 6ठी सूचना श्री अकबर हुसैन बाबर की माननीय श्रम मंत्री उत्तर प्रदेश शासन के बार-बार आदेश पारित करने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा उसके अनुपालन न करने के सम्बन्ध में है 7 वीं सूचना श्री श्याम नारायण तिवारी, श्री अमर मणि त्रिपाठी और श्री राम बचन यादव की बढ़ती हुई मंहगाई कानून व्यवस्था की दयनीय हालत तथा साम्प्रदायिक ताकतों को सरकार द्वारा शह दिये जाने के सम्बन्ध में है और आठवीं सूचना श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की गत 7 मार्च को नियम 301 के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद में किशनपुर नहर में लाखों रूपये के घाटे के सम्बन्ध में है। श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की सूचना पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है। श्री कल्यान सिंह और श्री राम चन्द्र बक्श सिंह की सूचनाओं का जहां तक सम्बन्ध है, मैं उनको सुनूंगा। शेष सूचनायें नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

आगरा काण्ड पर होने वाली चर्चा को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान—

आगरा के अन्दर हरिजनों पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय कल्यान सिंह जी खड़े थे। उनको मैंने पुकार लिया था।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

मान्यवर, मेरे सवाल की ग्राहयता को सुन लें। नियम 300 के अन्तर्गत मैंने भी सूचना दी थी। मेरा बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय था। आज स्थिति यह है कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वह अस्वीकार हो गई है। वह 300 में नहीं आती।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

(x x x x x)

(xxx) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। आपकी बात कार्यवाही का अंग नहीं बनेगी।

श्री कल्यान सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल इस माननीय सदन में आगरा में जो दुर्भाग्यपूर्ण कांड घटित हुआ है उसके सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत की गई थी। उस सूचना पर कुछ विचार भी आये थे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की ओर से कुछ थोड़ी सी सूचना दी गई थी यद्यपि वह अधूरी थी। मैंने स्वयं यह कहा था कि मामला संवेदनशील और नाजुक है। मैंने यह भी कहा था कि हम में से कोई नहीं चाहेगा इसे कतई-कतई राजनीतिक मोड़ दिया जाय। इस विषय की गम्भीरता को पूरे सदन ने कल स्वीकार भी कर लिया था। मान्यवर, मुझे याद है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस काण्ड की गम्भीरता को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी आगरा गये हुए हैं। विषय इतना गम्भीर है कि उन्होंने स्वंय वहां जाना ठीक समझा। मुख्य मंत्री जी लौटकर आ जायेंगे तब इस पर कल चर्चा कर ली जाय। अध्यक्ष पीठ से यह निर्देश हुआ है कि नियम 56 के अन्तर्गत इस पर बहस 26 तारीख यानी आज हो जायेगी। यह हमने और माननीय विकल जी ने और तमाम लोगों ने आपको लिखकर दिया था। उसके बाद इस आशय की सूचना लिखित रूप से आपके सचिवालय से हमारे पास आ गई कि नियम 56 में एक घन्टे की चर्चा स्वीकार कर ली गई है और उसके लिये तिथि निश्चित हो गई है 26 जून 1990 की। उसके पश्चात् आधे घन्टे के बाद एक दूसरा पत्र हमारे पास आपके सचिवालय से पहुंच गया कि जो 26 तारीख को आगरा के प्रकरण के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन पर चर्चा स्वीकार की गई थी वह निरस्त कर दी गई है तो मान्यवर, इस प्रश्न को औचित्य के माध्यम से हम लोगों ने उठाया है क्योंकि यह एक गम्भीर मामला था। आपकी पीठ से निर्देश हो गये थे, वह स्वीकार भी हो गई थी, उसकी सूचना हमारे पास आ भी गई थी किन्तु आधे पौने घन्टे के बाद वह निरस्त कर दी गई। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। वे प्रत्यक्ष देखकर आये होंगे। हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं कि एक बार स्वीकार करने के पश्चात् किन कारणों से अस्वीकृत उसे कर दिया। यह दुखद कांड है। शांत-चित्त से सारे सदन को इस पर विचार करना चाहिए। इस तरह से कहीं पर सामाजिक विकृति पैदा हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, आग लग रही है, हत्याओं का दौर जारी है, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, इस पर सही संतुलन बिना किसी राजनीति के प्रवेश कराये हमें विचार करना चाहिए। उससे सारे तथ्य सामने आ जायेंगे और आगे की कार्यवाही भी सुनिश्चित हो जायेगी। मैं समझता हूं कि यह मात्र शासन की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन इस सामाजिक विकृति के कारण कहीं दंगा-फसाद हो रहा है...तो सबका सहयोग लेकर समस्या का निराकरण करें कल आपकी व्यवस्था हो चुकी थी और बाद में वह निरस्त कर दी गयी। आज फिर नियम 56 में मामला दे रखा है आज नियम 56 में अगर किसी तकनीकी बिन्दु के कारण निरस्त कर दिया गया हो और हमारे पास पत्र पहुंच गया हो तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। कल नियम 56 में एक मामला यहां पर उठाने का प्रयास किया गया आपके माध्यम से जिसे पूरा सदन जानता है माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने अनुरोध किया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी चूंकि आगरा गये

हुए हैं पूरी स्थिति की जानकारी करने के बाद जब सदन में उपस्थित होंगे तब इसकी ग्राह्यता पर सुन लें तो इसको पूरे सदन ने मान लिया था।

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, आपकी पीठ से भ्रमवश चर्चा निकल गया। चर्चा तो ग्राह्यता पर सुनने के बाद ही स्वीकार होती है जब ग्राह्यता पर सुनवाई ही नहीं हुई और भ्रमवश एक शब्द पीठ से निकल गया आपके सचिवालय ने इस पर सूचना दे दी और उसके बाद उसे वापस भी ले लिया तो अब इस संबंध में आपके सचिवालय के बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिये था। मैं समझता हूं कि आज नेता भाजपा ने इसको सही मान लिया है और दुबारा नियम 56 के अंतर्गत सूचना दे दी है इस पर वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है। नियम 56 में आप ले रहे हैं ग्राह्यता पर सुनवाई करने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी को जानकारी करके आये हैं उसे सुनेंगे। इस पर कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान—

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है इस पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आपको मैं बतलाता हूं आप कृपा कर बैठें (व्यवधान) आप सुन तो लीजिये। इस विषय पर कल भी नियम 56 के अंतर्गत प्रस्ताव आया था आज भी आया है। माननीय कल्याण सिंह जी ने एक औचित्य का प्रश्न उठाया है कि पहले तो आपके कार्यालय से लिखित सूचना आई कि इस पर चर्चा होगी। उसके एक घंटे बाद फिर सूचना आई कि उस चर्चा की सूचना को निरस्त किया जाता है। अब इस समय जो निर्णय लेना है वह नियम 300 पर जो माननीय कल्याण सिंह जी ने सूचना दी है आगरा के प्रकरण पर जो नियम 56 की बात है उस पर निर्णय नहीं दे रहा हूं लोक महत्व का जो प्रश्न उठाया है उस विषय पर आ रहा हूं।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है माननीय मुख्य मंत्री जी के या किसी भी मंत्री के मुख से ही कोई शब्द निकला हो तो क्या उसे निरर्थक कहना उचित है।

श्री अध्यक्ष—

निरर्थक की बात कहां आई?

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, कल एक बात हुई...

श्री अध्यक्ष—

औचित्य के प्रश्न पर ही बोलें, व्यवस्था तो मैं बाद में दूंगा।

श्री मुईद अहमद—

माननीय अध्यक्ष जी, कल नियम 56 में जब इधर से आगरा के संबंध में

सूचना दी गयी थी तो उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि ग्राह्यता पर सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस पर चर्चा स्वीकार कर ली गयी है और माननीय सदस्य फैजाबाद तिवारी जी ने भी कहा था कि ग्राह्यता पर सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है जब चर्चा के लिये स्वीकार कर लिया है। माननीय मंत्री जी की तरफ से घोषणा हो चुकी है, सदन की पीठ से घोषणा हो चुकी है कि नियम 56 में चर्चा स्वीकार हो गयी है तो फिर अब उससे क्यों मुकर रहे हैं। तो क्या यह सदन सरकार जैसे चाहेगी उस तरह से चलेगा या नियमावली के अनुसार चलेगा?

मान्यवर, नियम 56 में ग्राहयता पर इसलिये नहीं सुना गया चूंकि नियम 56 में आगरा प्रकरण पर चर्चा स्वीकार कर ली गयी कि चर्चा होगी, यह संसदीय कार्य मंत्री और श्री उपाध्यक्ष की तरफ से व्यवस्था हो गयी, तो इस व्यवस्था से सरकार का मुकरना एक तरह से यह बात को छिपा रहे हैं। 23 जून का कांड है, तीन दिन बीत गये हैं, वहां भयावह स्थिति है, इसलिये इस पर चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष—

इस औचित्य के प्रश्न पर समय व्यर्थ करेंगे तो और महत्त्वपूर्ण प्रश्न रह जायेंगे। (व्यवधान)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, जब पीठ से संसदीय कार्य मंत्री के कहने पर निर्णय हो गया कि कल चर्चा की जायेगी तो नियम 56 में आज मा0 सदस्यों ने सूचना नहीं दिया, इसलिये कल जो पीठ से निर्देश चर्चा का दिया गया था उसे आप करायें।

श्री अध्यक्ष—

यही बिन्दु श्री कल्यान सिंह जी उठा चुके हैं, इसलिये निवेदन है कि वह समाप्त नहीं हुआ है।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, श्री कल्याण सिंह जी ने जो बात कही उसके शब्द-शब्द से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, हमारे हितों के और अधिकारों के आप संरक्षक हैं और मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि हमारे अधिकारों की आप रक्षा करें। कल जब नियम 56 में यह सूचना दी गयी थी तो उस पर यह कहा गया था कि इस पर एक सूचना शुक्रवार को भी दी गयी थी और ग्राह्यता पर बोल लिया गया है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि इस पर कल चर्चा करा ली जाये, आज मुख्य मंत्री आगरा गये हैं, कल आ जायेंगे, वे सारी स्थिति बता सकेंगे आज सदन का अमूल्य समय इस पर न लें। कल चर्चा हो जायेगी इसलिये उनके कहने पर श्री कल्यान सिंह ने कहा था एक दिन का कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन पीठ से मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि कल अवश्य चर्चा होगी। तो मान्यवर आपकी पीठ से आश्वासन दिया गया था कि कल इस पर चर्चा होगी और फिर यह व्यवस्था भी दी गई थी कि कल इस पर चर्चा कराई जायेगी और उसी के अनुसार सचिवालय से श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, उपसचिव द्वारा हमें लिखित सूचना प्राप्त हुई कि आज एक घंटे की चर्चा होगी लेकिन उसके एक घंटे बाद दूसरी सूचना मिली कि चर्चा को निरस्त कर दिया गया है। मान्यवर मै जानना चाहता हूँ कि आपकी दी हुई व्यवस्था के अनुसार क्या आज चर्चा

होगी या नहीं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ? क्या यह औचित्य का प्रश्न नहीं है? क्या इस प्रकार आपकी सम्मानित पीठ से दी गई व्यवस्थाओं की अवहेलना नहीं होती है?

इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो जाये, मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सब लोग चिंतित हैं और इस प्रश्न पर बहुत ही संजीदगी की आवश्यकता है कि सब मिलकर सोचें कि प्रदेश में कैसे सद्भाव और एकता स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार इस मामले पर चर्चा कराने के संबंध में आप व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

उप नेता और श्री कल्याण सिंह जी से जानना चाहता हूं कि क्या मा0 सदस्यों का आशय है कि इस पर वह चर्चा चाहते हैं और नियम 56 में ग्राह्यता पर मैं सुनूं और मुख्य मंत्री जी उत्तर दें?

श्री अरूण कुमार सिंह "मुन्ना"—

मान्यवर, सारे सदस्यों की भावनाओं से आप भी परिचित हो गये हैं। कल भी पीठ ने संज्ञान में लिया था और कहा था कि चर्चा होगी। इसलिये चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी यहां पधारे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस प्रकरण को हमारे कहने के बाद प्रस्तुत किया और कल इस पर चर्चा स्वीकार कर ली गयी थी और संसदीय कार्य मंत्री एवं पीठ ने आश्वासन दिया था कि कल इसे ले लिया जाये। और यह स्वीकार कर ली गयी है, उसी वजह से पंचानन राय जी ने कहा कि हम उस अधिकार से वंचित रहे, जो हमने नियम 56 के अन्तर्गत इसकी नोटिस नहीं दी। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां है और विषय की गम्भीरता को देखते हुए आप चर्चा करा लें, अभी चर्चा करा लें। यह नियम 56 के अन्तर्गत करा लें। आप इसकी प्राथमिकता दे दें। माननीय मुख्य मंत्री जी पधार चुके हैं, मुख्य मंत्री जी इस पर अपने विचार स्पष्ट कर दें की वहां कि स्थिति क्या है, और इसमें जो अन्य लोंगो की जानकारी होगी, वह भी वे बता दें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न पर गम्भीर पूरा सदन है और मैं भी हूं। मैं चाहता हूं कि इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी स्वतः वहां से लौटे हैं, उनके द्वारा इस पर प्रकाश डाला जाए, लेकिन औचित्य का प्रश्न माननीय सदस्यगण इसमें ले रहे हैं। इस पर मैं नहीं समझता हूं कि इसमें उनका उद्देश्य क्या है।

श्री कल्यान सिंह—

आपने चूंकि मेरा भी नाम पुकारा कि आपकी राय क्या है, उन्होंने तो अपनी राय दे दी, अब मैं भी अपनी राय दे रहा हूं। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है संसदीय कार्य मंत्री के यह कहने के बाद कि मामला गम्भीर है, इसलिए भी उन्होंने मान लिया कि मुख्य मंत्री जी वहां गये थे, उसकी जो तात्कालिकता है, अविलम्बनीय है और सारे जनजीवन से यह प्रश्न सम्बद्ध है, उस पर चर्चा स्वीकार हो गई थी, पर किन्हीं कारणों से निरस्त हो गई, तो जैसा आपने कहा औचित्य के प्रश्न पर न कहकर नियम 56 में इसे ले लूँ, तो मेरा कहना

यह है कि औचित्य के प्रश्न का यदि आप विराम देने जा रहे हैं, तो अब इस प्रश्न पर ग्राह्यता पर समय और ज्यादा खर्च करने के बजाए, आपकी पीठ से निर्देश हो जाए कि सीधे इस पर चर्चा होगी और सीधे इस पर चर्चा हो जाए। तो वह हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यह करा दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप पुनः कुछ कहना चाहेंगे, तब मैं अपना निर्णय इस पर दूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैंने कल भी कहा था और आज भी मेरा अनुरोध है कि किसी विषय पर सुनने के बाद ही आप निर्णय देते हैं, और फिर जो अध्यक्ष जी निर्णय देंगे, वह हमें शिरोधार्य होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ग्राह्यता पर नियम 56 में आप सुन लें। फिर आपका निर्णय हमको मान्य होगा।

श्री अरूण कुमार सिंह "मुन्ना"—

कल संसदीय कार्यमंत्री ने आश्वस्त किया था विषय की गम्भीरता को देखते हुए कि मुख्य मंत्री जी आएंगे और हमारे सामने उस सम्बन्ध में अपने विचार रखेंगे। ग्राह्य तो वह हो गया। उसके बिन्दुओं को तो विषय की गम्भीरता को देखते हुए आपने स्वयं स्वीकार कर लिया... (व्यवधान), मुख्य मंत्री जी यहां पर आए हैं, विषय की गम्भीरता को देखते हुए इस पर तत्काल इसे लेकर आप चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं अपना निर्णय दे रहा हूं। जैसी माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की और संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा है, मैं स्वतः यह अनुभव करता हूं और सत्ता पक्ष भी इसमें इतना गम्भीर है कि वह यह नहीं चाहता है इस पर कि वह चर्चा का विषय बन जाए। लेकिन मैं नियम 300 में नहीं चाहता कि औचित्य के प्रश्न पर इसको स्वीकार किया जाए। परन्तु सब बातों को सुनकर निर्णय देता हूं कि आज ही बजट समाप्त होने के बाद इस विषय पर चर्चा होगी, किन्तु नियम 56 में यह निर्णय नहीं लिया जाएगा।

संसदीय कार्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप महंगाई भत्ते की संशोधित शासनादेश न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, 19 जून को प्रश्नकाल के दौरान मा0 राजधारी जी का एक प्रश्न था उसके उत्तर में कहा गया था कि महंगाई भत्ते की एक किश्त का नगद भुगतान केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार करेगी। मान्यवर, उत्तर में यह कहा गया था कि माननीय सदस्य की जो भावना है उसी के अनुरूप आदेश दे देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि महंगाई भत्ते की एक किश्त केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी जायेगी, उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि नगद भुगतान किया जायेगा। मान्यवर, लेकिन जो शासनादेश लागू हुए हैं उसमें जनवरी से मई तक जी0 पी0एफ0 में डाल दिया गया है और जून के बाद नगद भुगतान का उल्लेख है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह व्यवस्था चाहूंगा कि इस माननीय और सम्मानित सदन में जो घोषणाएं की जाती हैं सरकार के मंत्रियों द्वारा उनका

अनुपालन होना चाहिए। लेकिन जो घोषणा हुई है उसके विपरीत शासनादेश जारी किया गया है। मान्यवर मैं संशोधित शासनादेश जारी करने के बारे में व्यवस्था चाहूंगा।

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, माननीय नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जो सवाल उठाया है उसके उत्तर में मैं कहना चाहूंगा कि मा0 राजधारी जी के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि जो मा0 सदस्य की भावना है उसी के अनुरूप आदेश दे दिये गये हैं। मान्यवर, 15 जून को महंगाई भत्ते की एक किश्त की घोषणा की गयी थी और इस सदन में 19 जून को इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया था। मान्यवर, जनवरी से 31 मई तक भविष्य निधि में जायेगा और पहली जुलाई को जो तनख्वाह मिलेगी उसमें उसका नकद भुगतान किया जायेगा।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था, कि क्या केन्द्र सरकार की भांति नकद भुगतान कर दिया जायेगा? तो प्रश्न के उत्तर में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा था कि माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप आदेश दे दिये गये हैं। तो माननीय सदस्य की भावना का आदर करते हुए संसदीय कार्यमंत्री जी ने ऐसी घोषणा की थी कि केन्द्र सरकार की भांति नकद भुगतान किया जायेगा। यह घोषणा मा0 मंत्री जी ने की है, चाहे वह गलती से कर गये हों तो वह उसे स्वीकार करें। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि यदि माननीय मंत्री जी से कोई गलती हो गयी है तो वे उसे संशोधित करें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया है, उसी के अनुरूप राज्य सरकार भी देगी, यह आदेश दिये गये हैं। जो आदेश लागू हो गये हैं, वही रहेंगे कोई संशोधन नहीं होगा व पांच महीने का जी0पी0एफ0 में डाला जायेगा और जुलाई में मिलने वाली तनख्वाह में नकद भुगतान होगा।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 311 के अन्तर्गत माननीया प्रेमवती तिवारी जी की जो सूचना प्राप्त हुई है, उसकी मैं अनुमति नहीं देता हूं क्योंकि यह लोक महत्व का प्रश्न नहीं है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक 1990[xx]

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त—

[xx]दिनांक 25 जून, 1990 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990×

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त—

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना दी है।

(मद सं0-8 पुकारे जाने पर।)

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, मैंने भी एक विशेषाधिकार की सूचना दी है।

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरी भी एक विशेषाधिकार की सूचना है।

श्री अध्यक्ष—

आप जरा रूक जायं मैंने अगली मद ले ली है, यह हो जाय।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक 1990××

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भोला पाण्डेय—

मेरी विशेषाधिकार की सूचना है उसके बारे में सुन लें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक 1990××

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

×दिनांक 25 जून, 1990 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

××दिनांक 30 जून, 1990 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपे हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 को पुरःस्थापित करता हूँ।

विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना

श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना दी है। आपने मद संख्या 5 को छोड़कर अगली मदें ले लीं।

श्री अध्यक्ष—

आपकी सूचना प्राप्त हुयी है उसका परीक्षण हो रहा है।

श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, आपने घटना को सुना नहीं और उसको परीक्षण के लिये भेज दिया। मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट के लिये सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय भोला पांडेय जी, आपने इस संबंध में कल भी कहा है और आपने जो विशेषाधिकार की सूचना दी है उसकी प्रतिलिपि शासन और संबंधित व्यक्ति को भेज दी गयी है, उसका परीक्षण हो रहा है।

श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, पहले मुझे सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार में यही प्रक्रिया होती है। आपकी कापी भेज दी गयी है। मैं काहे को सुन लूँ। जो सूचना जिससे संबंधित होती है उसको भेज दी जाती है।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 में 24 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। पहली सूचना के लिये निर्णय हो चुका है। उस पर चर्चा होने जा रही है। दूसरी सूचना श्री सुंदर लाल दीक्षित की है। तीसरी सूचना सुरेन्द्र पाल वर्मा की है। चौथी सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी की है। पांचवी सूचना श्री पंचानन राय जी की है।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित का नाम पुकारा गया तथा उनके अनुपस्थित होने पर।)

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान बांदा जनपद के थाना कालिंजर के ग्राम

नौहाई आनंदपुर ग्राम सभा सदर के नवजवान श्री कमलेशकुमार, जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष थी, दिनांक 19-6-90 को जनपद बांदा के वन विभाग करबी के वन इकाई अधिकारी पृथ्वीराज सिंह द्वारा ट्रक से बांधकर घसीट कर चिथड़े-चिथड़े करके, सैकड़ों लोगों के रोकने और मना करने पर ट्रक नहीं रोका और हत्या कर दी। हजारो लोगों ने जब इस प्रकरण को लेकर थाना कालिंजर गये, तो उसके पिता को थाने के अन्दर बुलाकर सादा कागज में हस्ताक्षर करा कर मुंशी मेघ सिंह ने गाली-गलौज करके वहां से लौटा दिया। हजारों लोगों की भीड़ ने थाने का घेराव किया और थाने में रिपोर्ट दर्ज करने, सी0आई0डी0 द्वारा जांच की मांग, मृतक के आश्रितों को मौआवजा की मांग किया। इससे पूरे जनपद में रोष और असंतोष व्याप्त है। यह ऐसी घटना है जो कानून-व्यवस्था की धज्जी उड़ा रही है, मानवता पर कलंक लगा रही है और ब्रिटिश पीरियड से भी ज्यादा खतरनाक घटना है। आपसे अनुरोध है कि सभी काम रोक कर आज इस पर चर्चा करा लें।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, 24 जून, 1990 को मेरठ शहर में शंकरखेड़ा रेलवे फाटक के पास कांग्रेस के जिला महामंत्री को और बार एसोशिएशन मेरठ संयुक्त मंत्री श्री वीरेन्द्र राणा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गयी। श्री वीरेन्द्र राणा जब नाई की दुकान पर बाल कटवा रहे थे, बदमाशों ने उन पर गोली चला दी, पुलिस सामने खड़ी थी और वह मूक बनी रही, कांग्रेस के महा मंत्री की वहां पर हत्या हो गयी और आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मान्यवर मेरठ में अराजकता का वातावरण व्याप्त है। वहां पर मान्यवर, कानून-व्यवस्था ठप हो गयी है। वहां पर 24 घंटे के अन्दर 8 हत्यायें हो गयी हैं, एक ग्राम प्रधान मारा गया एक ही परिवार के 4 आदमी मारे गये। मान्यवर, पुलिस की साजिश से जानबूझकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। मान्यवर, गाजियाबाद के जो वर्तमान विधायक हैं, उन पर भी गोली चलाई गयी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के आगरा जननपद में मान्यवर क्या हो रहा है? गाजियाबाद में मान्यवर क्या हो रहा है? मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पर गोली मारी गयी, यह अविलम्बनीय लोक महत्त्व का मामला है। मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इस पर चर्चा अवश्य करा ली जाय।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, प्रदेश के विद्यालय 2 जुलाई से खुलने वाले हैं, पहली तारीख को रविवार है, लेकिन राष्ट्रीयकृत पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। मान्यवर, प्राइमरी कक्षाओं में 13 पुस्तकों में से केवल 5 पुस्तकें उपलब्ध हैं और जूनियर कक्षाओं में 30 पुस्तकों में से 3 पुस्तकें उपलब्ध हैं।

मान्यवर, इसके लिए तात्कालिकता आप स्वयं स्वीकार करेंगे। विद्यालय खुलने में 4-5 दिन रह गये हैं। राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें जिनको समय से तैयार करा करके उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है, वह पुस्तकें बाजार से गायब है। और इसका लोक महत्त्व भी आप स्वयं स्वीकार करेंगे लोक महत्त्व इसलिए कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है वह बिना पुस्तकों के कैसे अध्ययन करेंगे? लाखों अभिभावक, छात्र और शिक्षक चिन्तित हैं। सरकार ने कागज उपलब्ध कराया नहीं तो मान्यवर, एक तरफ तो पुस्तकें नहीं है और

कापियां भी नहीं मिल रही हैं। जो थोड़ी मोड़ी हैं भी वह ऊँचे भाव पर कालाबाजारी में बिक रही हैं और उसे गरीब आदमी का खरीदना असम्भव हो गया है तो यह घटना आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि विद्यालय खुलने में 4 दिन ही रह गये हैं, पुस्तकें उपलब्ध नहीं है जो थोड़ी भोड़ी उपलब्ध हैं वह कालाबाजारी में बिक रहीं हैं और लोक महत्त्व इसलिए इसको स्वीकार करेंगे कि प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। लाखों विद्यार्थी उनके अभिभावक और शिक्षक सब चिन्तित हैं कि बिना पाठ्य पुस्तकों के कैसे पढ़ाई होगी?

श्री हरिवंश कपूर—

मान्यवर, जो चलती ट्रेनों में आजकल लूटमार की घटनाएं घट रही हैं इससे जनसामान्य का जीवन असुरक्षित हो गया है और लोगों के मन में भय उत्पन्न हो रहा है। मान्यवर, मैं आपके ध्यान 24 जून को घटित उस घटना की ओर दिलाना चाहता हूँ कि कुँडा रेलवे स्टेशन से जब कानपुर पैसेंजर गाड़ी चली तो वहाँ 15-20 आदमी उसमें सवार हुए और उस डिब्बे में जितनी भी सवारियां थी उनको लूटा और उनकी नकदी और आभूषण वगैरा ले लिये। इसके पश्चात वहाँ जो सिपाही थे उन्हें भी मारा पीटा गया और घायल किया गया। जब ट्रेन धीमी हुई तो वे लोग उनकी राइफल आदि लेकर चले गये। मान्यवर, इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन में इसकी विस्तृत चर्चा होनी चाहिए जिससे लोगों के मन में जो एक भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा हैं लोग इन ट्रेनों में चलना छोड़ दिये हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाय उनमें आत्मविश्वास भरा जाय और आपसे अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही रोककर मान्यवर, इस लोक महत्त्व के प्रश्न पर अविलम्ब विचार किया जाय।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

मान्यवर, वाराणसी नगर में इस समय भयानक विद्युत की दुर्व्यवस्था है। वहाँ अभी पिछले दिनों में लगातार 10-15 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति बाधित रही। और भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक व्यक्ति जो हृदय रोग से पीड़ित था वह भयानक गर्मी के कारण और बिजली न मिलने के कारण मर गया। मान्यवर, वहाँ के जो पावरलूम हैं जिनके ऊपर लोगों का जीवन निर्भर है, वह नहीं चल रहे हैं। यहाँ तक कि आटा चक्की भी बन्द हैं, छोटे-छोटे उद्योग इससे प्रभावित हो रहे हैं और बिजली न रहने की वजह से पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अतः मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय ताकि यह सदन कोई समुचित कदम उठाये, निर्देश दें ताकि वाराणसी की विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

श्री अध्यक्ष—

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा और पंचानन राय की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूँ, श्री श्याम देव राय चौधरी और श्री हरिवंश कपूर, डा0 दिनेश जौहरी, श्री इम्तियाज मोहम्मद खाँ की सूचना को शासन के ध्यानाकर्षण के लिए भेजता हूँ।

श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, एक 56 की सूचना मैंने दी थी।

श्री अरूण कुमार सिंह "मुन्ना"—

मान्यवर, यह गम्भीर घटना है। माननीय नेगी जी ने जो सूचना दिया है, मान्यवर, हमारा महामंत्री मारा जाय, मेरठ की घटना है।

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, जो मा0 सदस्य ने मेरठ की घटना को यहां पर उठाया है, संभवत: उसके संबंध में जानना चाहते हैं मा0 उपनेता जी। तो वीरेन्द्र राणा जी बार एसोसियेशन के सेक्रेटरी थे, लेकिन इनके भाई जो पी0ए0सी0 से निलम्बित थे एक सक्रिय अपराधी हैं और जमीनों पर कब्जा करते हैं और उनके विरूद्ध तमाम हत्याओं के मुकदमें पुलिस रिकार्ड में दर्ज हैं। उनकी आपसी दुश्मनी के कारण ये हत्या हुई। इनके खिलाफ 3 हत्या के मुकदमे पुलिस रिकार्ड में दर्ज हैं। इनकी हत्या के कारण बार एसोसियेशन में न हड़ताल है, न अशांति है। इनकी कन्डोलेंस में कचेहरी आधा दिन बन्द रही। इनके भाई शातिर अपराधी हैं।

श्री अरूण कुमार सिंह "मुन्ना"—

मान्यवर, कचेहरी बन्द हो गयी, यह गम्भीर नहीं है। उसका भाई क्या था, वह क्या है, वह बार एसोसियशन में ज्वाइन्ट सेक्रेटरी था और जिला कांग्रेस के महामंत्री थे। मान्यवर, इस ढंग से एक राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या हुई और पुलिस निष्क्रिय रही और उसके भाई का प्रकरण दिया जाय। तमाम लोग ऐसे हैं, जिनके भाई क्या करते हैं, रोज अखबार में छपता है। मुख्य मंत्री जी के भाई के बारे में रोज आता है। इसमें उसके भाई का प्रकरण न देकर सारे तथ्यों की जानकारी ही वक्तव्य दें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, वीरेन्द्र राणा की हत्या हुई, उनके खिलाफ 3 मुकदमे हत्या के दर्ज भी हैं। उनके भाई का इसलिये हवाला दिया क्योंकि वह शातिर अपराधी है, इसलिये उसकी दुश्मनी भी रही है। कल बार एसोसियेशन में कन्डोलेंस हुई। आज न कोई हड़ताल है, न अशांति है। उनकी हत्या का वहां के जन-जीवन पर कोई असर नहीं है।

श्री अरूण कुमार सिंह "मुन्ना"—

मान्यवर, आज भी तमाम अपराधी ऐसे हैं जो डकैत हैं, लूट करते हैं, अपराध करते हैं और मंत्रियों के साथ रहते हैं और मंत्री जी कहते हैं कि उन्हें सुधार रहे हैं। आपने उसके भाई का हवाला दिया, कितनी घटिया बात है।

श्री साहब सिंह—

मान्यवर, मा0 उपनेता ने वीरेन्द्र राणा की हत्या का मामला उठाया है। यह सही है कि हत्या हुई है। वह मेरठ में बार एसोसियेशन में सेक्रेटरी थे। जिला कांग्रेस के मंत्री भी थे। यह सही है। लेकिन अभी जैसा कि मंत्रीजी ने बताया कि इनके भाई कालूराम राणा के खिलाफ हत्याओं के व अन्य जुर्म के मुकदमें दर्ज हैं। (व्यवधान)... आप हमारी बात तो सुनिये। मान्यवर, इसीलिये उनकी रंजिश है। वीरेन्द्र राणा के खिलाफ भी पहले से 3-4 मुकदमे हैं। कालूराम राणा के बड़े भाई की कुछ समय पहले हत्या कर दी गयी थी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर राम कुमार की हत्या कर दी थी।

इनकी आपसी रंजिश का मामला ही है, आपसी रंजिश के तहत यह

बात हुई, लेकिन पुलिस ने कार्यवाही की रोकथाम की है। इनकी रंजिश इतनी फैली हुई है कि जिस पक्ष को जब मौका मिलता है, मारने की तलाश में रहता है। यह बहुत संगीन मामला है।

(शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांति बनाये रखें।

श्री साहब सिंह—

कांग्रेस के नेता लोग जिस तरह से इस सवाल को उठा रहे हैं, यह बहुत ही शर्म की बात है। (मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें, माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हुए हैं।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, माननीय तदस्य ने तो कार्य स्थगन का एक तरह से स्वयं ही समर्थन कर दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, माननीय उप नेता बहुत गुस्से में हो गये, गुस्सा नहीं होना चाहिये। यह कानून राज चलेगा। उन पर कितने ही आरोप रहे हों, हत्या किसी कि हम लोगों पसंद नहीं करते हैं। जिन्होंने हत्या की है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री पंचानन राय—

कार्यवाही करके सदन को बतायेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव—

अब क्या बात रह गयी, मैंने कह दिया कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब समाप्त हो गया आप लोग बैठें। माननीय कुंवर सिंह नेगी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग

श्री अध्यक्ष—

माननीय शतरूद्र प्रकाश जी आप पहले कौन सा बजट रख रहे हैं।

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरूद्र प्रकाश)—

मान्यवर, पहले परिवहन विभाग का बजट रखना चाह रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें। शांति बनाये रखें।

श्री शतरूद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,11,13,000 रूपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, क्या एजेन्डा बदल गया है?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने अनुमति ले ली है?

श्री शतरूद्र प्रकाश—

मान्यवर, इस सदन के सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं कि परिवहन विभाग का प्रत्यक्ष रूप से आम जनता से सम्बन्ध है। खास कर उन लोगों के लिये जिनके पास अपनी निजी कारें नहीं हैं या आवागमन के निजी साधन नहीं हैं।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, पहले तो कारागार का बजट था।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है कि आपने सुना नहीं, मैने माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न किया था कि आप पहले कारागार का या पहले परिवहन का बजट प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसमें स्वयं माननीय मंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की कि मैं पहले परिवहन विभाग का बजट प्रस्तुत करना चाहते हैं।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैंने जानकारी करनी चाही थी।

श्री अरूण कुमार सिंह "मुन्ना"—

मान्यवर, जिस ढंग से सूची आई है, उसी ढंग से लेना चाहिये, क्योंकि जो माननीय सदस्य कटौती पेश करना चाहते हैं, उनके लिये व्यवधान होता है। यह तो कारागार मंत्री है, पहले अपने विषय को लें।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, आज कटौती मुझको ही रखना है, पहले कारागार रखवाइये।

श्री शतरूद्र प्रकाश—

मान्यवर, अब तो यह सदन में प्रस्तुत हो चुका है, यह पहले क्यों नहीं बोले?

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से और आपकी इजाजत से, जो परिवहन विभाग की अनुदान मांगें थीं, उनको मैंने प्रस्तुत कर दिया। मान्यवर, जैसा कि सभी सदस्य जानते हैं कि परिवहन का महत्व पूरे प्रदेश में है, लेकिन इस दृष्टि से ज्यादा है, जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और जिनके पास निजी आवागमन के लिये साधन नहीं हैं, उनके लिये सरकार द्वारा विशेषकर निगम के जरिये से परिवहन प्रणाली का खास महत्व है। जैसा कि बहुत साफ है कि निगम की कुल धनराशि 20 करोड़ 62 लाख 98 हजार है, पूरे साल की। लेकिन चूंकि विनियोग लेखानुदान में 14 करोड़ 31 लाख 59 हजार स्वीकृत हो चुका है, इसलिये पूंजीगत लेखा जो 20 करोड़ 20 लाख 20 हजार के आसपास है, उसको भी अगर शामिल कर लें तो इस तरह से कुल खर्चा जो लेखानुदान से पारित हुआ है, वह 14 करोड़ 51 लाख 85 हजार का है और इस तरह से 20 करोड़ 62 लाख 40 हजार में से घटा दिया जाय तो 6 करोड़ 11 लाख 13 हजार की धनराशि हो जाती है और इसी की स्वीकृति के लिये आज फिर यह अनुदान प्रस्तुत किया गया है।

इसमें जो पूरी वित्तीय धनराशि है, उसका ब्यौरा इस तरह से है। 14 करोड़ 26 लाख 19 हजार आयोजनागत व्यय है और इसमें से 13 करोड़ 28 हजार की धनराशि निगम में पूंजी निवेश एवं ऋण से संबंधित है और 6 करोड़ 39 लाख आयोजनेत्तर है। मान्यवर, जैसा कि परिवहन निगम के बारे में सभी जानते हैं कि यह 1972-73 में बना था और इस पूरे विभाग के मामले सातवीं पंचवर्षीय योजना का वित्तीय/लक्ष्य 224.31 करोड़ रूपये रखा गया था लेकिन हमारा जो खर्चा हुआ है वह करीब 240 करोड़ रूपये के आस पास है। इस तरह से जो खर्चा था, वह ज्यादा हुआ है। खर्च ज्यादा होने का कारण माननीय सदस्य आप जानते हैं कि जो आमदनी होनी चाहिए थी, वह कम हुयी और इसके अलावा जो चीजों के दाम बढ़ गये, उसकी वजह से भी खर्च ज्यादा हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर पूरे को मिला लें तो 250 करोड़ के मुकाबले 261 करोड़ रूपये पूरा सब मिलाकर खर्च हुआ है, इस तरह से 11 करोड़ ज्यादा खर्च हुआ तो मैंने जो 224-240 कहा था, वह जाकर हो गया 250-261 करोड़ रूपये और इस तरह 11 करोड़ का खर्च ज्यादा हो गया। अगर आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को देखें, तो पूरी योजना का जो अनुमानित व्यय है, वह 569 करोड़ रूपये के आसपास है, वर्ष 90-95 के बीच में। इन 5 साल के बीच में जो प्रथम वर्ष है, इस प्रथम वर्ष के लिये 70 करोड़ 20 लाख रूपये का अनुमानित व्यय रखा गया है।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

और यह मान्यवर 70 करोड़ 20 लाख रूपये 1990 से शुरू होकर 1994-1995 तक चला जायेगा। यह 569.34 करोड़ रूपये के आस-पास में है तो इसलिये यह जो पाँच साल की प्रारम्भिक अवस्था है यह इसलिये इस माने में खास माने रखती है कि इसमें पूरे के पूरे परिवहन विभाग की दशा क्या होगी और इसी सम्बन्ध में यह अनुदान यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा मान्यवर, आठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम हम देखें। इसकी वित्तीय स्थिति क्या होगी। पूरे के पूरे निगम को तो इससे बहुत फायदा हो जायेगा। 1972-73 में पूरी आमदनी करीब 28 करोड़ की थी और 1990 आते-आते निगम की पूरी आमदनी 276 करोड़ के आस-पास हो गयी। जो बसें चलती हैं और जो यात्री बसों में यात्रा करते हैं और जो टिकट खरीदते हैं उस टिकट से होने वाली आमदनी 266 करोड़ रूपये के आस-पास है यानि कि पूरी की पूरी आमदनी का करीब 96 सैकड़ा यह जनता द्वारा खरीदे गये टिकट से निगम को

प्राप्त होता है। लेकिन अगर देखें कि जो निगम के कर्मचारी हैं उनको जो वेतन दिया जाता है, उन पर जो खर्च किया जाता है वह मान्यवर पूरी की पूरी आमदनी का 42 प्रतिशत है और इसके अलावा 7 फीसदी ब्याज और मुख्यालय पर होने वाले खर्च पर लगाया जाता है। इस तरह से करीब 53-54 फीसदी चला जाता है और इसके अलावा रख रखाव आदि पर 47-48 फीसदी के आस-पास खर्च होता है। कल्याणकारी कार्यों पर या फिर उनसे संबंधित कार्यों पर खर्च होता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उभर कर आया है निगम के सामने भी और पूरे प्रदेश के सामने भी कि जनता से आमदनी हो रही है। पूरी आमदनी का 96 प्रतिशत जो खर्च होता है जब से सरकार जनता दल चुनकर आई है और मुख्यमंत्री जी के पास यह विभाग रहा है और अभी 6 महीने से है। इसमें यह फैसला लिया गया है कि मितव्ययता की जायेगी और फिजूलखर्ची को रोका जायेगा। जो खर्च आवश्यकता से जुड़े हुए नहीं हैं उनमें कटौती की जायेगी और यह भी फैसला लिया गया कि जो गैर उत्पादक नौकरियां हैं। इन नौकरियों को भविष्य में रोका जायेगा। केवल बैठाकर तन्ख्वाह लेने वालों की जो फौज है उस फौज को भी रोका जायेगा। इस पर फैसला किया गया कि आने वाले दिनों में इस तरह से जो संख्या बढ़ाई जाती थी कि काम करने वाले 4 व्यक्तियों की जरूरत है और 14 रखे गये हैं। उन पर रोक लगाई जायेगी। फैसला किया गया है कि जो बड़े-बड़े नये काम हैं उन नये कामों को तभी लिया जायेगा जब उनसे कुछ फायदा हो। उनका आंकलन भी कर लिया जायेगा और इसलिये मान्यवर, इस सम्बन्ध में यह जरूरी हो गया है कि इस दिशा में कोई कठोर कदम उठाये जायें और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दिशा में सरकार ने गम्भीरता से इस पर विचार किया है और सरकार की इस नीति पर निगम ने भी अमल करने का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा मान्यवर, बाड़े की जो स्थिति है हमारे पूरे प्रदेश में। हमारे पास 1972-73 में करीब 1,111 बसें थी।

...और आज 8161 बसें हैं। इसके साथ ही साथ 1972-73 में जो आन रोड बसें थी, वह 3391 थी और आज वह बढ़कर 7094 हो गई हैं। वित्तीय स्थिति के बारे में मैंने जैसा बताया कि आज लगभग 39 करोड़ रूपये का घाटा निगम को है। 316 करोड़ का खर्चा है और लगभग 276 करोड़ के आसपास हमारी आमदनी है। 39 करोड़ का जो यह घाटा हुआ है, इसके कारण क्या हैं। इसे मैं बताना चाहूँगा। समता समिति की जो रिपोर्ट आई, उसके हिसाब से 20 करोड़ के आसपास कर्मचारियों को वेतन दिया गया, यही नहीं लगभग 4-5 करोड़ के आस पास स्पेयर पार्टस के दाम बढ़ गये, 4-5 करोड़ के आस पास हमने जो अतिरिक्त ऋण लिया था, उसका ब्याज पड़ गया। इस प्रकार आप हिसाब लगायें तो लगभग 30 करोड़ के आसपास निगम को घाटा आया है। 30 करोड़ का जो घाटा आया है, वह निगम की परिधि के बाहर का है, वह चाहे केन्द्र सरकार का हो सकता है, मंहगाई की वजह से हो सकता है या फिर समता समिति की जो रिपोर्ट है, उसकी वजह से हो सकता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि निगम को जो घाटा हुआ है, वह 8 या 9 करोड़ के आसपास है। यदि निगम की वित्तीय स्थिति को देखा जाय तो वह सन्तोषप्रद है। वित्तीय स्थिति को और अच्छा किया जाय, यही हमारा प्रयास है। इसके अलावा तकनीकी आधार पर इंजन की जो स्थिति है, तेल का जो औसत है, बसों की जो स्थिति है, उससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि हमारा जो तकनीकी प्रतिष्ठान है, उसके हिसाब से 1972-73 में जो 4 कि0मी0 प्रति लीटर का था, उसमें हमने सुधार करके आज 4.50 कि0मी0 प्रति लीटर तक कर दिया है।

हमारा जो इरादा है, जो टीप अप था वह 171 कि0मी0 प्रति लीटर था, हमने उसमें सुधार करके अब यह 841 कि0मी0 प्रति लीटर हो गया है। इसलिए निगम की जो हमारी स्थिति है, उसमें काफी सुधार हुआ है। अब आप ब्रेक डाऊन की स्थिति को देखें, हमारे देश में जो अन्य सूबे हैं, उनके मुकाबले हमारी स्थिति काफी सन्तोषप्रद है। पूरे देश में जो औसत है वह 0.54 है और उत्तर प्रदेश में यह केवल 0.30 है। इस तरह से दुर्घटनाओं की स्थिति को आप देखें। प्रति लाख कि0मी0 के हिसाब से पूरे देश का औसत 0.62 है और हमारे सूबे में यह केवल 0.22 है। इस मामले में गुजरात से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, राजस्थान तथा अन्य तमाम सूबों से हमारी स्थिति काफी अच्छी है।.....

महत्वपूर्ण बात यह है कि रोडवेज के जो बस अड्डे हैं, जो बसें चलती हैं और जो इनका रख रखाव है, इसके लिये हम आगे आने वाले दिनों में ज्यादा ध्यान देंगे। जो बस में यात्रा करते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। पहाड़ों पर जो यात्री जाते हैं, वहां पर बसों में जो प्राथमिक चिकित्सा का बक्सा होता है, उसमें दवायें रहनी चाहिये। अभी तक जो स्थिति सुनने में आयी है, प्राथमिक चिकित्सा के बक्सों में दवायें नहीं रहती थीं, अतः इस बात का प्रयास किया जायगा कि बक्सों में दवायें रहें। पहाड़ की यात्रा में ज्यादातर पेट में दर्द या उल्टी की शिकायत होने लगती है, इसलिये यह प्रयास किया गया कि ये दवायें पहाड़ों की यात्रा के समय रहें।

जो बस स्टेशनों पर शौचालयों की स्थिति है या पीने का पानी नहीं मिलता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल निगम को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि जितने भी बस अड्डे हैं, वहां पर हैण्डपम्प लगाने की तत्काल व्यवस्था की जाय ताकि पीने का पानी यात्रियों को उपलब्ध हो सके। यात्री बैठे रहते हैं और पानी के अभाव में काफी परेशानी होती है। यह निर्देश दे दिये गये हैं कि चापाकल लगाने की व्यवस्था जल निगम करे। शौचालयों की स्थिति खराब है। यह निर्देश दे दिया गया है कि पुरूष और महिला शौचालयों की नियमित सफाई होनी चाहिये। बड़े-बड़े अधिकारी इस बात का स्वयं निरीक्षण करेंगे कि शौचालय स्वच्छ हैं या नहीं, इसकी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर निर्धारित की जायगी।

मंत्रियों के बैठने का मुकम्मिल इन्तजाम नहीं है। बैठने का इन्तजाम भी उचित और सुविधाजनक होना चाहिये। यह भी स्पष्ट निर्देश दे दिये गये हैं कि बसें ठीक समय से चलें, बसों का समय निर्धारित और सुनिश्चित हो और ठीक समय से उनको चलना चाहिये। इसके लिये मण्डलीय स्तर पर समय सारिणी प्रकाशित करने के निर्देश दे दिये गये हैं। 3-4 महीनों में मण्डलीय स्तर पर बसों की समय सारिणी प्रकाशित कर दी जायेगी। जो लम्बी यात्रायें हैं, उनके लिये पूरे सूबे की समय सारिणी का प्रकाशन किया जायगा ताकि पता रहे कि कौन सी बस किस स्थान से किस स्थान तक जायगी। आम यात्री से इसका सीधा सम्बन्ध रहता है। इसलिये निर्देश दे दिया गया है कि इसमें कोई लापरवाही न हो। यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया गया है कि समय सारिणी के संबंध में जो सूचना पट्ट है, उसमें अंकित होना चाहिये कि कौन सी बस किस समय पर कहां से कहां चलेगी और कितने बजे तक आ जायगी। इसके अलावा जो पूछताछ कार्यालय हैं, उनमें जो सम्बन्धित कर्मचारी हैं, वे बैठे रहेंगे और जहां टेलीफोन है, वे ठीक प्रकार कार्य करें, इस बात का पूरा प्रयास किया जायगा। जहां पर टेलीफोन नहीं लगे हैं, वहां पर टेलीफोन लगवाने के लिये केन्द्रीय सरकार से बात करके सुनिश्चित किया जायेगा कि वहां पर भी टेलीफोन लगाने

की व्यवस्था तत्काल करायी जाय। इस सम्बन्ध में जो आम आदमी की यात्रा से सम्बन्धित जरूरतें हैं, उनको पूरा करना जरूरी है। नयी योजनाओं का लेना भी जरूरी है, बसों की संख्या बढ़ाना जरूरी है। इस समय 8161 बसें हैं। इस वित्तीय वर्ष में यह प्रयास किया जायगा कि 800 नयी बसें हों।

.....माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1190 का ऐलान किया था, 1000 का नहीं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि 1190 बसें आज जाय किन्तु नवम वित्त आयोग के द्वारा हमारी कुछ सीमायें आ गयी हैं जिसके जरिये बसों की संख्या में कमी की बात मैंने कही है। लेकिन यह सही है कि तामिलनाडु के मुकाबिले में हमारे सूबे में बसों की संख्या बहुत कम है। आप यह भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा हुआ सूबा है और इसकी औसत आमदनी अन्य सूबों की आमदनी से कम है, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि बसों की संख्या 800 से लेकर 1000 तक चली जाय और बसों की संख्या के बढ़ाये जाने के साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि हमारे यहाँ बसें सुचारू रूप से चलें। बसों की संख्या इस तरह से हो कि उनका संचालन ठीक ढंग से हो सके और आम आदमी को असुविधा न हो। हमारे यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि बसों के रख-रखाव का जो कार्यक्रम है उसे उपेक्षा की नजर से देखा जाता है। बसों के क्रय के बाद उसके रख-रखाव पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया जाता है जिससे कि उनकी स्थिति खराब हो जाती है, उसकी सफाई ठीक से नहीं की जाती है, जैसे मोबिल आयॅल नहीं बदला जाता है और सफाई आदि की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं होती है।

हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि नये काम को शुरू करने के साथ ही साथ पुरानी योजनाओं का भी पूरा का पूरा लाभ जनता को मिले और यात्रियों को पूरी सुविधा उपलब्ध हो। यह स्थिति प्राथमिकता के आधार पर इस निगम में चलायी जायेगी।

इसमें एक विभाग और भी है और वह है परिवहन आयुक्त का विभाग इससे सरकार को करीब 212 करोड़ रू0 के आस-पास राजस्व की प्राप्ति होती है और इस विभाग का खर्चा केवल 15 करोड़ रू0 या 10 करोड़ रू0 के आस-पास है। यानी कि 212 करोड़ रू0 की आमदनी और खर्चा बहुत कम है इस विभाग का। अगर इस मामले में निष्पक्ष रूप से विवेचना की जाय परिवहन आयुक्त के दफ्तर की तो उसने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमायें हैं बदले हुए परिवेश में। आर0टी0ओ0 जो चेकिंग करने जाते हैं, उन गाड़ियों की स्थिति बहुत खराब है। जबसे मोटर यान अधिनियम, 1989 केन्द्र सरकार के जरिये बदल कर आ गया है तो इससे परमिट में काफी उदारता आ गयी है। अब परमिट की आवश्यकता बहुत उदार हो गयी है।

इसके अतिरिक्त यह भी फैसला लिया गया है कि जैसे स्कूटर है, आटो रिक्शा है, टैक्सियां हैं जो धुआं छोड़ती हैं, प्रदूषण फैलाती हैं इनके संबंध में यह प्रयास किया जा रहा है कि जो सवारी प्राईवेट गाड़ियां चलती हैं वह कम से कम धुआं निकालें ताकि वातावरण में प्रदूषण न हो और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उन पर जो बसें चलती हैं उनके अलावा और जो मार्ग हैं जो हमने निजी मोटर कम्पनियों को दिये हुए हैं, वह सही ढंग से बसों को चलायें। जैसे कि अभी शिकायत मिली थी कि गंगोत्री और उत्तरकाशी के बीच में कुमाऊं मण्डल की बसें सही तरीके से नहीं चल रही हैं। इस संबंध में

यह प्रयास किया गया था कि वहां पर बसें समय से चलें और यात्रियों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।....

.....यह शिकायत मिली है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग पर जो प्राइवेट बसें चलती हैं, वह ठीक से नहीं चल रही हैं। इसलिये यह आदेश दिया गया है कि बड़े अधिकारी जाकर इसको देखें और जो शिकायतें हैं, उनको दूर करें और जनता को तकलीफ न हो। इसकी पूरी समीक्षा की जाय तो यह नतीजा निकलता है कि 12 करोड़ 90 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा का लाभ उठाते हैं, निगम की बसों से और 17 लाख किलोमीटर निगम की बसें प्रतिदिन चलती हैं और रोज 75-76 करोड़ रूपये के आस पास आमदनी होती है। मान्यवर, जो ब्यौरा मैंने यहां पर रखा है, परिवहन कार्यालय और परिवहन आयुक्त के अलावा परिवहन निगम है, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में पूरा ब्यौरा रखा है, लेकिन जो धनराशि इस विभाग पर खर्च की जा रही है, उसके सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि सारे माननीय सदस्य अपने सुझाव दें, जिससे यह राशि का सदुपयोग हो सके और जनता के हित में इस्तेमाल हो सके और प्रमोद तिवारी जी को इस विभाग के मंत्री थे, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह आलोचना के साथ ही साथ अपने अच्छे सुझाव दें, क्योंकि वह स्वयं जानते हैं कि इसमें सीमित साधन हैं। इसलिए तमाम सदस्यों से निवेदन है कि वह अपने-अपने सुझाव दें और जिससे इस बजट को सही दिशा मिल सके।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया रख दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माननीय कारागार मंत्री जी जब बजट प्रस्तुत कर रहे थे, तो इत्तफाकी है कि गत वर्ष यह बजट मैंने प्रस्तुत किया था। मैं इसको दुर्भाग्य मानूंगा कि इस वर्ष कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले वर्ष 1991 में बजट मैं फिर से रखूंगा और माननीय कारागार मंत्री जी कटौती का प्रस्ताव रखेंगे। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका प्रतिरोध नहीं किया है, इससे ऐसा लगता है कि वह मेरी बात से सहमत हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

आप दिवा स्वप्न देख रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार—

मैं सच बात कह रहा हूं और आप को दिवा स्वप्न लग रहा है। मान्यवर, मेरी जो अर्जित की हुई उपलब्धियां हैं, कांग्रेस सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन्हीं का इस सरकार ने बयान किया है। जो उपलब्धियां सरकार ने बतायी हैं वह दिसम्बर के पहले की हैं, आपने कुछ नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग के प्रति आपकी कितनी रूचि है वह इसी बात से स्पष्ट है कि आज तक इस विभाग का कोई मंत्री नहीं है। इतनी बड़ी सेना में कोई सेनापति नहीं है, जो इसके काम को सफलतापूर्वक चला सके। आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसको माननीय कारागार मंत्री जी ने पेश किया है, लेकिन जब असली कार्य करने का अवसर आयेगा तो कौन करेगा।

श्री रवीन्द्र सिंह—

आप इधर चले आये तो सौभाग्य मिल जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार—

पहले आप को मिल जाये।

...मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से सुझाव के रूप में अनुरोध करूंगा कोई आलोचना के रूप में नहीं कह रहा हूं कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है इसलिये इसमें आप जल्दी से जल्दी एक मंत्री दे दें।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

इसलिये तो हमारे पास है।

श्री प्रमोद कुमार—

आपके पास तो 60 विभाग है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, चूंकि यह महत्वपूर्ण विभाग है इसलिये मुख्य मंत्री जी ने इसे अपने पास रखा है। पहले राज्य मंत्री स्तर के मंत्री इसमें थे और आज यह स्वयं उन्होंने अपने पास रखा है।

श्री प्रमोद कुमार—

मैं अभारी हूं कि माननीय कारागार मंत्री को कारागार से ज्यादा महत्वपूर्ण परिवहन विभाग लगता है। शीघ्र ही मंत्रि-मण्डल का विस्तार आप करें, लेकिन आपकी कुछ समस्यायें हैं। हमारी शुभकामनायें आपके साथ हैं। मान्यवर, मैं यह जरूर कहूंगा कि इस विभाग ने गत कुछ वर्षों में उपलब्धियां हासिल की हैं और उन्हें बखूबी मंत्री जी ने बयान किया है। लेकिन आज सम्पूर्ण राष्ट्र के सामने एक प्रश्नचिह्न लग गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं। मैं इस विभाग के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

आज ईंधन की समस्या आपके सामने है और इससे आपकी सरकार और सारा प्रान्त दुखी है। इसके लिये हम लोग भी बराबर के भागीदार हैं। मान्यवर, जो बड़े वाहन हैं, जैसे गाड़िया हैं, कारें हैं, जीपें हैं, उनके बजाय अगर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, देहातों में रहने वाले लोग हैं वे मोपेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोपेड ऐसा वाहन है जो सबसे कम ईंधन खर्च करता है। यह प्रदेश के हित में होगा कि कम खर्च करने वाले दुपहिये वाहनों को आप चलायें। निश्चित रूप से मध्यम श्रेणी के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, सरकारी कर्मचारी, छोटे-मोटे किसान इसे इस्तेमाल करते हैं। इसलिये इन दुपहिये वाले वाहनों को आप हर तरह के कर से मुक्त कर दे तो ईंधन की भारी बचत होगी। मोपेड के इस्तेमाल से ईंधन की बचत के साथ-साथ लोगों को इससे लाभ भी मिलेगा।

पर्यावरण के सम्बन्ध में भी परिवहन विभाग देख रहा है। इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आपने कहा कि इसका भी निदान होना चाहिए। किन्तु आपने इसके निदान के कोई उपाय नहीं बताये। इसके लिये आपके पास संशोधन क्या है जिससे आप इस पर्यावरण की स्थिति को सुधार सकते हैं। उनके स्मोक टेस्ट करने की कितनी ऐसी मशीनें आपके पास हैं। आप हमारे इस सुझाव से

सहमत हों तो मेरा आपसे आग्रह है कि आपने जो इस दिशा में प्राथमिकता दी है, बहुत अच्छी बात है, इसलिये ज्यादा से ज्यादा मशीनें कवाल टाउन्स में आप लगा दें ताकि जहां पर अधिक प्रदूषण की समस्या है जो वाहन धुंवा छोड़ते हैं, उनके साथ सख्ती करें। इन वाहनों में ईंधन की खराबी के कारण ही धुंवा निकलता है, इसको आप देखें। मान्यवर, सड़कों पर प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक देखें तो आसमान पर एक धुँए की सतह सी बन जाती है और इसी प्रकार शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक वातावरण दूषित हो जाता है। इसको चेक करने के लिये आपके पास मात्र दो मशीनें हैं। आप इसको रोकें। आप और मशीनें मंगाये, हम आपके साथ हैं।

मान्यवर, दुर्घटनायें जो होती हैं वह चालकों द्वारा नशे के कारण होती हैं। इसकी रोक के लिये आपके पास कोई संसाधन नहीं। इसके लिये आप एक अभियान चलायें कि जो नशे की हालत में गाड़ी चलायेगा उनके खिलाफ सिर्फ यह करें कि उन्हें आर्थिक रूप से दंडित करें बल्कि उनका लाइसेन्स एक निश्चित अवधि के लिये निलंबित कर दें। इससे स्थिति में सुधार होगा। मैं सुझाव के रूप में कहूंगा कि जो दुर्घटनायें होती हैं वह गाड़ियों के रख-रखाव के कारण ही होती हैं। इसके लिये मैं सुझाव दूंगा कि आप दो चीजों का ध्यान रखें। एक बात तो यह है कि चालक के स्वास्थ्य का एक निश्चित आयु के बाद परीक्षण होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि गाड़ियों के रख-रखाव की निरन्तर चैकिंग होनी चाहिए जैसे उसके ब्रेक आदि हैं। इससे दुर्घटनायें कम होगी। इसके लिये एक अभियान चलाने की जरूरत है।

मैं माननीय कारागार मंत्री जी से कहूंगा कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी 99 प्रतिशत बसों में फस्ट एड बाक्स नहीं है। जब दुर्घटनायें होती हैं तो वह किसी अस्पताल के आसपास नहीं होती हैं वह लम्बे मार्गों पर होती है बहुत से लोगों की जानें इसीलिये चली जाती हैं कि उनको फस्ट एड नहीं मिल पाती है। तो फस्ट एड बाक्स सभी बसों में रहे इस बात को आप सुनिश्चित करायें। इससे बसों में मरने वालों की दर कम हो जायेगी।

दूसरी बात जो मैंने कही कि मोपेड और स्कूटर पर कर कम से कम लगे इससे निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और पर्यावरण भी कम दूषित होगा।

दूसरी बात प्रभावी नियंत्रण के लिये प्रवर्तन दल महत्त्वपूर्ण होता है। उसमें सर्वोच्च अधिकारी उप परिवहन आयुक्त स्तर का है वह न सारा कार्य देख सकता है और न उसे कोई अधिकार प्राप्त हैं। एक प्रस्ताव हमारी सरकार के समय में भी रखा गया था कि इस पद को कम से कम अतिरिक्त परिवहन आयुक्त स्तर का कर दिया जाय वह अभी तक नहीं हो पाया है इसलिये इस पर आप विचार कर लें। बिना प्रभावी प्रवर्तन के आपके विभाग का काम ठीक चल नहीं सकता है।

माननीय मंत्री जी अभी कह रहे थे कि हमारे इस विभाग ने बहुत पैसा कमाया है तो शायद उन्होंने परिवहन विभाग के आंकड़े ठीक से नहीं देखे होंगे आपकी पुस्तिका जो मुझे मिली है उसको अगर आप देखें तो मालूम हो जायेगा आमदनी में जो वृद्धि हुई उसको बता रहा हूं 1987-88 में 17.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, 1988-89 में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 1989-90 में यह वृद्धि 8.2 प्रतिशत रह गयी तो गत वर्ष से आधे से भी कम है तो मैं कहूंगा कि यह ऐसा श्रोत है जो आपको ज्यादा संसाधन दे सकता है। इसका बोझ भी

साधारण लोगों पर नहीं पड़ता है। जो यह आमदनी घटी है यह निश्चित रूप से ध्यान देने की है। दिसम्बर तक वसूली अच्छी हुई होगी उसके बाद कम हुई होगी।

इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान ट्रकों पर जो एकबारगी 40 प्रतिशत माल कर बढ़ा दिया है की ओर ले जाना चाहता हूं। एक बारगी इतना बढ़ा देना उचित नहीं है इसके लिये आप मिल बैठकर विचार कर लें और जो समिति बनी हुई है उसमें तय करें या फिर 10, 20 प्रतिशत उसे कर दें जिससे आवागमन में अवरोध न हो। 40 प्रतिशत माल कर बढ़ाने से ट्रक वालों को परेशानी हो रही है एक तो ट्रकों की क्षमता कम कर दी है और दूसरी तरफ रेट बढ़ाने से उसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है तो यह 40 प्रतिशत बढ़ाना अव्यावहारिक है इसे कम किया जाना चाहिये।

एक और शिकायत है कि आपका विभाग पैसेंजर से, ट्रकवालों से या बस वालों से पैसा तो वसूल कर लेता है लेकिन जिनसे यह पैसा वसूला जाता है उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है। तो ट्रकवालों से, बस वालों से या यात्रियों से जो पैसा लिया जाता है उसका एक निश्चित प्रतिशत उनकी सुविधा के लिये खर्च किया जाना चाहिये। प्राइवेट टैक्सी वालों के लिये या ट्रक चालकों के लिये कोई विश्रामगृह नहीं बने हैं। दो सौ करोड़ से ज्यादा आप राजस्व प्राप्त करते हैं उसका 10, 20 प्रतिशत पैसेंजर्स पर या जिनसे यह पैसा वसूल किया गया है उन पर खर्च होना चाहिये।

एक दूसरी समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं महानगरों में जो परिवहन के लिये टैक्सी चलती हैं खासकर लखनऊ में ही देख लें यहां पर किसी भी टैक्सी में मीटर नहीं लगा हुआ है और मनमाने ढंग से पैसेंजर्स से वह पैसा वसूल करते हैं। जब पंजीकरण होता है तो उस समय बहाना बना कर कह दिया जाता है कि मीटर उपलब्ध नहीं है तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। मीटर होने से यात्रियों को सुविधा होती है इसको आप एक अभियान के रूप में चलायें कि जितनी भी टैक्सीज चलती हैं जो यात्रियों को शहर में ले जाती हैं उन पर मीटर लगे। ताकि उनको मालूम हो कि स्टेशन से दारूलशफा तक जाना है तो कितना किराया देना होगा या एयर पोर्ट से आना है तो कितना किराया पड़ेगा।

....जहां तक परमिट के संबंध में कहा गया है तो मैं बधाई दूंगा पहली सरकार और केन्द्रीय सरकार को जिसने परमिट को लचीला बनाया है। लेकिन व्यवहारिक बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रदेश की 13-14 करोड़ आबादी है और परिवहन निगम के पास मात्र 8 हजार बसें हैं जबकि आन्ध्रप्रदेश के पास 13 हजार बसें हैं जो कि हमसे आबादी में काफी छोटा है। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि 1100 बसें बढ़ा देंगे तो कितनी होंगी कुल मिलाकर 9,100 बसें हो जायेंगी। जो जनसंख्या को देखते हुए कम हैं। यदि प्रदेश के लोग अपनी पूंजी लगा सकें और राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसें चला सकें तो परिवहन निगम जो आवश्यकतानुसार बसों को पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिये प्राइवेट ओनर्स को आमंत्रित करके बसें चलवायें तो अच्छा कदम होगा। मैं सुझाव दूंगा कि ऐसे परमिट शिक्षित बेरोजगारों को पहले दे, फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और फिर विकलांग लोगों को वरीयता दें और उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दें। यदि उनके पूंजी निवेश को परिवहन निगम में बढ़ायेंगे तो यह अच्छा कदम होगा, इसलिये आप इस ओर ध्यान दें।

मान्यवर, आलोचना मैं नहीं करना चाहता हूं मात्र सुझाव ही दिया है और बधाई दूंगा कि गत वर्ष ईंधन की खपत कम करने का सड़क परिवहन निगम ने काम किया है, वह अच्छा है। इसके लिये 4.8 प्रति कि0मी0 डीजल के हिसाब से चली हैं किन्तु 5 का लक्ष्य रखना चाहिए।

मान्यवर, सड़क परिवहन निगम के घाटे के बारे में कहा जाता है तो मैं समझता हूं कि परिवहन निगम का जन्म मुनाफा कमाने के लिये नहीं बल्कि लक्ष्य और उद्देश्य प्रदेश की जनता को कुशल एवं सही परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है और मात्र लाभ कमाये इसका मैं पक्षधर नहीं हूं। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह और अपील करूंगा कि 8 हजार बसें हैं लेकिन इनकी संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए। संसाधन परिवहन निगम के पास नहीं हैं कि यह संख्या बढ़ा सकें इसलिये प्रदेश सरकार को निश्चित रूप से धनराशि 5 हजार बसों का बेड़े में बढ़ाये जाने के लिये राज्य सड़क परिवहन निगम को आर्थिक सहायता के रूप में सरकार उपलब्ध कराये।

मान्यवर, एक प्रस्ताव यह भी रखा गया है कि बसों के किराये को बढ़ाया जाये। आपकी समाजवादी सरकार है, जनता की भलाई के लिये आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, यदि इसको मानते हैं तो आज ही मुख्य मंत्री जी घोषणा करें कि बसों के किराये को नहीं बढ़ायेंगे और यदि बढ़ायेंगे तो आपकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट हो जायेगा। इसका कारण है कि किराया कोई अधिकारी या बड़े लोग नहीं बसों में चलते हैं जो देंगे बल्कि गांव का किसान, छात्र और मजदूर, गरीब लोग चलते हैं, इसलिये किराया बढ़ायेंगे तो कमजोर वर्गों पर अधिभार पड़ेगा। इसलिये आग्रह है कि 35 प्रतिशत न बढ़ाकर राज्य सरकार अंशदान के रूप में परिवहन निगम के घाटे को पूरा करे और जनता पर पड़ने वाले भार को रोकें। मुख्य मंत्री जी यहां सदन में घोषणा करें कि निकट भविष्य में आपके शासन काल में किराया नहीं बढ़ाया जायेगा तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने के लिये तैयार हूं।

...यदि माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसी घोषणा कर सकें कि हम अपने शासनकाल में बस के किराये को नहीं बढ़ायेंगे तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को आदरपूर्वक वापस ले लूंगा। मैं जानता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वह सभी कहना चाहते हैं, किन्तु वह ऐसा न कहने को विवश है किराया अगर बढ़ेगा, तो मुझे याद कराना पड़ेगा वह दिन जब मुख्य मंत्री जी यहां बैठते थे और किराया बढ़ाने के प्रस्ताव का सदैव विरोध किया करते थे। मैं चाहता हूं कि वह अपने संसाधन बढ़ायें, फिर भी निगम का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि जनता को आवागमन की बेहतर सेवा उपलब्ध कराना है।

निगम ने नये बस स्टेशन न बनाने का निर्णय ले रखा है। साथ ही शायद और भी जन सेवाएं वहां न उपलब्ध कराने का विचार कर रखा है। यदि हम यात्रियों को सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, जो बहुत कम समय में जनता की आबादी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, तो हम जनता के साथ बड़ा अन्याय करते हैं। क्या आपने कभी इन बस स्टेशनों की हालत देखी है? यात्री सुविधा के नाम पर वहां पर जो चीजें उपलब्ध हैं, यह क्या एक साधारण स्तर के जीवन के लिए भी पर्याप्त हैं। मेरा निवेदन है कि आप कम से कम 4-5 बस स्टेशनों को इस दृष्टि से अवश्य देखें, वहां की स्थिति को देखें, क्या किसी महिला को आवश्यकता पड़ जाए तो वहां क्या कोई ऐसा स्थल उपलब्ध है, जहां वह निवृत्त हो सकें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि बड़े पैमाने

पर सारे प्रदेश में यह इस प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि इसमें बस स्टेशनों पर भी इस सुविधा को उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाए। यदि आपके पास इसके लिए धन उपलब्ध नहीं है, तो आप स्वंयसेवी संस्थाओं से कहें जो इस प्रकार की सुविधाएं अन्य स्थानों पर उपलब्ध करा रहे हैं। इन्हें बस स्टेशनों पर भी बनाया जाए, ताकि महिलाएं और वृद्धजन निवृत्त हो सकें। आज लगभग 99 प्रतिशत स्थानों पर यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसका प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इस सन्दर्भ में यह कहना चाहता हूं कि अभी राज्य परिवहन प्राधिकरण बनाने की बात चली थी। जिस तरह से भारतीय विमान प्राधिकरण बना था। मैं नहीं जानता हूं कि वह बीज किस स्तर पर है। लेकिन यदि एक ही छत के नीचे बस, टैक्सी और प्राइवेट बसें खड़ी हो सकें और तमाम आवश्यक सुविधाएं यात्रियों को दी जा सकें, तो उससे जनता का बड़ा लाभ होगा और सुविधा भी होगी तथा निगम की भी कार्यक्षमता बढ़ जाएगी। नगर सेवा में आप पौने चार सौ बसें चला रहे हैं, वह नाकाफी है। मैं तो कहता हूं कि इतनी बसें यदि मात्र लखनऊ नगर में ही लगा दी जाएं तो उसके लिए भी यह अपर्याप्त होगी। आबादी तेजी से बढ़ी है और सभी नगरों में आबादी फैली है। चूंकि नगर बस सेवा घाटे का सौदा है, इसलिए आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आबादी बढ़ने के साथ और अतिक्रमण बढ़ने के साथ बहुत से मार्गों पर अब बसें चलना दूभर हो गया है, जैसे लखनऊ में इन्दिरा नगर और राजाजी पुरम् है। मैं कहूंगा कि उसके कुछ रूट्स से आप अपनी बसें हटा लें और प्राइवेट बस वालों का वहां पर विकल्प के रूप में अपनी बसें चलाने के लिए कहें। या आप जनता के सामने आइये और बताइये कि इतनी बसों की हमें आवश्यकता है। आप नहीं कर सकते हैं तो आपको इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जहां प्राइवेट बड़ी बसें नही चल सकती हैं, मिनी बसें चलवाएं, जहां अतिक्रमण है और बड़ी बसें नहीं चल सकती हैं। इसमें भी आप बेरोजगार युवकों, स्वतंन्त्रता संग्राम सेनानियों और विकलांग लोगों को प्राथमिकता दें। इससे दोहरा लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह से मैं आपसे जरूरत कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आज आपके बस-बेड़े में सबसे कम आयु की बसें है। वहां पर ओवर ऐज बसों का प्रतिशत बढ़ा है। जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं अधिक होंगी और बसों के रख-रखाव पर भी ज्यादा व्यय आएगा। 88-89 में यह 8.07 प्रतिशत था जो 89-90 में 10 प्रतिशत हो गया है।

...जिस बस बेड़ों में 10 प्रतिशत बसें हैं उनके बारे में कल्पना करें तो निश्चित रूप से आप पुरानी बसों को हटायें और नयी बसें लायें। बेड़ों को चुस्त-दुरूस्त रखें। आन्ध्र प्रदेश में 7110 बसें हैं और हमारा इतना बड़ा प्रदेश है, 13 करोड़ की आबादी है, और यहां पर आपके पास केवल 7545 बसें है। क्या छह महीनों में एक भी बस आप बढ़ा पाये हैं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ सुझाव दे रहा हूं अगर राज्य सड़क परिवहन निगम ने जो 1100 का लक्ष्य रखा है उसको अगर आप पूरा करें तो भी 9000 बसें होंगी। या तो मुख्यमंत्री जी बसों की संख्या बढ़ायें और अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो परमिट को फ्री करिये ताकि प्राइवेट लोग आगे आयें। मान्यवर, इसी तरह से आप देखें कि बस बेड़ों का उपयोग प्रतिशत 88 तक बढ़ा है। इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है क्योंकि पहले यह प्रतिशत 60 तक था। लेकिन हरियाणा का यदि 95 प्रतिशत हो सकता है तो यहां का 95 प्रतिशत तक क्यों नही पहुंचा। इसके लिए आप प्रयास करें। और हरियाणा का अनुसरण करें। मान्यवर, जो हरियाणा सरकार के साथ समझौता हुआ है, बसों के चिप्स के

लिए, उसमें इतना अन्तर है। यात्रीकर के रूप में हरियाणा सरकार अपने खजाने में ज्यादा पैसा जमा कर रही है और उत्तर प्रदेश का हिस्सा कम है। इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री और परिवहन मंत्री की वार्ता हो चुकी है। 607 लाख रूपये का घाटा हरियाणा सरकार की जबरदस्ती के कारण उठाना पड़ा। अगर यह घाटा न होता तो उत्तर प्रदेश की बसों के बेड़े में 15 बसें आप प्रतिवर्ष बढ़ा सकते थे। हरियाणा सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार का 60 लाख रूपये का हिस्सा ले रखा है। इस मामले में उत्तर प्रदेश को न्याय मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के साथ हुई इस ज्यादती को दूर करने के लिए आप प्रयास करें, समझौता कर दें कि उनको उतना ही हिस्सा मिलना चाहिए जितना उनके हिस्से में हो। एक रूपये में वह ज्यादा हिस्सा ले लें और हमको कम दें, ऐसा कैसे होगा। ऐसा इसलिए है कि जब यह समझौता हुआ था तब दरों में फर्क था और आज दरों में फर्क है। एक तरफ घोषणा कर दी है और आपकी सहमति नहीं प्राप्त की है। आप उनसे आग्रह करें कि प्रति वर्ष जो फायदा हो उसे आपको भी उपलब्ध कराया जाय। मान्यवर, एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि आज लोड फैक्टर में कमी आयी है। बसों में जो आपकी क्षमता है, उसमें बैठने वाले यात्रियों के प्रतिशत में कमी आयी है। हरियाणा में यह 77 प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश में मात्र 64 प्रतिशत है। राजस्थान में 72 प्रतिशत है, महाराष्ट्र में 64, मध्य प्रदेश में 74 तथा केरल में 84 प्रतिशत और आन्ध्र प्रदेश में 76 प्रतिशत है। वहां पर यह क्षमता बढ़ी है, आपके यहां क्यों नहीं बढ़ी, इसके लिए सघन चैकिंग की आवश्यकता है।.....

अगर आप इसको रोक सकेंगे तो निश्चित रूप से इसका अच्छा और अनुकूल असर निगम की आय पर पड़ेगा। जब हरियाणा में यह 77 प्रतिशत है तो आपके यहां यह 64 प्रतिशत क्यों है। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आज जो यह 64 प्रतिशत है यह कभी हमारे यहां 75 प्रतिशत तक रहा है। यह जो 10 प्रतिशत क्षमता में कमी आयी है इसकी तरफ आप देखें और इसमें सुधार करें। पुनः मैं अपनी बात दूसरे दौर में कहूँगा लेकिन इतना जरूर आग्रह करूँगा कि आपकी सरकार यदि समाजवादी सरकार है, आप जनता के हित के प्रति समर्पित हैं और आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो आज मुख्य मंत्री जी आप एक घोषणा करें कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के किराये में वृद्धि नहीं की जायेगी और जनता पर कोई भार नहीं डाला जायगा। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यह घोषणा कर दें तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लूँगा और आपको शुभकामनायें अर्पित करूँगा। अगर आप यह नहीं करते हैं तो सारे प्रदेश की जनता को यह लगेगा कि कहीं न कहीं नियत किराया बढ़ाने की है। मैंने कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से सुझाव दिये हैं, मैने कोई कार्य प्रणाली की आलोचना नहीं की है। केवल मैंने नीतिगत सुझाव दिये हैं। आलोचना करता क्या, दिसंबर तक तो हमारा ही कार्यकाल रहा है। जो उपलब्धियां हैं वह हमारी उपलब्धियां हैं। हमारी जो उपलब्धियां हैं उन्हीं के बारे में माननीय शतरूद्र प्रकाश जी ने कहा है जिसके लिये मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। एक बात और रह गयी है और वह यह है कि आप यह घोषणा करें कि किराया बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं कहना चाहूँगा कि आप किसानों के, जनता के हितैषी नहीं है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, इस बजट पर आपने बोलने के लिये मौका दिया है उसके लिये

मैं आपका आभारी हूँ। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने परिवहन विभाग का बजट यहां पर रखा है। मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जितनी भी उपलब्धियां हैं वह हमारी हैं, उनके जमाने की हैं तो मैं उनसे साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि जब प्रमोद तिवारी सत्ता में थे तो उस वक्त जो कमियां थीं उनकी तरफ उनकी नजर कभी नहीं गयी और जब सत्ता पक्ष से विपक्ष में गये तो उन्हें सारी बुराइयां नजर आ रही है। अगर उनको बड़ी हमदर्दी है तो इधर चले आयें, हमारे पास आ जायं।

श्री प्रमोद कुमार—

अपने लिये तो कोई सहारा ढूंढ़ लीजिये। सन् 77 से 80 तक आप राज्य मंत्री रहे थे।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, चूँकि समय कम है इसलिए मैं कुछ सुझाव दूँगा और कुछ समस्यायें अपने क्षेत्र की आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इन सुझावों पर हमारे मंत्री जी गौर करेंगे और आने वाले दिनों में इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बसों की कमी को दूर करने के लिये कहा है और हजार नयी बसें चलाने का प्राविधान किया है। मैं इस बात के लिये भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ उन्होंने भाई प्रमोद तिवारी के जमाने की जो बसें रद्दी पड़ीं थीं उनमें 680 पुरानी बसों को ठीक कराने जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं यह बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रदेश में 7 नये डिपो खोलने की बात कही है। मान्यवर, जहाँ तक मेरे जनपद बाराबंकी का सवाल है, हमारे जिले के माननीय सदस्यों ने बराबर इस सदन का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित किया है कि बाराबंकी में परिवहन निगम का कोई डिपो नहीं है। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम छानबीन हुयी, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से बाराबंकी में डिपों नही खोला गया है। मेरा आग्रह है कि इस सत्र में बाराबंकी में बस का डिपो जरूर खोला जाय। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि बाराबंकी जिले में बसों की बड़ी दिक्कत है। बाराबंकी से गुजरने वाली लांग रूट की बसें जो चलती हैं यह बसें बाराबंकी के स्टेशन पर न जाकर सीधे चली जाती हैं जिससे आम सवारियों को बड़ी दिक्कत होती है। विभाग के अधिकारियों को सदन के सम्मानित सदस्यों को, माननीय मंत्री जी को यह पता है। मैं समझता हूँ कि यह दिक्कत सारे जिलों में है। जो बसें लांग रूट की हैं वह जिलों में नहीं खड़ी होती हैं और सीधे निकल जाती हैं जिससे यात्री परेशान होते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे यह बसें नियत स्थान पर जरूर खड़ी हों। हमारे क्षेत्र में रूदौली एक स्थान है। रूदौली के लिये लखनऊ से 3 बसें चलती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब प्राइवेट बसें चला करती थीं तो रूदौली से बाराबंकी के लिये 25 बसें चलतीं थीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी। आज आबादी कितनी बढ़ गयी है इसलिये मेरा निवेदन है कि रूदौली के लिये रोडवेज की बसों की संख्या बढ़ायी जाय ताकि आने जाने वालों को जो कठिनाईयां हो रहीं हैं वह दूर हो सकें। अच्छा होगा कि रूदौली के लिये लोकल बसें चलायी जायं तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा सुविधा होगी। मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रूदौली में एक बस लखनऊ कुवांपुर के लिये जाती थी वह बस

3 महीने से बंद है और लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है जिसका अंदाजा यहां बैठकर नहीं लगाया जा सकता है। इस तरफ ध्यान दिया जाय। मान्यवर, हमारे यहां रूदौली क्षेत्र में बसों की तदाद बहुत कम है। मेरी गुजारिश है कि लखनऊ से जो बस मवई चौराहा, न्योरा, उमापुर को जाती है वह बंद हो गयी है उसको नियमित कर दिया जाय क्योंकि इसकी दूरी 95 किलोमीटर है। वहां पर पक्की डामर रोड है जिससे कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद भी कोई परवाह नहीं की जा रही है। इस सिलसिले में मैंने कहा और लिखा भी लेकिन आज तक कोई उत्तर नहीं आया और कोई कार्यवाही नहीं हुयी। मान्यवर, मेरे जिले में जहां से माननीय दीक्षित जी चुनकर आते हैं, हैदरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र, तो हैदरगढ़ के लिये बाराबंकी से 6 बसें जाती हैं जिनमें से 3 बसें बिल्कुल खचाड़ा हैं। वह ऐसी बसें हैं कि न जाने कब और कहां खड़ी हो जायं। मैंने कई बार लिखा है लेकिन परिवहन विभाग जो प्रमोद तिवारी जी के जमाने से सफेद हाथी की भांति है, जिससे लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं।

(इस समय 2 बजकर 20 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये)

आज जरूरत इस बात की है कि अगर परिवहन विभाग बसें नहीं चला पाता है तो प्राइवेट बस वालों को पूरी छूट दी जाय अपनी बसें चलाने के लिये ताकि जनसाधारण को आने-जाने में असुविधा न हो। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिन मुद्दों की तरफ मैंने सदन और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है उन पर गौर किया जायगा और उन पर अमल किया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूँ।

श्री राम कुमार शुक्ल—

मान्यवर, आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मंत्री महोदय जो बजट भाषण पढ़ रहे थे, उसको मैंने सुना और माननीय तिवारी जी जो पढ़ रहे थे, उसको भी मैंने सुना। मान्यवर, यह जो रोडवेज निगम है, उसके लिए सोच इस प्रकार की होनी चाहिए कि राज्य सरकार की आय का साधन परिवहन निगम कैसे बने। इतना सब कुछ साधन हो और उसके बावजूद भी निगम लगातार घाटे में चल रहा है। यह ठीक नहीं जब प्राइवेट लोग चलाते हैं, तो लाखों रूपयें का फायदा होता है और जब सरकार चलाती है, तो घाटे का बजट बन जाता है। मान्यवर, सवारियों की कमी नहीं है, जब ज्यादा सवारियां आ रही हैं रोडवेज उसको ढो नहीं सकता है, और उसके बावजूद जब बजट आता है, तो घाटे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। हमारे साथियों ने आंकड़ों का तकाजा किया है, मैं उसकी ओर नहीं जाना चाहता हूं। जो इसमें भ्रष्टाचार है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश में 7,987 बसें चलती हैं। हमने दक्षिण भी देखा है। वहां पर इतनी बढ़िया व्यवस्था है रोडवेज की कि हम कल्पना यहाँ बैठकर नहीं कर सकते हैं। यहां पर हम बस पर बैठते हैं, तो मालूम होता है कि बैलगाड़ी पर बैठे हैं। एक बस में हमने देखा कि ड्राइवर ने बार-बार ब्रेक लगाया, लेकिन बस नहीं रूकी और एक आदमी मर गया। यहां के कर्मचारी को यह भी कहा जाता है कि जैसी भी खराब-सराब बसें है, वहीं लेकर चलो। जब मैंने ड्राइवर से पूछा कि खराब बसें

लेकर क्यों चलते हो, तो उसने कहा कि यदि खराब बस लेकर न चलें, तो हमारा यहां से स्थानांतरण हो जायगा। मान्यवर, भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, निगम पर तमाम कर्जा है। हमने बीसों साल से देखा है कि जितनी नई बसें खरीदी जाती हैं, उसमें बड़ा घोटाला होता है और कमीशनखोरी होती है। इसकी मान्यवर, जांच कराई जाय। प्राइवेट जो बस खरीदता है, तो वह काफी दिनों तक चलती रहती हैं, परन्तु निगम की अच्छी स्थिति की बसें भी बेच दी जाती हैं, औने-पौने पर भी बेच दी जाती हैं। मैं बहुत पहले से जानता हूं कि रोडवेज कार्यशाला जो कानपुर और लखनऊ में है, इसमें बहुत भ्रष्टाचार है। कागज पर करोड़ों रूपये की सामग्री खरीदी जाती है और बसों में लगती नहीं हैं। जितना भ्रष्टाचार इन बसों की सामग्री के खरीदने में है, इस पर अंकुश लगाया जाय। एक साहब को पता था कि गाड़ी रोकने के लिए चेन खींची जाती है, वह बार-बार चैन खींचते रहे, परन्तु ट्रेन रूकने के बजाय बार-बार पानी गिरता रहा। मान्यवर, गलत चैन पुलिंग से बार-बार किराया बढ़ाया जाता है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। मान्यवर, मैं लखनऊ से चुना गया हूं। यहां पर हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। यहां पर सवारियों की कमी नहीं है, यहां पर खूब सवारियां मिलती हैं। यहां पर घाटे पर बसें नहीं चलनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद 390 लाख की आय हुई है और व्यय 1152 करोड़ तथा हानि 761 करोड़ की हुई। उसके बावजूद भी यह घाटा आश्चर्यजनक लगता है। मान्यवर लखनऊ राजधानी है यहां नगर बसें कम से कम एक हजार होनी चाहिए तथा सभी रोड से चलनी चाहिए।

इसके अलावा मान्यवर, जो बसें चलाई जाय उसमें किराया न बढ़ाया जाय मान्यवर, यह जो टैक्सी टैम्पो वाले हैं ये अगर कहीं 2 पैसा पेट्रोल का बढ़ता है तो ये आठ आने दस आने किराया बढ़ा देते हैं इससे जनता का शोषण हो रहा है, इसे रोकना चाहिए। मान्यवर, अगर हम कहीं इसका विरोध करते हैं तो हमें अपमानित होना पड़ता है। इस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए कि जिस औसत में पेट्रोल के दाम बढ़ाये जाय उसी अनुपात में किराया बढ़ाया जाय, ज्यादा नहीं। दूसरी बात यह है कि यह नई सरकार आई है यह इसे घाटे का सौदा न बनाकर निगम को प्रदेश की आय का साधन बनाये यदि इसका भ्रष्टाचार रोका जाय तो मेरा विचार है कि आगे 10 साल तक किराया बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि किराया न बढ़ाये तो हम माननीय मंत्री जी के बहुत आभारी होंगे।

श्री हरवंश सहाय—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ। माननीय मंत्री जी इस समय जो बसों का चलाने का नियम है वह पल्लवन योजना के तहत बसे चलायी जा रही हैं। मान्यवर, जो बस स्टैण्ड हैं वहाँ कोई बुकिंग क्लर्क नहीं रहता है। यात्री बैठे रहते हैं और जब बस चलती है तो उसके बाद कंडक्टर ही टिकट बनाता है इसमें घंटो समय लगता है। मेरा सुझाव है कि बस स्टैण्ड पर ही टिकट बनाया जाय और सीट के अनुसार ही टिकट बनायें जाय। और जब स्टैण्ड से बस चले तो उसके बाद जो टिकट लेता है उसको पीछे की सीट पर बैठायें। इससे तमाम दिक्कत साफ होगी और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। स्टैण्ड पर यह टिकट न बनने से भारी नुकसान हो रहा है, इसे रोकें। मान्यवर, दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूँ कि बसे बहुत जर्जर हालत में हैं

और उनके कहीं भी एक्सीडेन्ट होने की सम्भावना रहती है। इनमें से 25-30 प्रतिशत बसें ऐसी हैं जो 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी हैं और उस पर बैठने से एक्सीडेन्ट अवश्यम्भावी सा लगता है इसलिए मेरा सुझाव है कि इन बसों को बन्द कीजिए और नई बसें चलाने का जो एलान किया है उसका स्वागत करता हूँ। पुरानी बसों के चलने से एक्सीडेन्ट भी होंगे और यात्रियों को परेशानी भी हो रही है और बसों के रख-रखाव में भी काफी खर्च हो रहा है इसलिए मेरा सुझाव है कि जो नई बसों को चलाने का एलान किया है उसको द्रुतगति से चलायें।

मान्यवर, एक सुझाव और है कि 1980 के पूर्व एक बस पर 8.5 प्रतिशत कर्मचारी रहते थे और इसे घटाकर 7 कर्मचारी कर दिया है तो इस प्रकार से अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है और कर्मचारी घटते जा रहे हैं। बसों की संख्या बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है और यात्रियों की संख्या बढ़ रही है लेकिन कर्मचारियों की संख्या घट रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कर्मचारियों की संख्या न घटने पाये इस पर आप अंकुश लगायें। मान्यवर, मुख्यालय में 11 कर्मचारी और एल0एन0 फारेस्ट निगम वर्कशाप में 13 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वह मुख्यालय के अन्दर न आवें। लेकिन जो अधिकारीगण हैं, उनको अन्दर आने से रोक लगाए हैं। मेरा निवेदन है कि आपके जो आदेश हैं, उनका पालन करावें। एक सुझाव और देना चाहता हूँ कि आपका विभाग उधार खाते का विभाग है। साढ़े तीन करोड़ कांग्रेस पार्टी के बाकी है। एक करोड़ रूपया पोस्ट आफिस का बाकी है। रेलवे का एक करोड़ से ऊपर बाकी है। यह तमाम रूपया जो बाकी है, इसकी वसूली करके नयी बसों की खरीद करें। एक और सुझाव है। आपके यहां अधिकारियों की दो स्कीम है। व्यापार प्रोन्नति कोष है और गुप्त निधि कोष है। वहां अधिकारियों की मीटिंग हर माह होती है और हर मीटिंग में एक लाख रूपया खर्च होता है। मैं चाहता हूं कि इस खर्च को बन्द किया जाय। इसके साथ ही मैं मा0 मंत्री जी के बजट का स्वागत करता हूं।

श्री हरिचरन यादव—

मा0 उपाध्यक्ष जी, मा0 प्रमोद तिवारी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मान्यवर, अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से जबसे वहां की जनता ने मा0 राजीव गांधी में अपनी अटूट निष्ठा पैदा की है, यह तथाकथित समाजवादी सरकार, जिसका चरित्र और आचरण समाजवाद का नहीं है, जो सरकार केवल नारे देती है, वह सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। इसने अमेठी में सारी बसों को बन्द कर दिया है। मैं मा0 कारागार मंत्री जी से बताना चाहता हूँ कि हमारे यहां सुल्तानपुर से संग्रामपुर विकास क्षेत्र मुख्यालय से दो बसें जाती थीं और आती थी, उनको बन्द कर दिया है। इसी प्रकार दूबेपुर से वाया कल्यानपुर भादर ब्लाक दो बसें थी, जो बन्द कर दी गयी हैं। वहां पर पी0डब्लू0डी0 की सड़कें बनी हैं अतः वहां बसें बन्द करने का कोई औचित्य नहीं है। ये बसें इसलिये बन्द कर दी क्योंकि वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। यह सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। दूसरे अमेठी की कार्यशाला से कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। वहां के संयंत्रों को कोई देखने वाला नहीं है। उनको सुचारू रूप से चलने नहीं दिया जा रहा है।

वहां पर जो पहले से बना है, कम से कम उसको तो बना रहने दें और उन संयत्रों को चलने दें। इससे वहां की जनता में व्यापक आक्रोश है। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि जो बसों के परमिट जारी करने की नीति है, आप सर्वे करा लें कि कितनी पी0डब्लू0डी0 की सड़कें हैं और कितनी बसें है। अगर सड़कों के हिसाब से बसें उपलब्ध नहीं है तो परमिट देने में सरलीकरण करके स्थायी रूप से परमिट दें। आप तीन माह का परमिट देते हैं, इससे अधिकारियों/कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। आज दो बजट हैं। इस बजट के लिये आधा दिन निर्धारित है यानि दो घंटे निर्धारित हैं। एक बजे यह बजट शुरू हुआ तो कब तक खत्म होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

एक बजकर तेरह मिनट पर आरम्भ हुआ है और 3 बजकर तेरह मिनट पर समाप्त होगा।

श्री हरिचरन यादव—

मान्यवर, इसी प्रकार से मेरा यह भी सुझाव है कि जो सड़कें बन गयी है और वहां पर बसें नहीं चल रही हैं तो वहां पर कम से कम प्राइवेट बसें चलाई जायं।

हमारे यहां 40 किमी0 दूरी की सड़क पी0डब्लू0डी0 की बनी हुई है, उस पर कोई बस नहीं चल रही है। दुबेपुर से अंतु–उस पर बस बंद कर दी गयी। उस सड़क पर करोड़ों रूपये लगे हैं। क्षेत्रीय जनता में बहुत असंतोष है।

श्री उपाध्यक्ष—

यादव जी अब समाप्त करें।

श्री हरिचरन यादव—

मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि अमेठी क्षेत्र में जो बसें चल रही थी, उनको पुनः चलाने के आदेश करें। यह विश्वास रखें कि अमेठी की जनता बदले की भावना में विश्वास नहीं रखती है। आप बदले की भावना से काम करते हैं।

श्री झग्गड़ सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय झग्गड़ सिंह बहुत अच्छे सुझाव रखेंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

यह आपके अलीगढ़ साईड के हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको इसलिये बुलवाया है, यह रोडवेज विभाग में काम कर चुके हैं,

अच्छे सुझाव देंगे।

श्री भोला पाण्डेय—

क्या यह वहां कंडक्टर थे।

श्री झग्गड़ सिंह—

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जो प्राइवेट बसें, टैम्पों, टैक्सी हैं, वह बड़ी तादाद में चलती हैं, जिससे परिवहन निगम की आमदनी को नुकसान होता है। परिवहन निगम एक ऐसा विभाग है जिससे प्रदेश की आय बढ़ सकती है इससे बेरोजगारी भी दूर हो सकती है। इसमें सुधार के ऊपर पूरा बल दिया जाना चाहिये। निगम के गठन के बाद इसमें बड़ी संख्या में बसें बढ़ती गयी, कर्मचारियों की इसमें बड़ी कमी है। इनकी वजह से परिवहन निगम की बसें सुचारू रूप से नहीं चल पाती हैं। जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी संख्या बढ़ायी जाय। जो प्राइवेट बसें हैं, उसमें ओवर लोडिंग भी बहुत होती हैं उसमें जितनी भीड़ ज्यादा रहेगी उतनी आमदनी का प्रश्न रहता है। बसों का परमिट फ्री हो गया है, नये जो मार्ग हैं, उन पर बसें चलायी जायें। बसों की संख्या बढ़ायी जाय। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो बसें चल रही हैं उनकी हालत बहुत खराब है, उनकी हालत को सुधारा जाय। बसों की छतों पर चलने वाले और ओवर लोडिंग की जो बात है उसको देखा जाना चाहिये। जो बसों की संख्या बढ़ायी जा रही हैं उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। सरकारी क्षेत्र में प्राइवेट बसें जो इनके मार्गों पर चलती हैं टैम्पों, टैक्सी, मिनी बस चलती हैं उनकी कोई चैकिंग नहीं है और इससे अवैधानिक ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है। अवैधानिक ट्रैफिक के बढ़ने से बहुत सी बुराईयां हैं और दुर्घटनायें भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। शहरी क्षेत्र में मिनी बसें ज्यादा चलती हैं, यहां पर बड़ी बसें चलायी जानी चाहिये ताकि जो यात्रियों को कठिनाईयां हैं वह दूर हो सके और परिवहन के अंदर लोगों को सुविधायें मिल सके। सरकारी मार्ग हैं, बहुत से मार्गों पर बसें नही चलायी जा रही हैं जबकि बहुत दिनों से उनको राष्ट्रीयकृत मार्ग किया हुआ है। बसों का समय निश्चित नहीं हैं, उस ओर ध्यान दिया जाय। जो बसें चलती हैं उनमें प्राइवेट बसों में लगभग ढाई लोगों को ही रोजगार मिलता है रोडवेज में 9 आदमियों को रोजगार मिलता है इसलिये ज्यादा से ज्यादा सरकारी बसें चलायी जायें। ज्यादा से ज्यादा सुधार पर ध्यान दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें।

श्री झग्गड़ सिंह—

इसी के साथ परिवहन विभाग के प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री फौजदार प्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस बजट के चर्चा पर दो शब्द कहना चाहूँगा। मेरा सुझाव है कि परिवहन विभाग की जो बसें इस समय चलाई जा रही है, उनमें से 50 प्रतिशत बसें खराब हैं और वह वर्कशाप में पड़ी हुयी है, कृपया इन बसों को तत्काल ठीक कराकर चलवाने का मंत्री जी कष्ट करें। इन बसों के खराब

होने का कारण यह है कि जो इन बसों से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी हैं, वह इनमें सही पुर्जा न लगाकर डुप्लीकेट पुर्जा लगा देते हैं, और अधिक पैसा उसके क्रय में दिखा देते हैं। जब मैं आजमगढ़ से चल रहा था, तो मैंने देखा कि तमाम सरकारी बसें वर्कशाप में खराब पड़ी थीं, मैंने पूछा तो पता चला कि यह जो कर्मचारी हैं, वह इन बसों में डुप्लीकेट पुर्जा लगा देते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में यह बसें खराब हो जाती हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि इन खराब बसों को सुधार कर चलवाया जाय। दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि परिवहन विभाग में जो बसों की कमी है, उसको पूरा किया जाय। तथा मंत्री कहे कि प्रतिदिन 13 करोड़ बस यात्रा करते हैं यह गलत है प्रदेश की कुल आबादी 13 करोड़ को यात्री कैसे समझ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य समाप्त करें।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

सभी माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें। यह आपको सर्वविदित है कि एक माननीय सदस्य को विपक्ष से तथा एक को सत्ता पक्ष से बुलवाने का नियम है और जब यह नियम आप लोगों को मालूम है तो फिर इसमें क्या परेशानी है?

(पुनः कई सदस्यों के खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने पर–व्यवधान।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप सभी लोग बैठ जायें। आप लोग अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री मुक्तिनाथ—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया। मैं बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, मैं परिवहन मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पुरानी सड़ी–गली बसों को हटाकर जो दुर्व्यवस्था थी, उसको सुधारने का प्रयास किया है। माननीय प्रमोद तिवारी जी सामने बैठे हैं, आज यह लोग जो कमियाँ दर्शा रहे हैं, यह सारी की सारी इन्हीं की देन हैं इन्होंने अपने रहते ऐसी व्यवस्था किया कि परिवहन विभाग की आय घट गयी।

पहले बुकिंग आफिस पोस्ट से टिकटों का वितरण होता था। आपने बुकिंग आफिस खत्म करके चैक पोस्ट के द्वारा टिकट वितरण की जो व्यवस्था की है वह गलत है। इससे स्थिति यह हो गई है कि कन्डक्टर जो है वह एक स्थान के बाद टिकट का धन अपने पास रख लेते हैं। जिससे परिवहन विभाग की आय में कमी हुई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह जो वर्तमान सरकार द्वारा जो व्यवस्था की गई है उससे आने वाले समय में अपेक्षित लाभ होगा। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूँ वह देवरिया जिले का क्षेत्र है। देवरिया जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। देवरिया जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र है मान्यवर, स्वर्गीय श्री चन्द्रबलि

सिंह जी इस विधान सभा क्षेत्र के माननीय सदस्य रहे हैं। आप लोग इस विधान सभा की कार्यवाही में पढ़ें उन्होंने बार-बार उस क्षेत्र की जनता की आवाज को उठाया और इस सदन से बार-बार मार्शल के द्वारा उन्हें इसलिए बाहर निकाला जाता था लेकिन वह अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरह बराबर ध्यान दिलाने का प्रयास किये थे। पिछली जो सरकार रही है उसने इस क्षेत्र के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार से कहूँगा कि रूद्रपुर क्षेत्र में परिवहन का अत्यन्त अभाव है। यह सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर आवागमन के लिये माननीय परिवहन मंत्री जी नई बसों को चलवाने की कृपा करें। यदि नई बसों के चलाने में कोई दिक्कत होती है तो यहां सड़कों पर परमिट जारी करके प्राइवेट बसों को चलाने की स्वीकृति प्रदान करें। इन शब्दों के साथ ही मैं परिवहन विभाग के प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

(इस समय 2 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

श्रीमती कमला साहनी—

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आवागमन की जो समस्या है उसका निराकरण बसों द्वारा ही किया जा सकता है। इस समस्या का निराकरण करने के लिये गत सरकार ने तमाम बेड़े दिये बसों के जिसके कारण उत्तर प्रदेश में बसों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई और लोगों को एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा करने के लिये आवागमन के साधन उपलब्ध हो सके। लेकिन मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बसों की मरम्मत उसके रख-रखाव के लिये हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकी जिससे बसों की हालत जर्जर हो गयी है आपकी बसों में हार्न को छोड़कर सारी बस बजती है। बेक को छोड़कर सब लगता है। डीलक्स बसों के नाम पर फालतू पैसा खर्च किया जाता है लेकिन डीलक्स बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। जनता और उनके धन का दुरूपयोग किया जाता है और इतना ही नहीं बसों में जो फर्स्ट एड का बाक्स लगा होता हैं उसमें दवाइयाँ नहीं होती हैं सिर्फ बॉक्स ही लगा होता है। मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र सिद्धार्थ नगर के बारे में कह रही हूँ। यहाँ पर सड़ी गली रद्दी बसें हैं। बढ़नी से नौगढ़ और पलटा देवी से नौगढ़ जाने के लिये बसें चलाई जायें ताकि वहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। मान्यवर, आपने समय दिया मुझे बोलने का उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

श्री नरेश चन्द्र उत्तम—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट की चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। माननीय मंत्री जी ने जो परिवहन विभाग का बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूँ। पिछली सरकार की सड़ी-गली और जर्जर व्यवस्था के बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस निगम के विकास के लिए और जनता की खुशहाली के लिए 1000 बसें देने का वचन दिया है। आज सदन में इस बात की चर्चा हो रही है कि परिवहन निगम में घाटा हो रहा है। घाटा क्यों हो रहा है, इस

पर चर्चा नहीं हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे हिन्दुस्तान लेवल पर परिवहन निगम में घाटा है। साढ़े सैंतीस साल में इस निगम की जो हालत हुई है, उसका माननीय मंत्री जी ने विवरण रखा और पिछले कार्यकाल में जो भी रहे हों, चाहे वह इस समय उधर बैठे हों, या नहीं बैठे हों, उन्होंने ही व्यवस्था खराब की है और उसका परिणाम आज उन्हें जनता ने दे भी दिया है। हमारे जिलों फतेहपुर में, जो कि हमारे प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, वहाँ पर सड़ी-गली बसें हैं, मेरी माँग है, कि वहाँ पर नई बसों को चलाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अमरपाल सिंह—

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सरधना जिला मेरठ में एक ऐतिहासिक चर्च है, देश-विदेश में उसकी मान्यता है। जहाँ पर प्रति दिन 1000 के आसपास यात्री दर्शन हेतु आते हैं, इसलिए उन ईसाई तीर्थ यात्रियों के लिए आवागमन की सुविधा हेतु एक रोडवेज का डिपो सरधना में खोल दिया जाय। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, बसों में यात्री डब्लू0टी0 पर यात्रा करते ही थे, किन्तु आज माननीय मंत्री जी ने भी डब्लू0टी0 यात्रा करने की कोशिश की। कारागार का बजट था, किन्तु पहले परिवहन पर चर्चा करवाकर उन्होंने भी डब्लू0टी0 यात्रा बिफोर टाइम पहुँचने का काम किया। जिस कारण मैं आलोचना करने के लिए पूरा तैयार नहीं हो पाया, फिर भी मैं कुछ सुझाव के रूप में कहना चाहता हूँ। अनुशासन की प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास किया जाय। एक अपील करने का प्राविधान अनुचित है, अपितु 2 अपील करने का प्राविधान करना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने पर्वतीय अंचलों के संबंध में कुछ नहीं कहा है। कितना अव्यवहारिक कदम उठाया गया है कि वहाँ पर जो गुड्स ट्रैफिक था, उसे आपने राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया परन्तु आपके पास उसके लिए ट्रक्स नहीं हैं और न भविष्य में कोई इरादा ही है। वहाँ पर जो ट्रकें चलती हैं, उनमें सामान ढोने के लिए उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इसलिए मेरा कहना है कि जब आपका इरादा ही नहीं है तो आप इसे पूरी तरह से अराष्ट्रीयकृत क्यों नहीं करते ताकि लोगों को परेशानी न हो। यात्रा सुविधा का जो प्रस्ताव किया था तो बस ट्रिब्यूनल प्राधिकरण की स्थापना की जाय जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। आपकी ही पुस्तिका है इसमें 10 लाख रू0 का प्राविधान करने का प्रस्ताव है, इसको आप कर दें। एक ही छत के नीचे प्राइवेट बस, रोडवेज की बस और टैक्सी का प्राविधान हो ताकि यात्री को भटकना न पड़े। एक ही जगह से संचालन हो, इससे यात्रियों को सुविधा होगी। एक अपील भी करना चाहूंगा विकलांगों को आप छूट देते हैं। विकलांग की जो परिभाषा यहां निरूपित की है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। जिसके एक हाथ या एक पैर न हो या जिसके दोनों हाथ या दोनों पैर न हों। विकलांग ऐसे बहुत से मिल जायेंगे जिनके केवल एक हाथ नहीं है या एक पैर नहीं है। विकलांग की परिभाषा ऐसी करें जो व्यावहारिक हो। मैं चाहता हूं कि कार्य रूके न चलता रहे।

(व्यवधान)

पत्रकारों के सम्बन्ध में सूचना विभाग आपको पैसा देता है आप पत्रकारों को छूट देते हैं। अब आप डीलक्स और सेमी-डीलक्स बसें ले आये हैं लेकिन उसमें यात्रा करने की छूट नहीं है। जो लम्बी दूरी की बसें चला रहे हैं और सूचना विभाग से पैसा लेते हैं तो यह अनुचित है कि छूट का प्राविधान न दें। अभी हमारे साथी यादव जी ने कहा कि कुछ इलाकों में बसें बन्द की जा रही हैं। यह अनुचित है, बसें बढ़ाइए, बन्द मत कीजिये। राजनीतिक कारणों से अगर बसें बन्द हो रही हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेठी के बारे में कहूंगा। बहुत सी बसें जो अमेठी से लखनऊ आती थीं या अन्य स्थानों पर जाती थीं, बन्द कर दी गयी हैं, यह अनुचित है। एक साथी ने कहा कि हम सड़ी-गली व्यवस्था सौंपकर गये हैं। अगर हमारी व्यवस्था सड़ी-गली थी तो आपकी व्यवस्था में से तो दुर्गन्ध आ रही है।....(व्यवधान)

श्री राम तेज—

यह उसी सड़ी गली व्यवस्था की दुर्गन्ध है।

(श्री शारदा प्रताप शुक्ल के खड़े होने से व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

मैं तो चाहता हूं कि यह टोका-टाकी न हो। अगर टोका टाकी ऐसे ही होती रही तो हम भी फिर उसमें पीछे नहीं हैं। एक लावारिस शारदा प्रताप शुक्ल वहां बैठे हैं, एक तो इनका इन्तजाम हो जाय और दूसरे श्री राम तेज जी का भी इन्तजाम हो जाय। ये इसलिये बोलते हैं कि मन्त्री बन जायं।

2-3 उदाहरण देना चाहता हूं सन् 1980 मे कांग्रेस ने सरकार बनायी थी उस समय क्या स्थिति थी इनकी, अन्दाजा लगा लीजिये। आपके कार्यकाल में 5 हजार बसें चलती थीं, हम छोड़कर गये हैं 8 हजार से ज्यादा छोड़कर गये हैं। अगर तुलनात्मक अध्ययन पर आ जायं तो रख-रखाव पर आ जाइए 1980 में 78 प्रतिशत था, हम 89 प्रतिशत करके गये हैं यानी 100 में से 82 बसें खड़ी रहा करती थीं। यह आपकी किताब है जो कुछ पढ़ना चाहिये इसमें से पढ़ लीजियेगा।

————और मान्यवर, सन् 1980 में कुल दूरी——

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करिये, अभी मा0 मंत्री जी को भी बोलना है।

श्री प्रमोद कुमार—

मैं तो अपनी बात कह कर मा0 मंत्री जी का बोझ ही हल्का कर रहा हूं कि उनको इसके बाद कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि जब 1980 में यह सरकार छोड़ कर गयी थी, इनका सरकस खतम हुआ था और तम्बू-कनात इन्होंने उखाड़े थे तब की तुलना में 1990 तक जो हमारी बसें चलती थीं उनकी दूरी कि0मी0 में बहुत ज्यादा थी। मेरे पास यह पुस्तक है अगर मा0 मंत्री जी अध्ययन करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप संक्षेप में कहिये, अभी मा0 मंत्री जी भी अपने विचार व्यक्त करना

चाहेंगे।

श्री प्रमोद कुमार—

तो मैं कह रहा था कि सन् 1980 की तुलना में 1990 तक यात्री सुविधा में गुणात्मक सुधार हुआ है, बसों के बेड़ों में सुधार हुआ है, ईंधन की बचत में कमी हुई है, हां, बीच के अन्तराल में जरूर कुछ गड़बड़ी आयी थी और जिसने यह गड़बड़ी की थी, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उधर ही पहुंच गया है। सम्भवतः यह गड़बड़ी 1986-87 की है इसके अतिरिक्त 1980-90 तक और कोई गड़बड़ी नहीं हुई है मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और इधर के और उधर के सम्मानित सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इसकी चर्चा में भाग लिया। मैंने एक चुनौती मा0 मुख्य मंत्री जी को दी थी जिसे कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मैंने उनसे कहा था कि वे घोषणा करें कि उ0प्र0रा0स0 प0नि0 के किराये में बढ़ोत्तरी नहीं करेंगे। उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की इसलिए कि उनकी कथनी और करनी में भेद है। माननीय कारागार मंत्री जो कि कुछ समय के लिये उधार लिये गये हैं मैं चाहता हूं कि वे ही इस बात को स्पष्ट कर दें।

परिवहन के बजट पर समयाभाव के कारण चर्चा से वंचित सदस्यों के लिखित सुझावों को कार्यवाही का अंग माने जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, कुछ सम्मानित सदस्य इधर के भी और उधर के भी जो कि इस बजट पर बोलना चाहते थे, समय की कमी के कारण बोलने से वंचित रह गये हैं, यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय था इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अपनी पीठ से निर्देश दे दें कि लिखित सुझाव जो मा0 सदस्य देना चाहें दे दें, उसे कार्यवाही का अंग बना दिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता—

मेरा विचार है कि यदि वे सुझाव लिख कर देना चाहते हैं तो दे दें, परन्तु कार्यवाही का अंग बन जाय, ऐसी परिपाटी न डालें।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगो पर मतदान
अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग (क्रमागत)

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरूद्र प्रकाश)—

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी ने और सभी सम्मानित सदस्यों ने परिवहन के बजट पर अपने सुझाव रखे और जो सम्मानित सदस्य अपने सुझाव नहीं रख पाये हैं, मेरा निवेदन है कि वे अपने सुझाव लिख कर दे दें, उन पर विचार किया जायेगा।

माननीय प्रमोद तिवारी ने जो कि इस विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं, ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है। सब बातों को सुनने के बाद एक बात सामने आयी कि जबसे जनता दल की सरकार बनी है तब से किसी ने इसके संबंध में कोई आलोचना नहीं की है, स्वयं प्रमोद तिवारी ने भी नहीं। हां, उन्होंने कुछ कमियां बतलायी हैं, यह मेरा सौभाग्य है कि जो इस विभाग में पूर्व में मंत्री थे वही आज इसकी कमियों के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं।

(सदन में बिजली चले जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार—

सही बोलिये नहीं तो लाईट चली जायेगी, इसलिये ईमानदारी से बोलियेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, एक बात है। यह सही है कि परिवहन विभाग इनके पास था, लेकिन यह अपने आप में कुछ नहीं थे। एक पार्टी की सरकार थी और सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। मान्यवर यह सच है कि आज पत्रकारों को डीलक्स बसों में बैठने की व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था तो पिछले 3–4 सालों से चल रही है तो हम इस मामले को दिखवा रहे हैं। हम पिछली सरकार की तरह नहीं हैं। यह उनके कार्यकाल में हो जाना चाहिये था, लेकिन नहीं हुआ। इसको हम देखेंगे। मान्यवर, जहां तक नशे की हालत में गाड़ी चलाने की बात है, यह अच्छी चीज नहीं है। हम यह मान कर चलते हैं कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये, लेकिन इस प्रवृत्ति को कम करेंगे। शराब पीना एक दिन में तो बन्द नहीं हो जायेगा, कोशिश करेंगे कि शराब पीने की आदत में कमी हो। मान्यवर, आटो टैक्सी में मीटर लगाने की बात कही गयी, तो मान्यवर, पूर्वान्चल में तो आटो टैक्सी चलती नहीं है, राजधानी लखनऊ में भी नहीं चलती हैं, तो आज क्यों इसकी आलोचना की गयी है। आप हमसे कह रहे हैं कि मीटर लगवावें। आप जानते है कि इसमें क्या दिक्कते हैं, उनको आप दूर नहीं कर सकेंगे। आप ने कहा मैं सारे लोगों को बुलाकर बात करूंगा और कोई इसका जनतांत्रिक हल निकालूंगा। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि 13 करोड़ व्यक्ति कैसे यात्रा करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि 13 लाख व्यक्ति रोज यात्रा करते हैं। अगर करोड़ और लाख कहने में गलती हो गयी हो, तो उसको सुधार कर लें उसको वापस लेता हूं। जहां तक मान्यवर, बस अड्डों का सवाल है, तो वह आज ही तो खराब नहीं हो गये हैं। हमारी प्राथमिकता है कि उनकी स्थिति में सुधार किया जाये। बसों की हालत जो है, उनके बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो यह सब चीजें कही गयी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन सबकी व्यवस्था की जायेगी। यह कहा गया है कि शौचालयों की हालत ठीक नहीं है, तो इसको ठीक कराने का पूरा प्रयास किया जायेगा। कुल मिलाकर करीब 30 हजार बसें हैं, इसमें निगम की और प्राइवेट बसें दोनों हैं। यह मैंने लगभग कहा है। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में करीब 13–14 हजार बसें हैं हमारे यहां पर कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश से बसें कम नहीं हैं, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि निगम की जो बसें हैं, उनकी संख्या को बढ़ाया जाये, लेकिन जब तक बसों की संख्या इतनी नही हो जाती है, कि हम अपने आप में निर्भर हो सकें, प्राइवेट बसों की सहायता लेनी पड़ेगी। मान्यवर, जहां तक परमिट की बात है, परमिट देने की नीति में काफी सरलता आ गयी है, पहले काफी जटिलता थी।.....

...इसका मतलब यह नहीं है कि परमिट खत्म कर दिया गया। लेकिन नीति सरल हो गई है। जो लोग चाहेंगे उनको सहूलियत से मिलेगा। मान्यवर, एक बात और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह यह है कि जो इसका सार्वजनिक पक्ष है, जनोपयोगी पक्ष है उसको उजागर करने पर ज्यादा बल दिया जायेगा। हम पिछली सरकार की बुनियादी नीतियों से सहमत नहीं हैं। खाली कर्मचारियों की संख्या और फौज बढ़ा देने से या पैसा लगा देने से जनता को सुविधा नहीं मिल पायेगी। हमको तय करना होगा कि बुनियादी प्राथमिकतायें

क्या-क्या है, यात्रियों की आवश्यक सुविधायें क्या-क्या हैं। अगर हम यात्रियों को आवश्यक सुविधायें मुहैय्या नहीं कर सकते, उनकी जरूरत पूरी नहीं कर सकते तो बसों की संख्या बढ़ा देने से, कर्मचारियों की फौज बढ़ा देने से जो असली मकसद है, जो उपयोगी मकसद है, वह पूरा नहीं हो पायेगा।....(व्यवधान) मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं।...

श्री प्रमोद कुमार—

आप निगम समाप्त करने जा रहे हैं अपना भाषण समाप्त करने जा रहे हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा तिवारी जी से निवेदन है कि वे अर्थ का अर्थ ही लगाये, अर्थ का अनर्थ न लगायें। अगर अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर अर्थ का अनर्थ लगायेंगे तो मैं उनको स्पोइलड जीनियस कहूंगा।....(व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव—

अगर बुद्धि ही होती तो कटौती का प्रस्ताव रखते।

श्री प्रमोद कुमार—

मैंने तो एक वर्ष प्रस्तुत किया, आप तो दस वर्ष से करते रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी कुशाग्र बुद्धि है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उनमें कुछ आलोचना भी की है। आलोचना केवल उतनी ही की है जितनी उनकी सरकार थी। 5 दिसम्बर से अभी तक के बारे में उन्होंने कोई आलोचना नहीं की कि इस बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मान्यवर, वित्तीय प्रक्रिया का एक तरीका है। निगम का बजट है, सरकार का बजट है जब कोई नया बजट आता है तभी नई सुविधायें दी जाती हैं। जब पैसा दिया जाता है तभी नये काम लिये जाते हैं। मैं चाहूंगा कि धीरे-धीरे उधर अभ्यास आ जायेगा। अभी केवल 6 महीने विरोध पक्ष में बैठने का मौका मिला है। अगला बजट जब हम रखेंगे तब यह कटौती का प्रस्ताव अच्छे ढंग से रखेंगे तब इन्हें आलोचना करने का मौका मिलेगा। इन्होंने 6 महीने की सरकार की कोई आलोचना नहीं की। जो नीर-क्षीर किया वह अपने कार्यकाल का किया। मैं माननीय तिवारी जी से कहूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और हमारी इन अनुदान की मांगो को पारित करें।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, इन्होंने जनता की सुख-सुविधा के लिये कोई घोषणा नहीं की, जनता के हित में कोई कदम यह सरकार नहीं उठाना चाहती है। इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,11,13,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगो पर मतदान–अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) अनुदान संख्या 29 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) अनुदान संख्या 40 नियोजन विभाग

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरूद्र प्रकाश)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (कारागार) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,12,74,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होनें वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28 गृह विभाग (राजनीतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,68,44,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,38,37,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की की जाय।

अनुदान संख्या 40 नियोजन विभाग को भी ले लें क्योंकि उस पर बहस नहीं होनी है।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है रख दें।

श्री शतरूद्र प्रकाश—

मान्यवर; मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40 नियोजन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,79,61,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री मुईद अहमद—

इसको तो बाद में लें क्योंकि इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री बाबूराम यादव—

क्या इसको इसके लिया जा सकता है क्योंकि इस पर बहस नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, चर्चा नहीं होगी।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जेल ऐसी जगह है जहां पर कई माननीय सदस्य को जाने का मौका मिला होगा और बहुत से माननीय सदस्य भविष्य में जायेंगे भी लेकिन हमारी अपेक्षा यह है कि राजनीतिक कार्यक्रमों के सिलसिले में जेल जायं तो ज्यादा अच्छा है अपराध करके जेल जाना अच्छा नहीं है। हम लोगों ने जो जेल के प्रति धारणा रखी है वह यह है कि खास कर दो तरह के लोग जेलों में जाते हैं एक तो सामाजिक कार्यों से राजनीतिक लोग और दूसरे अपराधी लोग। अपराधी में भी एक वह लोग हैं जो किसी घटना विशेष के कारण अपराध कर बैठते हैं उत्तेजनावश अपराध करते हैं जिनकी अपराध करने की मानसिकता नहीं है उनके लिये सुधार का दृष्टिकोण रखना होता है। आज जो राजनीतिक लोग जेलों में जाते हैं उनके लिये भी वह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये जो देश की आजादी के लिये लड़नेवालों के खिलाफ अंग्रेजो ने रखा था।...

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

...इसलिये हम लोग जेल को यह मानकर चल रहे हैं कि यह सुधारने की जगह है। जो राजनैतिक कारणों से यहां आते हैं वह एक तरह से मूल्यों और सिद्धान्तों से जुड़कर आते हैं, इसलिये इस पर पहली दफा ऐसा हुआ कि चौधरी चरण सिंह के जन्म दिन पर, श्री सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन पर, मदन मोहन मालवीय के जन्म दिन पर, डा० लोहिया के जन्म दिन पर, राज नारायण की पुण्य तिथि पर और जय प्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पर यह फैसला लिया गया है कि इन बंदियो को विशेष भोजन दिया जाये। ताकि जेल में रहने वाले महसूस करें कि यह उत्तर प्रदेश की जो जेल है अपराध करने वालों के लिये ही नही है बल्कि आजादी की लड़ाई लड़ने वालों और सामाजिक मूल्यों से जुड़े लोगों के लिये जेल हैं। इसके अलावा उ०प्र० के कैदी विभिन्न जेलों में रहे रहे हैं जो किसी घटना के कारण अपराध से जुड़ गये थे लेकिन अपराध करना उनकी मानसिकता नही है उनके लिये फैसला लिया गया है कि 26 जनवरी, 1990 तक जिन कैदियों ने 30 साल की सजा पूरी कर ली है, जिनका आचरण जेल में अच्छा है उनको शर्तों को देखकर रिहा कर दिया जाये, यह फैसला लिया गया है। और जिन कैदियों ने निर्धारित शर्तें पूरी नही की हैं उनकी सजा में 2 साल दो महीने की विशेष छूट दिया है। यह भी फैसला किया है कि जो जेलों में खाना देते हैं वह भारतीय मौसम के अनुरूप हो चूंकि अंग्रेज हुकूमत जो खाना देती थी वह स्थानीय आवश्यकता को देखकर नही देती थी, इसलिये गर्मियों में जो कैदी बंद होंगे उन्हें आम का पना दिया जायेगा और मौसम के आधार पर खाने को निश्चित किया जायेगा।

मान्यवर, ऐसी महिलायें जो जेलों में बंद हैं जिनके साथ छोटे बच्चे हैं उनको दूध देने का प्राविधान किया गया है ताकि बच्चों को दूध से वंचित न

होना पड़े। इसी तरह उच्च श्रेणी के राजनैतिक सामाजिक बंदियों को भोजन में फलों की विशेष व्यवस्था किया है और जो साधारण बंदी हैं उसको जो तेल दिया जाता है उसकी मात्रा 10 ग्राम से बढ़ाकर 15 ग्राम किया गया है। जिन बंदियो ने वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छे पेश किये हैं जिलों में उनके बारे में मुख्यमंत्री की तरफ से 25 हजार रूपये का पारितोषिक दिया जायेगा और इधर जेल के सुधार में विचार-विमर्श चल रहा है जैसे कि आज ही एक प्रश्न जेल मैनुअल के बारे में था कि जेल मैनुअल अंग्रेजो के समय का बना है जिसमें कहा है कि सुधार की जरूरत है। जो ढिलाई होती है जेलों में उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, यह सच्चाई है उसको स्वीकार करना जरूरी है, यदि स्वीकार नहीं किया जायेगा तो सही रास्ता नहीं निकाला जा सकता है। इसलिये इस संबंध में जो भ्रष्टाचार है इसके बारे में जेलों का आंतरिक प्रशासन है उसको लेकर, श्रेणी विभाजन जेलों में जो है उसको लेकर.....।

....और जो प्राविधान है कि सप्ताह में एक पोस्टकार्ड लिखने दिया जाएगा, जो कि बहुत कम है, समाचार पत्रों को लेकर जो प्राविधान किये गये हैं, आहार को लेकर जो किया गया है, इस को लेकर जेल मैनुवल में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए उस पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली में एक आयोग बना था, जिसकी सिफारिशों के अनुसार महिलाओं की जेल पुरूषों की जेल से अलग होनी चाहिए और बच्चों की जेल बड़े लोगों की जेल से अलग होनी चाहिए। इसलिए हमने फैसला किया है कि बच्चों के लिए हम बाल सुधार गृह बनाएंगे और वह बनाए भी गए हैं, और जेलो का नाम क्रान्तिकारियों और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सपूतों के नाम पर रखे जाएं। इस पर विचार किया जा रहा है और बनारस जेल का नाम राज नारायण जी के नाम पर कर दिया जाए। जो एक नया बनाया गया है, उसका नाम राज नारायण बाल सुधार गृह कर दिया गया है। जेलों के सम्बन्ध में कई सुझाव हमारे पास आए हैं और उन सुझावों में सबसे बड़ी बात आई है कि जेल मैनुवल भी बदला जाए, और दूसरी बात आई है कि जेलों का संचालन ठीक तरह से हो, उनका प्रबन्ध ठीक तरह से हो और उसमें जनता की भागीदारी भी हो। इसलिए जेल विजीटर्स को तुरन्त, बहुत शीघ्र बनाया जाए, यह हमारा विचार है। तो बहुत जल्दी विभिन्न जिलों में जेल विजीटर्स की नियुक्ति भविष्य में होने वाली है। इस सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं, उन पर विचार किया जाएगा और जिन्होंने नहीं दिये हैं, वह नाम दे दें, ताकि जेलों के सुधार हेतु और जेल विजीटर्स की नियुक्ति में उनके सुझावों को शामिल किया जा सकें।

श्री मुकीद अहमद खां—

विरोध पक्ष से लेकर भी शामिल किया जाएगा।

श्री शत्रुद्र प्रकाश—

जो जेल के बारे में जानते हैं और जेल गये हैं, वे दे दें। जो नवम् वित्त आयोग है, उसकी कारागार विभाग ने 175 करोड़ रूपये की योजनाएं जेलों के सुधार के लिए प्रस्ताव के रूप में भेजी है, जिससे पुरानी बैरकों, जैसे बरेली में खराब हो गयी हैं, उनको ठीक कराने की योजना है। इसके अलावा इलाहाबाद के लिए करीब 85 करोड़ रूपये की एक योजना का प्रस्ताव है जेल के अन्दर। इसी तरह से कई जिलों में अभी जेल बनी नहीं है, जैसे कि गाजियाबाद, उत्तरकाशी, चमोली और हरिद्वार आदि नये सृजित जनपद हैं, तो वहा पर भी जेलें बनाना जरूरी समझा गया है और वहां पर नई जेलें बनाई जाएंगी। इस

इस सम्बन्ध में भी यह योजना बनाई गई है, ताकि किसी एक जनपद के कैदियों को दूसरी जगह न जाना पड़े। इसके अलावा कारागार प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए करीब 6 करोड़ रूपये की योजना बनाई गई है। इसी तरह सम्पूर्णानन्द कारागार जो है, उसका जो प्रशिक्षण संस्थान है, जिसका शिलान्यास अभी कुछ महीने पहले मुख्य मंत्री जी ने किया था, वहां पर 2 करोड़ 6 लाख रूपये की संस्थान के निर्माण की एक योजना प्रस्तावित है, जिसका निर्माण भी शुरू किया जा चुका है। कारागार प्रशासन के आधुनिकीकरण तथा वहां पर नलकूपों के प्राविधान के लिए भी योजना बनाई गई है। जो योजनाएं करीब 24 लाख रूपये और 276 लाख रूपये की हैं।

इस तरह से अगर देखें तो इस समय जेलों में सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह है शौचालय की और पीने के पानी की और रहने की। क्योंकि इस समय जो शौचालय हैं, विभिन्न जेलों में वह अच्छी स्थिति में नहीं है। हमारी यह पहले नम्बर की प्राथमिकता है कि जेलों में कम से कम आधुनिक शौचालय न हों तो अच्छे शौचालय बनवाए जाएं। कैदियों को पीने के पानी की दिक्कत न हो। कैदियों से भी मानवीय व्यवहार किया जाय। महिलाओं और बच्चों के जेल भी अलग हो सकें, यह हमारे संसाधनों पर निर्भर करेगा। हमारे पास साधन सीमित हैं और हम प्रयास करेंगे कि इस दिशा में आगे बढ़ें। माननीय सदस्य इस बजट पर अपने सुझाव रखें। इसके अलावा एक और विभाग इससे जुड़ा हुआ है, वह है होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा। इसके बारे में हम रोज होमगार्ड जिस उद्देश्य के लिए बना है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा और इस विभाग ने कई-कई जगह अच्छे काम किये हैं वर्ष 62 और 65 में। इनकी हमें तारीफ करनी चाहिए, चाहे प्रतिपक्ष हो या सत्ता पक्ष। मान्यवर, इस पर विचार करना जरूरी है कि यह एक स्वैच्छिक संगठन है, यह सरकारी संगठन नहीं है। इसमें समाज के प्रति जो नजरिया होना चाहिए, जो भावना रहनी चाहिए वह भावना प्रेरक रहे तो ज्यादा अच्छा होगा।

मान्यवर, एक विभाग और है और वह है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों सम्बन्धी। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो रू0 401/- पेंशन दी जाती थी उसको बढ़ाकर 500 रूपये कर दिया है। यह बहुत बड़ा काम है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति। यह उनके सम्मान का प्रतीक है। उनके सम्मान के प्रतीक के रूप में सरकार ने यह धनराशि बढ़ाई है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाय वह कम हैं। मैं समझता हूं कि मा0 सदस्य और सभी लोग इसकी एक स्वर से तारीफ करेंगे और बधाई देंगे। इससे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इलाज कराने में पैसे की जो दिक्कत होती थी वह अब नहीं होगी। अगर उनके पास सी0एम0ओ0 का प्रमाण पत्र नहीं है और वह किसी चिकित्सक से जांच करा रहे है तो वे उनका ही प्रमाण पत्र ले आयें, उसे मान लिया जायेगा और 4000 रूपये की धनराशि उन्हें इलाज के लिए दी जायेगी। उसमें किसी प्रकार की नुक्ताचीनी नहीं की जायेगी। आज देश को जो आजादी मिली है वह उन्हीं की कुरबानियों का नतीजा है। जब अनुदान की राशि का प्रश्न आता है तो हम उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करते है। कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आता है और कहता है तो उसका हक मानते हुए हम अगर मगर की प्रक्रिया को नहीं चलाते हैं। उनकी बात को सच मानकर 4000 रूपये की अनुदान की राशि देते हैं। जो उनके आश्रित हैं और उनको जो मकान के आवंटन के सम्बन्ध में दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए जो प्रतिशत निर्धारित किया गया है उसको ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है....

....मान्यवर, मैं एक बात और सोच रहा हूं, जिस पर मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण अपनी राय रखें। मान्यवर, 1975 में जब इमरजेंसी चल रही थी, तो जो लोग राजनैतिक कारणों से मीसा और डी0आई0आर0 में बन्दी बनाये गये थे, चूंकि उस समय वे लोग इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे, जिस इमरजेंसी के चलते सारे जनतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर दिया गया था, उसका विरोध करने पर उनको जो डी0आई0आर0 और मीसा में बन्द कर दिया गया था, उनके लिए भी हम पेंशन देने के लिए सोच रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस बारे में भी माननीय सदस्यगण अपना सुझाव दें। अगर इस सदन का हमको समर्थन मिल गया, तो मान्यवर, इस विचार को हम बहुत जल्दी ही किसी ठोस नतीजे के रूप में बदलने में कामयाब होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बारे में माननीय सदस्यगण अपनी राय रखें, ताकि इस दिशा में सूझ-बूझ और मार्ग-दर्शन मिल सके और जो भी आप सुझाव देंगे, सरकार उस पर अमल करेगी।

(श्री मुईद अहमद द्वारा कटौती का प्रस्ताव रखने के लिए खड़े होने पर)

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, कारागार विभाग पर कटौती का प्रस्ताव रखने से पहले यह सदन जानना चाहता है कि क्या माननीय सदस्य कभी जेल में रहे हैं। अगर मान्यवर, ये कभी जेल में नहीं रहे हैं, तो इनको कटौती का प्रस्ताव रखने का कोई अधिकार नहीं है। मान्यवर, जो माननीय सदस्य कभी जेल में रहे हों और हमारे सामने बैठे हों, उनको कारागार विभाग के बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखने का अधिकार हैं।

श्री मुईद अहमद—

आपके प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और अन्य तमाम नेताओं के साथ मुझे रहने का मौका मिला है।

श्री अधिष्ठाता—

आपस में टोंका-टाकी न करें।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या: 26-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रूपया कर दी जाय।

कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

कमी करने के उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-29 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की

राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़े ही विद्वान मंत्री जिनको बड़ा शौक है कारागार में रहने का, मान्यवर, कारागार में जाने का सभी राजनैतिक लोगों को अवसर मिलता है, मगर कारागार के संबंध में जो सबसे मूल चीज थी कि कारागार का इस समय मुख्य उद्देश्य क्या है, कोई अपराधी जो भी है, उसको कारागार के अन्दर उनकी अपराधिक मनोवृत्ति को बदल कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाय। उनके अन्दर अपराध कम कराने की भावना पैदा की जाय। इस संबंध में माननीय कारागार मंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं कहा, जो कि कारागार विभाग के बजट से संबंधित है। यह कारागार विभाग की बहुत बड़ी व्यवस्था है, उसकी जिम्मेदारी है, उस पर एक शब्द भी आपने अपने बजट में नहीं रखा है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, उसे मैं कहना चाहता हूं कि यह बड़ी-बड़ी, लम्बी-चौड़ी बातें कर रहे थे, 1989 में कारागार पर 23,37,82,000 रू0 व्यय किया और इस वर्ष 1990 में 21,12,74,000 रू0 कर दिया अर्थात कम कर दिया।

नागरिक सुरक्षा पर 28 करोड़, 10 लाख, 88 हजार किया था और इन्होंने 23 करोड़, 38 लाख 37 हजार कर दिया और नागरिक सुरक्षा पर आपने बजट कम कर दिया कारागार पर मान्यवर, जिस सम्बन्ध में इनको कहना चाहिए था कि किस तरह से अपराध पर नियंत्रण हो किस तरह से अपराधियों की मनोवृत्ति बदले, किस तरह से वह समाज के अन्दर एक अच्छे अंग के रूप में समाज में आवे, इस पर कोई विचार माननीय मंत्री जी का नहीं आया है। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि इस कारागार में जो अपराधी हैं जो वहाँ जाते हैं, कई तरह के अपराधी जाते हैं, जघन्य अपराधी जाते हैं, बालक भी जाते हैं, किशोर अपराधी भी जाते हैं, सिद्ध दोष अपराधी जाते हैं, विचाराधीन बन्दी भी जाते हैं, उनका अलग-अलग किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाय, किस प्रकार से अलग से देखा जाये, इस पर विचार देना चाहिए था। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के कारागारो की हालत यह है कि जो मामूली से भी अपराध में जाते हैं वहाँ संगीन अपराधियों के साथ में बैठकर वहाँ बड़े भारी मुजरिम और अपराधी साबित हो जाते हैं। उसके अन्दर बजाय सुधार के और बड़े अपराधी के रूप में अपराधिक मनोभावना बढ़ती है और वह समाज में आकर और ज्यादा अपराध करता है तो हमें इन अपराधियों को दूसरे अपराधियों से कैसे दूर रखें, किस तरह के अपराधी हैं यह देखा जाय क्योंकि जो छोटे किस्म के अपराधी हैं वह बड़े अपराधी के साथ रहकर वह छोटे अपराधी बड़े अपराधी के रूप में परिणति हो जाते हैं। यह आपके कारागार की व्यवस्था है और कारागार की देन है इसको आपको देखना चाहिए। मेरा एक ही कहने का मतलब है कि इस वक्त जितने भी अपराधी हैं आपने तो कोई आँकड़ा नहीं दिया कि जेलों में क्या हो रहा है कितने विचाराधीन अपराधी हैं, कितने सिद्ध दोष अपराधी हैं। मान्यवर, 18,943 विचाराधीन अपराधी हैं, 20 हजार करीब विचाराधीन अपराधी ऐसे हैं जिनको जेलों में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर उनके मल-मूत्र शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, पेयजल का संकट है, आधे से ज्यादा जेलों में विद्युत की व्यवस्था नही है, यह सब उनको बताना चाहिए था।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)—

यह सब पहले से जेलों की दुर्व्यवस्था है।

श्री मुईद अहमद—

यह हमने जो सुधार किया था, वह आपने और खत्म कर दिया। कोई चीज आपके बजट में है ही नहीं तो मान्यवर, यह विद्युतीकरण नहीं कर पाये हैं जहाँ पर वहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था करेंगे, इन सब चीजों की तरफ बताना चाहिए था। मान्यवर, जितने भी कारागार में काम हो रहे हैं सब में घोटाला हो रहा है, सब में भ्रष्टाचार मौजूद है। इनके पास केन्द्रीय कारागार हैं इनके जो कारागार परिक्षेत्रीय हैं, मैं चाहता था कि यह जो परिक्षेत्रीय कारागार हैं इन कारागारों को बढ़ाते और उसको मंडलीय स्तर पर कारागारों की व्यवस्था करते, प्रदेश में जितने मंडल हैं उतनी ही जेले व्यवस्थित करनी चाहिए इससे नियंत्रण पूरा कारागारों के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर हो जायेगा तो इन्हें कारागारों को बढ़ाना चाहिए था। मान्यवर, यह उपमहानिरीक्षक के अन्डर में 5-6 कारागार हैं इसको 12 मंडल में करना चाहिए था जिससे कि प्रशासनिक नियंत्रण आपका मजबूत हो सके। यह बात रखनी चाहिए थी। आज नतीजा यह है कि जितने कारागारों में आपके मंडलायुक्त के कारागार हैं जैसे कारागार है यहाँ बरेली का।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मंत्री जी, इनको जेल में रख दें।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, जेल का अनुभव तो इन्होंने बता दिया। मान्यवर, जितनी भी जेलें हैं, जहां पर इनके उद्योग चल रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने कोई चीज नहीं बताई कि कौन सी जेल में कौन सा उद्योग चल रहा है और वहां लोग कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि इतना बड़ा बजट केवल "हां" और "ना" में पास करा लेंगे और इनको पैसा खर्च करने का अधिकार मिल जायगा और सुधार के नाम पर एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। इन्होंने उद्योग के नाम पर पैसा खर्च करने का सहारा ले लिया है। इन्होंने यह नहीं बताया कि कितनी जेलों में कौन से उद्योग चल रहे हैं। बरेली में कम्बल उद्योग चल रहा है, वहां पर भारी भ्रष्टाचार है। आगरा में साबुन, फिनायल और चर्म उद्योग चल रहा है, फतेहगढ़ में तम्बू और छपाई उद्योग, लखनऊ में पावरलूम, बैंडेज, यूनीफार्म सिलाई, दरी और कागज उद्योग है, नैनी में कम्बल, लोहे तथा काष्ठ का उद्योग है और वाराणसी में पीतल उद्योग चल रहा है। मान्यवर, लखनऊ में इनका आदर्श कारागार है, जहां लाखों का घपला बताया गया कि बहुत से ट्रेक्टर हैं। उनके पुर्जों की फर्जी खरीदारी होती है, जबकि कोई कलपुर्जा नहीं आया। एक अधिकारी आया, लाखों की खरीद की और चला गया, फिर दूसरा आया और फिर वही खरीद की गयी। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, इसी कारागार विभाग में डी0पी0सी0 की सप्लाई हुई थी, उसमें भ्रष्टाचार का आरोप, बदन सिंह जी है कि नहीं, उनकी ओर से उठा था। विजिलेंस की जांच हुई। रिपोर्ट आयी, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। विजिलेंस की रिपोर्ट मंत्री जी के पास मौजूद है। कहां से मान्यवर, सुधार होगा, यह देखने की बात है। एक बात कही गयी कि बड़े-बड़े नेताओं की जन्म तिथियों पर बंदियों को छोड़ेंगे। उसी में जोड़ लेते कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिवस पर भी छोड़ेंगे। लेकिन आज तक, 6 महीने हो गये, जिन अपराधियों का कार्यकाल पूरा हो गया, जिन अपराधियों ने सजा काट ली है, जैसा कि प्रोबेशन पर होता है, 20 साल की

सजा में से अपराधी 10 साल काट लेता है तो उसके बाद प्रोबेशन होता है, लेकिन मंत्री जी उसकी मीटिंग को नहीं बुलाते। इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि जो 70 वर्ष से ऊपर के बंदी हैं, तत्कालीन मुख्य मंत्री मा0 नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा था कि उनको छोड़ दिया जायगा। लेकिन पिछले 6 महीने में किसी को भी नहीं छोड़ा गया। तो 70 वर्ष से ऊपर के बंदियो को या अच्छे चाल चलन वाले बंदियों को नहीं छोड़ा गया है। इसके अलावा एक रिवाइजरी बोर्ड होता है अपराधियों के चाल चलन के सम्बन्ध में, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक होती है। जेल के अन्दर अपराधी के चाल-चलन के बारे में विचार होता है। लेकिन उसकी बैठक जिलाधिकारी करते ही नहीं।

जो सर्टिफिकेट होता है, वह सर्टिफिकेट जारी नहीं करते हैं, जो रिवाइलरी बोर्ड है जिसके डी0एम0अध्यक्ष होते हैं, उसकी बैठकें नहीं होती हैं न ही उसकी रिपोर्ट भेजी जाती हैं। बिजली, पानी, लेट्रीन सबकी समस्या अपनी जगह पर मौजूद है और इसके अलावा जेलों में पलायन वाद भी होता है अपराधी जेलों से भागते भी हैं। जो भागने के कारण हैं उनका पता लगाया जाना चाहिये, विद्रोह की भावना अनुशासनहीनता जेलों में बढ़ती जा रही हैं। कैदी भूख-हड़ताल पर चले जाते हैं। जो बड़ी-बड़ी आर्दश जेलें हैं, उनके काम करना बंद कर देते हैं सामूहिक हड़ताल कर देते हैं। बरेली में तो एक आध बार गोली आदि चलाकर जेलों पर नियंत्रण पाया गया हैं। इन चीजों पर कैसे नियंत्रण करेंगे, उनके अंदर कैसे अनुशासन लायेंगे, अनुशासनहीन होने पर उन्हें कैसे रोक पायेंगे, मैं आरोप लगाता हूं, एक शब्द इस संबंध में नहीं कहा गया है, इन चीजों पर कोई प्रकाश नहीं डाला है। उत्तर प्रदेश के जेलों में कोई सुधार होगा, उ0प्र0 की जेलों के अपराधियों में कोई सुधार होगा, इसमें कुछ नहीं कहा गया। हमेशा उनके समक्ष कुछ न कुछ कठिनाई होती रहती हैं। कहा गया कि भोजन अच्छा देंगे, जो 10 ग्राम तेल मिलता था उसे 15 ग्राम कर देंगे, आप पता कर लें भोजन के नाम पर जितना रोजना के लिये निर्धारित है उतना कोई भी कैदी भोजन नहीं पाता है। जेलों में ठेकेदारी के नाम पर भी लूट हो रही है, मिर्च-मसाले और तमाम खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तुऐं ठेकेदारों से ली जाती हैं उसमें तमाम अनियमिततायें होती हैं। आपके जेलों में कई सौ एकड़ जमीन है उस जमीन पर कृषि भी होती है, कृषि पर आपने कोई बात न कही, जो सामग्रियों की खरीद में सप्लाई में घोटाला होता है उस पर नहीं कहा। आपने कहा गाजियाबाद में भवन बन रहा है, बुलंदशहर में बनायेंगे, हरिद्वार में बनाने की बात कही। यह जो भवनों के आंवटन में अधिग्रहण में धन खर्च करेंगे, दूसरी ओर आपकी तमाम जो मौजूदा जेलें हैं तमाम की हालत जर्जर है छत गिर रही हे दीवालें टूट रही हैं उनका सुधार कैसे करेंगे जो मौजूदा जेलें हैं उनका रख-रखाव कैसे सुचारू रूप से हो सकेगा इसके बारे में कुछ नहीं बताया हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मुईद अहमद जी कितना समय और लेंगे?

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, 5-7 मिनट में समाप्त हो रहा है।

आपका जेल मैनुअल बहुत पुराना है। 1894 का बना हुआ है अंग्रेजों का दिया हुआ है आज भी वह चला आ रहा है। 1983 में आनन्द स्वरूप मुल्ला

की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी थी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, नागरिक सुरक्षा भी है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें। जल्दी समाप्त करें।

श्री मुईद अहमद—

भारत सरकार ने प्रदेश सरकारों को निर्देशित किया था उनकी संस्तुतियों पर कार्यवाही की जाय। उसका कोई उल्लेख नहीं बताया। जेल कर्मचारियों का वेतन पुलिस कर्मियों से बहुत कम है। पिछले दिनों एक सवाल इस संबंध में था, यह बात आयी थी कि स्वतंत्रता से पहले जेल कर्मियों को पुलिस कर्मियों से बहुत ज्यादा वेतन मिलता था।

उसके बाद सन् 47 से सन् 61 तक बराबर की तनख्वाह हो गयी, लेकिन सन् 61 के बाद से जेलकर्मियों का वेतन, पुलिसकर्मियों से बहुत कम हो गया है, इसकी तरफ भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इसके बाद नागरिक सुरक्षा की बात आती है नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड यह दो चीजें हैं, यह स्वंयसेवी संस्था है, इसके साथ-साथ इसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को आप वेतन देते हैं, उनमें आप चुस्ती लाइये, जिससे प्रदेश की जनता यह महसूस कर सके कि प्रदेश में शान्ति व्यवस्था है और इस प्रदेश में नागरिक सुरक्षा काम कर रही है। जहां तक होमगार्ड का मामला है, आज होमगार्ड की भरती होती है, पैसे के आधार पर, होमगार्ड की पोस्टिंग पैसे के आधार पर होती है, उनकी ट्रेनिंग पैसे के आधार पर होती है। आज होमगार्ड मुख्यालयों पर, डिवीजनों में तमाम ऐसे अच्छे लड़के हैं, जिनको आप भरती कर सकते है और वह किसी भी तरह से पुलिसकर्मियों से कम नहीं हैं, लेकिन इन चीजों की तरफ माननीय मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। जहां तक राजनैतिक पेंशन की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि आपने इसको 400 से 500 कर दिया, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन इसके पूर्व माननीय राजीव गांधी जी ने इसको 1000 रूपये करने की घोषणा की थी, वह खुद चिन्तित है, वह खुद अहसास करते हैं कि जो राजनैतिक लोग हैं, जिनकी कुर्बानियों से आज हमें यह आजादी का सुख मिला है, उनको कितनी सुविधा दी जाय। दूसरी तरफ आपने जो 4 हजार रूपया चिकित्सा व्यवस्था के लिये करने की बात कही है, उसको आप बढ़ाकर 5 हजार रूपये कर दें, यह मेरी मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 1990-91 की अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, अभी हमारे विपक्ष के साथी कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे थे, जितने समय तक उन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया, उसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दर्शाने का काम किया, जिससे यह सरकार कोई लाभ उठा सके। न इन्होंने कोई सुझाव ही दिये हैं जिससे यह महसूस नहीं हो रहा था कि यह कटौती प्रस्ताव मन में पेश करना चाहते हैं केवल इन्होंने फारमैलिटी पूरी

की है। मैं समझता हूँ कि इन्हें पूरी जानकारी भी नहीं है। मान्यवर, मौजूदा माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने जेलों के सुधार के संबंध में तथा राजनीतिक बंदी लोगों के संबंध में किस तरह सोचने का काम किया है, यह शायद इनको नहीं मालूम। मान्यवर, जेलों में जो सजायाफता बंदी है, जो विचाराधीन बंदी हैं, उनके बारे में मैं समझता हूँ कि पिछली सरकार ने जेलों में जो दुर्व्यवस्था बना रखी थी, यह सब उसी का परिणाम है और उसी के चलते इन्होंने जेलों की दुर्दशा कर दी। जो भी लोग भूले-भटके, छोटे-मोटे अपराध कर दिये, वह जेलों में चले गये और इनकी दुर्व्यवस्था के तहत जब वह बाहर निकले, तो बहुत बड़े अपराधी बन गये। इस पिछली सरकार की जो नीयत थी, वह बिल्कुल भी साफ नहीं थी। सन् 1975 में जब पिछली सरकार थी, तो इन्होंने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और तमाम निरीह लोगों को जेलों में बंद कर दिया और इन्होंने कहा कि यह लोग देश को खण्डित करना चाहते हैं, यह समाजद्रोही हैं, इन लोगों की जेलों में जो हैसियत बनाई गयी, किस तरह से इनका उत्पीड़न किया गया, यह सब जानते हैं, सालों बरसों तक इनको जेलों में बंद रखा गया, चूँकि यह लोग तो भुक्तभोगी हैं नहीं, इसलिये इनको नहीं मालूम। भुक्तभोगी तो हम लोग हैं, हम लोग 8-8 महीने तक जेलों की सजा काट चुके हैं, उस समय इन लोगों की सरकार ने खूब बंदियों का उत्पीड़न किया। अब मौजूदा सरकार एक ऐसी व्यवस्था करने जा रही है, जिससे जेल में जाने वाले जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, वह वहाँ जाकर कुछ लाभ प्राप्त कर सकें, उनमें सुधार हो सके, उनके विचारों में बदलाव आ सके।

यह हमारी मौजूदा सरकार में जो माननीय जेल एवं कारागार मंत्री हैं वह स्वंय नवयुवक हैं यह तो चाहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव लाया जाय। परन्तु उधर बैठे लोग नहीं चाहते हैं कि बदलाव लाया जाय। मान्यवर, यहाँ जो बजट पर उधर की तरफ से सुझाव दिये गये हैं उससे कोई बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला नहीं है। अभी माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह उन्होंने मन से कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा है और न ही उनको इसके बारे में पूरी जानकारी ही है। मौजूदा सरकार ने सन् 1975 में जो राजनैतिक बन्दी बनाये गये थे उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की श्रेणी में माना था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो बुकलैट दी है उसमें उल्लिखित है कि सन् 1975 में जिन लोगों में 6 महीने या 8 महीने की सजा काटी है उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की श्रेणी में माना जाय। मान्यवर, यह बुकलैट निकाल लें। यह अच्छा काम हमारी सरकार ने किया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों वाली सुविधाएं इन बन्दियों को भी दी जायेगी। मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का काम फौलादी है। अगर सुई चोरी हो जाय तो जेल होगी। बहू-बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को फाँसी मिलेगी। एक कहावत है कि यथा नाम तथा गुण। मान्यवर, सरकार इस तरह से इसमें सुधार करने का प्रयास कर रही है। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

डा0 सरजीत सिंह डंग—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इस अवसर पर आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि माननीय कारागार मंत्री ने बड़े सशक्त शब्दों में बड़ा अशक्त बजट आज यहाँ सदन में पेश किया है। मैं इसको अशक्त इसलिये कहता हूँ कि जिस प्रकार की अपेक्षा राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जेलों से किया करते थे, जिनका नाम हम

सभी बड़े आदर से लेते हैं उस प्रकार का सुधार अभी तक नहीं हो सका। सुधारात्मक दृष्टिकोण से उठाये जाने वाले कदम का कोई लक्षण इस बजट में नही मिल पा रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज आधुनिक विज्ञान ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि अपराधी मनोवृत्ति के लोग मनोरोगी भी होते है।

मैं इस सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या कारागारों में मनोचिकित्सकों या मनोरोगों के जानकार लोगों की सेवा लेने की कोई योजना सरकार के पास है यदि नहीं है तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इसे शामिल कर लिया जाय दूसरी बात मैं बल देकर कहना चाहता हूँ जो नये जिले बनाये जा रहे हैं जैसे हरिद्वार आदि, इनमें आपने नये जेलों को बनाने के लिए 2 करोड़ रूपये का प्राविधान किया है। यह किसी कल्याणकारी सरकार के लिए कोई गौरव की बात नहीं है। जेलों की संख्या बढ़े, इसका मतलब यह है कि सरकार की यह भी अपेक्षा है कि आने वाले वर्षों में अपराधियों की संख्या बढ़ने वाली है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि समाज को इस प्रकार बनाने की चेष्टा होनी चाहिए कि अपराधियों की संख्या कम हो। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ जिस पर इस आदरणीय सदन और इस सरकार का ध्यान भी आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आज इस प्रदेश की जेलों में जो विचाराधीन कैदियों और कनविक्टेड अपराधी हैं, उनके बीच में 1:3 का अनुपात है। विचाराधीन कैदी कुछ तो ऐसे हैं, जिन पर किसी प्रकार का मुकदमा चलाये बिना ही 5-6 वर्षों तक उन्हें जेल में रहना पड़ता है। यह निश्चित है कि जब वह कठोर अपराधियों के साथ इतने दिन तक जेल में रहेंगे तो उनकी कुछ आदतें वह सीखेंगे जरूर। मैं सरकार से यह भी जानना चाहूँगा कि इन विचाराधीन कैदियों की संख्या को कम करने के लिए क्या कोई ठोस कदम सरकार उठा रही है। अभी एक फरवरी को कारागार दिवस के अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि हम जेल अधिकारियों से अपेक्षा करते हैं कि वह संरक्षक व सुधारक का काम भी करें, परन्तु इस बजट में मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती है। क्या इस हेतु सरकार के पास कोई ठोस योजना है। जहाँ तक जेलों में भ्रष्टाचार का सवाल है, माननीय मंत्री जी को भी इस बात की जानकारी है, इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों को भी इस बात की जानकारी है कि रोजमर्रा की जो खाने-पीने की चीजें होती हैं, उनमें बड़े लम्बे पैमाने पर कमीशन लेकर निम्नस्तर की चीजों को खरीदकर कैदियों को खाने-पीने हेतु मुहैया करवाया जाता है। इसे रोकने के लिए सरकार के पास क्या कोई ठोस योजना है। जहां तक होमगार्डस का सवाल है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह एक स्वैच्छिक संस्था है। हम सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज होमगार्डस का किस तरह से शोषणा हो रहा है। पिछली सरकार के समय भी उनका शोषण हो रहा था और वर्तमान सरकार के समय भी उनका शोषण हो रहा है, आज उनके बंधुवा मजदूरों की तरह से काम लिया जा रहा है। आज इस परम्परा को बदलने की जरूरत है। अन्त में मैं माननीय कारागार मंत्री जी को 10 ग्राम की जगह पर 15 ग्राम तेल व जेल में महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों के लिए सप्ताह में तीन दिन एक रूपये का फल, मैं नही समझ पा रहा हूँ कि एक रूपए में कितना फल आयेगा, दिया जायेगा। इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देना चाहता हूँ। विशेषकर साधुवाद इस बात के लिए देना चाहूँगा कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन में एक अच्छी वृद्धि की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति एक बार पुनः आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

श्री मुक्तिनाथ—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने कारागार और राजनैतिक के बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है वह बहुत ही अच्छे ढंग से, और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बजट रखा है। माननीय मंत्री जी स्वयं जिस विभाग के मंत्री हैं, वह जेलों के भुक्तभोगी हैं, इसलिए जेलों में जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसका ज्ञान उन्हें है।...

पुरानी सरकार के समय में हम लोग जब बागपत सत्याग्रह के समय आपातकाल के समय जेलों में बन्द थे तो जो व्यवस्था जेलों में थी, उससे बहुत से राजनीतिक बन्दी जेलों के अन्दर ही दम तोड़ दिये। उस समय राजनीतिक बन्दियों को साधारण कैदियों के समान भी सुविधा नहीं दी जाती थी। जो वर्तमान समय में सरकार ने व्यवस्था की है, वह पूर्णरूपेण तो नही कहा जा सकता लेकिन उसमें अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है। जो प्रकाश की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है उसमें और भी अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने देश आजाद कराया उनके लिये राजनीतिक पेंशन में वृद्धि करके उन्होंने उनके त्याग और बलिदान को सम्मान प्रदान किया है। यह हमारी सरकार का, जो आजादी के सिपाही हैं, उनके प्रति सच्चा सम्मान है। जो हमारे उधर के साथी हैं उनसे कहना चाहूंगा कि बजट की मात्र आलोचना करने से ही काम नहीं चलने वाला, उन्हें सुझाव देने चाहिये। उनका दृष्टिकोण बन गया है अच्छे कामों की भी आलोचना करने का, उन्हें सुझाव देना चाहिये। अगर वे सुझाव दें तो हमारी सरकार उनसे सहयोग लेने के लिये तैयार है। जो राजनीतिक बन्दियों की बात हो रही है, आपातकाल में जो बन्दी बनाये गये हैं, 19 महीने तक जेलों में बन्द रहें, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पत्नी और बच्चे मर गये, घर बर्बाद हो गया, 19 महीने तक वह घर नही गये, खेती-बारी व्यापार सब चौपट हो गया, उनका कोई पुरसाहाल नहीं है, हमारी सरकार ने ऐसे राजनीतिक बन्दियों के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समान सुविधा देने की घोषणा की है, यह उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि यह सुविधा उनको जल्दी ही मिले।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया। माननीय कारागार मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान चर्चा की कि जेलों में ऐसे बन्दी जो अपराधिक मनोवृत्ति के हैं, उनको सुधारने के लिये और समाज की मुख्य धारा में लाने के लिये जेल में इस बात की व्यवस्था की जानी चाहिये। उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और मैं निवेदन करूंगा कि पहले के ढर्रे से हटकर इसमें सुधार करने के लिये माननीय मंत्री जी कार्यवाही करें। सन् 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, केन्द्र में स्वर्गीय माननीय चरण सिंह जी गृहमंत्री थे, तो उन्होंने एक संशोधन विधेयक के द्वारा इस सुविधा को कि जेल में सजा काटने वाले आरोप सिद्ध बन्दी अपनी सजा के 20 वर्ष काटने के बाद अपनी अवशेष सजा को खत्म करने के लिये याचिका दे सकते हैं, समाप्त कर दिया था। इसके पीछे यही भावना थी कि अपराधिक मनोवृत्ति के लोगों का मन इससे बदलेगा और अपराध कम होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज समाज में अपराध की जैसी बढ़ोत्तरी हो रही है इससे हम चिन्तित हैं। महज यह सोचने से कि आतंक या भय का वातावरण बनाकर अपराध में कमी कर सकेंगे, यह सही बात नहीं है।

तो इस तरफ भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये और उस परम्परा से हट कर समाज की मुख्य धारा में जो अपराधी हैं तथा जो आकस्मिक कारणों से उत्तेजना में अपराधी बन बैठे हैं, इस दिशा में भी सोचना आवश्यक है।

इसी तरह का एक बन्दी है जो 20 साल की अवस्था में, अपने माँ-बाप का अकेला लड़का है जो 1972 से अब तक जेल काट रहा है। उसके जेल जाने के पूर्व में और बाद में कोई भी एम०सी०आर० दर्ज नहीं है। प्रेमपाल नाम है उसका। आकस्मिक कारणों से उत्तेजना में आकर यह घटना हुई, मैंने मा० मंत्री जी को उसके पेरोल के लिये भी आवेदन किया था, मुझे पता नहीं कि उस पर क्या हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि वर्तमान सरकार में कारागार मंत्री जी बहुत ही तेज तर्रार मंत्री हैं, जेल में भी आप रह चुके हैं, जेल की बातों को आप बखूबी जानते हैं, अगर उसे छोड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम उसे पैरोल तो दे दें।

श्री शत्रुद्र प्रकाश—

आप बतला दीजियेगा कि किसके बारे में आप यह चाहते हैं? मैं देख लूंगा।

श्री श्याम नारायण तिवारी—

अभी जैसा कि मा० मंत्री जी ने कहा कि जेल मैनुअल में सुधार होना चाहिये, यह सही है। हम लोग तो जेल में बहुत खटाई खाये हुए हैं, मा० मंत्री जी जेल में सुविधाओं को और थोड़ा बढ़ाइये और वहां की अव्यवस्था पर विचार करिये।

अभी नागरिक सुरक्षा और होम गार्डस् की बात कही गयी, ये स्वयं सेवी संगठन जरूर हैं लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इनको वेतन बहुत कम मिलता है, उसको बढ़ाने के संबंध में मंत्री जी विचार कीजिये। अन्तिम सुझाव पेंशन और अन्य व्यय के बारे में हैं। पेंशन बढ़ाने की बात कही गयी, इस संबंध में निवेदन है कि आप मीसा में बन्दी रहे, मैं भी बन्दी रहा किन्तु दूसरी जेल में था। सम्पूर्ण इमरजेन्सी में जेल में था। आज आप पेंशन की राशि को बढ़ा रहे हैं। ऐसा न हो कि आप हमारी और अपनी पेंशन को सुनिश्चित कर लें क्योंकि यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, यह सत्ता संग्राम था और इसे थोड़ा-थोड़ा करके न बढ़ावें बल्कि जैसा कि हमारे राजीव गांधी ने किया वैसे ही सीधे 1000/- रू० की व्यवस्था करा दें।

मुझे उम्मीद है माननीय मंत्री जी इस पर जरूर विचार करेंगे क्योंकि वह सबसे तेज तर्रार मंत्री हैं और हमारी बातों पर जरूर विचार करेंगे।

श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे कारागार के बजट की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जेल में दो तरह के लोग रहते हैं-एक वे जो कि पेशेवर अपराधी हैं, उनके साथ न्याय करना मैं समझता हूं कि उचित न होगा।

दूसरी तरह के वे लोग हैं जो किन्हीं कारणों से जेल में पहुंच गये हैं परन्तु वे पेशेवर अपराधी नहीं है उनके साथ सख्ती से पेश आना न्यायोचित नहीं है। कारागार विभाग इस सरकार का सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का अड्डा जेल ही है। जेल में सबसे पहली बात पैसा है क्योंकि

जैसे ही आदमी जेल में घुसता है, पहले नम्बर पर पैसा लगता है, चारपाई के लिये पैसा लगता है, काम लगाने के लिये पैसा लगता है, अगर बैठना चाहता है तो पैसा पड़ता है। इस तरह से मैं समझाता हूं कि जेल में पैसा ही पैसा लूटा जाता है। मिलाई के लिये पैसा पड़ता है। हमारी नयी सरकार को पुरानी सरकार से विरासत में यह बात मिली है।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

.....मान्यवर, सफाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और वहां फलश की व्यवस्था की जानी चाहिये। जेलों में पुस्तकालयों की व्यवस्था की जानी चाहिये, और वहां पर इस प्रकार का साहित्य उपलब्ध कराना चाहिये, जिससे उनका जीवन सुधर सके और उनको नयी दिशा प्राप्त हो सके। और वह नया जीवन जी सकें।

मान्यवर, अक्सर यह देखा जा रहा है कि जेलों से कैदी भाग रहे हैं। इस प्रकार की खबरें रोज अखबारों में आती हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार की कोई व्यवस्था करें जिससे इस प्रकार की कोई घटनायें न हो। आपने जो मीसाबन्दियों को जो सुविधायें दी हैं, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जय सिंह यादव—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया और जो उस पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं प्रयाग उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूं और कुछ बातें ऐसी आती हैं, जिनसे बड़ा कटु अनुभव होता है। एक सदस्य ने कहा कि क्या जेल गये हो, तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं जेल गया हूं, शतरूद्र जी जानते हैं। मान्यवर, एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, इसका बड़ा दुरूपयोग किया जाता है, जब कोई अधिकारी किसी से रूष्ट हो जाता है, तो उसका इस एक्ट के अन्तर्गत बन्द कर दिया जाता है। और जेल भेज दिया जाता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस एक्ट में जितनी गिरफ्तारियां होती हैं, उनमें से 75 प्रतिशत ऐसी होती हैं, जो बदले की भावना से की जाती हैं। मैं किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं केवल अपनी राय दे रहा हूं। शासन का कोई व्यक्ति चाहे वह जिलाधिकारी हो या एसपी० हो या दरोगा हो, अगर वह किसी व्यक्ति से रूष्ट हो जाता है तो उसको इस एक्ट के अन्तर्गत जेल भेज देता है। मान्यवर, यह बड़ा महत्त्वपूर्ण कानून है। इस एक्ट के अन्तर्गत केवल उन्हीं लोगो को गिरफतार किया जा सकता है, जो राष्ट्र विरोधी कार्य करें, लेकिन शासन के अधिकारी निरंकुश हो जाते हैं। और निरापराध व्यक्तियों को पूर्वाग्रह से ग्रसित है। का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत बन्दी बना लिया जाता है।

(व्यवधान)

आप सुने तो। जब इस कानून के तहत बन्दी बनाया जाता है, और जब वह व्यक्ति जेल में होता है तो उसे बन्दी प्रत्यक्षी याचिका दायर करना होता है। उसकी याचिका पर जनपद न्यायालय कोई विचार नहीं कर सकता हैं, ऐसा प्राविधान है उसे हाई कोर्ट में जाना पड़ता है तो जो जेल का वरिष्ठ अधीक्षक होता है, वह कागजात भेजने में देरी करता है और देरी इसलिये करता है

क्योंकि वह उसके लिये पैसा चाहता है। इस जमानत का प्राविधान नहीं है और सरकार का जो पक्ष है, वह प्रस्तुत नहीं हो पाता है अधिकारी शपथ पत्र दाखिल नहीं करते हैं और बहुत देरी करते हैं। जिसका लाभ वास्तव में जो अपराधी होते है न्यायालय से छूट जाते है और कभी-कभी बिना शपथ पत्र गृह विभाग से आये या कारागार में रहने देने के लिये बाध्य रहता है इस प्रकार एक बन्दी पर सरकार का एक लाख रूपया खर्च हो जाता है और इस समय लगभग एक हजार बन्दी हैं, तो लगभग 3 करोड़ रूपया खर्च होता है, तो यह रूपया सरकार बचा सकती है।....

श्री राम तेज—

मान्यवर, जो बजट माननीय मंत्री जी ने हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है वह निःसन्देह अपने आप में बहुत ही प्रशसनीय है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है। कि जो इस देश के महा पुरूष रहे हैं उनके जन्म दिन पर बन्दियों को रिहा करने की बात कही गई है। जिन बन्दियों का चाल-चलन अच्छा रहा है, उनको छूट देने की व्यवस्था की गई है। इस बजट में यह भी व्यवस्था की गई है कि गर्मियों में बन्दियों को लू न लगे उन्हें आम का पना देने की व्यवस्था की गई है। जेलों में उनके लिये विद्युत व्यवस्था की गई है। जो लोग इमरजेन्सी में मीसा और डी0 आई0 आर0 में बन्दी हुये थे उनको सुविधा देने की बात कही गई है। मैं यह गुजारिश इसलिये करना चाहता हूं कि इसमें माननीय चौधरी चरण सिंह, महामना मदन मोहन मालवीय के सपनों को साकार करने वाली बात कही गई है। मान्यवर, जो संगीन प्रकृति के बन्दी होते हैं उनके लिये जेलों में कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। कुछ बन्दी ऐसे हैं जो अनायास किसी कारण से जेल जाते हैं उनके लिये व्यवस्था की गई है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अकबर अली—

जेल विभाग के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जो बड़े-बड़े अपराधी जेलों में जाते हैं जो धारा 302, 295 और 392 में जाते हैं, एक प्रकार की श्रेणी ऐसी होती हैं, और दूसरी श्रेणी में ऐसे लोग होते हैं जो अकस्मात किसी धारा में पकड़ लिये जाते हैं जैसे धारा 151 में पकड़े जाते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि बड़े अपराधी जो हैं जो कातिल हैं, डकैत है राहजनी करते हैं और जेलों में रहा करते हैं उनको जेलों के बाहर से भी सुविधायें मुहैयया की जाती हैं उनको वहां पर द्वितीय श्रेणी का भोजन मिलना चाहिए। ये लोग बाहर से जेल कर्मियों से मिले होते हैं। जेलों के अन्दर शराब और मुर्गा पहुंचाया जाता है, ऐशो आराम का सामान मुहैयया किया जाता है। इस मौजूदा सरकार को देखना पड़ेगा और इसमें सुधार लाना पड़ेगा।..(व्यवधान) अगर कोई इस तरह के अपराधी हैं तो आप उनको समझा दीजिये। आप परेशान न हों। ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कि उनको वहां पर सुख-सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है इसी वजह से आये दिन जरायम बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग जैसे बाहर रहते हैं वैसे ही अन्दर भी रहते हैं....(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप सुझाव दीजिये।

श्री अकबर अली—

मान्यवर, सुझाव ही दे रहा हूं। सुझाव यह है कि ऐसे लोगों पर

पाबन्दी लगनी चाहिए। इसके लिये एक कमेटी बनायें जिसके निर्देशन में यह काम हो सके।...(व्यवधान) मान्यवर, मेरा जनपद जालौन है। उसके बारे में बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर अकुंश लगाना चाहिए और उन्हें ऐसी सुविधाओं से वर्चित करना चाहिए। ऐसे लोग राजनीतिक दबाव में रहते हैं। जहां तक होम गार्डस का सवाल है, यह एक अल्प-वेतन भोगी मजदूर के रूप में काम करते हैं। इन्हें 20-25 रूपया रोज दिया जाता है और एक सिपाही जो रात दिन ड्यूटी देता है, उन्हें उनके काम के अनुसार वेतन दिया जाना चाहिए और उनका वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए।...(व्यवधान)। मान्यवर, एक मिनट राजनीतिक पेंशन के बारे में कहना चाहता हूं। मैं भी राजनीतिक आन्दोलन में जेलों में गया हूं।

...मीसा के अंदर जो बंद हुये उनको पेंशन देने की बात कही गयी है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं यह उचित नहीं है क्योंकि राजनीतिक कारणों से लोग जेलों में जाते रहते हैं आज आप ऐसा करेंगे तो कल को हम अगर उधर आ गये तो हम भी इसका दुरूपयोग करेंगे। इसलिये यह ठीक नहीं है।

श्री निरवेन्द्र कुमार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो बड़ी मुश्किल से बोलने का अवसर दिया मैं उसके लिये आपका हृदय से आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है यह निर्विवाद है और इसमें कारागारों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया है और उसके अनुसार बजट प्रस्तुत किया गया है यह बजट निर्विवाद है इसका मैं समर्थन करते हुये कुछ बिन्दुओं पर अपने विचार रखना चाहता हूं। सबसे प्रथम यहां पर सामने जो माननीय सदस्य बैठें हैं उनकी विचारधारा सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि 40-42 सालों में वह वहां कुछ सुधार नहीं कर सके।

श्री अधिष्ठाता—

आप सुझाव प्रस्तुत करें।

श्री निरवेन्द्र कुमार—

मान्यवर, जो सामने बैठे हुये माननीय सदस्य हैं वह जेलों की व्यवस्था से भलीभांति विदित थे उनकी कहानी सुनकर मुझे लगा कि वह कितना अन्याय सह रहे थे अपनी व्यवस्था को देख कर भी वह अपनी पार्टी छोड़ कर नहीं भागे। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है उसमें कोई सुझाव की गुजांइश ही नहीं मानता इसलिये मैं उसका पुरजोर समर्थन करते हुये बैठता हूं।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा—

मान्यवर, बहुत देर के बाद आपने मुझे कारागार के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। जनसमस्याओं को लेकर मुझे कई बार जेल जाने का अवसर मिला उन दिनों के अनुभव के आधार पर दो तीन बिन्दुओं की ओर मुझे शासन का ध्यान आकर्षित करना है। वर्तमान कारागार मंत्री मेरे बनारस नगर के हैं मैं उनसे आशा करता हूं कि कांग्रेस के शासन काल में जो जेलों में लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और जेलों की जो दुर्दशा है उसे ठीक करेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय जेलों की जो दुर्दशा है वह वाकई सोचनीय है। मेरे बनारस जिला जेल में कई भवन हैं जो जीर्णशीर्ण अवस्था में है आज कांग्रेस का शासन टूट गया है लेकिन वह भवन जीर्णशीर्ण रूप में खड़ा है मैं चाहूंगा कि उसकी तरफ शासन ध्यान दे। कांग्रेस के शासनकाल में आपातकाल

मैं भी मुझे वहां जाने का अवसर मिला मैं उस अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि उन दिनों जेल में जो घातक अपराधी थे उनको सारी सुविधायें मुहैय्या होती थी चाहे शराब हो या अफीम हो, या हीरोइन हो वह उनको उपलब्ध करायी जाती थी। मैं आशा करता हूं कि इस कल्याणकारी शासन में वह दुर्दशा जेलों में न हो माननीय मंत्री जी इस बात के साक्षी हैं क्योंकि उनको भी जेल जाने का मौका मिला। तो मैं आशा करता हूं कि उनका ध्यान इस तरफ अवश्य जायेगा।

जेलों में पानी की व्यवस्था के लिये नलकूपों की व्यवस्था करायें वहां पर नलकूपों की दुर्दशा को उसको ठीक करायें। इसी तरह शौचालयों की भी दुर्दशा है जो कांग्रेस शासन काल में ठीक नहीं हो सकी उसको आप ठीक करायें और वहां फ्लश सिस्टम के शौचालय बनाये तो ज्यादा अच्छा होगा।

.मान्यवर, महिलाओं की कठिनाई के तरफ मंत्री जी का ध्यान गया है उसका मैं स्वागत करता हूँ कि महिलाओं के लिये अलग से जेल की व्यवस्था हो यह अच्छी बात है।

मान्यवर, जेल के अन्दर जो चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है वह अच्छी नहीं है। इसलिये निवेदन है कि जेल में एक्सरे की व्यवस्था हो जाये तो कैदियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वतंत्रता सेनानियों का पेंशन बढ़ाकर 500 रूपये की व्यवस्था की गयी है उसका मैं स्वागत करता हूँ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिये रियायती मूल्य पर भवन देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। जेलों के अन्दर गन्दगी की भयानक स्थिति है, इसलिये शासन इस तरफ ध्यान दें।

धन्यवाद।

श्री अमरमणि—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी तरफ ध्यान दिया। मान्यवर, अभी हमारे विद्वान मंत्री जी ने जेल, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा का बजट रखा, उसको ध्यानपूर्वक सुना, और श्री मुईद भाई ने कटौती का प्रस्ताव रखा और अच्छे सुझाव दिये। बहुत से मा० सदस्यों ने आपत्ति किया कि वह जेल नहीं गये हैं, इसलिये कटौती का प्रस्ताव उन्हें रखने का अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि यहां बैठे ज्यादातर सदस्य चाहे कुछ भी समय के लिये जेल गये हों और वहां का अनुभव उन्हें होगा, क्योंकि पक्का राजनीतिज्ञ वही होगा जो संघर्ष से पीछे न हटा हो और लडाई लड़कर उसे जेल जाना पड़ा हो।

मान्यवर, अब मैं सुझाव देना चाहता हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत मुझे तमाम जेलों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, वहां पर बाहर से अधिक भ्रष्टाचार है। अभी तमाम साथियों ने कहा कि उस इलाके के जो राजनैतिक बन्दी हैं उनकी अपेक्षा उन लोगों को अधिक सुविधायें प्राप्त होती हैं जिनका दबदबा है और वे लोग जेलर एवं अधिकारियों से मिलकर अच्छी सुविधायें जैसे शराब, अच्छा भोजन उपलब्ध हो जाता है और राजनीतिक बन्दियों को वहां बड़ी असुविधा होती है।

मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जेलों में शौचालयों और पेयजल की उत्तम व्यवस्था नहीं है। वहां इतवार को खाने में हलवा पूड़ी दी जाती है जो कहने के लिये है क्योंकि जो वस्तु उसमें डाली जाती है वह न के बराबर है इसलिये उसका कोई औचित्य नहीं है, अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है।

मान्यवर, जेल विभाग के पास उत्तर प्रदेश में 10 हजार एकड़ जमीन है उसमें जितना उत्पादन होता है वह जेल अधिकारियों के घरों में जाता है, वह न तो कैदियों को और न सरकार को ही मिलता है इसलिये जेल फार्म को कृषि विभाग को दे दिया जाये।

मान्यवर, होमगार्ड के कर्मचारी जो हैं उन्हे समान कार्य के लिये समान वेतन नहीं मिलता है। वह भी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ड्यूटी करते हैं लेकिन पुलिस से उनको कम वेतन दिया जाता है इसलिये निवेदन है कि उन्हें पुलिस के बराबर वेतन दिया जाना चाहिये। धन्यवाद।

श्री हृदय नारायन---

मान्यवर, माननीय कारागार मंत्री जी ने कारागार पर बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ सत्ता पक्ष के दायित्व का तो निर्वहन किया ही है, साथ ही विरोध पक्ष से जो सुझाव आ सकते थे, उनको पहले से ही उसमें शामिल कर लिया था। इसलिए कटौती प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्य आत्मबल के साथ कोई ठोस सुझाव यहां नहीं दे पाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा 23 करोड़ रूपये से ऊपर का बजट था और यह कम होकर केवल 21 करोड़ का है। इस सम्बन्ध में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि कारागार मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें रूपये कम हो जाने के बावजूद कैदियों का तेल बढ़ाया गया है, फल बढ़ा दिये गये हैं और जेलों में शौचालयों की जो व्यवस्था है, उसमें सुधार के तमाम उपाय किये गये हैं। तो बजट में धन कम हो गया है, लेकिन ठोस कार्य करने का प्रयास किया गया है। मंत्री जी ने जो बजट प्रस्ताव अपना रखा है, उसका समर्थन करते हुए और उस पर बल देते हुए अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

पैरोल देने के लिए बन्दी के आचरण आदि के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस से जांच कराई जाती है, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। जब कोई व्यक्ति काफी दिन बंदीगृह में रह चुका होता है तो उसके आचरण के सम्बन्ध में जितनी अच्छी और सही रिपोर्ट जेल के अधिकारी दे सकते हैं, उनकी स्थानीय पुलिस के लोग नहीं दे सकते हैं। जेल में बच्चों को जो अलग रखने की बात है, वह ठीक है, किन्तु साथ ही बच्चों के पढ़ने के लिए भी वहां अच्छी व्यवस्था हो, जिससे जेल अपराधी प्रशिक्षण गृह बनकर न रह जाएं, वह व्यक्ति सुयोग्य नागरिक बनाकर निकालें। अभी कारागार मंत्री जी के बजट पर यह कहा गया कि जो भी अपराधी होते हैं, वह मनोरोगों के आधार पर होते हैं। फ्रायड का सिद्धान्त और उसका विचार हो सकता है, लेकिन मैं इस चीज को सही नहीं समझता हूं। क्योंकि मनोविश्लेषणकर्ता भी एक प्रकार के मनोरोगी भी होते है, इसलिए जेलों में कोई मनोवैज्ञानिक नियुक्त किया जाए, इसकी मैं खास आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं।

एक विशेष बात यह है कि सन् 75 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ था और अंग्रेजों के जमाने से भी ज्यादा बड़ी गुलामी इस देश पर लाद दी गई थी, प्रेस का मुहँ बन्द था सभी सरकारें चाहे इंका रही हो जनजीवन पूरी

तरह त्रस्त था, रास्ते बन्द थे, जो भी मिलता था उसकी जबरन नसबन्दी कर दी जाती थी, उस व्यवस्था के विरूद्ध उस जालिम शासन के विरूद्ध इस देश के जिन नौजवानों ने अपने जान की बाजी लगाकर चाहे जिस भी बैनर या नाम के नीचे संघर्ष किया था, उनको विशेष सुविधाएं और सम्मान देने का इस सरकार ने विचार किया है। यह स्तुत्य कदम है। तो इसको बहुत गहराई से इस पक्ष और उस पक्ष में बैठे संज्ञान में ले। जिससे कभी यह लोग पुनः इधर आ जाएं, जिसकी कि कोई सम्भावना नहीं है और देश में ऐसी गुलामी लादने की कोशिश करें तो नई पीढ़ी के लोग उससे प्रेरणा लें और उस गुलामी को उखाड़ फेंके।

होमगार्ड्स की भर्ती में पुरानी सरकार ने बड़ी बेईमानी की थी। मैं उन्नाव जनपद से आता हूं, हमारे यहां होमगार्ड कमान्डेण्ट ने प्रति व्यक्ति 6 हजार रूपया लेकर उनकी नियुक्ति की थी। खैर यह अच्छी बात है कि इस सरकार ने उस भर्ती कैंसिल कर दिया है, लेकिन फिर भी जो ऐसे अधिकारी हैं, उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। मंत्री जी ने अपने बजट प्रस्ताव को जिस तरह पेश किया है, उस पर किसी तरह के कटौती प्रस्ताव की कोई गुंजाइश नहीं थी। बजट प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिवकरन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी माननीय मुईद अहमद ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है। मैं उसको समर्थन में बोल रहा हूं।

(इस समय 4 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

मान्यवर, कैदियों की दिनचर्या में परिवर्तन किया जाना चाहिए। मान्यवर, कैदियों से परेड कराई जायेगी और उसी तरह से व्यवस्था बनाई जायेगी तो वह एक अनुशासित सिपाही की तरह जेलों में रहेंगे जिससे लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखेंगे और उनका आदर करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रस्ताव को जरूर जोड़ दें कि जेल की जो दिनचर्या है वह फौज की तरह से होगी जिससे वे लोग अनुशासित हों। इसके अलावा बड़े-बड़े फार्मों का दुरूपयोग हो रहा है उसको नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। कृषि विभाग की जो समिति है वह स्वयं कार्य कराये और कार्य करने के बाद जेलों को हैंडओवर करे। यदि ऐसा होगा तो उनका दुरूपयोग नहीं हो सकेगा और सभी समस्याओं का समाधान होगा। दूसरी बात होमगार्ड की है, होमगार्ड के हर सिपाही को कम से कम 15 दिन की ड्यूटी मिलना आवश्यक होना चाहिए तभी वह पूरी तरह अनुशासित हो सकते हैं। केवल इलेक्शन में, दैवी विपदाओं के समय उनकी ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। यह व्यवस्था की जाय कि प्रत्येक सिपाही को समान कार्य के लिये समान वेतन मिलेगा तभी वह देश का एक अच्छा सिपाही, एक अच्छा नागरिक बन सकता है। मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन पर बल देते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री राम करन आर्य—

मान्यवर, कारागार विभाग का जो बजट आया है, वह बहुत सराहनीय है। मान्यवर, मैं साढ़े पांच साल जेल में रहा हूं। जब मैं जेल में गया तो कारागार अधीक्षक ने कहा कि यह अंग्रेजों के जमाने का मैनुअल है। उसके अनुसार आधा किलो लकड़ी दी जाती है। जब तुम कभी सत्ता में जाओगे, कभी एम०एल०ए० बनो तो इस मैनुअल में तब्दीली कराना। मान्यवर, सत्ता पक्ष के

जो एम0एल0ए0 हैं, विपक्ष के जो एम0एल0ए0 हैं सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी एक नयी कमेटी बनायी जाय जो कि नये तरीके से आजाद भारत की जो ये जेलें हैं उनके मैनुअल में तब्दीली करायें। जो इमरजेन्सी के जमाने में जेल गये हैं उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा देने का सवाल यहां होना चाहिए। तीसरी बात हमारे भाजपा के सदस्य ने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि हमारे राज्य में ज्यादा डकैती बढ़े, इसलिए नयी जेलें बनाई जा रही हैं। हमारी सरकार की यह मंशा है कि ज्यादा जेलें होगी तो व्यवस्था अच्छी होगी, हम अच्छे नागरिक बन सकेंगे। यह जो जेल का बजट है यह एक अच्छा बजट है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय वह कम है। एक बार फिर धन्यवाद देते हुए मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री चैनसुख भारती—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया। न तो मैं बजट के समर्थन में बोल रहा हूं और न कटौती पर बोल रहा हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो चौकीदार है उसको 30 रूपये मिलते हैं इस बजट के अन्दर उसे कम से कम 300 रूपये मिलना चाहिए। जो होमगार्ड हैं उनको जाड़े के दिनों में कोई कम्बल नहीं दिया जाता है और न कोई जरसी दी जाती है। तो मान्यवर, होमगार्ड के सिपाहियों के वेतन में वृद्धि की जाय, उन्हें कम्बल दिये जायें।

श्री जागेश्वर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो माननीय कारागार एवं होमगार्ड मंत्री जी ने बजट पेश किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। मान्यवर, हमारे कर्मठ मुख्य मंत्री जी ने जनता के लिए बहुत ही सराहनीय काम किया है। मान्यवर, उन्होंने जनता की सेवा के लिए जेल गये, डंडे खाये, उसका फल उन्हें प्राप्त हुआ और मान्यवर, जो माननीय कारागार मंत्री जी हैं, जिन्होंने यह कारागार का बजट पेश किया है, वह बहुत सुन्दर बजट है, क्योंकि जो जेल गये थे, जिनको मीसा में बन्द किया गया था, उनको जो पेंशन देने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है, वह उनका सराहनीय कदम है। मान्यवर, जो अच्छे कर्म करते हैं, उनको उसका फल अवश्य मिलता है, उसी प्रकार से हमारे मुख्य मंत्री जी ने चूंकि अच्छा कर्म किया था, इसलिए उनको अच्छा फल मिला और वह आज मुख्य मंत्री के पद पर विराजमान हैं। आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी सराहनीय काम कर रहे हैं। मान्यवर, गीता में लिखा है कि ईसावास मिदम् सर्वम्। मान्यवर, सारा जगत इसी में व्याप्त है, अतएव ओम करके त्याग, उसके नाम से तू भोगता है, जो तुझे प्राप्त है। धन की किसी के न करू तू वासना, करते हो कर्म संसार में, सत वर्ष का जीवन हमारा ईस्ट हो। तुझे देहधारी के लिए अतिरिक्त इससे दूसरा, पद है नहीं। होता नहीं कर्म इस संसार में, सत् वर्ष का, जीवन हमारा ईस्ट हो, तुझे देहधारी के लिए पथ एक है नहीं, वह दूर है, फिर भी निरंतर पास है, भीतर सभी के बस रहा सर्वत्र ही बाहर सभी के है, वह सर्वदा जो निरंतर देखता है, भूत और आत्मा। यह गीता का संवाद है, जो अच्छे कर्म करते हैं, उनको फल मिलता है। मान्यवर, सदन में जो माननीय मंत्री जी ने बजट पेश किया है, उसका मैं बार-बार समर्थन करता हूं और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, इस बजट पर जो भी सुझाव माननीय सदस्यों के आये हैं,

चाहे वे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, अगर अपने ही पक्ष के माननीय सदस्यों के सुझाव को आप मान लें, तो आपकी समझ में बात आ जायगी कि आज इस महंगाई के युग में एक रू0 का फल किसी भी बन्दी के लिए काफी नहीं है। एक रूपये में कितना फल मिलेगा, इसको आप स्वयं समझ सकते हैं। 10 ग्राम से 15 ग्राम तक तेल कर दिया है, वह भी काफी नहीं है, लेकिन आप यह सुनिश्चित करायें कि वह भी मिलता रहे। जो सत्ता संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा देना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ है। मान्यवर, यह कहा गया कि 126 सिद्ध दोष बन्दी जो रिहा किये गये हैं। ये मान्यवर, कम रिहा किये गये हैं। करीब 600 बन्दी ऐसे हैं जो रिहा होने योग्य हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु के बन्दी आज जेल में है। यह कहना गलत है कि 70 वर्ष के सभी बन्दियों को हमने रिहा कर दिया है। जो लोग स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी पेंशन 400 रू0 से बढ़ाकर 500 रू0 कर दी गयी। मैं कहना चाहता हूं कि उसे 1 हजार कर दिया जाय, क्योंकि हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने एक हजार रू0 करने की घोषणा की है। केन्द्र में जो 500 रू0 पा रहे थे, उनको 750 किया गया है और जो 800 रू0 पा रहे थे, उनको 1 हजार रू0 कर दिया है। यहां के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो केन्द्र से पेंशन पाते हैं, वह राज्य सरकार की संस्तुति के आधार पर मिलते हैं। वह संस्तुतियां केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से देर में जाती हैं, उसे शीघ्र भेजना चाहिए। देर से संस्तुतियां भेजने के कारण काफी सुविधायें जल्दी नहीं मिल पाती हैं। तीसरी चीज मुझे यह कहना है कि जो कृषि फार्म हैं, उस पर जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन पर ये अपना नियंत्रण रखें, उसमें भ्रष्टाचार है। उस उत्पादन से आपके विभाग में ठोस कार्य कराये जा सकते हैं। वहां पर जो उत्पादन होता है, वह डाली में सजाकर अफसरों के घर चला जाता है। जो अन्य सदस्यों ने कहा यह बात सही है कि जितनी भी सब्जियां होती हैं, जितना भी फल होता है, वह सब डाली में सजाकर अधिकारियों के घर चला जाता है, उस पर आप ऐक्शन लीजिए। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जेलों में हम सुधारात्मक प्रवृत्ति पैदा करें। अगर हम सुधारात्मक प्रवृत्ति नहीं पैदा करेंगे, तो हमारा उद्देश्य अधूरा रह जायगा।

दूसरी चीज मान्यवर, यह है कि पुलिस कर्मचारियों की भांति जेल कर्मचारियों को भी सामूहिक बीमा प्रदान किया जाना चाहिए और यह जो जेल से लोग भाग जाते हैं अक्सर चाहे विद्रोह के कारण, चाहे अनुशासनहीनता के कारण, चाहे वहां के अधिकारियों की अक्षमता के कारण जो लोग जेल से भागते हैं, उसके लिए जगह-जगह जेलों पर टावर बनाये जायं और फोकस लाइट के द्वारा निरीक्षण कराया जाय और उस पर लोगों को बैठलाकर निरीक्षण कराते रहें तो जेल से जो लोग भागते हैं उसमें कमी आयेगी। इसके अलावा दूसरी चीज जो मैं कह रहा था अभी आपने बताया कि जेल विजिटर्स की नियुक्ति करेंगे, आपने सुझाव मांगे हैं, जो अपने भाषण के दौरान आपने कहा कि इधर से कुछ सुझाव आयेंगे, मैं इधर के लोगों का भी नमन करूंगा तो इस बात को आप याद रखियेगा। मान्यवर, एक शब्द होमगार्ड के बारे में भी कह दूं। होमगार्ड के वेतन पर फिर से विचार किया जाय उनकी स्थिति पर विचार किया जाय। इस वक्त होमगार्ड पुलिस कर्मचारियों से किसी भी प्रकार से कम सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको राष्ट्रीय धारा से जोड़ा जाय और उनमें एक तरह से सामंजस्य की राष्ट्रीय भावना, चेतना और समाज के प्रति जिम्मेदारी पैदा की जानी चाहिए। यह होमगार्ड कर्मचारियों के बारे में मेरा सुझाव है और उनकी तनख्वाह को भी

बढ़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, सभी सम्मानित सदस्यों ने इस बजट अनुदान पर अपने विचार रखे हैं उनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, मुईद साहब ने और सभी सम्मानित सदस्यों ने जो कमियां बताई हैं इस विभाग की उन कमियों की ओर भी गम्भीरता से विचार किया जायेगा उन कमियों को दूर करने के लिए। जहाँ तक कुछ प्रश्न हमारे कटौती का प्रस्ताव रखने वाले सदस्य ने यहाँ रखे हैं व सवाल भी कुछ सदस्य ने कर दिये हैं, पहली बात यह है कि प्रोवेशन बोर्ड का गठन सूबे में कर दिया है और 1990 में करीब 52 बंदियों को रिहा किया गया है इसके अलावा 30 साल से अधिक जो जेल में सजा काट चुके हैं, करीब 186 सिद्ध दोष बंदियों को जो 30 साल से अधिक रहे हैं। रिहा किया गया है। जेल दिवस के अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि 70 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है उन लोगों को छोड़ दिया जाय तो करीब 200 बन्दी ऐसे थे जो 70 साल से ज्यादा उम्र के थे उनको भी रिहा कर दिया गया है।

इसके अलावा जो असाध्य रोग से पीड़ित लोग हैं, उनका परीक्षण कराया जा रहा है और कुछ लोगों को रिहा भी कर दिया गया है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, जो भ्रष्टाचार है, उसको स्वीकार करना है। क्योंकि, हम भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं। अगर भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेंगे तो उसको छिपाने का काम होगा। मैं 1985 से 1990 के बीच में यहां था। जब भी भ्रष्टाचार की बात होती थी तो कहते थे कि भ्रष्टाचार के नाम की कोई चीज नहीं है। अगर भ्रष्टाचार है तो हम उसको छिपाएंगे नहीं। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। जहां भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने का प्रयास किया जायगा। आपसे उम्मीद है कि अपने सुझाव देंगे। यह सही है कि जेलों में चरस, हेरोइन, गांजा आज से नहीं कई साल से चल रहा है, लेकिन खत्म कैसे किया जाय, इस पर विचार करना है। जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह हैं, उनके विरुद्ध हम कार्यवाही करेंगे। जो पलायन हुए हैं, पहली बार बड़े पैमाने पर अधीक्षकों को मुअत्तल किया गया है, चाहे इटावा में, बनारस में हो या रायबरेली में, जहां पर भी आप समझते हैं कि पलायन हुआ है...(व्यवधान)।

श्री राम औतार मिश्र—

मान्यवर, हमारे जनपद में एक बन्दी 74 साल का है, उसको छोड़ा नहीं गया है, जबकि आप कह रहे हैं कि 70 साल से ऊपर छोड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपने सूचना दे दी, ठीक है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

सम्मानित सदस्य से विनम्र अनुरोध है कि उस बन्दी के बारे में पूरा विवरण दिलवा देंगे तो विचार किया जायगा और 70 साल की उम्र पूरी हो चुकी होगी तो छोड़ दिया जायगा। हम कह रहे थे कि जहां भी पलायन हुआ है, वहां के अधीक्षकों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। पहले वार्ड और सिपाही मुअत्तल होते थे, लेकिन अब केवल छोटे निचले कर्मचारियों को दण्ड देने की बात नहीं है। यही नहीं जब कांग्रेस सरकार थी तो पूरे प्रदेश में जो कीट नाशक दवाएं खरीदी गयीं, उनमें बड़े पैमाने पर घपला है और वह घपला दबा दिया गया

है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि यह सरकार आयी तो इसके कार्यकाल में वे तमाम बड़े-बड़े अधीक्षक हों या जेल हों या और भी बड़े अधिकारी, उनको कारण बताओ नोटिस दे दी गयी है। जो भी दोषी पाया जायेगा, उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायगी। किसी को छोड़ा नहीं जायगा। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। जब 25 जून, 1975 को इमरजेंसी लगाई गई तो हजारों लोगों को मीसा और डी0आई0आर0 में बंदी बनाया गया। वह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। लोकनायक जय प्रकाश नारायण उसके नेता थे, लेकिन वे कुर्सी पर नहीं बैठे। हजारों ऐसे नौजवान जिनके घर बर्बाद हो गये और जिनको राजनीतिक रूप से कुछ नहीं मिला, आर्थिक रूप से कुछ नहीं मिला। उन्होंने अपनी जवानी के 19 महीने जेल में काटे और अब कुछ नहीं है। वे सत्ता में काबिज नहीं हुए। मैं कहना चाहूँगा कि 25 जून, 1975 को गिरफ्तारी हुई तो कोई नहीं जानता था कि इंदिरा गांधी की सरकार गिर जायगी। वह सत्ता का संघर्ष नहीं था। वह सम्पूर्ण क्रांति का आवाह्न था। वह सम्पूर्ण क्रांति किसी भी मायने में किसी भी बड़े संघर्ष से कम नहीं थी। आजादी की लड़ाई अपनी जगह है। उनको मैं सलाम करता हूँ, आदर करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आदर करता हूँ और इसीलिये उनका 400 से बढ़ाकर 500 कर दिया।

...और भविष्य में करते रहेंगे, केवल सम्मान ही नहीं करेंगे, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम से पैदा हुए मूल्यों को बनाये रखने का काम करेंगे। देश को आजाद कराने के बाद, मातृभाषा देश की किस स्थिति में थी, 40 वर्ष तक उसकी क्या स्थिति रही?

(शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें।

श्री शतरूद्र प्रकाश—

शिक्षा की भाषा के माध्यम में, राज्य सरकार के काम काज की भाषा में, अंग्रेजी को हटाकर, हिन्दी को स्थापित करने का काम चल रहा है और पूरी संकल्प शक्ति के साथ चल रहा है। इन मूल्यों को भी हम आदर्श स्थिति से देखते हैं। आपातकाल लगने के बाद जो जनतांत्रिक अधिकार थे उनका हनन हुआ। उन अधिकारों पर विचार कर रहे हैं, विचार करने की बात पर आपको तिलमिलाहट हो रही है। सत्ता को बदलने के लिए लड़ाई लड़ी गयी थी वह जो सत्ता परिवर्तन हुआ था, संघर्ष उसके पीछे रहा, वह संघर्ष बेमिसाल रहा। आजादी के बाद इतने बड़े पैमाने पर संघर्ष हुआ था और केन्द्र से सत्ता हटी। जेल में वांछित सुधार करने का काम हम कर रहे हैं। जेल मैनुअल को बदलने की बात आयी, एक माननीय सदस्य राम करन आर्य जी ने यह सुझाव रखा कि एक कमेटी बना दी जाय, कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं। जेल मैनुअल को बदलना है। बगैर इसके बदले जेलों की जो व्यवस्था है उसमें सुधार नहीं हो सकता है। एक माननीय सदस्य डंग साहब ने कहा कि जेलों की जो संख्या बढ़ायी जा रही है, जेलों की संख्या बढ़ाने का मतलब हम यह समझ रहे हैं कि अपराध बढ़ेंगे। हर जिले में एक जेल होनी चाहिये। जैसे हर जिले में एक अदालत होनी चाहिये, एक अस्पताल होना चाहिये, उसी तरह से हर जिले में उसकी जेल होनी चाहिये। हर जनपद की एक जेल बनानी जरूरी है इसलिये नहीं कि अपराध बढ़ेंगे

वह इसलिये कि जो व्यक्ति हैं जेल यात्री हैं उनको दूसरे जनपद में न पहुंचाया जाय। सोनभद्र के कोई साथी हों राजनीतिक साथी हों तो उनको मिर्जापुर, बनारस में न ले जाया जाय, सोनभद्र में ही लाया जाय। यह प्रयास किया जा रहा है। जेल में आने के बाद सुधारने की बात कही गयी। सम्पूर्णानन्द प्रशिक्षण शिविर संस्थान, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, 2 करोड़ की योजना से निर्माण किया जा रहा है। उसमें जेल के जो अधिकारी होंगे उनको इस बात का प्रशिक्षण देंगे कि जेल में अपराधियों के साथ किस तरह से बर्ताव करेंगे। उनको लगे कि उनको सुधारने का काम किया जा रहा है, लूटने का काम नहीं किया जा रहा है। इसमें जो मनोविज्ञान से सम्बन्धित विशेषज्ञ और जो दूसरे विशेषज्ञ हैं उन सबको आमंत्रित किया जायेगा। उस प्रशिक्षण संस्थान में जेलरों को, छोटे अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि जेल में आने वाले अपराधियों से इस तरह का बर्ताव किया जाय कि वे अपराध भावना से कटें। इस तरह से यह एक बड़े पैमाने पर योजना चलाने की बात है। होमगार्ड की बात कही गयी। यह कोई सरकारी संगठन नहीं है, कहा गया कि उनकी तनख्वाह बढ़ायी जाय। केवल तनख्वाह बढ़ाने से और इस तरह के दूसरे कार्य करने से प्रदेश की औसत आमदनी नहीं बढ़ायी जा सकती है। यह एक स्वैच्छिक संगठन है।

जो होमगार्ड के जवान हैं विकासखंड के अंदर हैं उन्हें 22 रूपये और जो विकासखंड के बाहर हैं उनको 23 रू0 और जो जनपद के बाहर हैं उनको 30 रू0 देते हैं कम्पनी कमांडर प्लाटून कमांडर इनको 100-50 रू0 के बीच में मानदेय दिया जाता है।

(शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें।

श्री शतरूद्र प्रकाश—

63,000 ऐसे व्यक्तियों की इसमें नियुक्ति कर दी गयी है जिसकी कोई जरूरत नहीं है वह की गयी थी केवल चुनाव तक। आज मांग आ रही है कि इनको मुकम्मल रखा जाय। हमारे साधन बड़े सीमित हैं।

एक सदस्य—

एक सहायक कम्पनी कमांडर को कितना मानदेय देते हैं, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया बैठें।

(विरोध पक्ष के एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

जब तक मंत्री जी बैठ न जायें, तब तक आप प्रश्न न करें, जब वह बैठ जायें, तब आप प्रश्न कर लें।

श्री शतरूद्र प्रकाश—

मान्यवर, होमगार्ड में कहीं कोई वेतन नहीं है और यह बात बिल्कुल सही है कि यह एक सामाजिक संगठन है, इसको तनख्वाह देने वाला संगठन नहीं बनाना है। लेकिन उनकी जो दिक्कतें हैं, उनकी जो आवश्यकतायें हैं, उस पर हम पूरा विचार करेंगे। अन्त में मैं कहना चाहूँगा कि यह जो बजट है, इस

बजट में काम करने की बहुत गुंजाइश है और सरकार व्यापक पैमाने पर जेलों में सुधार करने पर विचार कर रही है। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो सम्मान के लायक हैं, उनके नाम पर विभिन्न जेलों के नाम तो बदले ही जा रहे हैं, इसके अलावा शहीद स्मारक भी बनाये जा रहे हैं। बलिया जनपद में शहीद मंगल पाण्डेय के नाम से, अलीगढ़ में अवन्तीदेवी के नाम से शहीद स्मारक बनाने की योजना विचाराधीन है और वह स्वीकृत भी हो चुकी है। इसी तरह जौनपुर में शहीद स्मारक बनाने की बात स्वीकार कर ली गयी है, इसलिये मैं कहना चाहूँगा कि जो इस विभाग के तीन मुख्य खंभे हैं, राजनीतिक पेंशन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा, इन तीनों की कार्य समीक्षा पर यहाँ विचार किया गया है। यह बहुत छोटा सा बजट है कोई बहुत बड़ा विभाग भी यह नहीं है, इसलिये सम्मानित सदस्यों से मैं निवेदन करूँगा कि इसको स्वीकार कर लें और माननीय मुईद साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसको वापस ले लें और इसको बहुमत से, बल्कि सर्वसम्मति से पास करें।

एक सदस्य—

सहायक कम्पनी कमान्डर का मानदेय क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायें, यह प्रश्नकाल नहीं है, जो मैं उनसे आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिये कहूँ।

श्री अध्यक्ष—

मुईद साहब, आप कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री मुईद अहमद—

माननीय अध्यक्ष जी, कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने का तो प्रश्न ही नहीं है। इसमें एक नई बात कह दी गयी है, इसके बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ। जेल नियमावली में छूट दी गयी है, उसके बारे में बताया गया। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि 52 कैदियों को छोड़ा गया है और 126 सिद्ध दोष कैदियों को छोड़ा गया है। मेरा कहना यह है कि सिद्ध दोष कैदी 600 के ऊपर हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप पुराने सदस्य हैं। मंत्री जी भी उत्तर दे चुके हैं। आप यह बतायें कि कटौती प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं अथवा नहीं?

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ। जहाँ तक कटौती प्रस्ताव को वापस लेने का प्रश्न है, उसको मैं वापस नहीं ले रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 26 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के

लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,12,74,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28—गृह विभाग (राजनीतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28—गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,68,44,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29—गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0—29—गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,38,37,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—40—नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,79,61,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश के माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं विनियमित करने हेतु विधिक कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा को दिनांक 29 जून, 1990 को लिए जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या–14 को कल ले लिया जायेगा।

आगरा शहर व देहाती क्षेत्रों में वर्ग संघर्ष के कारण दंगों व पुलिस फायरिंग में कई व्यक्तियों की मृत्यु होने सम्बन्धी सूचना पर चर्चा

श्री अध्यक्ष—

आगरा पर चर्चा के लिये समय निर्धारित हुआ था उस पर चर्चा प्रारम्भ की जाय।

श्री सत्य प्रकाश मिश्र—

मान्यवर, आगरा काण्ड के विषय में इस चर्चा को आरम्भ करते हुए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही संवेदनशील विषय है और जो घटना वहां घटी है अत्यन्त दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण निन्दनीय और लज्जाजनक है। मान्यवर, 18 तारीख को जब हम लोग विधान सभा सत्र के लिये लखनऊ आये थे। इस समय हम या आगरा की जनता या आगरा के जनपद के लोग यह नहीं जानते थे कि आगरा में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है। किसी को इसका आभास तक नहीं था और मान्यवर केवल दो–तीन दिन के अन्दर 18 और 20 तारीख के बीच में बहुत भयंकर और विकट हालत पैदा हो गई। आगरा के सिकन्दरा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत पनवारी गाँव है। उस गाँव में अनुसूचित जाति के जाटव समाज के एक व्यक्ति चोखे लाला जाटव के यहाँ उसकी पुत्री का विवाह था। बारात आनी थी। उस गाँव में जाट समाज के लोग भी रहते हैं उनकी संख्या भी वहां बहुत ज्यादा है। यह झगड़ा उनके और जाटवों के बीच में इस बात पर हुआ कि यह बारात गाँव के अन्दर से नहीं बल्कि गाँव के बाहर–बाहर से ही जायेगी। जाटों का कहना था कि यह बारात गाँव के अन्दर से उनके घरों के आगे से नहीं जायेगी। इसी बात पर विवाद पैदा हुआ। मान्यवर मैं समझता हूँ कि आज के समय में ऐसे विवाद पैदा होना हमारी सामाजिक कुन्ठाओं और विकृत मानसिकता को ही दिखाते हैं खास तौर से ऐसे समय में जब हम जाति–पाति के अन्तर को दूर करने गैर बाराबरी को मिटाने और सबको समान मानने की बात करते हैं। इस घटना की मुझे 22 तारीख की सुबह फोन पर जानकारी मिली। मान्यवर, यह एक बहुत संवेदनशील विषय है और मैं इस पर बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ। क्योंकि मैं और मेरी पार्टी शांति सौहार्द और सद्भावना के लिए समर्पित है। मुझे समाचार मिला कि आगरा की स्थिति बहुत भयंकर है बारात के मामले को लेकर पनवारी गाँव में 40–50 हजार लोगों ने हथियारबन्द होकर गाँव को घेर लिया है और किसी भी हालत में बारात को गाँव में नहीं जाने देना चाहते हैं जाटवों में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। स्थिति विस्फोटक है। मान्यवर, यह समाचार सुनकर मेरे दिल ने कहा कि यह अनर्थ हो गया है। क्योंकि मैं आगरे से हूँ और वहां के भूगोल वहाँ की स्थिति और वहाँ के वातावरण को जानता हूँ।

वहाँ पर गोली चली, लोग मारे गये, लोग जान बचाकर भागे, वहाँ पर पथराव होता रहा। उसके बाद पता नहीं कितने लोग मारे गये। उत्तर देते

वक्त सरकार अपनी बात कहेगी। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि 10 से ज्यादा लोग मारे गये हैं। अनेक लोग लापता हैं। हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता श्री रामभाई सोनकर, जिन पर मुझे गर्व है हमारी पार्टी को गर्व है, वह खटिक समाज के युवा समाजिक कार्यकर्ता थे। वे न जाट थे और न जाटव थे। जब वहाँ गोली चल चुकी, हालत बिगड़ गई, लोगों को जब यह लगा कि किसी तरह से यहाँ से सुरक्षित निकला जाय, तो श्री रामभाई सोनकर व उनके कुछ साथी तथा कुछ पत्रकार किसी तरह से गाँव से निकलकर बाहर आये। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि हाजी साहब तो अन्दर गाँव में ही रह गये हैं। गाँव के खतरनाक वातावरण को देखते हुए किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह गाँव में जाये। श्री रामभाई सोनकर ने कहा कि मैं हाजी इस्लाम कुरेशी जी को लेने जाऊँगा। हाजी साहब मुस्लिम समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं। श्री सोनकर गाँव में चले गये। उन्हें घेर लिया गया। उनकी बचाओ-बचाओ की चीख पुकार आती रही। आज 6 दिन के बाद भी यह पता नहीं चला कि वह हमारा कार्यकर्ता जिन्दा है या मर गया है। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि उनकी हत्या कर दी गई है। यही चिन्ता आशंका अन्य लापता लोगों के बारे में है। जिस दिन मैं इस विषय पर यहाँ बोल रहा था। 22 ता0 को कार्य स्थगन पर और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी उसे गम्भीरता से नहीं ले रहे थे। उस समय वहाँ एक ओर गाँव में शादी का काम हो रहा था तो दूसरी ओर शहर में उसकी बारात को रोके जाने की प्रतिक्रिया हो रही थी। आगरा में जाटव समाज का बाहुल्य है। वहाँ पर बसों को तोड़ा जा रहा था, ट्रेनों को रोका जा रहा था और सड़क जाम किये जा रहे थे।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

...इसलिए मान्यवर, मैंने उस दिन उस घटना को एक कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में रखा था और मैंने निवेदन किया था कि आगरे की स्थिति अत्यन्त गंभीर है तत्काल कुछ किया जाना चाहिए। मैं जिस समय यहाँ यह बात कह रहा था बाइस तारीख को सामने सरकार के लोग बैठे हैं, शासन के लोग बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं उनको भी 21 तारीख की शाम या रात को ही पता लग गया था कि आगरे की हालत बिगड़ रही है और उसको तत्परता के साथ रोका जाना चाहिए। यहाँ के दो विधायकों को भी, जो सत्ता दल के हैं, माननीय विजय सिंह राणा और माननीय बदन सिंह, दोनों उसी क्षेत्र से चुनकर आये हैं। एक के क्षेत्र से बारात गयी थी और दूसरे के क्षेत्र में बारात आनी थी। सरकार के द्वारा दोनों विधायकों से इस बात को कहा गया, हवाई जहाज से जाने की व्यवस्था की गयी। मुख्यमंत्री ने तुरन्त पहुचने का निर्देश किया लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि 22 तारीख की शाम को साढ़े 5 बजे तक सुबह ही आगरा पहुंच कर भी एक विधायक तो पनवारी पहुँचे ही नही और एक विधायक शाम को तब पहुँचे, जब जो वहाँ घटित नहीं होना चाहिये था, वह सब घटित हो चुका था। यह वहाँ के जिला पुलिस प्रशासन की बहादुरी ही कही जायगी कि उन्होंने तत्परता से, साहस से, अपनी जान को जोखिम में डालकर बारात का रास्ता निकाला, ताकि इस सरकार पर कलंक न लगने पाये। मात्र 15 मिनट के अन्दर एक औपचारिकता पूरी करके शादी कराई गयी। हजारों लोगों से घिरे उस गाँव में जिस समय यह बारात बिदा होकर जीप से वापस निकल रही थी, उन पर लाठी, फरसे व बन्दूकों से हमला किया गया, जबरदस्त पथराव किया गया, इस भयानक माहौल में वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगे आये और बन्दूकों के सामने खड़े हो गये, जब उधर से गोलियाँ

चलने लगीं, तब पुलिस को भी गोली चलाने की नौबत आयी। मैं कहना चाहता हूँ कि उस वक्त प्रशासन ने ही तत्परता से काम लिया। साहस से काम किया। कोई जनप्रतिनिधि नहीं था मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ के दो विधायकों ने और रेल उपमंत्री माननीय अजय सिंह किसी ने भी स्थिति को संभालने का प्रयास नहीं किया अन्यथा यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित न होती।

अगर उस समय शासन द्वारा यह सोच लिया गया होता कि कौन सी आग लग रही है तो यह दुर्दिन न देखना पड़ता। आज पाँच दिन से आगरा कर्फ्यू के शिकंजे में जकड़ा हुआ कराह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना घटनाएं की जा रही हैं और उसकी प्रतिक्रिया यह हो रही है कि इसे जाटव और सवर्णों का मामला बनाने की कोशिश हो रही है। आखिर यह क्यों हो रहा है। क्यों यह आग फैल रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी आगरा गये थे, लौटकर आये हैं हम उनसे सुनेंगे। मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि स्थिति वहां शांत नहीं है। शायद वह आगरा से चल चुके होंगे, उसके बाद मुख्य सड़क पर एक सिरकटी लाश बरामद हुई, दो लाशें नहरों में बहती हुई पायी गयी हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है, सेना फ्लेग मार्च कर रही है, लोग आतंक के साये में जी रहे हैं, आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार-पत्र के द्वारा देश के कोने-कोने में समाचार फैल चुका है। मैं यह नहीं कहता न आरोप लगाता हूँ कि सरकार हरिजनों की रक्षा करना नहीं चाहती होगी लेकिन आज हमारी सरकार में बैठे मित्र इस बात को सोचे आत्म चिन्तन करें कि विगत 6 महीने में हरिजनों पर अत्याचारों की संख्या क्यों बढ़ती चली जा रही है। आगरा की घटना एक अमिट कलंक है। खासकर तब जबकि यह वर्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर का जन्मशताब्दी वर्ष है। हमारे देश के नेताओं ने राष्ट्र के सभी दलों ने सरकार ने संकल्प लिया है कि हम सामाजिक एकता और समानता के लिये समर्पित होते हैं। एक ओर तो आप समर्पित होते हैं और दूसरी ओर इस तरह से हरिजनों पर अत्याचारों की संख्या बढ़ रही है। हरिजनों के अंदर एक आग पैदा हो रही है कि उन्हें मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है दबाया जा रहा है। मैं दो एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, वहां पर सेना है, पुलिस है, पी0ए0सी0 है, ठीक है। होनी चाहिए मैं तारीफ करूंगा रेल उपमंत्री अजय सिंह की, जो कि वहां गये हैं, उसी क्षेत्र से निर्वाचित संसद है उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक हार है कि जिस क्षेत्र से मैं निर्वाचित हुआ वहां पर यह शर्मनाक घटना घटी। अगर आज के युग में भी लोग यह कहने लगें कि किसी जाति विशेष की यहां बारात नहीं चढ़ सकती, तो यह बड़े शर्म की बात है। मान्यवर मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि आप प्रशासनिक तरीके से सेना, पुलिस, पी0ए0सी0 से स्थिति तो नियंत्रित कर सकते हैं करनी भी चाहिए, जरूरी भी है लेकिन जो आग दिलों में लग गयी है, जो दरार पड़ गयी है, जो घाव हो गये है। उसको पाटने के लिये उनको भरने के लिए काम होना चाहिए मेरा सुझाव है कि माननीय नेता सदन, मुख्यमंत्री जी....

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें, बैठें।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मेरा सुझाव है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे पहल करें जबरदस्त चेष्टा करें, राजनीतिक नेता बड़े लोग मिलकर ऐसी चेष्टा करें ऐसी व्यवस्था करें कि दोनों तरफ के लोग, दोनों जातियों के प्रमुख बैठकर वार्ता कर लें और जो

नुकसान हो चुका है जो घाव हो गये हैं उसको पूरा करने की उसको भरने की कोशिश करें, उस खोये हुए टूटे हुए सद्भाव सौहार्द और आपसी प्रेम को वापस लायें। मैं फिर सरकार से आग्रह भी करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि केवल राजनीतिक रंग देकर या मामला बनाकर इस घटना को ढंकने की कोशिश न करें मैं अपनी और से और दल की और से ऐसे सभी लोगों की निन्दा करता हूं जो जातीय घृणा वर्ग संघर्ष और जलती चिताओं के ऊपर भी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते है। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी घटना के बाद कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता चुप नहीं बैठ सकता है। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि शांति स्थापना के हर प्रयास में मैं और मेरा दल सहयोगी और सहभागी होगा।

श्री किशन गोपाल—

मान्यवर, मैं आगरा से विधायक हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आगरा का विधायक हूं यह मेरे क्षेत्र से मिला हुआ क्षेत्र है जहां पर यह 22 तारीख को घटना घटित हुई। पनवाड़ी क्षेत्र में झगड़ा हुआ है वहां पर एक हरिजन लड़की की बारात न चढ़ने के संबंध में यह झगड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में केवल 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री किशन गोपाल—

जहां गलियों में सुअर घूम सकते हैं, निकल सकते हैं लेकिन हरिजन की बारात नहीं निकल सकती है। यह प्रजातंत्र की हत्या है। गिरफ्तारियां हो रही हैं। 250 गिरफ्तारी हुई और यह गिरफ्तारी भी हरिजन की ही हुई। 50 लोगों की हत्या हुई है वह भी हत्या हरिजनों की ही हुई है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मानवीय अत्याचार हुआ है। मेरी बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं, मेरी बात को दबाया जा रहा है। मान्यवर, 250 व्यक्ति मारे गये हरिजनों की 250 गिरफ्तारियां हुई हैं, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है और वह कर्फ्यू भी हरिजनों के क्षेत्र में लगा हुआ है। मैंने डी0एम0 से कहा, लीजिये आपने तो लाल बत्ती जला दी।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री किशन गोपाल—

मैंने डी0एम0 से कहा कि यह कहां का इन्साफ है कि हरिजनों के ही क्षेत्र में आपने कर्फ्यू लगाया हुआ है। आखिर हरिजनों के साथ कब तक अत्याचार होता रहेगा? यह हालत देख कर मुसलमान कहते हैं तुम हमारे साथ मिल जाओ, तुम मुसलमान हो जाओ, तुम मुसलमान हो जाओ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप विराजें।

श्री किशन गोपाल—

यह माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये अग्नि परीक्षा का समय है। अगर ये

सही रूप से हरिजनों की सहायता नहीं कर पाये तो हरिजनों को मुख्य धारा के साथ मिलाने में कामयाब हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिये।

श्री किशन गोपाल—

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि 23 तारीख को केन्द्र के तेल राज्य मंत्री श्री अजय सिंह जी वहां गये और उनकी अध्यक्षता में वहां पर सभी जन प्रतिनिधियों से जो कि वहां पर मौजूद थे, कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों की शान्ति-व्यवस्था को वे कायम रखेंगे और इस क्षेत्र में भी शान्ति-व्यवस्था बनी रहे यह भी देखें। लेकिन मान्यवर, शहरी क्षेत्र में तो शान्ति व्यवस्था बनी रही किन्तु देहाती क्षेत्र में उनके जाते ही फिर गड़बड़ शुरू हो गयी। कल वहां पर हमारे मुख्य मंत्री जी भी गये थे और उन्होंने जो आदेश दिये, उनका पालन कोई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि एक साथ जायेंगे, लेकिन अजय सिंह व कुछ अन्य ने मुख्य मंत्री के आदेशों का पालन नहीं किया। मुख्य मंत्री को वे लोग कुछ नहीं समझते हैं। मान्यवर, यह कैसा इन्साफ है कि मुख्य मंत्री के दल के लोग मुख्य मंत्री की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। मैं चाहूंगा कि इन हत्याओं के संबंध में मुख्य मंत्री जी कुछ कहें।

श्री अध्यक्ष—

अब आप जो बोलेंगे, वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री किशन गोपाल—

(x x x)

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग एक-एक करके और जल्दी-जल्दी बोलें तो सबको समय मिल जायेगा। लेकिन लोग मानते ही नहीं हैं।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक—

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि जो इस सदन का सदस्य नहीं है उसके ऊपर आरोप नहीं लगाया जाता और उसका नाम नहीं लिया जाता है। माननीय सदस्य ने चार बार ऐसे व्यक्ति का नाम लिया है।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कार्यवाही देख लेंगे। अगर ऐसी बात होगी तो उसे कार्यवाही से निकाल देंगे।

श्री अरूण कुमार सिंह "मुन्ना"—

मान्यवर, यह पनवारी गांव की घटना है। यह आज के बदलते हुये परिवेश में जहां हम दुनिया के अन्तराल में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मानव जाति के उत्थान की बात कर रहे हैं, प्रदेश और देश के विकास और उसके निर्माण की बात कर रहे हैं वहां पर इतनी दुखद घटना कभी जनतंत्र में

नोट-(xxx)यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[illegible] जाती [illegible] इस ढंग से दुहराई नहीं गई। मान्यवर, अभी हमारे वहां के [illegible] सदस्यों ने इस प्रकरण पर प्रकाश डाला। यह बड़ा संवेदनशील मामला है। इस पर बड़ी गम्भीरता से धैर्य से और बड़े मनन से शांति के साथ सोचने का हम प्रयास करें। ह[illegible] सम्मानित विधायक हैं। उनके दिल में पीड़ा है, उसको दबाने का प्रयास न करें। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं। वे वहां गये थे.... (व्यवधान)

एक सदस्य—

आप भी गये थे।

श्री अरूण कुमार सिंह "मुन्ना"—

वे पनवारी नहीं गये थे। मैं कह सकता हूं कि वे वहां पर सर्किट हाउस में गये थे और कमिश्नर रेजीडेन्स में गये थे किन्तु जहां पर यह घटना हुई, वहां पर नहीं गये। मुख्य मंत्री जी उसका दूर से अवलोकन करना चाहते थे। यह जानकारी लखनऊ में बैठकर भी उपलब्ध हो सकती थी। वहां मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी गये थे। इसलिये कल इस बात पर बल दिया जा रहा था कि सदन के संज्ञान में सारी बात लाई जाय। जब यह प्रकरण प्रकाश में आया तब सदन के कुछ सदस्यों ने नियमों के तहत इस प्रकरण को उठाया और सरकार से इस बात का पुरजोर इशारा किया और सरकार से पूरी जानकारी चाही। सरकार की ओर से कहा गया कि वहां पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। किन्तु उसके बावजूद भी मृतकों की संख्या बढ़ रही है, वहां पर आज भी लोग मारे जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या अभी रूकी नहीं है। आज भी हत्यायें हो रही हैं। आज भी शहर के अन्दर आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध नहीं हो रही हैं, सफाई नहीं हो रही है। जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, पेयजल की भारी समस्या हो गई है। पूरे आगरा शहर की स्थिति तनावपूर्ण है। इस स्थिति में शासन क्या कर रहा है। इसलिये मुख्य मंत्री अपने वक्तव्य में जब वे कहें तो मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि मृतकों की संख्या क्या है, कौन से ऐसे लोग हैं जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा एक केन्द्रीय मंत्री भी वहां गये थे और उन्होंने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। स्वाभाविक है कि ऐसी दुखद घटना में कौन दुख जाहिर नहीं करेगा। इसमें श्री रामलाल सुमन और अजय जी का भी प्रसंग आया। ऐसे मामलों में दलीय राजनीति से हमें ऊपर उठकर सोचना चाहिए। सरकार का इस सम्बन्ध में क्या रूख रहा है, क्या प्रभावी कदम वह उठा रही है, क्या कार्यवाही की जा रही है और हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी कल सदन में बता रहे थे।

कुछ लोग राजनीतिक उपलब्धियों के लिये राजनीतिक स्वार्थों के लिये इस प्रकरण पर बल देना चाहते हैं। तो मान्यवर, यह किसी की मंशा नहीं है। हम लोग इस निम्न कोटि की राजनीतिक जिंदगी की मंशा नहीं कर सकते हैं। आपकी सरकार में कमियां रही हैं जिसके कारण आगरा में स्थिति विस्फोटक हुई है जो विधायक जी ने भावना व्यक्त की आपकी सरकार की मंशा आपकी नियत प्रदेश के अंदर साफ नहीं है यह लोगों को दिखाई दे रहा है जो संघर्ष हो रहे हैं उसमें सरकार की पृष्ठभूमि भी दिखाई पड़ रही है। मैं इस बात को इसलिये कह रहा हूं कि आज भी अधिकारी और कर्मचारी मुख्य रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं कुछ न कुछ दबाव उसमें दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में शासन के सामने एक स्पष्ट दर्पण होना चाहिये उसके सामने न कोई जाति होनी चाहिये न कोई बिरादरी और न कोई

धर्म उसके सामने केवल नीति का दर्शन होना चाहिये जिसकी सरकार में कमी दिखाई पड़ रही है।

इस घटना की गंभीरता को आपने स्वीकारा है, उसके बारे में हमारे पूर्ववक्ताओं ने जो बातें कही हैं उनका स्पष्टीकरण मुख्य मंत्री जी अपना उत्तर देते समय दें। मैं जानना चाहता हूं कि आज आगरा में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता कराई जाय, वहां पर कानून व्यवस्था पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा रहा है, किस प्रकार लोगों की सुरक्षा व्यवस्था हो रही है, वहां पर मृतकों की संख्या क्या है वह स्पष्टीकरण देते समय बतायें?

शेख मोहम्मद सुलेमान—

मान्यवर, आगरा के अंदर जो घटना घटी है वह बहुत ही शर्मनाक है मैं उसकी निंदा करता हूं। आज से 40 साल पहले आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने हरिजनों के लिये कानून बनाया ताकि उनको सामाजिक बराबरी मिल सके। लेकिन आज से 40 साल बाद भी हरिजनों पर सामाजिक अत्याचार हो रहे हैं। क्या हरिजन अपनी लड़की की शादी भी नहीं कर सकता है क्या उसका बेटा घोड़ी में नहीं बैठ सकता है। आपने पंजाब और कश्मीर के अंदर कत्लेआम की घटनायें सुनी होंगी आपने सुना होगा कि उसमें वहां के लोग पलायन कर रहे हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं जो उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं उससे वह भी प्रदेश से पलायन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप घटना तक सीमित रहें।

शेख मोहम्मद सुलेमान—

इस प्रकार हरिजनों पर आज अत्याचार हो रहा है मैं चाहूंगा कि इस पर सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिये (व्यवधान) सख्ती से ऐसे लोगों को कुचलना चाहिये। मैं इस घटना की निन्दा करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आगरा की इस संवेदनशील घटना पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया, मैं इस घटना की सही जानकारी देना चाहता हूं। मैं इस सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आगरा की घटना अत्यंत संवेदनशील है, अत्यंत गंभीर है यह हमारे जनजीवन से जुड़ी हुई है। जब समाज के अंदर विकृतियां आती हैं तो उसका फल यह होता है। माननीय अरूण कुमार सिंह जी को आगरा की घटनाओं की जानकारी नहीं है। (व्यवधान) माननीय सुलेमान जी को भी नहीं है।

मैं आप लोगों से बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि पहले आप गंभीरता से दूसरे को सुनें और फिर अपनी बात कहें, यह सदन का तरीका है। (व्यवधान) मान्यवर, आगरा में जो घटना घटी वह बहुत ही निंदनीय और दुखद है। जो घटना घट गयी उसके बाद जो भीषण घटना हो सकती थी उसको मुख्य मंत्री के सफल निर्देशन के कारण बचाया जा सका है और उसी के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि पनवारी गांव में जो शादी होनी वाली थी (व्यवधान) उसको मुख्य मंत्री के निर्देश पर जिले के सारे अधिकारियों के बिना गोली चले शादी संम्पन्न करायी । मुख्य मंत्री के निर्देश को मानकर सारे जिले के अधिकारियों जैसे जिलाधिकारी, कमिश्नर , डी0आई0जी0 आदि ने अपने ऊपर

सारे संकट को लेकर लड़की को शादी संम्पन्न करायी। (व्यवधान) यह मुख्यमंत्री जी के सफल निर्देशन का द्योतक है। (व्यवधान) मान्यवर, आगरा में उसी दिन एक सेना का अधिकारी जो दूसरे स्थान पर ट्रान्सफर पर जा रहा था जिसका सामान ट्रक पर लदा था उसके सामान को लूट लिया गया और वह ट्रक जला दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है? इसका क्या कारण है? मृतक के परिवार को सहायता दी जाती है लेकिन सेना के अधिकारी के सामान की लूट हो गयी, रास्ते में ट्रक लूटा गया, उस सेना के अधिकारी का इस घटना से कोई संबंध नही था लेकिन उसके साथ यह घटना हो गयी जिसकी हमें चिंता हो रही है। इसलिये मान्यवर, यह सामाजिक मसला है। आपने घटना को नहीं देखा है लेकिन यहां हरिजनों के हिमायती बनकर उनके प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं और यहां चिल्ला रहे हैं। (व्यवधान) आजादी के 40 वर्षों बाद हरिजनों के प्रति ऐसी घटना हो जाये तो यह बड़े कलंक की बात है। गोली हरिजनों को मार दी जाय यह कलंक की बात है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगरा की स्थिति ठीक रहे इसलिये आवश्यक है कि आगरा में जो कर्फ्यू लगा है उसके दौरान अब कोई घटना न हो इसलिये वहां के जाट और जाटव दोनों लोगों से निवेदन है कि संयम से काम लें।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष—

आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें। राजकिशोर सिंह जी अब बोलेंगे। (व्यवधान) आपको बाद में समय मिलेगा। अभी नेता लोग बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, जैसी कि जनपद आगरा के सिकन्दरा क्षेत्र के पनवारी गांव में घटना घटी है.....

(बी0एस0पी0 के एक सदस्य चीख-चीख कर बिना अनुमति बोलते रहे, जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष—

आप शान्त रहिये, इनकी बात नहीं लिखी जाएगी। आप पहले राजकिशोर जी को बोल लेने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री राजकिशोर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनपद आगरा सिकन्दरा क्षेत्र के पनवारी गांव में जो घटना घटी है, वह बहुत ही गम्भीर है और सारे सदन के लिए चिन्ता का विषय है। माननीय विकल जी ने बहुत ही सही कहा, इससे कोई राजनीतिक स्वार्थ का लाभ उठाने का या इस पर राजनीति की रोटी सेंकने का प्रयास नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत गम्भीरता से इसको लिया है और बहुत ही सन्तुलित ढंग से घटनाओं का विवरण भी दिया है। मान्यवर, यदि जातीय संघर्ष इसी तरह से हमारे प्रदेश में-चाहे पनवारी की घटना हो या किसी अन्य जगह की घटना हो, बढ़ते रहे, तो इससे न केवल हमारे प्रदेश को क्षति होगी, पूरा प्रदेश इसकी लपेट में आ जाएगा, देश में जो विभिन्न जातियों के बीच जोड़ी

बहुत सद्भावना हैं वह मिट जाएगी। हरिजनों के प्रति सचमुच आज सवर्णों की दुर्भावना है, और वह दूर नहीं हो पा रही है। 40-42 साल कांग्रेस (आई) का राज्य रहा और यह उनकी देन हैं जो हरिजनों के प्रति घृणा की भावना आज भी व्याप्त है। यह कोई नई बात नहीं हो गई। मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही लज्जाजनक घटना है और यह बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, इसे हमें मान लेना चाहिए। जो घटना घटी है शादी के मामले को लेकर, जो सवर्ण जाति के वहाँ के लोग थे, उन्होंने हरिजनों के साथ जैसा दुर्व्यवहार और अत्याचार किया है, वह घोर निन्दनीय है। आज के युग में यदि किसी हरिजन की बारात जा रही हो तो उसे रोकने के प्रयास को कोई भी न्यायसंगत नहीं कह सकता है।

कांग्रेस आई ने जातिगत भावना फैलायी। आपने साम्प्रदायिकता फैलाई। आपने आतंकवाद फैलाया। कांग्रेस आई की वजह से पूरे देश में आग लगी हुई है। मान्यवर, इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। उसी का नतीजा है कि पंजाब जल रहा है, कश्मीर में आग लगी हुई है, आसाम में आग लगी हुई है। गलत नीतियों का परिणाम है कि आज हमारे देश में जातिगत संघर्ष हो रहे हैं। जनता दल की सरकार इस पर बड़ी चिन्तित है और इसके लिए कड़े कदम उठाये है। हमारी मुख्य मंत्री जी। हरिजनों की पूर्ण रूप से सुरक्षा होनी चाहिए। आज जो भी यह घटना हुई है उसे यह सरकार बड़ी कड़ाई के साथ, कड़ी नजर से देख रही है। और यह प्रयास करेगी कि यह घटना आगे नहीं बढ़े और हरिजन सुरक्षित हालत में रहें। मैं चाहता हूं मान्यवर, कि अगर हमारे नेता विरोधी दल इस बात को स्वीकार करते हैं तो इस सदन की तरफ से सभी दलों की एक कमेटी बना दी जाय. जो उस क्षेत्र में जाय जहां जातिगत विद्वेष फैल गया है। वह जातिगत सद्भावना पैदा करने का प्रयास करे और सवर्णों और हरिजनों के प्रमुख लोगों से मिलकर एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाय जिससे दोनों में सद्भावना पैदा हो।

(व्यवधान)

(श्री चन्द्रभान मौर्य का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चन्द्रभान मौर्य—

मान्यवर, मैं आगरा से हरिजन जाटव जाति का विधायक हूं और तीसरी बार चुनकर आया हूं। आगरा के जाटवों की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। आगरा के हरिजन जाटवों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। आगरा के जाटव किसी ब्राह्मणवाद की दया पर जिन्दा नहीं रहे, किसी संघवाद की दया पर जिन्दा नहीं रहे। उन्होंने हमेशा सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इसमें कांग्रेस की एक बहुत बड़ी साजिश है।

(सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

(श्री मुईद अहमद और अन्य के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों के अन्दर यह भावना होनी चाहिए कि अगर जब आपके

दल का कोई बोलता है तो आप क्यों व्यवधान डालते हैं कोई सदस्य अपनी बात कह रहा है तो उसे कहने दें। आप सबसे मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र के अन्दर इतना तो साहस होना ही चाहिए कि हमारे विपरीत यदि कोई विचार आ रहे हैं तो उसे सुनें।

(घोर व्यवधान)

(श्री चन्द्र भान मौर्य के पुनः खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

श्री चन्द्र भान मौर्य—

मान्यवर, हमें माननीय मुख्य मंत्री जी पर और अपनी सरकार पर बहुत भरोसा है। हम सब आपस में मिल करके अतिशीघ्र ही इस समस्या का समाधान कर लेंगे और इस पनवारी गांव की घटना का कारण प्रमुख रूप से कांग्रेस के लोगों द्वारा दोनों ही पक्षों में उत्तेजना पैदा करने का है। मान्यवर, आगरा के जाटवों का हमेशा ही कांग्रेस और ब्राहम्ण वाद से संघर्ष रहा है, क्योंकि आगरा के जाटव हमेशा से डा0 अम्बेदकर के अनुयायी रहे हैं, इसलिए कांग्रेस हमेशा से इनके हितों के विरूद्ध रही है और कांग्रेस हमेशा ही उत्तेजना पैदा करने का काम करती है।

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर तथा विरोधी पक्ष के अनेकों सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

(व्यवधान)

(श्री कल्यान सिंह के खड़े होने पर)

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मैं तो माननीय कल्यान सिंह को सुनना चाहता हूं, इसलिए मैं बैठ जाता हूँ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, मैंने कल भी कहा था और फिर दोहराना चाहता हूँ कि यह मामला वास्तव में बहुत गम्भीर है और संवेदनशील है। मेरा अनुरोध है कि इस मामले को पक्ष अथवा विपक्ष का प्रश्न न बनाया जाय। इसके ऊपर निष्पक्षता के साथ विचार होना चाहिए। मान्यवर, इतने दुखद काण्ड पर जो बहस हुई उसका रूप कुछ दूसरी दिशा में मुड़ गया इससे कम से कम मेरे मन को बहुत पीड़ा हुई। मैं किसी के ऊपर आक्षेप लगाने के लिए इंसानियत को कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जाट मरता है तो जाटव मरता है तो हमारे इंसानियत में जाट और जाटव अलग-अलग नहीं हैं, दोनों में इंसान मरता है। मान्यवर, इस प्रश्न को राजनीति का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। मान्यवर, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यह हमारे समाज की गैर बिरादरी के तिरष्कृत का परिणाम है। आज भी 42 साल की आजादी के बाद हमारे अनुसूचित जाति के भाई, निर्बल वर्ग के लोग, दलित, उपेक्षित, पिछड़े लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यह कसूर एक दिन का नहीं है। मैं यह भी कहने के लिए नहीं खड़ा

हुआ हूँ कि 6 माह की इस सरकार के शासन में यह हो रहा है, यह 42 साल के शासन की भी देन नही है यह विकृति तो हमारे समाज में छोटे बड़े, ऊँच-नीच की बहुत दिनों से चली आ रही है, इस पर गहन चिन्तन होना चाहिए।

मान्यवर, मैं उस घटना का विवरण नहीं देना चाहता जो विकल जी ने दिया है। मान्यवर, आज आवश्यकता है कि जो आज भावनाएँ है, जो भाव आहत हो गये हैं यदि उन भावों को अभी नहीं सम्भाला गया, उन घायल भावनाओं पर मरहम नहीं लगाया गया तो मेरी आशंका है कि इस प्रकार का कांड हमारे समाज को तोड़ डालेगा, वर्ग संघर्ष हमारे देश की एकता-अखण्डता को नष्ट कर देगा। जातिगत संघर्ष इस समाज की समरसता को नष्ट कर देगा इस पर गहराई से चिन्तन होना चाहिए।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी आगरा से होकर आ रहे हैं वह बतायेंगे कि क्या-क्या प्रबन्ध किया, क्या नहीं किया, परिस्थितियां क्या थी, क्यों इतना मजमा इकट्ठा हुआ और क्यों इतना मजमा इकट्ठा हो जाने दिया, इन परिस्थितियों की भी जाँच पड़ताल की जानी चाहिए। मान्यवर, अगर माननीय वर्मा जी की बात को सच मान लें कि 50 हजार जाट और एक लाख जाटव इकट्ठा हो गये तो वह एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं ठीक ही कहा होगा, तो यह लोग एक घंटे-दो घंटे में इकट्ठा नहीं हुए होंगे। इसे क्यों नही रोका गया, क्यों प्रबन्ध नहीं किया गया। मान्यवर, मुझे तो प्राप्त सूचना के अनुसार चौखा जाटव ने प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित में दिया कि मेरी पुत्री की शादी अमुख तारीख को है और विघ्न पड़ने की आशंका है। यह विचार करने का विषय है कि क्या लिखकर दिया था और दिया तो क्या व्यवस्था हुई? आज वहाँ पर कर्फ्यू लगा है, जन-जीवन त्रस्त है, नारकीय स्थिति पैदा हो रही है, इसका कोई भी इंतजाम हो रहा है या नही हो रहा है? मुख्यमंत्री जी जब खड़े होंगे बोलने के लिए तो इसका उत्तर देंगे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से अपील करना चाहता हूँ और सभी माननीय सदस्यों से, सभी दलों के नेताओं से अपील करना चाहता हूँ कि दलगत राजनीति का इसे प्रश्न न बनायें, बड़ा गम्भीर मसला है यह अगर फैल गया तो आगरा तक की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, यह प्रदेश में फैलेगा और पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। इसमें जितनी जल्दी हम घायलों की भावनाओं को सहला पाये उतना ही अच्छा प्रदेश और देश के हित में होगा। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूँ और इसलिए सुझाव दे रहा हूँ कि इस सदन के सभी दलों के लोगों की, मैं जाँच समिति की बात नही करता, एक सद्भाव यात्रा वहाँ जाय, मुख्यमंत्री जी इसमें पहल करें और जाकर लोगों के बीच में बैठकर उनको सुनकर उनकी भावनाओं को सहलायें, हो सकता है कि शायद यह जो घायल भावनाएं हो गयी हैं उनको कुछ सहारा लगे। मान्यवर, मैं जानबूझकर इस दुखद काण्ड पर न्यायिक जाँच की माँग नहीं कर रहा हूँ। शायद कोई और मामला होता तो मैं न्यायिक जाँच की माँग करता। मैं न्यायिक जाँच की माँग इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जब तक न्यायिक जाँच चलती रहेगी तब तक कटुता की भावना जिन्दा बनी रहेगी। इस पर विचार होना चाहिए। मान्यवर, कुछ आशंकाएँ व्यक्त की गयी हैं और प्रशासनिक अधिकारी कदाचित किसी भय में आकर हिचक रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की घोषणा जरूर करेंगे कि वहाँ पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी है,

जिसको काम सौंपा है, अब निर्भीक कर दिया जायेगा, जो निष्पक्ष हो। जिसका भी कसूर है, वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, किसी वर्ग से संबंधित क्यों न हो, जाति से संबंधित क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जायगा। उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। दूसरे यह घोषणा मैं इसलिये चाहता हूँ कि इस दुखद काण्ड की पुनरावृत्ति न हो। आज पूरे प्रदेश में घोषणा होनी चाहिये कि इस प्रदेश की धरती पर किसी भी हरिजन की बिटिया की बारात को चढ़ने से रोकने नहीं दिया जायगा। कोई ताकत उसको रोक नही सकती। मुझे विश्वास है कि इससे पूरे प्रदेश के दलितों, पिछड़े लोगों को जो दर्द लगा है, उनकी भावनाओं पर मलहम लगेगा कि शासन ने हमारी भावनाओं को समझा। जो लोग आज जांति-पांति की दीवार खड़ी करके बारात नहीं चढ़ने दे रहे, उन पर अंकुश लगेगा कि प्रशासन कड़ा हो गया है और अब किसी भी बिटिया की बारात को चढ़ने से रोकने नहीं दिया जायगा और किसी के दमाद को घोड़ी पर चढ़ने से रोका नहीं जायगा।

श्री मुलायम सिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, मा0 सत्यप्रकाश विकल जी, मा0 उपनेता जी और भाजपा नेता कल्यान सिंह, बहुजन समाज पार्टी के नेता जी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री राजकिशोर सिंह जी और अन्य मा0 सदस्यों ने जो सदन में अपनी भावनाएं व्यक्त की है, उन भावनाओं पर मैं राजनीतिक रंग या राजनीतिक रूप नहीं दूँगा। उनका आदर करता हूँ। जो घटना हुई है, शर्मनाक घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना से हम सब दुखी हैं और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दुख है। जहां तक कि हमारे मा0 सदन ने नेताओं ने और मा0 सदस्यों ने कुछ सवाल हमारे सामने रखे हैं। लड़की की शादी को लेकर जो विवाद उठा और जिसका एक रूप जातीय संघर्ष हो रहा है, यह दुखद है। उसके परिणामस्वरूप 6 मौतें हुई और कुछ सम्पत्ति का भी नुकसान हुआ। उसका आकंलन जिला प्रशासन कर रहा है। जहां तक सवाल है शादी कराने का और सरकार की गम्भीरता का, सरकार ने पूरी तरह से गम्भीरता से देखा। जो इस समाज में विद्वेष था, उसी का नतीजा कि मा0 वर्माजी ने जो कहा कि अगर मा0 सदस्य आगरा गये होते और वहां के लोगों से जानकारी कर ली होती और उनके दल के लोगों ने से बताया होगा तो यह पहला मौका है, जहां पर जिला प्रशासन ने या फौज के लोगों ने या पी0ए0सी0 ने धीरज धरा और सहा और अपनी जान को जोखिम में डाल कर विवाह करवाया और साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में किसी भी हरिजन की शादी रोकने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता है। चाहे वह कोई भी हो।

और उस पर कड़ी कार्यवाही भी की गयी और कड़ी कार्यवाही का आपके सामने प्रमाण है कि जिन लोगों ने शादी रोकने की कोशिश की और हिंसा करने की कोशिश की तो उधर से भी हत्या हुई है।

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान—

मैं आपके उत्तर से सहमत नहीं हूँ, सदन का बहिष्कार करता हूँ।

(शेख मोहम्मद सुलेमान अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री मुलायम सिंह यादव—

जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, इस बात की हमें खुशी है कि आज सदन में अपवाद छोड़कर के, हरेक राजनीतिक दलों ने, हरेक जन प्रतिनिधियों ने और जो सामाजिक संगठन हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के शांति बनाये रखने में मदद की है, समर्थन किया है। और हम सभी दलों के नेताओं से और जन प्रतिनिधियों से वहां मिले और जो-जो वहां सुझाव दिये गये, जिला प्रशासन ने और हमने बैठकर उन सुझावों को माना और उसके अनुसार कार्यवाही भी की है। और, आज भी जो कहा गया कि क्या-क्या कार्यवाहियां की गयी, घायल हुए हैं उनके लिये इलाज के लिये पूरी व्यवस्था की गयी है। जो मृतक लोग हैं उनको 1-1 लाख रूपया दिया गया है, जो गंभीर घायल हैं उनको 5-5 हजार रू0 दिया गया है, साधारण चोटें लगी हैं उनको 2-2 हजार रू0 दिया गया है। सम्पत्ति जिनकी नष्ट हुई है उसका आंकलन किया जा रहा है। सम्पत्ति नष्ट हुई है, उनको भी सरकार की तरफ से मदद की जायेगी। और पूरी तरह से आदेश हैं कि सरकार किसी को नहीं दबा रही है और न ही अधिकारी दबाव में काम करेगा लेकिन कोई भी हो कानून तोड़कर के अंगूठा दिखाने की कोशिश करेगा उस पर यह सरकार बिल्कुल विचार कर सकती है। ऐसी दुर्घटना करने की कोशिश करेगा तो सामूहिक जुर्माने पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, हमने उसको गंभीरता से लिया है और यह भी कोशिश कर रहे हैं हमें जो अभी कुछ माननीय नेताओं ने कुछ सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, इस प्रकार के मामले राजनीतिक आधार पर या राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करने से नहीं उठ सकते हैं और यह भी बताना चाहता हूँ कि इस तरह के मामले बढ़ने से यह दुधारी तलवार है कोई यह न समझे कि हम बहिष्कार करके कहकर मैं सहमत नहीं हूँ सहयोग नहीं करेंगे यह न समझें कि बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ हो जायेगा। यह दुधारी तलवार है पता नहीं कि किधर पलट जायेगी। स्थानीय आगरा के लोगों ने जो काम किया है चाहे किसी दल के हों मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ आभारी हूँ और अभी तक वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्थिति काबू से बाहर नहीं है। स्थिति गंभीर हम इसलिये मानकर चल रहे हैं कि कुछ ही गांवो में और कुछ ही शहर के मुहल्लों में है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय विकल जी से कि आगरा में पूरे में कर्फ्यू लगा हुआ है, पूरे-पूरे गांवों में यह बात है? बढ़ा-चढ़ाकर सदन में कहा जा रहा है, आगरा जनपद की जनता यह नहीं कह रही है। मैं गया हूँ। लेकिन हरिजनों के बारे में कमजोर वर्ग के बारे में यह सरकार की स्पष्ट नीति है वचनबद्ध है कहीं किसी भी प्रकार का हरिजन पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) और मान्यवर जहाँ तक सवाल है अगर वहां पर मौके पर जायेंगे, मैं किसी को नहीं रोकता हूँ, मैंने रोका भी नहीं है, कांग्रेस की नेता भी गयी, कर्फ्यू लगा हुआ था, वहां भी वे गयी भाषण दिया या कुछ भी कहा हो, उस पर मैं नहीं जाता हूँ, कांग्रेस के नेता अलग से मिले तो मुझे सहयोग-समर्थन की पूरी बात कही।

भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग से हमसे मिले, वहाँ के विधायक मिले और सभी ने पूरी तरह से हमको समर्थन दिया, सहयोग दिया और दे रहे हैं। अन्य दलों के जितने भी नेता थे, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन सभी ने एक स्वर में वहाँ के जिला प्रशासन के साहस की तारीफ की। यहाँ विशेषकर जो जाटों का नाम लिया जा रहा है, वह इस सदन में नहीं लेना चाहिये। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इस तरह हम लोग यहाँ बैठकर इस तरह से नाम

लेगें, जातियों के नाम लेगें या यह कहेगें कि एक ही जाति के लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो यह उचित नहीं होगा। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है कि एक ही जाति के लोगों की गिरफतारी हुई है, यह बात असत्य है। यहाँ तो किसी जाति का कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है, उनको गिरफ्तार किया गया है, वहाँ जाति नहीं देखी जा रही है। जो भी कानून को हाथ में लेगा, उसको दंडित किया जायगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और इसी सख्ती के साथ प्रशासन वहाँ लगा हुआ है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि ऐसे मौको पर चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे वहाँ के डी0एम0 हों, एस0पी0 हों, चाहे फौज के जवान हों, चाहे पी0ए0सी0 के लोग हों, उनकी जितनी प्रशंसा हो सकती है, उतनी करनी चाहिये। जिन परिस्थितियों में उन लोगों ने काम किया है और कर रहे हैं, वह निःसंन्देह सराहनीय है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जनपद आगरा में सभी दल के नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, जो समर्थन और सहयोग किया है, आज उसी का नतीजा है कि आज वहाँ स्थिति नियंत्रण में है और अन्य जगह कोई झगड़ा फैलने की कोई गुजाइंश नहीं है और न ही इसे फैलने दिया जायगा। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है और उसी गंभीरता से सरकार इसे ले रही है। मैं स्वीकार करता हूँ कि वहाँ अच्छा काम नहीं किया गया, लेकिन साथ ही मैं घोषणा करता हूँ कि जाति के आधार पर किसी की बारात को, किसी की शादी को रोका जायेगा, तो सभी नेताओं से मिलकर, जैसी उनकी राय होगी, जैसा वह बतायेंगे, उसी तरह से कानून हम बनायेंगे। जिस तरह से माननीय नेता भा.ज.पा. ने बात कही कि अगर हम न्यायिक जाँच में पड़ जायेगें, तो 6 साल से पहले उसका परिणाम मिलना नहीं है और तब उसका कोई मतलब भी नहीं है। डिप्टी मिनिस्टर अजय सिंह वहाँ पर काम कर रहे हैं। किस तरह से वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाया जाय, इस पर काम कर रहे हैं। वहाँ जिला प्रशासन ने सभी दलों के कार्यकर्ताओं की बैठक की, हमने भी सभी नेताओं की बैठक की, हम घायलों से भी मिले। माननीय उप नेता ने कहा कि मौके पर नहीं गये। जो शादी का गाँव था, मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि वह सब लोग मेरे पास आ गये, दोनों तरफ के। अपनी-अपनी बात मेरे सामने रखी, लड़की की तरफ के लोगों ने और लड़के के तरफ के लोगों ने भी रखी, इसके अलावा जिन-जिन को शिकायतें थी, उन सभी से मैंने बात की। हम घायलों से भी मिलने गये और उनसे बात भी की, उन्होंने जो परेशानियाँ बताई, उनको दूर किया। उन सभी ने हमारे इन्तजाम की तारीफ की। जो भी शासन के स्तर पर दवाईयां की, घायलों की चिकित्सा की व्यवस्था वहाँ की गई सभी ने इसकी तारीफ की। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का हरिजनों पर अत्याचार कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जहाँ तक हरिजनों के सम्मान का सवाल है, यह पहली सरकार है, हम कोई आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि यह कह रहे हैं कि पूरे हिन्दुस्तान के हरिजनों की आवाज आ रही है कि बाबा भीमराव अम्बेदकर को सम्मान दिया जाय और यह पहली सरकार है जो बाबा भीमराव अम्बेदकर को उपाधि देकर सारे हरिजनों को सम्मानित करने का काम कर रही है।

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

बाबा भीम राव अम्बेदकर शताब्दी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में भी उनकी कृतियों और उनके विचारों तथा हरिजनों को सम्मान देने की बात है। इस शताब्दी समारोह का मैं स्वयं अध्यक्ष बनूंगा। मैं स्वयं सरकार की तरफ से और

जनता की तरफ से और जनता दल के सभी सदस्यो की तरफ से बाबा भीम राव अम्बेडकर जी की जो भावना थी। ऊँच-नीच की भावना समाप्त करने की, समान अधिकार दिलाने की, उसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे। आप बजट में देखें कि कुछ गाँवों के नाम भी बाबा भीम राव अम्बेदकर के नाम से रखे जायेंगे। मान्यवर, यह पहले कभी नही किया गया। आप इसमें सहयोग दें। यह मामला कोई राजनीतिक मामला नहीं है। हमने घोषणा की है 5 करोड़ रूपये दे रहे है। सरकार हरिजन के सम्मान की समस्या को गम्भीरता से ले रही है। और यहाँ पर भी हमारे माननीय नेताओं द्वारा सुझाव आये हैं। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। अपवादस्वरूप एक दल को छोड़कर। मान्यवर, हरिजनों पर अत्याचार यह सरकार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मैं उन पुरानी घटनाओं को नहीं दोहराना चाहता कि कब और कहां पर इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। आज यहाँ पर सदन में सभी मा0 नेताओं ने अपने जो विचार रखें है। मैं उनका आदर करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हर तरह से समर्थन और सहयोग से शीघ्र ही आगरा की स्थिति बहुत जल्दी सामान्य हो जायेगी और हरिजन या कोई अन्य व्यक्ति जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। अराजकता और मनमानी का राज नहीं चलेगा जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना—

जिन-जिन क्षेत्रों में कफर्यू लगा हुआ है वहाँ पर जीवनोपयोगी वस्तुएं सुचारू रूप से मिल सकें इसके लिये क्या व्यवस्था की गई है? मंत्री जी कृपया बतायेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैंने यह तो नहीं कहा कि स्थिति सामान्य हो गयी है परन्तु आप लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा तो कुछ समय बाद वहाँ की स्थिति सामान्य हो जायेगी। वहाँ पर दाल, सब्जी, दवाई जो भी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिये उपाय किये गये हैं। कुछ अधिकारियों का एक ग्रुप बनाया है जो इन सब चीजों को उपलब्ध कराने में सहायता करता है। एक इलाके में सी0डी0ओ0 रखा है, जो जरूरत की चीजें हैं वहाँ पर उनकी आपूर्ति की जा सके।

श्री अरूण कुमार सिंह मुन्ना—

लेकिन इस ढंग से भीड़ का इकट्ठा हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है। आपको भविष्य में प्रशासन को और सख्त करना चाहिए ताकि इस तरह की घटना फिर न हो। इस पर नियंत्रण होना चाहिए। यही मेरा सुझाव है। हमारा दल ऐसे संवेदनशील घटनाओं को न कभी करता है, न करेगा। ऐसे संवेदनशील घटनाओं पर नियंत्रण हो, इसके लिए हमारा दल सहयोग देने को तैयार है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

बहुत-बहुत धन्यवाद।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम-51 के अंतर्गत आज 9 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री पंचानन राय जी की है, दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है, तीसरी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की है, चौथी सूचना सर्वश्री दिनेश

जौहरी, रामसेवक सिंह, श्याम बिहारी सिंह और श्री शिव बहादुर सक्सेना जी की है। पाँचवी सूचना श्री देव कुमार यादव जी की है, छठी सूचना श्री शिव दर्शन जी की है, सातवीं सूचना श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी की है, आठवीं सूचना श्री धर्मज्ञ मिश्र जी की है और नवीं सूचना सर्वश्री राम वचन यादव, वीरेन्द्र सिंह और श्रीमती कमला साहनी जी की है। इसमें से पहली सूचना श्री पंचानन राय जी की है, जिसे मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूँ, दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है, जिस पर केवल वक्तव्य स्वीकार करता हूँ।

उत्तर प्रदेश के कतिपय जनपदों में बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था तथा लमेहटा थाना बदौसा जनपद बांदा में दुर्नाम दस्यु संतोषा यादव द्वारा बर्बर आंतक फैलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना गया।)

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरूद्र प्रकाश)—

(बांदा जनपद दस्यु पीड़ित जनपद रहा है जिसमें समय-समय पर दस्यु उन्मूलन अभियान चलाये गये हैं। इस समय जनपद में आठ दस्यु गिरोह सक्रिय हैं जिनके उन्मूलन के लिए की गई कार्यवाही में बुद्धा नाई का गिरोह समाप्त किया जा चुका है।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 17-5-90 को प्रातः ग्राम लमहेटा जनपद बांदा के चौकीदार भारत ने थाना बदौसा पर इस आशय की मौखिक सूचना अंकित कराई कि दिनांक 16/17-5-90 की शाम लगभग 7-30 बजे संतोषा यादव गैंग 8-9 साथियों के साथ गांव में आया और यह कह कर गांव वालों को इकट्ठा किया कि उसे कसम करानी है कि दिनांक 17-4-90 को पुलिस से मुखबरी किसने की थी। उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा करके, गया यादव के घर वालों को अलग किया और उन्हें लाठियों से मारने लगे। गांव वालों के मना करने पर गैंग के सदस्यों ने सूजा, सूतली से नाक छेद कर लगभग 20 व्यक्तियों को लाठियों से मारा पीटा, घरों में घुसकर लूट-पाट की व तीन लड़कियों के साथ बलात्कार किया। उक्त घटना के संबंध में थाना बदौसा पर मु0अ0सं0 96/90 अन्तर्गत धारा 395/397/376 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना प्रचलित है। उक्त घटना के एक नामजद अभियुक्त सरदार यादव ने दिनांक 28-5-90 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।

ग्राम लमहेटा के निवासियों की सुरक्षा हेतु पी0ए0सी0 लगा दी गई है व पुलिस चौकी भी स्थापित की गई है। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक, बांदा एवं पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़ित परिवारों को रूपये 14,500/= की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है एवं 10 लाइसेंस सुरक्षार्थ स्वीकृत किए गये हैं। संतोषा गैंग एंव अन्य दस्यु दलों के उन्मूलन हेतु व्यापक सघन अभियान चलाया जा रहा है। सामान्य जनता में किसी तरह का भय आंतक एवं आक्रोश न रहे इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है।

नोट— ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दस्यु प्रभावित 12 जनपदों में उन्मूलन के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इन क्षेत्रों में नये थानों की स्थापना, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, बल को आधुनिक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना, दूरसंचार की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना इत्यादि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त जनसामान्य से सहयोग प्राप्त करने के लिए भी प्रभावी कार्यवाही की जा रही है और उन लोगों पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है जो इनको संरक्षण या सहायता प्रदान करते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, ये जो बड़ी दुस्साहसिक घटना हुई हैं, इसे सरकार ने स्वीकार किया है। एक शाम को सन्तोषा यादव गिरोह के लोग गॉव में पहुँचे और एक जाति के लोगों को चुन-चुनकर उनके नाक में बोरा सिलने वाली सुई व सुतली से उनके नाखों को छेदा और उनकी लड़कियो के साथ बलात्कार किया। मान्यवर, यह केवल एक घटना नहीं है। यह तो एक प्रतीक स्वरूप घटना है। इस पूरे प्रदेश में आज इस तरह की दुस्साहसिक घटनायें हो रहीं है। माननीय मंत्री जी ने जिन 12 जिलों का जिक्र किया है और इस तरह से प्रदेश के जो और जिले हैं, पुरानी सरकार तो स्थिति को सामान्य करने में विफल रही, तो क्या नई सरकार इस समस्या के समाधान के लिए कोई स्थायी कारगर कदम उठाने पर विचार कर रही है?

श्री शतरूद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं समझ नहीं पाया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसकी अन्तिम गण्डिका है, उसमें उन्होंने कहा है कि 12 जिलों में प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। मैंने तो पहले ही कहा कि यह घटना तो एक प्रतीक है। मैंने एक घटना का उल्लेख भी किया। मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह की दुस्साहसिक घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

श्री शतरूद्र प्रकाश—

मान्यवर, माननीय सदस्य जनपद बांदा के बारे में ही पूछ रहे हैं या पूरे प्रदेश के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, बॉदा जिले के आस-पास जिन 12 जनपदों का वक्तव्य में उल्लेख किया गया है, उन गॉवों में दस्यु उन्मूलन के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री शतरूद्र प्रकाश—

मान्यवर, बॉदा जनपद के आस-पास जिलों में और पूरे प्रदेश में इस प्रकार की जो दुस्साहसिक घटनायें घटी हैं, उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया गया है। 14.2.90 से जो बाँदा में प्रयास किये गये उसके अन्तर्गत करीब 2 मारे गये, कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ असलहें भी बरामद हुए हैं।

इसमें बन्दूक है, रायफल है, तमंचा है और जो ऐसे हथियार हैं जो छोटे-छोटे अपराधियों के पास नहीं होते। अभी आपको जानकारी होगी बुद्धा नाई के गैंग का सफाया कर दिया गया। कई इस प्रकार के प्रयास किये गये हैं

उनके आंकड़े देने से कोई लाभ नहीं होगा। प्रयास किया जा रहा है कि जनपद बांदा और 12 जनपदों में डाकुओं के गिरोहों का सफाया कर दिया जाय। दो-तीन गिरोहों का सफाया किया भी गया है। संतोषा यादव गिरोह के एक-दो लोगों को मारा गया है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि संतोषा यादव का गिरोह साफ हो जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इसमें माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 8-9 लोग नामजद किये गये थे, मैं जानना चाहता हूं कि उनकी सही संख्या क्या हैं? एक व्यक्ति ने सरेण्डर किया है, पुलिस उसे नहीं पकड़ पायी, शेष को पकड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? अभी 82,83 की कार्यवाही की गयी या नहीं? मेरी जानकारी के अनुसार 82,83 की कार्यवाही अभी नहीं की गयी है।

श्री शतरूद्र प्रकाश—

इसमें एक जो अभियुक्त है, 5 नामजद व्यक्ति हैं-संतोषा यादव, मुन्ना यादव, सरदार यादव, फूल यादव, सत नारायन यादव, ये सब डकैत हैं, अन्तर्राज्यीय डाकू हैं। इसमें से एक अभियुक्त ने आत्म समर्पण किया है, पुलिस ने उसको रिमाण्ड पर लेने का प्रयास किया उस पर एक दिन की रिमाण्ड मिली, स्थानीय प्रशासन के जरिये उच्च न्यायालय से आदेश प्राप्त किये जा रहे हैं रिमाण्ड बढ़ाने के लिये ताकि गिरोह के बारे में और भी जानकारी मिल सके।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

प्रश्न का संगत उत्तर आना चाहिये। 82,83 की कार्यवाही के बारे में मैंने पूछा था, कुर्की की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री शतरूद्र प्रकाश—

पकड़ने के लिये पूरा अभियान चलाया गया है। दस्यु उन्मूलन अभियान के अन्तर्गत इनकी तलाश की जा रही है, ये कोई नागरिक तो हैं नही जो घर पर मिल जायेंगे। दस्यु उन्मूलन के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि इनको पकड़ लिया जाय।

श्री देव कुमार यादव—

इस सदन में बांदा के डाकू राज के सम्बन्ध में मैंने जनवरी में भी ध्यान आकर्षित किया था। इसमें जो वक्तव्य आया है मैं बताना चाहता हूं कि वह आंशिक रूप से सही नही है।

(व्यवधान)

गणपूर्ति के अभाव में सदन का स्थगन

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक—

मान्यवर, यह सदन नियमों के अंतर्गत चलता है। अब चूंकि कोरम का अभाव हो गया है, इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

कोरम की घण्टी बजायी जाय।

(गणपूर्ति हेतु घण्टी बजायी गयी।)

(गणपूर्ति के उपरान्त)

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, यह जो वक्तव्य आया है, सही नहीं है।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि कोरम पूरा हो गया है।

श्री देव कुमार यादव—

बादां में डाकुओं का राज्य है वहां पर कम से कम 10 गिरोह सक्रिय हैं। पुलिस वहां पर डाकुओं के दलाल के रूप में काम कर रही है और वहां इस तरह से लाभदायक उद्योग चल रहा है। फिरौती का व्यापार होता है। दस साल में कम से कम बीस करोड़ रूपया डाकू फिरौती के नाम पर वसूल कर चुके हैं।

28 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी लमहेटा गये थे, मैं भी उनके साथ था। यह घटना 16 मई को हुई। 17-4- को यह घटना हुई वहां पर सन्तोषा का गिरोह है जो वहां पर ठहरा हुआ था। वहां पर कई थाने की पुलिस तैनात थी। थाना बदौंसा के थानेदार——

श्री अध्यक्ष—

कोरम नहीं है, कृपया बैठ जायं।

अब हम कल 11 बजे तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः
26 जून, 1990

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश संसदीय

नत्थी "क"

(देखिये अता0प्र0सं0 62 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

तहसील दुद्धी जनपद सोनभद्र के दक्षिणाचंल में कैमूल पर्वतमाला सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त एजेन्सी के द्वारा भौमिक अधिकार दिये गये व्यक्तियों की सूची।

क्रमांक	नाम ग्राम	भौमिक अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या
1–	देवपुरा	8
2–	लोलासी खुर्द	12
3–	चकगड़दरवा	7
4–	धनखोर	21
5–	मुनगाडीह	19
6–	मनराटोला	40
7–	किरविल	49
8–	औरवहाँ	14
9–	निमियाँडीह	64
10–	चवना	91
11–	धनौरा	217
12–	हरहोरी	87
13–	बरवाटोला	52
14–	शाहपुर	75
15–	करमटोला	6
16–	जपला	33
17–	स्वानगंज	83
18–	गड़िया	101
19–	सोढो	12
20–	झनकपर	2
21–	गडवरवा	60
22–	सागरसोती	19
23–	भुलई	23

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	नाम ग्राम	भौमिक अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या
24–	वोड़र	234
25–	डड़िहरा	16
26–	करकोरी	8
27–	म्योरपुर	250
28–	करहिया	55
29–	मल्देवा	5
30–	तेन्दुअल	21
31–	घघरी	292
32–	गंगहर	19
33–	बेल्दम पश्चिम	9
34–	बहेराडोल	75
35–	बराईडाड़	107
36–	खजरी	27
37–	काचन	301
38–	महरीकला	20
39–	चेरी	140
40–	सुग्गुवा बांध	63
41–	भीसुर	5
42–	मचन्थवा	318
43–	कुन्डाडीह	166
44–	पीपरडीह	227
45–	लीलासी	107
46–	करहिया	335
47–	महुअरिया	71
48–	जूरा	23
49–	बघमन्दवा	122
50	औराडाड	7

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	नाम ग्राम	भौमिक अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या
51–	नवाटोला	36
52–	गुलालझरिया	239
53–	किरबिल	65
54–	सुखड़ा	194
55–	बोम	159
56–	करहिया	95
57–	मुरता	158
58–	महुआरिया	58
59–	करकोरी	48
60–	गौरसिंहा	60
61–	सुन्दरी	47
62–	जामपानी	189
63–	झारो	431
64–	बोदराटोला	3
65–	जोरकहू	6
66–	चकडुमरा	4
67–	मेदनीखाड़	16
68–	बघाडू	461
69–	सरडीहा	7
70–	बघमन्दवा	20
71–	कालिजंर	9
72–	धोरपा	210
73–	बरहपान	3
74–	तुरीडह	10
75–	हुमेलदोहर	19
76–	अहिरबुडवा	3
77–	सुन्दरी	173

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	नाम ग्राम	भौमिक अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या
78–	कादल	37
79–	जाताजुआ	219
80–	मधुवन	81
81–	छत्तरपुर	262
82–	धूमा	105
83–	नौडिहा	117
84–	बौधाडीह	190
85–	बरखोहरा	265
86–	बघमन्दवा	3
87–	बेल्डहा	267
88–	ककरी	160
89–	खैराहो	365
90–	गरबन्धा	101
91–	असनहर	51
92–	खडिया	35
93–	सिसवा	47
94–	झापर	61
95–	धरतीडाड	13
96–	अन्जानी	280
97–	पिपरहर	29
98–	पतखिरना	55
99–	मेहरीकला	71
100–	सिन्दूर	120
101–	पिण्डारी	235
102–	झीलो	145
103–	खमरिया	21
104–	राजनरई	142

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	नाम ग्राम	भौमिक अधिकारी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या
105–	लीलादेवा	276
106–	मिटिहनो	67
107–	डोड़हर	359
108–	खैरो	19
109–	बीजपुर	2
110–	नेम्ना	549
111–	सिरसौता	110
112–	नकटूअधौरा	177
113–	टेकुआरों	80
114–	मजीठ	16
115–	करमघटी	61
116–	बरवाटोला	30
117–	महुलो	205
118–	रजमीलान	229
119–	नवाटोला, जिगहनवा	117
120–	बचरा	19
121–	मझौती	80
122–	जिगनहवा	124
123–	विछआरी	118
124–	भवर	198–
125–	अरझट	25
126–	शीशाटोला	20
127–	धलपहरी	56
128–	हथियार	35
129–	नवाटोला, अधोरा	67
130–	चक चपकी	7
131–	बरवाटोला	33

बिहार गजट

क्रमांक	नाम ग्राम	भौमिक अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या
132–	देवरिहवाँ	36
133–	सेवढीटोला	41
134–	खैराडीह	29
135–	चकबगदरी	40
136–	करचाटोला	31
137–	परसाटोला	16
138–	गायदह	11
139–	जोवेदह	14
140–	छिपिया	29
141–	सालेनाँग	65
142–	मचवन्धवा	39
143–	सागोबाँध	5
144–	बुटबेड़वा	9
145–	डेवढ़ी	22
146–	कोरगो	20
147–	पकडेवा	4
148–	परासी	150
	योग:–	13956

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अता0प्र0सं0 120 का उत्तर पीछे पृष्ठ 79 पर)

श्री कृष्ण किंकर सिंह, विधायक द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न सं0–120 के सम्बन्ध में बाढ़ से क्षति तथा पीड़ितों को उपलब्ध कराई गई सहायता का विवरण।

क्र0सं0	क्षति का विवरण	वर्ष 1988	1989
1.	जनपद के कुल ग्रामों की संख्या	4,963	4963
2.	प्रभावित ग्रामों की संख्या	742	870
3.	प्रभावित जनसंख्या	2,64,158	3,02,365
4.	प्रभावित पशु संख्या	1,05,146	97,181
5.	प्रभावित कुल क्षेत्रफल हे0 में	51,429	69,448
6.	प्रभावित बोया गया क्षेत्रफल	38,050	47,390
7.	घिरे ग्रामों की संख्या	335	324
8.	घिरे ग्रामों की जनसंख्या	1,37,403	1,36,362
9.	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या–पूर्ण	301	394
	आंशिक	1,494	4,159
10.	मृतकों की संख्या–मानव	6	2
	बड़ा पशु	42	4
	छोटा पशु	–	2

राहत कार्य पर व्यय

1.	अहैतुक सहायता (खाद्यान्न पर व्यय)	23,80,415.00	19,33,662.80
2.	गृह अनुदान वितरित	5,99,800.00	12,25,800.00
3.	अनुग्रह अनुदान	72,000.00	14,500.00
4.	कार्यरत नावों पर व्यय	9,09,280.00	7,48,610.00
5.	कार्यालय व्यय	98,000.00	1,00,000.00
	योग–	40,59,495.00	40,22,572.80
6.	लाभान्वित परिवारों की संख्या–	36,610	18,990

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री अमर मणि त्रिपाठी एवं श्री श्याम नारायण तिवारी द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या-121 का उत्तर।

प्रश्न

121-क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे, कि जनपद महराजगंज में सीलिंग में कितनी भूमि है इसमें से कितनी भूमि का वाद न्यायालय में विचाराधीन है? क्या सीलिंग में प्राप्त भूमि पात्र व्यक्तियों को आवंटित की गयी है? यदि हां, तो कितनी भूमि कितने व्यक्तियों को आवंटित की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर-

121-सूचना एकत्र की जा रही है।

राम शरण दास
राजस्व मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 11विधान सभा11-10-90(2384)813प्रतियां(आफ0)1